



वार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT 2001-2002



नैशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि०
(भारत सरकार का उद्यम)
National Hydroelectric Power Corporation Ltd.
(A Government of India Enterprise)



विषय सूची Contents

निगम का लक्ष्य तथा उद्देश्य Corporate Mission and Objectives	2
निदेशक मंडल Board of Directors	5
कारपोरेट रूपरेखा Corporate Profile	6
महत्वपूर्ण आंकड़ों का सार (दस वर्ष) Digest of Important Data (Ten years)	10
अध्यक्षीय संबोधन Chairman's Speech	15
निदेशकों की रिपोर्ट - एनएचपीसी Directors' Report - NHPC	21
वार्षिक लेखे - एनएचपीसी Annual Accounts - NHPC	59
तुलन-पत्र का सार तथा निगम के सामान्य व्यवसाय की रूपरेखा Balance Sheet Abstract and Company's General Business Profile	96
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट Auditors' Report	101
निदेशकों की रिपोर्ट - एनएचडीसी Directors' Report - NHDC	117
वार्षिक लेखे - एनएचडीसी Annual Accounts - NHDC	122
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट - एनएचडीसी Auditors' Report - NHDC	141
समेकित तुलन पत्र Consolidated Balance Sheet	146
भारत के नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां Comments of the Comptroller & Auditor General of India	188

निगम का लक्ष्य

एनएचपीसी का लक्ष्य देश की विशाल जल विद्युत, ज्वारीय, पवन, भू-तापीय और गैस ऊर्जा संभाव्यता का दोहन करके सस्ती, प्रदूषण-रहित और कभी न समाप्त होने वाली बिजली का उत्पादन करना है। एनएचपीसी केन्द्रीय क्षेत्र में जल विद्युत, ज्वारीय, गैस, भू-तापीय और पवन विद्युत संभाव्यता के एकीकृत और दक्ष विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस विकास में जल विद्युत, ज्वारीय, भू-तापीय, गैस और पवन विद्युत परियोजनाओं का अन्वेषण, योजना, डिज़ाइन, निर्माण, संचालन व रख-रखाव करने जैसे सभी पहलू शामिल होंगे।

निगम का उद्देश्य

आधुनिक कार्य प्रणाली और नवीनतम तकनीकों को अपनाकर हाइड्रो परियोजनाओं के योजनाबद्ध विकास का लक्ष्य शीघ्रता से प्राप्त करना। साथ ही एकीकृत प्रबंधन पद्धति को अपनाकर न्यूनतम लागत और कम से कम समय में जल विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन के लक्ष्य को शीघ्रता से प्राप्त करना।

संचालन और रख-रखाव की आधुनिक पद्धतियों को अपनाकर संचालित पावर स्टेशनों की संस्थापित क्षमता का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना, जिसमें पावर जनरेटिंग स्टेशनों का संवर्धन, आधुनिकीकरण और जहाँ आवश्यक हो, इनकी क्षमता में वृद्धि करना भी शामिल है।

व्यापक कारपोरेट योजना बनाना और दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में योजनाओं को तैयार करना तथा देश में बदलते राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य के मद्देनजर इन योजनाओं को निरंतर नयापन देना। पावर क्षेत्र में निगम की प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन को ध्यानपूर्वक मॉनिटर करना।

आवश्यकता पर आधारित प्रशिक्षण आदि के माध्यम से मानव संसाधन विकास के साथ-साथ उपयुक्त संगठनात्मक विकास का लक्ष्य निर्धारित करना और इसे प्राप्त करना।

देश में जल विद्युत के मिले-जुले हिस्से में सुधार करने की दृष्टि से नदी बेसिनों के जल विद्युत संसाधनों का अधिकतम और तेजी से विकास करने के लिए दीर्घकालिक उपयोगिता के संभाव्यता अध्ययन शुरू करना।

देश में जल विद्युत, ज्वारीय, भू-तापीय, गैस और पवन विद्युत परियोजनाओं का निष्पादन हाथ में लेना।

परियोजना अन्वेषण, डिज़ाइन, इंजीनियरिंग और परियोजना कार्यान्वयन के क्षेत्र में परामर्शी कार्यों को हाथ में लेना। देश तथा विदेश में डिपॉजिट आधार पर टर्नकी निष्पादन के कार्य हाथ में लेना।

विभिन्न पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय सुरक्षात्मक उपायों को अपनाकर जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय सचेतनता बनाए रखना।

वित्तीय उद्देश्य

क्षमता में बढ़ोतरी और नई परियोजनाओं की स्थापना के लिए लघुकालीन और दीर्घकालीन वित्त पोषण हेतु पर्याप्त आंतरिक संसाधन जुटाना।

राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुकूल निगम की गतिविधियों की वांछित प्रगति को प्राप्त करने के उद्देश्य से दीर्घकालीन कारपोरेट योजनाएं बनाना।

अत्यंत किफायती लागत पर अधिकतम बिजली उत्पादन के लिए निरंतर प्रयास करना।

सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं को बिना किसी वृद्धि के निर्धारित समय और लागत में पूरा करना।

CORPORATE MISSION

The mission of NHPC is to harness the vast hydro, tidal, wind, geo-thermal and gas potential of the country to produce cheap/pollution free and inexhaustible power. NHPC would play a significant role in the integrated and efficient development of hydroelectrical, tidal, gas, geo-thermal and wind power potential in the Central Sector covering all aspects such as investigations, planning, designs, construction, operation and maintenance of hydroelectric, tidal, geo-thermal, gas and wind power projects.

CORPORATE OBJECTIVES

To achieve planned development of hydro projects expeditiously adopting modern methodologies and latest technologies as well as integrated project management system to achieve speedy execution with least cost and in the shortest time frame.

To ensure maximum utilization of installed capacity (commissioned power stations) by adopting modern methods of operations and maintenance including renovations, modernization, uprating of power generating stations, wherever necessary.

To prepare a comprehensive Corporate Plan and a long term perspective plan and constantly reorient it to be in line with the changing political and economical scenario of the country and closely monitor its implementation to create and build up an image for the Corporation in the Power Sector.

To aim at and achieve suitable organizational development with simultaneous human resource development through need based training etc.

To undertake long term feasibility studies for optimum and rapid development of Hydro Power resources of river basins with a view to improve the share of hydro in the country's power mix.

To take up the execution of hydroelectric, tidal, geo-thermal, gas and wind power projects in the country.

To undertake consultancy assignments in the field of project investigation, design, engineering and project implementation. To undertake turnkey execution on deposit basis within and outside the country.

To adopt an environmental and ecological conscious approach in building hydro power projects by taking various environmental and ecological protection measures.

FINANCIAL OBJECTIVES

To generate sufficient internal resources for short term and long term financing for expansion and setting up of new projects.

To strategically formulate long term Corporate Plans to achieve desired growth of the activities of the Corporation commensurate with national objectives.

To continue efforts to maximize output and generation at most economic costs.

To complete all on-going projects within the stipulated time and cost without any overruns.



1700 मेगावाट सियांग लोअर परियोजना (अरुणाचल प्रदेश)
1700 MW Siang Lower Project (Arunachal Pradesh)

निदेशक मंडल / Board of Directors


as on 1.1.2003




श्री योगेन्द्र प्रसाद
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
Shri Yogendra Prasad
Chairman & Managing Director



श्री आर. नटराजन
निदेशक (वित्त)
Shri R. Natarajan
Director (Finance)



श्री बिनय कुमार
निदेशक (कार्मिक)
Shri Binay Kumar
Director (Personnel)



श्री ए.के. गंगोपाध्याय
निदेशक (परियोजनाएं)
Shri A.K. Gangopadhyay
Director (Projects)



श्री आर.के. शर्मा
निदेशक (तकनीकी)
Shri R.K. Sharma
Director (Technical)



श्री ए.के. जैन
अपर सचिव, विद्युत मंत्रालय
Shri A.K. Jain
Additional Secretary, MOP



श्री मृत्युंजय साहू
संयुक्त सचिव व वित्त सलाहकार
विद्युत मंत्रालय
Shri Mritunjay Sahoo
JS&FA, MOP



श्री सी.पी. जैन
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (एनटीपीसी)
Shri C.P. Jain
Chairman & Managing Director (NTPC)

कंपनी सचिव COMPANY SECRETARY

श्री विजय गुप्ता
Shri Vijay Gupta

सांविधिक लेखापरीक्षक STATUTORY AUDITORS

मैसर्स के.एन. गोयल एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
1687, आर्य समाज रोड,
करोल बाग, नई दिल्ली-110 005

M/s. K.N. GOYAL & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
1687, ARYA SAMAJ ROAD,
KAROL BAGH, NEW DELHI-110 005

पंजीकृत कार्यालय :

एनएचपीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स,
सेक्टर-33, फरीदाबाद-121003
(हरियाणा)

Regd. Office :

N.H.P.C. Office Complex,
Sector-33, Faridabad-121003
(Haryana)

शाखा लेखापरीक्षक BRANCH AUDITORS

मैसर्स गांधी मिनोचा एण्ड कं.

1-ए, ट्रिब्यून कॉलोनी,
अंबाला कैंट-133 001
M/S GANDHI MINOCHA & COMPANY
1-A, TRIBUNE COLONY,
AMBALA CANTT.-133 001

मैसर्स साहा गांगुली एण्ड एसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
शांतिनिकेतन, 8, कैमेक स्ट्रीट (छठी मंजिल),
कोलकाता-700 017
M/s SAHA GANGULI & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
SHANTINIKETAN, 8, CAMAC STREET (6TH FLOOR),
KOLKATA-700 017

मैसर्स के.के. घई एण्ड कं.

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
806, हेमकुंट हाउस, 6, राजेन्द्रा प्लेस,
नई दिल्ली-110 008
M/s K.K. GHEI & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
806, HEMKUNT HOUSE, 6, RAJENDRA PLACE,
NEW DELHI-110008

बैंकर्स

BANKERS

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
STATE BANK OF INDIA
इंडियन ओवरसीज बैंक
INDIAN OVERSEAS BANK
देना बैंक

DENA BANK
पंजाब नेशनल बैंक
PUNJAB NATIONAL BANK
बैंक ऑफ इंडिया
BANK OF INDIA
कारपोरेशन बैंक

CORPORATION BANK
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
STATE BANK OF PATIALA
स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक
STANDARD CHARTERED BANK

जे. एण्ड के. बैंक लि.

J & K BANK LIMITED
आईसीआईसीआई बैंक लि.

ICICI BANK LIMITED
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

CENTRAL BANK OF INDIA
डयूश बैंक

DEUTSCHE BANK
यू.टी.आई. बैंक लि.

UTI BANK LIMITED
बैंक ऑफ भूटान

BANK OF BHUTAN

कारपोरेट रूपरेखा

वित्तीय		2001-2002	2000-2001	1999-2000	1998-1999
बिक्री व ढुलाई प्रभार	*	12210	11799	10757	11944
विविध आय	@	3304	5757	2026	391
ब्याज, मूल्यहास तथा कर से पूर्व लाभ	\$	11835	12097	10707	9992
ब्याज तथा मूल्यहास के पश्चात लाभ		5131	4842	4012	3053
ब्याज, मूल्यहास तथा कर के पश्चात लाभ		4709	4434	4012	3053
लाभांश		500	300	150	150
आरक्षित तथा अधिशेष (संचयी)		25985	21391	16906	12721

निगम का स्वामित्व

सकल स्थिर परिसंपत्तियां		81135	78927	77527	70904
मूल्यहास		15267	12801	10290	8111
शुद्ध स्थिर परिसंपत्तियां		65868	66126	67237	62793
चालू पूंजीगत कार्य		57438	43238	32801	28988
निवेश		19272	6799		
शुद्ध चालू परिसंपत्तियां		15500	18642	21009	14718
विविध खर्च (बटटे खाते या समायोजित न किए गए की सीमा तक)		20	98	19	4
		158098	134903	121066	106503

निगम की देयता

शुद्ध मूल्य

- हिस्सा पूंजी		63457	51882	44462	38250
- आरक्षित		25985	21391	16906	12721
- मूल्यहास के बदले		6484	5199	3861	2455
बतौर पेशगी अग्रिम रूप से प्राप्त आय					
उधार		62172	56431	55837	53077
शुद्ध आस्थगित कर देयताएं		11329			
आस्थगित कर वसूली योग्य		11329			
		158098	134903	121066	106503

संचालित कार्य-निष्पादन	2001-2002	2000-2001	1999-2000	1998-1999
उत्पादन (मिलियन यूनिट)	8912	8774	8691	9917
मशीन उपलब्धता (%)	96.86	92.09	91.05	88.39
बिक्री (करोड़ रुपए)	1221	1180	1076	1194
जन शक्ति (संख्या)	13054	11850	12150	11860

* टैरिफ समायोजन और मूल्यहास के बदले पेशगी के पश्चात शुद्ध बिक्री

@ ठेकों के लिए प्राप्तियां शामिल हैं

\$ पूर्व-अवधि समायोजन के पश्चात

(मिलियन रुपए)

1997-1998	1996-1997	1995-1996	1994-1995	1993-1994	1992-1993
9930	5344	5091	4805	2087	1552
44	217	20	16	22	53
8491	4811	4330	3714	1714	1244
2994	1067	774	937	705	415
2994	1067	774	937	705	415
150	150	150	100	50	0
9486	6345	5443	4819	3982	3327
69036	38938	37275	35978	16040	12293
5986	6228	4901	3698	2912	2662
63050	32710	32374	32280	13128	9631
24051	50124	46137	36066	45169	40187
12525	4868	3954	5243	8351	6390
17	50	86	106	45	31
99643	87752	82551	73695	66693	56239
33930	29174	28903	28327	28325	26325
9486	6345	5443	4819	3982	3327
1305	0	0	0	0	0
54922	52233	48205	40549	34386	26587
99643	87752	82551	73695	66693	56239
1997-1998	1996-1997	1995-1996	1994-1995	1993-1994	1992-1993
8816	5614	6141	6058	3587	3474
83.00	83.25	85.30	83.99	84.66	87.43
993	534	509	478	206	152
11799	12119	11984	12145	12449	12952

CORPORATE PROFILE

FINANCIAL		2001-2002	2000-2001	1999-2000	1998-1999
Sales and Wheeling charges	*	12210	11799	10757	11944
Miscellaneous income	@	3304	5757	2026	391
Profit before interest, depreciation and tax	\$	11835	12097	10707	9992
Profit after interest and depreciation		5131	4842	4012	3053
Profit after interest, depreciation and tax		4709	4434	4012	3053
Dividend		500	300	150	150
Reserves and surplus (cumulative)		25985	21391	16906	12721

What Corporation Owns

Gross Fixed Assets		81135	78927	77527	70904
Depreciation		15267	12801	10290	8111
Net Fixed Assets		65868	66126	67237	62793
Capital Work in Progress		57438	43238	32801	28988
Investments		19272	6799		
Net Current Assets		15500	18642	21009	14718
Miscellaneous Expenditure (To the extent not written off or adjusted)		20	98	19	4
		158098	134903	121066	106503

What Corporation Owes

Net Worth					
- Share Capital		63457	51882	44462	38250
- Reserves		25985	21391	16906	12721
-Income received in advance on account of advance against depreciation		6484	5199	3861	2455
Borrowings		62172	56431	55837	53077
Net Deferred Tax Liabilities		11329			
Deferred Tax Recoverable		11329			
		158098	134903	121066	106503

Operation Performance	2001-2002	2000-2001	1999-2000	1998-1999
Generation (M.U.)	8912	8774	8691	9917
Machine availability (%)	96.86	92.09	91.05	88.39
Sales (Rs. in crores)	1221	1180	1076	1194
Man Power (Nos.)	13054	11850	12150	11860

* Sales are net after tariff adjustment and advance against depreciation

@ Includes receipts against contracts

\$ After prior period adjustments

(Rs. in Millions)

1997-1998	1996-1997	1995-1996	1994-1995	1993-1994	1992-1993
9930	5344	5091	4805	2087	1552
44	217	20	16	22	53
8491	4811	4330	3714	1714	1244
2994	1067	774	937	705	415
2994	1067	774	937	705	415
150	150	150	100	50	0
9486	6345	5443	4819	3982	3327
69036	38938	37275	35978	16040	12293
5986	6228	4901	3698	2912	2662
63050	32710	32374	32280	13128	9631
24051	50124	46137	36066	45169	40187
12525	4868	3954	5243	8351	6390
17	50	86	106	45	31
99643	87752	82551	73695	66693	56239
33930	29174	28903	28327	28325	26325
9486	6345	5443	4819	3982	3327
1305	0	0	0	0	0
54922	52233	48205	40549	34386	26587
99643	87752	82551	73695	66693	56239
1997-1998	1996-1997	1995-1996	1994-1995	1993-1994	1992-1993
8816	5614	6141	6058	3587	3474
83.00	83.25	85.30	83.99	84.66	87.43
993	534	509	478	206	152
11799	12119	11984	12145	12449	12952

महत्वपूर्ण आंकड़ों का सार (दस वर्ष)

		2001-2002	2000-2001	1999-2000	
क	ऊर्जा की बिक्री	\$	13496	13137	12163
ख	मूल्यहास के बदले पेशगी		1286	1338	1406
ग	विविध आय (जिसमें परामर्श व परामर्शी प्राप्ति शामिल है)	#	3304	5757	2026
घ	कुल आय (क)-(ख)+(ग)		15514	17556	12783
च	उत्पादन व अन्य खर्चे		3679	5459	2076
छ	सकल लाभ (घ) - (च)		11835	12097	10707
ज	मूल्यहास		2316	2387	2198
झ	सकल लाभ (छ) - (ज)		9519	9710	8509
ट	ब्याज और वित्तीय प्रभार		4388	4868	4497
ठ	शुद्ध लाभ (स) - (झ)		5131	4842	4012
ड	कर		422	408	0
ढ	कर पश्चात शुद्ध लाभ (झ) - (ड)		4709	4434	4012
त	जुटाए गए आंतरिक संसाधन (ज)+(ढ)+(ख)		8311	8159	7616
थ	प्राधिकृत पूंजी		70000	70000	50000
द	इक्विटी प्रदत्त पूंजी*		63457	51882	44462
ध	आरक्षित व अधिशेष		25985	21391	16906
न	ऋण निधि		62172	56431	55837
प	मूल्यहास के बदले अग्रिम तौर पर पेशगी के रूप में प्राप्त आय (ककघ)		6484	5199	3861
फ	सकल स्थिर परिसंपत्तियां		81135	78927	77527
ब	मूल्यहास		15267	12801	10290
भ	शुद्ध स्थिर परिसंपत्तियां (फ) - (ब)		65868	66126	67237
म	चालू पूंजीगत कार्य		57438	43238	32801
य	निवेश		19272	6799	
र	कार्यकारी पूंजी		15500	18642	21009
ल	बट्टे खाते या समायोजित न किए गए की सीमा तक विविध खर्च		20	98	19
व	नियोजित सकल पूंजी (भ)+(म)+(य)+(र)		158078	134805	121047
कक	शुद्ध मूल्य (द)+(ध)+(प)-(ल)		95906	78374	65210
कख	विद्युत उत्पादन, प्रशासन व बिजली की खरीद के अनुसार उपयोग की गई इन्वेंटरी		69	71	60
कग	मूल्य संवर्धन (क)-(ख)-(कक)		12141	11728	10697

\$ टैरिफ समायोजन, व्हीलिंग प्रभार तथा संदेहास्पद देनदारियों के लिए प्रावधान सहित

* शेयर डिपॉजिट और इक्विटी में समायोजन योग्य भारत सरकार की निधि सहित

ठेकों के लिए प्राप्ति शामिल हैं

अनुपात

1. सकल नियोजित पूंजी पर आय (झ) / (व)	6.02%	7.20%	7.03%
2. शुद्ध मूल्य पर आय (ढ) / (कक)	4.91%	5.66%	6.15%
3. सकल नियोजित पूंजी के लिए शुद्ध बिक्री [(क)-(ख)] / (व)	7.72%	8.75%	8.89%
4. शुद्ध बिक्री के लिए संवर्धित मूल्य (कग) / [(क)-(ख)]	99.43%	99.40%	99.44%
5. इक्विटी अनुपात के लिए देनदारी (न) / [(द)+(ध)+(प)]	0.65	0.72	0.86
6. शुद्ध बिक्री की तुलना में शुद्ध लाभ (ढ) / [(क)-(ख)]	38.57%	37.58%	37.30%

(मिलियन रुपए)

1998-1999	1997-1998	1996-1997	1995-1996	1994-1995	1993-1994	1992-1993
13094	11235	5344	5091	4805	2087	1552
1150	1305	0	0	0	0	0
391	44	217	20	16	22	53
12335	9974	5561	5111	4821	2109	1605
2343	1483	750	781	1107	395	361
9992	8491	4811	4330	3714	1714	1244
2152	1140	1111	1029	365	230	226
7840	7351	3700	3301	3349	1484	1018
4787	4357	2633	2527	2412	779	603
3053	2994	1067	774	937	705	415
0	0	0	0	0	0	0
3053	2994	1067	774	937	705	415
6355	5439	2178	1803	1302	935	641
50000	35000	35000	25000	25000	25000	25000
38250	33930	29174	28903	28327	28325	26325
12721	9486	6345	5443	4819	3982	3327
53077	54922	52233	48205	40549	34386	26587
2455	1305	0	0	0	0	0
70904	69036	38938	37275	35978	16040	12293
8111	5986	6228	4901	3698	2912	2662
62793	63050	32710	32374	32280	13128	9631
28988	24051	50124	46137	36066	45169	40187
14718	12525	4868	3954	5243	8351	6390
4	17	50	86	106	45	31
106499	99626	87702	82465	73589	66648	56208
53422	44704	35469	34260	33040	32262	29621
133	60	48	13	37	18	18
11811	9870	5296	5078	4744	2044	1506
7.36%	7.38%	4.22%	4.00%	4.55%	2.23%	1.81%
5.71%	6.70%	3.01%	2.26%	2.84%	2.19%	1.40%
11.22%	9.97%	6.09%	6.17%	6.53%	3.13%	2.76%
98.89%	99.40%	99.10%	99.74%	98.73%	97.94%	97.04%
0.99%	1.23	1.47	1.40	1.22	1.06	0.90
25.56%	30.15%	19.97%	15.20%	19.50%	33.78%	26.74%

DIGEST OF IMPORTANT DATA (TEN YEARS)

		2001-2002	2000-2001	1999-2000
A	Sale of energy \$	13496	13137	12163
B	Advance against Depreciation	1286	1338	1406
C	Miscellaneous Income (Includes Const. & Consultancy Receipt) #	3304	5757	2026
D	Total Income (A)-(B)+(C)	15514	17556	12783
E	Generation and other expenses	3679	5459	2076
F	Gross Profit (D) - (E)	11835	12097	10707
G	Depreciation	2316	2387	2198
H	Gross Profit (F) - (G)	9519	9710	8509
I	Interest and Finance Charges	4388	4868	4497
J	Net Profit (H) - (I)	5131	4842	4012
K	Tax	422	408	0
L	Net Profit after Tax (J) - (K)	4709	4434	4012
M	Internal Resource Generated (G)+(L)+(B)	8311	8159	7616
N	Authorised capital	70000	70000	50000
O	Equity Paid up Capital	63457	51882	44462
P	Reserve and Surplus	25985	21391	16906
Q	Loan fund	62172	56431	55837
R	Income received in advance against depreciation (AAD)	6484	5199	3861
S	Gross Fixed Assets	81135	78927	77527
T	Depreciation	15267	12801	10290
U	Net fixed Assets (S) - (T)	65868	66126	67237
V	Capital Work-in-progress	57438	43238	32801
W	Investment	19272	6799	
X	Working Capital	15500	18642	21009
Y	Miscellaneous expenditure to the extent not written off or adjusted	20	98	19
Z	Gross Capital Employed (U)+(V)+(W)+(X)	158078	134805	121047
AA	Net worth (O)+(P)+(R)-(Y)	95906	78374	65210
AB	Inv. consumed as per Gen. and Adm. and purchase of Power	69	71	60
AC	Value Added (A)-(B)-(AB)	12141	11728	10697

\$ Including tariff adjustment, wheeling charges and provision for doubtful debts

* Including share deposit and GOI Fund adjustable to equity


Includes receipts against contracts

Ratios

1.	Return on Gross Capital Employed (H) / (Z)	6.02%	7.20%	7.03%
2.	Return on Net Worth (L) / (AA)	4.91%	5.66%	6.15%
3.	Net Sales to Gross Capital Employed ((A)-(B)) / (Z)	7.72%	8.75%	8.89%
4.	Value added to Net Sales (AC) / ((A)-(B))	99.43%	99.40%	99.44%
5.	Debt to Equity Ratio (Q) / ((O)+(P)+(R))	0.65	0.72	0.86
6.	Net Profit to Net Sales (L) / ((A)-(B))	38.57%	37.58%	37.30%

(Rs. in Millions)

1998-1999	1997-1998	1996-1997	1995-1996	1994-1995	1993-1994	1992-1993
13094	11235	5344	5091	4805	2087	1552
1150	1305	0	0	0	0	0
391	44	217	20	16	22	53
12335	9974	5561	5111	4821	2109	1605
2343	1483	750	781	1107	395	361
9992	8491	4811	4330	3714	1714	1244
2152	1140	1111	1029	365	230	226
7840	7351	3700	3301	3349	1484	1018
4787	4357	2633	2527	2412	779	603
3053	2994	1067	774	937	705	415
0	0	0	0	0	0	0
3053	2994	1067	774	937	705	415
6355	5439	2178	1803	1302	935	641
50000	35000	35000	25000	25000	25000	25000
38250	33930	29174	28903	28327	28325	26325
12721	9486	6345	5443	4819	3982	3327
53077	54922	52233	48205	40549	34386	26587
2455	1305	0	0	0	0	0
70904	69036	38938	37275	35978	16040	12293
8111	5986	6228	4901	3698	2912	2662
62793	63050	32710	32374	32280	13128	9631
28988	24051	50124	46137	36066	45169	40187
14718	12525	4868	3954	5243	8351	6390
4	17	50	86	106	45	31
106499	99626	87702	82465	73589	66648	56208
53422	44704	35469	34260	33040	32262	29621
133	60	48	13	37	18	18
11811	9870	5296	5078	4744	2044	1506
7.36%	7.38%	4.22%	4.00%	4.55%	2.23%	1.81%
5.71%	6.70%	3.01%	2.26%	2.84%	2.19%	1.40%
11.22%	9.97%	6.09%	6.17%	6.53%	3.13%	2.76%
98.89%	99.40%	99.10%	99.74%	98.73%	97.94%	97.04%
0.99%	1.23	1.47	1.40	1.22	1.06	0.90
25.56%	30.15%	19.97%	15.20%	19.50%	33.78%	26.74%



वैराज - 120 मेगावाट टनकपुर पावर स्टेशन (उत्तरांचल)
Barrage - 120 MW Tanakpur Power Station (Uttaranchal)

અધ્યક્ષીય સંબોધન
Chairman's Speech

अध्यक्षीय संबोधन Chairman's Speech



प्रिय शेयर धारकों,

एनएचपीसी के निदेशकों तथा कर्मचारियों की ओर से कंपनी की 26वीं वार्षिक साधारण बैठक में आपका स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। निदेशकों की रिपोर्ट, भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक द्वारा लेखों की समीक्षा एवं लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट सहित वर्ष 2001-2002 के लिए आपकी कंपनी के वार्षिक लेखे, जो पहले से ही आपके पास हैं, मैं आपकी अनुमति से इन्हें पढ़ा गया समझूंगा।

आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि वर्ष 2001-02 के दौरान हमारे संचालित पावर स्टेशनों का कार्य-निष्पादन पिछले वर्ष के 92.09 प्रतिशत के उपलब्धता फैक्टर की तुलना में इस वर्ष 96.86 प्रतिशत के क्षमता सूचकांक के साथ "उत्कृष्ट" रहा। इन संयंत्रों से परिकल्पित बिजली उत्पादन सहित, 9470 मिलियन यूनिट के लक्ष्य की तुलना में, 9733.69 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन किया गया।


Dear Shareholders,

On behalf of the Directors and employees of NHPC, I have great pleasure in extending a warm welcome to you to the 26th Annual General Meeting of the Company. The Directors' Report, the Annual Accounts of your Company for the year 2001-2002 alongwith Auditor's Report and Review of Accounts by the Comptroller and Auditor General of India are already with you and with your permission I shall take them as read.

You would be glad to note that during the year 2001-02, the performance of our power stations in operation had been 'excellent' with a capacity index of 96.86% as against the previous year's availability factor of 92.09%. The generation from these plants including deemed generation was 9733.69 MU as against the target of 9470 MU.

बिक्री बनाम लाभ Sales V/s Profit

(करोड़ रुपए)
(Rs. in Crores)



आपके निगम का वित्तीय कार्य-निष्पादन लगातार वर्ष 2001-02 के दौरान भी बढ़ोत्तरी पर रहा और बिक्री कारोबार गत वर्ष के 13137 मिलियन रुपए की तुलना में इस वर्ष 13496 मिलियन रुपए तथा शुद्ध लाभ 4434 मिलियन रुपए की तुलना में 4709 मिलियन रुपए रहा। आपके निदेशकों ने 66.66 प्रतिशत बढ़ोत्तरी के साथ, गत वर्ष के 300 मिलियन रुपए की तुलना में वर्ष 2001-2002 के लिए 500 मिलियन रुपए लाभांश देने की सिफारिश की है।

The financial performance of your Corporation continued to register an upward trend during 2001-02 with sales turnover of Rs.13496 million as against Rs.13137 million in the previous year and the net profit of Rs.4709 million as against Rs.4434 million. Your Directors have recommended a dividend of Rs.500 million for the year 2001-2002 as against Rs.300 million in the previous year, an increase of 66.66%.



श्री अनन्त गीते, माननीय विद्युत मंत्री, श्री योगेन्द्र प्रसाद, सीएमडी, एनएचपीसी से लाभांश चैक प्राप्त करते हुए
Shri Anant Geete, Hon'ble Union Minister of Power receiving the dividend cheque from
Shri Yogendra Prasad, CMD, NHPC

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निगम ने अधिक से अधिक वसूली के लिए सभी संभव कदम उठाए। परिणामस्वरूप मूल बकाया राशि गत वर्ष के 16318.69 मिलियन रुपए की तुलना में घट कर 10226.83 मिलियन रुपए रह गई है। यह उपलब्धि वर्ष के दौरान विभिन्न लाभभोगियों से बॉण्ड्स सहित 21756.31 मिलियन रुपए की वसूली करके प्राप्त की गई। औसत बकाया राशि गत वर्ष के 15.93 महीनों की बिलिंग की तुलना में घटकर 9.55 महीने की बिलिंग के बराबर रह गई है। अहलूवालिया समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और इस रिपोर्ट की सिफारिशों के लागू होने के साथ आपका निगम संभवतः अपने कैश-फ्लो में आगे सुधार लाने के लिए बकाया राशि को पर्याप्त रूप से कम करने वाला है।

During the year under review, the Corporation had taken all possible steps for maximising the realisation resulting in reduction in the principal outstanding dues to Rs.10226.83 million as against Rs.16318.69 million in the previous year. This has been achieved by realisation of Rs. 21756.31 million including bonds from the various beneficiaries during the year. The average outstanding has been reduced to 9.55 months billing as against 15.93 months billing in the previous year. The Ahluwalia Committee has submitted its report and with the implementation of the recommendations of the report, your Corporation is likely to reduce the outstanding considerably leading to further improvement in its Cash flow.

वर्ष के दौरान विभिन्न चालू परियोजनाओं की प्रगति कुल मिलाकर संतोषजनक रही है। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि दिनांक 11.9.2002 को 800 मेगावाट की पार्वती-II परियोजना के निष्पादन के लिए सीसीईए की मंजूरी प्राप्त कर ली गई है तथा चार बड़े सिविल कार्य पैकेजों के लिए ठेके दे दिए गए हैं और इलेक्ट्रो-मैकेनिकल एवं हाइड्रो-मैकेनिकल पैकेजों को अंतिम रूप दिया जाने वाला है।

The progress of various ongoing projects was by and large satisfactory during the year. You would be glad to know that CCEA Clearance for execution of 800 MW Parbati-II was received on 11.9.2002 and the contracts for the four major Civil work packages have been awarded and that for electro-mechanical and hydro-mechanical packages are about to be concluded.

तीस्ता-V परियोजना से संबंधित कार्य संतोषजनक ढंग से प्रगति पर है तथा नदी को मोड़ने का कार्य दिनांक 18.11.2002 को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। सभी तीनों इनटेक टनलों, टेलरेस टनलों तथा डिसिल्टिंग चैम्बर्स के गेट ऑपरेशन चैम्बर्स की खुदाई का कार्य पूरा कर लिया गया है।

In respect of Teesta-V, works are progressing satisfactorily and river diversion was carried out successfully on 18.11.2002. The excavation of all three intake tunnels, tailrace tunnels and gate operation chambers of desilting chambers have been completed.



डीसिल्टिंग बेसज - I के पूर्ण चैम्बर एक्सकवेशन का दृश्य - 280 मेगावाट धौलीगंगा परियोजना (उत्तरांचल)
Completed view of Chamber Excavation at Desilting Basin I - 280 MW Dhauliganga Project (Uttaranchal)

धौलीगंगा परियोजना में निर्माण कार्य संतोषप्रद ढंग से प्रगति पर है। विशेषज्ञों के दल ने हाल ही में इस परियोजना का दौरा किया तथा परियोजना स्टाफ के साथ-साथ निगम मुख्यालय के डिजाइन विभाग द्वारा किए गए अच्छे कार्य की प्रशंसा की।

चमेरा चरण-II परियोजना का कार्य लगातार तीव्र प्रगति के साथ निर्धारित समय से आगे चल रहा है। यूनिट-I के स्कॉल केस का निर्माण अक्टूबर, 2002 के निर्धारित समय की तुलना में जुलाई में पूरा कर लिया गया। इस परियोजना को जून, 2003 अर्थात् मई, 2004 के निर्धारित समय से 11 महीने पहले संचालित करने के लिए समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं।

दुल हस्ती परियोजना में हैडरेस टनल के कार्य की प्रगति कुल मिलाकर संतोषजनक है।

लोकतक डाउनस्ट्रीम परियोजना का कार्य सुरक्षा कारणों की वजह से निरंतर रुका हुआ है, जबकि कोयलकारो परियोजना के लिए आर.एण्ड आर. कार्यों से संबंधित कुछ मुद्दे राज्य सरकार के साथ हल किए जा रहे हैं।

सरकार की नीति और कार्यक्रमों से तालमेल बैठते हुए निगम ने दसवीं और ग्यारहवीं योजनाओं के दौरान और उसके बाद जल विद्युत के विकास के लिए अनेक चालू परियोजनाओं को पूरा करने तथा कुछ नई योजनाओं को शुरू करने की महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। अनेक नई परियोजनाएं सर्वेक्षण, अन्वेषण तथा मंजूरी के विभिन्न चरणों के अधीन हैं। निगम ने दसवीं योजना (2002-07) में 4357 मेगावाट तथा ग्यारहवीं योजना (2007-2012) में लगभग 11194 मेगावाट क्षमता अभिवृद्धि की योजना बनाई है।

वर्ष के दौरान सरकार ने नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लि., जो इंदिरा सागर परियोजना की यूनिट-I व III तथा ओमकारेश्वर परियोजना के निष्पादन के लिए एनएचपीसी और मध्य प्रदेश सरकार का एक संयुक्त उद्यम है, के गठन के लिए भारत के राष्ट्रपति का अनुमोदन प्रदान कर दिया है। सरकार ने

The works at Dhauliganga Project are proceeding satisfactorily. The panel of Experts visited the Project recently and commended the good work done by the Project staff as well as by Design Wing of the Corporate Office.

Chamera Stage-II continued to make excellent progress and is ahead of schedule. The erection of scroll case of Unit-I was completed in July against the schedule of October, 2002. Concerted efforts are being made to commission the Project in June, 2003 i.e. 11 months ahead of the scheduled date of May, 2004.

The progress of works at Head Race Tunnel in Dul Hasti Project is by and large satisfactory.

The work at Loktak Downstream Project, continues to be held up due to security reasons, while for Koel Karo Project, some matters related to R&R works are being pursued with State Government.

In line with the Government's policy and programmes, the Corporation has drawn up ambitious plans for the development of Hydro Power during X and XI Plans and beyond by completing several ongoing projects and starting many new schemes. Several new projects are under various stages of survey, investigation and clearances. The Corporation has planned a capacity addition of 4357 MW in X Plan (2002-07) and about 11194 MW in XI Plan (2007-2012).

During the year, the Government has conveyed the approval of the President of India for the formation of Narmada Hydroelectric Development Corporation Ltd., a joint venture between NHPC and the Government of Madhya Pradesh for execution of Unit I & III of Indira

इंदिरा सागर परियोजना की अनुमानित लागत 4355.57 करोड़ रुपए (शुद्ध) के साथ इसके निष्पादन के लिए भी अनुमोदन दे दिया है। आर. एण्ड आर. सहित विभिन्न हिस्सों पर कार्य की प्रगति संतोषजनक है तथा परियोजना कार्य को निर्धारित 5 वर्ष की अवधि में यानी वर्ष 2005 तक पूरा कर लिया जाएगा।

जैसा कि पिछले वर्ष सूचित किया गया, आपके निगम ने 900 मेगावाट की पुरुलिया पम्पड स्टोरेज योजना के विकास के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस कंपनी के गठन के लिए केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

जल विद्युत के अतिरिक्त, आपका निगम गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय (एमएनईएस) द्वारा जियोथर्मल पावर विकास के लिए नोडल एजेंसी के रूप में भी जाना जाता है तथा तत्तापानी (छत्तीसगढ़) में 300 किलोवाट पायलट परियोजना, जिसकी योजना पहले बनाई गई थी, के स्थान पर 1 मेगावाट पायलट प्लांट को स्थापित करने के लिए गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय से अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

आपका निगम अपने अनुभव और विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए अपने परामर्श विभाग द्वारा अन्य संगठनों को परामर्शी सेवाएं प्रदान कर रहा है। वर्ष 2001-02 के दौरान, परामर्श विभाग ने 171.8 मिलियन रुपए के परामर्शी कार्य किए और लगभग 112 मिलियन रुपए की राशि प्राप्त हुई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के 8 महीनों में, 169 मिलियन रुपए के कार्य पहले ही प्राप्त कर लिए गए हैं। निगम को विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक तथा अरब इकोनामिक डेवलपमेंट (केएफईडी) ऑफ कुवैत के लिए कुवैत फंड के साथ परामर्शदाता के रूप में पंजीकृत किया गया है। आईएफसीआई और आईसीआईसीआई ने एनएचपीसी को जल विद्युत योजनाओं के लिए "लैंडर्स इंडिपेंडेंट इंजीनियर्स" के रूप में अनुबंधित किया है।

यह संतोष का विषय है कि आपका निगम सभी प्रमुख बैंकों और भारतीय व विदेशी वित्तीय संस्थाओं का विश्वास और भरोसा लगातार बनाए हुए है। जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने भी 25000 मिलियन रुपए के ऋण के लिए मंजूरी दे दी है। निगम ने बॉण्ड जारी करके भारत सरकार को 4300 मिलियन रुपए के ऋण का पुनर्भुगतान कर दिया है। आपके निगम ने नैक्सि, जापान से 150 मिलियन यू.एस. डालर की विदेशी सहायता के लिए करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपके निगम को वर्ष 2001-02 में कार्य निष्पादन के लिए समझौता ज्ञापन के मानकों के अनुसार लगातार सातवें वर्ष "उत्कृष्ट" श्रेणी प्रदान की गई है।

मैं निदेशक मण्डल की ओर से विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, पर्यावरण व वन मंत्रालय, योजना आयोग, राज्य सरकारों, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, केन्द्रीय जल आयोग, राज्य और क्षेत्रीय विद्युत बोर्डों, लोक उद्यम विभाग, कंपनी कार्य विभाग के साथ-साथ अन्य

Sagar Project and Omkareshwar Project. The Government has also conveyed the approval for the execution of Indira Sagar Project with an estimated cost of Rs. 4355.57 Crores (net). The progress of works at various components including R&R is satisfactory and that the project work will be completed within a stipulated period of 5 years i.e by the year 2005.

As reported in the last year, your Corporation has signed a Memorandum of Understanding with the Govt. of West Bengal for the development of the 900 MW Purulia Pumped Storage Scheme for forming a Joint Venture company. The approval of the Central Government for formation of the Company is awaited.

Besides Hydro power, your Corporation is also identified as the Nodal Agency for development of Geothermal power by MNES and is awaiting approval from MNES for setting up 1MW pilot plant at Tattapani (Chhattisgarh) in place of 300 KW pilot project that was planned earlier.

The experience and expertise that your Corporation has acquired so far is also being used to provide consultancy services to other organisations through our Consultancy Division. During the year 2001-02, Consultancy Division handled assignments worth Rs.171.8 million and received payments of about Rs.112 million. In the 8 months of the current financial year assignments worth Rs.169 million have already been received. The Corporation has been registered as a Consultant with World Bank, Asian Development Bank, African Development Bank and Kuwait Fund for Arab Economic Development (KFAED) of Kuwait. IFCI and ICICI have engaged NHPC as 'Lenders Independent Engineers' for Hydroelectric Schemes.

It is a matter of satisfaction that your Corporation continues to enjoy the faith and confidence of all major banks and Indian and Foreign financial institutions. LIC has sanctioned a loan of Rs.25000 million. The Corporation has redeemed Government of India loans to the tune of Rs.4300 million by issue of bonds. Your Corporation has signed agreement for untied foreign assistance to the tune of 150 million US Dollars from NEXI, Japan.

I am glad to inform that your Corporation has been provisionally accorded for the seventh consecutive year an 'Excellent' rating for the performance in 2001-02 as per MOU norms.

I, on behalf of the Board of Directors, express my deep and genuine gratitude for the help and co-operation, guidance and advice extended by the Ministry of Power, Ministry of Finance, Ministry of Environment & Forests, Planning Commission, the State Governments, CEA,

सभी के सहयोग के लिए, जिनका यहां विशेषतः उल्लेख नहीं हो सका है, आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं एनएचपीसी के प्रति विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं तथा निवेशकों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। हमारे पावर स्टेशनों से बिजली लेने वाले लाभभोगी राज्यों द्वारा उपभोगित बिजली के लिए वित्तीय समस्याओं के बावजूद

CWC, State and Regional Electricity Boards, Department of Public Enterprises, Department of Company Affairs and others not specifically mentioned here.

I wish to thank sincerely the International and National financing institutions and investors for the confidence reposed by them in NHPC. I wish to record the Corporation's appreciation of the efforts made by the beneficiary States drawing power from our power stations



ऋण करार पर हस्ताक्षर के बाद दस्तावेजों का परस्पर आदान-प्रदान
Exchanging Documents after signing of Loan Agreement

उनके द्वारा अधिकतम भुगतान करने के प्रयासों की भी मैं निगम की ओर से सराहना करना चाहूंगा।

मैं इस अवसर पर एनएचपीसी के सभी स्तर के कर्मचारियों की लगन, समर्पण भावना और अत्यधिक कठिन तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने परिवारों से मीलों दूर रहकर किए जा रहे उनके उत्कृष्ट कार्य निष्पादन का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा।

मैं निदेशक मण्डल के सभी निदेशकों को उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन और सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ, जिनके सक्रिय सहयोग से निगम नई ऊंचाइयाँ और कार्य निष्पादन में उत्कृष्टता प्राप्त करने में समर्थ रहा।

to make maximum payments for the electricity consumed in spite of their own fiscal problems.

I take this opportunity to make special mention of the dedication, diligence and commitment of the staff of NHPC at all levels and for their excellent performance under the most difficult and dangerous conditions leaving their families thousands of miles away.

I would like to thank all the Directors of the Board for their valuable contribution and cooperation which enabled the Corporation to scale new heights and achieve excellent performance.



(योगेन्द्र प्रसाद)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक



(YOGENDRA PRASAD)
Chairman & Managing Director

दिनांक : 31 दिसम्बर, 2002

Dated : 31 December, 2002



पावर हाउस - 540 मेगावाट, चमेरा पावर स्टेशन, चरण - I, (हिमाचल प्रदेश) - एक दृश्य
Inside view of Power House - 540 MW Chamera Power Station, Stage-I (Himachal Pradesh)

निदेशकों की रिपोर्ट
Directors' Report

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में, सदस्यगण

नैशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि.,

निदेशक मण्डल को आपके समक्ष निगम की 26वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इस रिपोर्ट में लेखापरीक्षित लेखे, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा दिनांक 31 मार्च, 2002 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक द्वारा की गई लेखों की समीक्षा शामिल है।

1. वित्तीय कार्य निष्पादन

31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय परिणामों का सारांश तालिका-1 में नीचे दिया गया है।

तालिका – 1 वित्तीय परिणाम

विवरण	(मिलियन रूपए)	
	2001-02	2000-01
विद्युत की बिक्री	13496	13137
मूल्यहास, ब्याज व कर पूर्व लाभ	11881	12136
मूल्यहास	2355	2416
मूल्यहास के बाद तथा ब्याज व कर पूर्व लाभ	9526	9720
ब्याज लागत	4395	4878
मूल्यहास व ब्याज के बाद परंतु कर से पूर्व लाभ	5131	4842
कर	422	408
मूल्यहास, कर व ब्याज के बाद लाभ	4709	4434
पिछले वर्ष के लाभ व हानि लेखे का अधिशेष	4137	8712
विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ	8846	13146
विनियोजन		
बांड शोधन आरक्षित राशि से वापसी	-	2422
सामान्य आरक्षित राशि का हस्तांतरण	-	11100
प्रस्तावित लाभांश	500	300
आयकर के लिए प्रावधान (लाभांश पर)	-	31
आरक्षित तथा अतिरिक्त को अग्रेनीत शेष लाभ	8346	4137

2. कारोबार तथा लाभ

वर्ष 2001-2002 के दौरान निगम का कारोबार 13496 मिलियन रूपए था तथा मूल्यहास, ऋणों पर ब्याज, वित्तपोषण प्रभार के लिए प्रावधान करके एवं पूर्वावधि समायोजन छूट प्रदत्त करने के पश्चात आपके निगम ने पिछले वर्ष के लाभ 4434 मिलियन रूपए की तुलना में कर भुगतान के पश्चात 4709 मिलियन रूपए का शुद्ध लाभ कमाया। मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ पिछले वर्ष के लाभ की तुलना में लगभग 275 मिलियन रूपए अधिक था।

3. प्रस्तावित लाभांश

आपके निदेशकों ने वर्ष 2001-2002 के लिए 500 मिलियन रूपए के एकमुश्त लाभांश की सिफारिश की, बशर्ते कि आगामी आम बैठक में शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त हो जाए।

Directors' Report

To, the Members,

National Hydroelectric Power Corporation Ltd.,

Your Directors have great pleasure in presenting the 26th Annual Report of your Corporation together with the Audited Accounts, Auditors' Report and the Review of Accounts by the Comptroller and Auditor General of India for the financial year ended 31st March, 2002.

1. FINANCIAL PERFORMANCE

The summary of the financial results of the company for the year ended 31st March, 2002 is given in Table.1 below.

Table 1. FINANCIAL RESULTS

Particulars	(Rs.in Million)	
	2001-02	2000-01
Sale of Power	13496	13137
Profit before Depreciation Interest & Tax	11881	12136
Depreciation	2355	2416
Profit after Depreciation and before Interest and Tax	9526	9720
Interest Cost	4395	4878
Profit after Depreciation and Interest but before Tax	5131	4842
Tax	422	408
Profit after Depreciation, Interest and Tax	4709	4434
Surplus of Profit and Loss Account of earlier year	4137	8712
Profit available for appropriations	8846	13146
APPROPRIATIONS		
Write back from Bonds Redemption reserve	-	2422
Transfer to General Reserve	-	11100
Proposed Dividend	500	300
Provision for Income Tax (on dividend)	-	31
Balance Profit carried to Reserves and Surplus	8346	4137

2. TURNOVER AND PROFIT

The turnover of the Corporation during the year 2001-2002 was Rs.13496 million and your Corporation after providing depreciation, interest on loans, financing charges and allowing prior period adjustment made a net profit after tax, Rs.4709 million compared to the previous year's profit of Rs.4434 million. The profit for the year ended March 2002 was higher than the profit in the previous year by about Rs. 275 million.

3. PROPOSED DIVIDEND


Your Directors recommend a lump sum dividend of Rs.500 million for the year 2001-2002 subject to the approval of the shareholders in the forthcoming General Meeting.

4. राजस्व वसूली

वर्ष 2001-2002 के दौरान निगम ने लाभभोक्ताओं को बेची गई ऊर्जा के प्रति नकद तथा बांडों के माध्यम से 21756.31 मिलियन रुपए की राशि वसूल की, जिसमें सीपीए तथा अधिभार के माध्यम से प्राप्त राशि शामिल है। वसूली के पश्चात्, प्रधान देयताएं पिछले वर्ष (औसत बिलिंग के 15.93 माह) में 16318.69 मिलियन रुपए की तुलना में घटकर 10226.83 मिलियन रुपए (औसत बिलिंग के 9.55 माह) रह गई। उक्त के अतिरिक्त, निगम ने अगस्त, 2002 तक 6361 मिलियन रुपए की राशि वसूल की है।

4. REVENUE REALISATION

During the year 2001-2002, the Corporation realized an amount of Rs.21756.31 million through cash and Bonds towards energy sold to the beneficiaries including the sum received through CPA and surcharge. After the realization, the principal dues reduced to Rs.10226.83 million (9.55 month of Average Billing) as against Rs 16318.69 million in the previous year (15.93 month of average billing). In addition to the above, the Corporation has realised a sum of Rs.6361 million upto August, 2002.



5. पूंजीगत संरचना

31.3.2002 की स्थिति के अनुसार निगम की प्राधिकृत शेयर पूंजी 70,000 मिलियन रुपए थी। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्रदत्त शेयर पूंजी 52930.547 मिलियन रुपए थी, जो 31 अगस्त, 2002 तक और बढ़कर 60851.747 मिलियन रुपए हो गई। आपको यह जानकर खुशी होगी कि सरकार ने प्राधिकृत शेयर पूंजी को बढ़ाकर 100,000 मिलियन रुपए करने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है जिसे शेयरधारकों की आम बैठक में उनके अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

5. CAPITAL STRUCTURE


The authorised Share capital of the Corporation as on 31.3.2002 stood at Rs. 70,000 million. The paid-up Share Capital at the closing of the financial year was Rs.52930.547million, which was further increased to Rs. 60851.747 million by August 31st, 2002. You would be glad to note that the Govt. has accorded approval for increasing the authorised share capital to Rs 100,000 million which will be put up in the General meeting of shareholders for their approval.

6. संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी

वायस/डाटा/फैक्स/इंटरनेट संयोजकता के लिए बारह परियोजना कार्यालयों तथा भार प्रेषण केंद्रों के साथ निगम मुख्यालय को जोड़ते हुए वीसेट प्रौद्योगिकी पर आधारित एक विशाल तथा दक्ष संचार नेटवर्क क्रियान्वित किया गया है। निर्माण परियोजनाओं तथा संचालित स्टेशनों के प्रभावी प्रबंधन के लिए इस नेटवर्क को स्थापित किया जा रहा है।

6. COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

An elaborate and efficient communication network based on VSAT technology has been implemented connecting the Corporate Office with twelve project offices and load despatch centres for voice/data/fax/ internet connectivity. This network is being leveraged for effective management of Construction Projects and Operating Stations.



पावर हाउस स्थल पर टनलिंग कार्य प्रगति पर - 510 मेगावाट तीस्ता चरण - V परियोजना (सिक्किम)
Tunnelling work in progress at Power House Site - 510 MW Teesta Stage - V Project (Sikkim)

डेस्कटॉप, सर्वर तथा लोकल एरिया नेटवर्क के रूप में संगठन की सूचना प्रौद्योगिकी आधार-तंत्र को वर्धित/उन्नत किया गया है ताकि वह संगठनात्मक अपेक्षाओं के उपयुक्त हो। ओरेकल/डेवलपर 2000/विजुअल बेसिक साफ्टवेयर प्लेटफार्म का प्रयोग करके निगम मुख्यालय तथा परियोजनाओं, दोनों में वित्त एवं लेखा, कार्मिक, वाणिज्यिक तथा सामग्री प्रबंधन जैसे प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्रों को शामिल करते हुए अनेक एप्लीकेशन पैकेजों को क्रियान्वित किया गया है। सूचना प्रसार, ई-लर्निंग, चर्चा मंच इत्यादि के क्षेत्रों में एप्लीकेशन्स का प्रयोग करने के लिए वेब-आधारित प्रौद्योगिकियों का व्यापक उपयोग किया गया है। एनएचपीसी में एक अपनी वेबसाइट (nhpcindia.com) भी उपलब्ध है। यह एक व्यापक वेबसाइट है जिसमें निविदाओं/ बोलियों, प्रगति रिपोर्टें (ओएंडएम, निर्माण परियोजनाओं, नई परियोजनाओं के संबंध में), योजना, वित्त, वाणिज्यिक इत्यादि संबंधी समस्त सूचना निहित है।

वर्ष के दौरान विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी प्रयोगों के संबंध में विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों के लिए वांछनीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। एनएचपीसी ने बीबीएमबी, एनजेपीसी इत्यादि जैसे संगठनों को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में परामर्शी सेवाएं भी प्रदान की हैं।

7. निर्माण उपस्कर योजना

विभिन्न परियोजनाओं में एक साथ निर्माण कार्य शुरू करने के लिए उपस्कर योजना आवश्यक है। निर्माण उपस्कर योजना दल को परियोजना निष्पादन की विभिन्न अवस्थाओं पर निर्माण प्रविधि तथा निर्माण उपस्कर योजना के निर्धारण तथा अंतिम रूप देने का दायित्व सौंपा गया है जिसमें उपस्करों का अंतर-परियोजना हस्तांतरण तथा अतिरिक्त उपस्करों तथा पुर्जों का निपटान किया जाना शामिल है। वर्ष के दौरान, विभिन्न परियोजना

The IT infrastructure in the organisation in terms of Desktops, Servers and Local Area Networks have been augmented/upgraded to suit the organizational requirements. A number of application packages covering key functional areas such as Finance & Accounts, Personnel, Commercial, and Materials Management have been implemented both at the Corporate Office and the Projects by using Oracle/ Developer 2000 / visual basic Software platform. Web Based Technologies have been extensively used for developing applications in the areas of Information dissemination, E-Learning, Discussion forum etc. NHPC Website (nhpcindia.com) is also maintained in- house. It is a comprehensive website containing all the information about tenders /bids, progress reports (regarding O&M, construction projects, new projects), planning, finance, commercial etc.

During the year, desirable training Programmes on various IT applications were organised for employees at different levels. NHPC has also provided consultancy services in the area of Information Technology to organisations like BBMB, NJPC etc.


7. CONSTRUCTION EQUIPMENT PLANNING

Equipment planning is essential for undertaking the works at different projects simultaneously. The Construction Equipment Planning Group has been entrusted with responsibility of assessment and finalisation of construction methodology and construction equipment planning at the various stages of project execution including inter-project transfer of equipments and disposal of surplus equipments and spares parts. During the year, surplus/obsolete

स्थलों में पड़े 31 मिलियन रुपए के अतिरिक्त/अप्रयुक्त उपस्करों का निपटान किया गया।

8. सिविल डिजाइन एवं इंजीनियरिंग विभाग

जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए डिजाइन एवं इंजीनियरिंग विभाग एक महत्वपूर्ण अंग है। विगत वर्षों में प्राप्त अनुभव के आधार पर, डिजाइन एवं इंजीनियरिंग विभाग ने जल विज्ञान, हाइड्रोलिक्स, रॉक - यांत्रिकी एवं संरचना इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल कर ली है। डिजाइन तैयार करने को पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत कर लिया गया है। सभी डिजाइन आटो कैड का प्रयोग करके तैयार किए जा रहे हैं। डिजाइन प्रक्रिया के विकास में तेजी लाने के लिए डिजाइन एवं इंजीनियरिंग के लिए इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर की बड़े पैमाने पर शुरुआत की गई है।



बैराज काम्प्लेक्स - 480 मेगावाट उड़ी पावर स्टेशन (जम्मू व कश्मीर)
Barrage Complex - 480MW Uri Power Station (Jammu & Kashmir)

यह विभाग निगम द्वारा आरंभ की जा रही परियोजनाओं में नई तथा उन्नत प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करने का सतत् प्रयास कर रहा है यथा 70 मीटर गहराई के लिए अतिभार में निर्मित प्लास्टिक कंकरीट कट ऑफ वॉल के साथ धौलीगंगा में प्रथम कंकरीट फेस रॉकफिल बांध का डिजाइन, तीस्ता-V जल विद्युत परियोजना में कॉफर बांध के नीचे रिसाव को नियंत्रित करने के लिए लगभग 50 मीटर गहरा जेट ग्राउटिंग कर्टेन, जीवाश्म घाटी में कर्टेन का निर्माण करने के लिए त्रिस्तरीय परिगमन ग्राउटिंग की शुरुआत, एचआरटी की खुदाई में टीबीएम का प्रस्तावित उपयोग तथा पार्वती जल विद्युत परियोजना चरण-II में प्रेशर सुरंग खुदाई में प्रवृत्त टीबीएम, सिविल इंजीनियरिंग में नवीनतम प्रौद्योगिकी की शुरुआत के कुछ उदाहरण हैं।

उपर्युक्त के अलावा इस विभाग ने हाइड्रो सक्शन फ्लशिंग की संकल्पना का विकास भी किया है जिसे सलाल तथा टनकपुर पावर स्टेशनों में प्रभावपूर्ण ढंग से संस्थापित किया गया है।

equipments of Rs 31 million lying at the different project sites were disposed off.

8. CIVIL DESIGN AND ENGINEERING DIVISION

Design and Engineering Division is an important limb for the construction of Hydro Projects. With the experience gained over the years, Design and Engineering Division has gained specialisation in the areas of Hydrology, hydraulics, rock- mechanic and structural engineering. Total computerisation in preparation of drawing has been achieved. All the drawings are being prepared by using AUTOCAD. Large-scale introduction of engineering softwares for design and engineering is made to speed up development of the design process.

This Division has been making constant endeavour to use the new and upgraded technologies in projects undertaken by the Corporation, such as design of first Concrete Face Rockfill dam at Dhauliganga alongwith the plastic concrete cut off wall built in overburden for 70M depth, Jet Grouting curtain of about 50 M deep to control seepage below cofferdam in Teesta-V HE Project, introduction of three level permeation grouting to form curtain in fossil valley, proposed use of TBM in HRT excavation and inclined TBM in pressure tunnel excavation in Parbati HE Project stage-II are some examples of introduction of latest technology in civil engineering.

In addition to above, this division has also developed the concept of hydro suction flushing, which has been installed effectively at Salal and Tanakpur Power Stations.



9. पर्यावरण प्रबंधन

आपके निगम ने अपनी स्थापना के आरंभ से ही प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अपने उत्तरदायित्वों को महसूस किया है। इसमें जल विद्युत परियोजना अभिकल्प, क्रियान्वयन तथा पश्च-क्रियान्वयन चरणों की विभिन्न अवस्थाओं में सतत् विकास की संकल्पना को शामिल किया गया है। सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार के संभावित प्रभावों को अभिज्ञात करने के लिए पर्यावरण प्रभाव निर्धारण (ईआईए) परियोजना आयोजना का एक अखंड भाग बन गया है। ईआईए अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर उचित पर्यावरण प्रबंधन योजनाएं (ईएमपी) तैयार की जाती हैं तथा किसी क्षेत्र में नई जल विद्युत परियोजना संस्थापित किए जाने के कारण पर्यावरण पर किन्हीं प्रतिकूल प्रभावों के उपशमन के लिए उन्हें क्रियान्वित किया जाता है। उचित अनुवीक्षण योजनाएं भी तैयार की जाती हैं। पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं के निष्पादन से आगे की अवधि के दौरान हुए परिवर्तनों का अध्ययन एवं मूल्यांकन करने के लिए एनएचपीसी ने अपनी कुछ परियोजनाओं में पश्च निर्माण प्रभाव निर्धारण अध्ययन भी किए हैं। एनएचपीसी के बहुविध पर्यावरण कोर ग्रुप द्वारा विभिन्न पर्यावरणात्मक सुरक्षा / उपायों का निर्धारण एवं क्रियान्वयन भी सुनिश्चित किया गया है।

10. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण

निगम ने सभी श्रेणियों तथा संवर्गों में बकाया रिक्तियां भरने के लिए एक विशेष अभियान के माध्यम से भर्ती के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पदों के आरक्षण हेतु दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है।

11. सतर्कता गतिविधियां

आपका निगम सक्रिय सतर्कता को एक महत्वपूर्ण प्रबंधन साधन मानता है। निवारक सतर्कता के तौर पर तथा कर्मचारियों

9. ENVIRONMENT MANAGEMENT

Your Corporation since its inception has realised its responsibilities towards conservation of Natural Resources. The very concept of sustainable development has been inculcated into its various stages of hydro project design, implementation and post-implementation phases. Environment Impact Assessment (EIA) for identification of probable impacts, both positive as well as negative, has become an integral part of the project planning. Based on the findings of the EIA study, proper Environment Management plans (EMPs) are prepared and implemented to mitigate any adverse impacts on environment, due to setting up of a new hydroelectric project in an area. Proper Monitoring plans are also formulated. NHPC has also conducted post-construction Impact Assessment studies at some of its projects to study and evaluate the changes that have occurred over a period of time since the execution of Environment Management Plans. The formulation and implementation of various environmental safeguards/measures, is ensured by NHPC's multi-disciplinary Environment Core Group.

10. RESERVATION FOR SC/ST

The Corporation has adhered to the guidelines for reservation of SC/ST posts for the recruitment through a special drive to fill up the backlog of vacancies in all categories and cadres.

11. VIGILANCE ACTIVITIES

Your Corporation considers proactive Vigilance as an important management tool. As a part of preventive

में जागरूकता लाने के लिए परियोजना स्तर पर नौ कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं। 'सकारात्मक अनुशासन तथा अनुशासनात्मक कार्यवाहियां' संबंधी एक क्षेत्रीय संगोष्ठी का आयोजन चमेरा चरण-II परियोजना में दिसम्बर, 2001 में किया गया था। वर्ष के दौरान, परियोजनाओं के विभिन्न विभागों की 195 आकस्मिक जांचें तथा 215 नियमित निरीक्षण किए गए।

12. कारपोरेट अभिशासन

निगम ने यह सुनिश्चित करने के पर्याप्त उपाय किए हैं कि स्टॉक एक्सचेंजों के सूचीकरण करारों के खंड 49 में निर्धारित कारपोरेट अभिशासन की शर्तों तथा कंपनी अधिनियम 1956 के उपबंधों का अनुपालन किया जाए। कंपनी अभिशासन संबंधी एक पृथक विवरण लेखापरीक्षक प्रमाणपत्र के साथ वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में अनुपालन हेतु अनुबंध-I के रूप में तथा प्रबंध विश्लेषण एवं विचार-विमर्श रिपोर्ट अनुबंध-II के रूप में प्रस्तुत है।

13. राजभाषा कार्यान्वयन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया। निगम द्वारा आयोजित सभी संगोष्ठियों तथा सांस्कृतिक गतिविधियों में राजभाषा के प्रयोग को विशेष महत्व दिया गया। एनएचपीसी की सभी परियोजनाओं तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में हिन्दी दिवस तथा हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया।

अद्यतन हिन्दी साफ्टवेयर 'आईएसएम' में प्रशिक्षण प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया गया। निगम मुख्यालय में हिन्दी अनुवादकों तथा हिन्दी अधिकारियों के लिए पृथक रूप से दो वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

vigilance and to create awareness among employees, nine workshops were organised at project level. A regional seminar on "Positive Discipline and Disciplinary Proceedings" was organised in December 2001 at Chamera Stage-II Project. During the year, 195 surprise checks and 215 regular inspections of different departments of the projects were carried out.

12. CORPORATE GOVERNANCE

The Corporation has taken adequate measures to ensure that conditions of the Corporate Governance stipulated in Clause-49 of the Listing Agreements of Stock Exchanges and the provision of Companies Act 1956 are complied with. A separate statement on Corporate Governance is produced as a part of the Annual Report alongwith the Auditors' Certificate for compliance as **Annexure -I** and the Management Analysis and Discussion Report as **Annexure-II**.

13. OFFICIAL LANGUAGE IMPLEMENTATION

During the year under review, the Corporation made special drive to achieve the targets set for implementation of Official Language Policy. The use of Rajbhasha was given special importance in all Seminars and Cultural activities organized by the Corporation. Hindi Divas and Hindi fortnight were celebrated in all Projects and Regional Offices of NHPC.

Special attention was paid to impart the training in "ISM" an updated Hindi software. Two annual Training Programmes were also organised separately for Hindi Translators and Hindi Officers at Corporate Office.



पेनस्टॉक - 105 मेगावाट, लोकतक पावर स्टेशन (मणिपुर)
Penstocks - 105 MW Loktak Power Station (Manipur)

आपको यह जानकर खुशी होगी कि आपके निगम को वर्ष 2000-01 के लिए विद्युत मंत्रालय की राजभाषा शील्ड योजना के अन्तर्गत द्वितीय पुरस्कार के लिए चुना गया तथा चालू वर्ष में इसे राजभाषा विभाग, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, फरीदाबाद से राजभाषा शील्ड तथा मान पत्र प्राप्त हुए। इस विषय में हमारी परियोजनाएं भी पीछे नहीं रहीं। निगम की सलाल, लोकतक तथा चमेरा पावर - स्टेशनों को क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों द्वारा शील्ड तथा मानपत्र प्रदान किए गए हैं।

14. कारपोरेट संचार

आपके निगम ने विद्युत क्षेत्र के विकास के लिए जल संभाव्यता का दोहन करने की आवश्यकता के बारे में इलेक्ट्रॉनिक्स तथा प्रिंट मीडिया के माध्यम से विभिन्न अंतःक्रिया कार्यक्रमों की व्यवस्था की है।

विद्युत मंत्रालय द्वारा आरंभ किए गए विद्युत क्षेत्र के सुधारों संबंधी जन जागरूकता के भाग के रूप में, ऊर्जा जागरूकता संबंधी 127 रोड शो का आयोजन देश के विभिन्न राज्यों में किया गया। एनएचपीसी समाचार पत्रिका का प्रकाशन पहले की तरह ही आंतरिक सम्प्रेषण का एक प्रभावी साधन सिद्ध हुआ।

15. सहायक कंपनी – एनएचडीसी के लेखे

आपकी कंपनी की एक सहायक कंपनी नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की लेखापरीक्षक रिपोर्ट तथा निदेशकों की रिपोर्ट के साथ इसके वार्षिक लेखे कंपनी अधिनियम 1956, की धारा 212 के अन्तर्गत विवरण सहित अनुबंध - III पर संलग्न हैं।

16. लेखापरीक्षक

मैसर्स के.एन.गोयल एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली को वर्ष 2001-02 के लिए लेखापरीक्षा संचालन करने के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया। मैसर्स के.के.घई एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली, मैसर्स साह गांगुली एवं एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, कोलकाता तथा मैसर्स गांधी मिनोचा एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, अंबाला कैंट, को निगम के शाखा लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।

17. लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में निगम द्वारा अनुसूची - XVII में शामिल विभिन्न टिप्पणियों का उल्लेख है, जो स्वतः स्पष्ट हैं। लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों के उत्तर अनुबंध - IV के रूप में प्रस्तुत हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां तथा उन पर दिए गए उत्तर अनुबंध - V पर हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा 31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों की समीक्षा रिपोर्ट के अनुबंध - VI के रूप में संलग्न है।

You will be glad to know that your Corporation was selected for the 2nd prize under Rajbhasha Shield Yojna of Ministry of Power for the year 2000-2001 and received Rajbhasha shield and Citation in current year from the Department of Official Language, Town Official Language Implementation Committee, Faridabad. Our projects were also not too behind Salal, Loktak and Chamera-I Power Stations of the Corporation have been awarded with Shield and Citation by Regional Implementation Offices.

14. CORPORATE COMMUNICATION

Your Corporation has arranged various interaction Programmes through Electronics and Print media about the need to exploit hydro potential for Power sector development.

As a part of public awareness on power sector reforms initiated by Ministry of Power, 127 road shows on Energy Awareness were organised in various states of the country. The publication of NHPC news magazine continued to be an effective tool of Internal Communication.

15. ACCOUNTS OF SUBSIDIARY COMPANY – NHDC

The Annual Accounts alongwith the reports of Auditors' and Directors' Report of Narmada Hydroelectric Development Corporation Ltd. a Subsidiary of your Corporation are attached together with the statement under Section 212 of Companies Act 1956 as Annexure-III.

16. AUDITORS

M/s. K.N.Goyal & Company, Chartered Accountants, New Delhi, was appointed as Statutory Auditors for conducting the Audit for the year 2001-2002. M/s. K.K.Ghei & Co, Chartered Accountants, New Delhi, M/s. Saha Ganguli & Associates, Chartered Accountants, Kolkata and M/s. Gandhi Minocha & Co., Chartered Accountants, Ambala Cantt. were appointed as Branch Auditors of the Corporation.

17. AUDITORS' REPORT

The Auditor's Report refers to various notes incorporated by the Corporation in Schedule-XVII, which are self-explanatory. The replies to the comments of the auditors are furnished as Annexure-IV. The comments of the Comptroller and Auditor General of India and replies thereon are enclosed as Annexure-V.

Review of the accounts for the year ending 31st March 2002 by Comptroller and Auditor General of India is enclosed as Annexure-VI to the report.

18. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन तथा विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन तथा विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय के संबंध में कंपनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटन) नियमावली, 1988 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(1) (च) के उपबंधों के अनुसार सूचना इस रिपोर्ट के अनुबंध-VII में दी गई है।

19. लेखापरीक्षा समिति


निदेशक मंडल ने धारा 292क के अनुसार सूचीकरण करार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक लेखापरीक्षा समिति का गठन किया था। किन्तु गठित लेखापरीक्षा समिति स्वतंत्र निदेशक के संबंध में सेबी द्वारा निर्गत स्पष्टीकरण के पश्चात् सूचीकरण करार के अनुसरण में नहीं है। इस संबंध में, निगम ने विद्युत मंत्रालय के साथ मामला उठाया है। इस लेखापरीक्षा समिति ने बोर्ड को प्रस्तुत करने से पूर्व वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा की है। लेखापरीक्षक समिति संबंधी अन्य ब्यौरे इस रिपोर्ट के साथ संलग्न कारपोरेट अभिशासन संबंधी रिपोर्ट में शामिल हैं।

18. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION AND FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO

Information in accordance with the provisions of Section 217(1)(e) of the Companies Act, 1956 read with companies (Disclosure of particulars in the report of Board of Directors) Rules, 1988 regarding conservation of energy, technology absorption, and foreign exchange earnings and outgo is given in the Annexure-VII to this report.

19. AUDIT COMMITTEE

The Board of Directors had constituted an Audit Committee in accordance with section 292A to meet the requirement of Listing Agreement. However, the constituted Audit Committee is not in accordance with the Listing Agreement after the clarification issued by SEBI on Independent Director. In this regard, the Corporation has taken up the matter with the Ministry of Power. This Audit Committee has reviewed the Annual financial statements, before submission to the Board. The other details on Audit Committee are covered in the Report on Corporate Governance annexed to this report.



20. कर्मचारियों के ब्यौरे

कंपनी (कर्मचारियों के ब्यौरे) नियमावली, 1975 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2क) के अन्तर्गत अपेक्षित सूचना शून्य समझी जाए।

20. PARTICULARS OF EMPLOYEES

Information required under section 217(2A) of the Companies Act, 1956 read with Companies (Particulars of Employees) Rules 1975 is treated as nil.

21. निदेशक उत्तरदायित्व संबंधी विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 के अन्तर्गत यथाअपेक्षित, निदेशक इस बात की पुष्टि करते हैं कि :

21. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

As required under section 217 of the Companies Act, 1956 the Directors hereby confirm that :

- (i) वार्षिक लेखे तैयार करने में, मैटेरियल डिपारचर्स संबंधी उचित स्पष्टीकरण सहित प्रयोज्य लेखाकरण मानक अपनाए गए हैं।
- (ii) निदेशकों ने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया है तथा उन्हें निरंतर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय लिए हैं और अनुमान लगाए हैं जो इतने युक्तिसंगत और विवेकपूर्ण हैं कि वे वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की कार्यस्थिति तथा उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ की वास्तविक तथा उचित झलक प्रस्तुत करते हैं।
- (iii) निदेशकों ने अपनी अधिकतम जानकारी व विश्वास के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने व पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार समुचित लेखाकरण रिकार्डों के रखरखाव का उचित एवं पर्याप्त ध्यान रखा है।
- (iv) निदेशकों ने वार्षिक लेखे अनवरत संबद्ध आधार पर तैयार किए हैं।

22. निदेशक मंडल

एनएचपीसी बोर्ड के अंशकालिक निदेशक श्री संजय टंडन निगम के अंतर्नियम के अनुसार अपना कार्यकाल पूरा करने पर 29.10.2001 से बोर्ड के सदस्य नहीं रहे। श्री डी.वी. खेड़ा, अध्यक्ष, सीईए अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31.10.2001 से बोर्ड के निदेशक नहीं रहे। उनके स्थान पर श्री बी.के. अग्रवाल 3.12.2001 को बोर्ड में शामिल हुए। श्री आर.रामानुजम 1.7.2002 से एनएचपीसी बोर्ड के निदेशक नहीं रहे तथा उनके स्थान पर श्री एम.साहू संयुक्त सचिव (एफ. एंड ए.), विद्युत मंत्रालय 1.7.2002 से बोर्ड में शामिल हुए। श्री अनिल राजदान, संयुक्त सचिव (हाइड्रो) 16.9.2002 से निदेशक नहीं रहे तथा श्री ए.के.जैन, अपर सचिव (विद्युत), विद्युत मंत्रालय उनके स्थान पर 16.9.2002 से शामिल हुए।

बोर्ड ने श्री संजय टंडन, श्री डी.वी.खेड़ा, श्री आर.रामानुजम तथा श्री अनिल राजदान द्वारा निगम के निदेशकों के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान प्रदत्त महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए अत्यधिक सराहना रिकार्ड में दर्ज की है।

23. आभार

निदेशक मंडल, भारत सरकार और विशेष रूप से विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), योजना आयोग, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, लोक उद्यम विभाग, कंपनी कार्य विभाग, लेखापरीक्षकों, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, केंद्रीय जल आयोग तथा राज्य सरकारों, क्षेत्रीय तथा राज्य विद्युत बोर्डों के सहयोग के लिए कृतज्ञतापूर्वक आभार व्यक्त करता है।

- i) in the preparation of the Annual Accounts, the applicable accounting standards have been followed alongwith proper explanation relating to material departures;
- ii) The Directors have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year and of the profit of the Company for that period.
- iii) the Directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 1956 for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities to the best of their knowledge and ability.
- iv) the Directors have prepared the annual accounts on a going concern basis.

22. BOARD OF DIRECTORS

Shri Sanjay Tandon, part time Director, on NHPC Board ceased to be Member of the Board w.e.f. 29.10.2001 on completing tenure as per Articles of Association of the Corporation. Shri D.V. Khera Chairman, CEA ceased to be Director on the Board from 31.10.2001 on reaching superannuation, in his place Shri B.K. Aggarwal Joined the Board on 3.12.2001. Shri R. Ramanujam ceased to be a Director on NHPC Board w.e.f. 1.7.2002 and Shri M. Sahoo, JS(F&A), MOP joined in his place on 1.7.2002. Shri Anil Razdan, Joint Secretary (Hydro), ceased to be Director with effect from 16.9.2002 and Shri A.K.Jain, Additional Secretary (Power), MOP joined in his place with effect from 16.9.2002.

The Board placed on record deep appreciation for the valuable services rendered by Shri Sanjay Tandon, Shri D.V. Khera, Shri R. Ramanujam and Shri Anil Razdan during their tenure as Directors of the Corporation.

23. ACKNOWLEDGEMENTS

The Board of Directors acknowledge with deep appreciation the cooperation received from the Government of India and in particular the Ministry of Power, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), Planning Commission, Ministry of Environment and Forest, Reserve Bank of India, Department of Public Enterprises, Department of Company Affairs, Auditors, Central Electricity Authority, Central Water Commission as well as the State Governments, the Regional and State Electricity Boards.

निदेशक मंडल राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बैंकों/वित्तीय संस्थाओं तथा भारतीय निवेशकों का भी एनएचपीसी में भरोसा तथा विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए आभारी है।

निदेशक मंडल विद्युत लेने वाले लाभभोक्ता राज्यों तथा परामर्शी कार्यों के लिए अन्य महत्वपूर्ण ग्राहकों की विशेष सराहना करता है। मंडल परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में संविदाकारों, विक्रेताओं तथा परामर्शदाताओं के योगदान के लिए उनके प्रयासों की भी सराहना करता है।

सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक द्वारा दिए गए सहयोग के लिए, बोर्ड उनकी सराहना करता है। इसके साथ ही बोर्ड, सभी समर्पित कर्मचारियों को भी धन्यवाद देता है, जिनके बहुमूल्य योगदान और पूर्ण सहयोग से निगम को उपलब्धियां प्राप्त हो सकी हैं।

The Board expresses its gratitude to the National and International Banks/Financial Institutions as well as Indian investors for reposing faith & confidence in NHPC.

The Board places its special appreciation to the beneficiary states drawing power and other valuable clients for Consultancy assignments. The Board also places its appreciation for contributions of contractors, vendors and consultants for their efforts in completion of projects in time.

The Board places on record its deep appreciation for the cooperation extended by Statutory Auditors and Office of Comptroller & Auditors general of India. Further, the Board takes this opportunity to thank all the dedicated employees whose valuable contributions and unstinted support has made the achievements of this Corporation possible.

निदेशक मण्डल के लिए तथा की ओर से

For and on behalf of the Board of Directors



(योगेन्द्र प्रसाद)

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक



(Yogendra Prasad)


Chairman & Managing Director

दिनांक : 26 दिसम्बर, 2002

स्थान : फरीदाबाद

Date : 26 December, 2002

Place : Faridabad



श्री योगेन्द्र प्रसाद, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, श्री राजीव प्रताप रुडी, माननीय केन्द्रीय राज्य मंत्री, वाणिज्य व उद्योग से आईआईटीएफ-2002 में सर्वोत्तम पैवेलियन के लिए गोल्ड मेडल प्राप्त करते हुए

Shri Yogendra Prasad, CMD receiving the Gold Medal for best pavilion at IITF-2002, from Shri Rajiv Pratap Rudy, Hon'ble Union Minister of State for Commerce and Industry.

कारपोरेट अभिशासन संबंधी रिपोर्ट Report on Corporate Governance

कारपोरेट अभिशासन की उत्कृष्टता कंपनी की सफलता तथा हिस्सेदारों के हित के संरक्षण का मार्ग निर्धारित करती है।

एनएचपीसी, जो जल विद्युत क्षेत्र में एक अग्रणी विद्युत उपक्रम है, अच्छे कारपोरेट अभिशासन व्यवहारों की महत्ता को स्वीकार करती है तथा आने वाले वर्षों में चुनौतियों का सामना करने तथा अवसरों का पूर्ण लाभ उठाने के लिए प्रभावी, सामंजस्यपूर्ण तथा पारदर्शी कार्यपद्धति का संवर्धन करते हुए प्रबंधन तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए सर्वोत्तम कारपोरेट अभिशासन व्यवहारों को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया में है।

समीक्षाधीन वर्ष से प्रभावी, स्टॉक एक्सचेंज ने कतिपय सूचीबद्ध कंपनियों को सेबी द्वारा कंपनी अभिशासन के संबंध में निर्धारित शर्तों का अनुपालन करने के निदेश दिए हैं। 'कंपनी अभिशासन की संयुक्त संहिता' के उपबंधों के अनुपालन संबंधी विवरण एनएचपीसी के कारपोरेट अभिशासन संबंधी इस रिपोर्ट का एक भाग है।

अभिशासन संहिता संबंधी अवधारणा

- पर्याप्त नियंत्रण प्रणाली का संचालन में होना तथा एक पारदर्शी तरीके से सामयिक आधार पर बोर्ड को सूचना प्रदान करना ताकि बोर्ड इसके प्रति प्रबंधन की जबाबदेहिता की मॉनीटरिंग कर सके।
- उद्यम की तथा समग्र रूप से देश की संपत्ति के सृजन के लिए व्यवसाय उद्यम की दक्षता में वृद्धि करना।
- यह सुनिश्चित करना कि कर्मचारी तथा बोर्ड कंपनी मूल्यों का समर्थन करें तथा अपने आचरण में उन्हें लागू करें।

निदेशक मंडल

(i) संघटन

स्टॉक एक्सचेंज (एसई) : बोर्ड में कार्यपालक तथा अकार्यपालक निदेशकों का अनुकूलतम संयोजन होना चाहिए जिसमें से बोर्ड के कम से कम 50 प्रतिशत निदेशक अकार्यपालक निदेशक होने चाहिए। इसके अतिरिक्त, गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के मामले में, बोर्ड में कम से कम एक तिहाई स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए तथा कार्यपालक अध्यक्ष के मामले में बोर्ड में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए।

एनएचपीसी बोर्ड के अध्यक्ष इसके प्रबंध निदेशक भी हैं। अकार्यपालक निदेशकों सहित सभी निदेशक व्यावसायिक रूप से सक्षम हैं। वर्तमान में बोर्ड में नौ सदस्य हैं जिनमें से पांच कार्यपालक निदेशक हैं।

The Quality of the Corporate Governance defines the path for the success of the company and the protection of the interest of the stakeholders.

NHPC, a leading power utility in Hydro Power sector recognises the importance of the good Corporate Governance practices and is in process of implementing best Corporate Governance practices to strengthen management and decision making process while enhancing effective, harmonious, and transparent functioning to meet the challenges and make best of opportunities in the years ahead.

Effective from the year under review, the Stock Exchange have directed certain listed companies to comply with conditions stipulated by SEBI on Corporate Governance. A statement on compliance with the provisions of the "Combined Code of Corporate Governance", forms part of this report on Corporate Governance of NHPC

Philosophy on Code of Governance

- To have adequate control system in operation and provide information to the Board on a timely basis in a transparent manner to enable the Board to monitor the accountability of Management to it.
- To increase the efficiency of Business enterprise for creation of wealth of the enterprise and country as a whole.
- To ensure that employees and Board subscribe to the corporate values and apply them in their conduct.

BOARD OF DIRECTORS

(i) Composition

Stock Exchange (SE): The Board should have an optimum combination of Executive and Non-executive Directors with not less than 50% of the Board consisting of Non-executive Directors. Further, in the case of a Non-executive Chairman, at least one-third of the Board should consist of independent Directors and in the case of an Executive Chairman at least half of the Board should be independent Directors.

The Chairman of the Board of NHPC is also its Managing Director. All Directors including non-executive Directors are professionally competent. At present, the Board consists of nine members of which five are Executive Directors.

करार के इन उपबंधों का अनुपालन करने के उद्देश्य से निगम ने विद्युत मंत्रालय से सूचीकरण करार के खंड 49 तथा लोक उद्यम ब्यूरो के दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड के संघटन की पुनःसंरचना करने का अनुरोध किया है।

निगम के निदेशक मंडल का संघटन निम्न प्रकार है :

कार्यपालक निदेशक

श्री योगेन्द्र प्रसाद	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
श्री आर.नटराजन	निदेशक (वित्त)
श्री ए.के.गंगोपाध्याय	निदेशक (परियोजनाएं)
श्री आर.के.शर्मा	निदेशक (तकनीकी)
श्री बिनय कुमार	निदेशक (कार्मिक)

अकार्यपालक निदेशक

श्री बी.के. अग्रवाल - सदस्य (हाइड्रो), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

श्री आर.रामानुजम - पूर्व संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, विद्युत मंत्रालय (1.7.2002 तक)

श्री एम.साहू - संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, विद्युत मंत्रालय (1.7.2002 से)

श्री अनिल राजदान - संयुक्त सचिव (हाइड्रो), विद्युत मंत्रालय

श्री सी.पी.जैन - अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (एनटीपीसी)

(ii) बोर्ड की बैठक

स्टॉक एक्सचेंज : बोर्ड की बैठकें वर्ष में कम से कम चार बार आयोजित की जानी चाहिए, किन्हीं दो बैठकों के बीच अधिकतम अंतराल चार महीनों का होगा। संगत सूचना बोर्डों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी बोर्ड की दस बैठकें हुई। दो बैठकों के बीच अधिकतम अंतराल दो माह से अधिक नहीं था। एनएसई/ओटीसीआई सूचीकरण करार के खंड 34/49 में यथावर्णित सूचना सहित विस्तृत कार्यसूची टिप्पणियां बोर्ड को पहले ही परिचालित कर दी गई थीं। अकार्यपालक निदेशकों सहित सभी निदेशकों ने बोर्ड की बैठक में सक्रिय भाग लिया तथा विचार-विमर्श किया।

(iii) निदेशकों की उपस्थिति

स्टॉक एक्सचेंज : बोर्ड की बैठकों में तथा पिछली वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति प्रस्तुत की जाए।

कार्यपालक निदेशकों की कुल उपस्थिति 98 प्रतिशत थी। तालिका-1 में निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा प्रस्तुत है। निदेशकों द्वारा धारण किए गए निदेशक पद की संख्या भी प्रस्तुत है।

In order to comply with these provisions of the Agreement, Corporation has requested the Ministry of Power to restructure the composition of the Board in accordance with the clause 49 of the listing agreement and guidelines of the Bureau of Public Enterprises.

The composition of Directors of the Board of the Corporation is as under :

Executive Directors

Shri Yogendra Prasad	Chairman & Managing Director
Shri R. Natarajan	Director (Finance)
Shri A.K. Gangopadhyay	Director (Projects)
Shri R.K. Sharma	Director (Technical)
Shri Binay Kumar	Director (Personnel)

Non-Executive Directors

Shri B.K. Aggarwal- Member (Hydro) Central Electricity Authority

Shri R. Ramanujam- Former Joint Secretary & Financial Advisor, Ministry of Power (till 1.07.2002)

Shri M. Sahoo- Joint Secretary & Financial Advisor, Ministry of Power, (Since 1.07.2002)

Shri Anil Razdan- Joint Secretary (Hydro), Ministry of Power,

Shri C.P. Jain- Chairman & Managing Director (NTPC)

(ii) Board Meeting

SE : Board Meetings should be held at least four times in a year, with a maximum interval of four months between any two meetings. The relevant information should be available to the Boards.

The Board of the company met ten times in the year under review. The maximum interval between two meetings did not exceed two months. Detailed Agenda Notes with information as enumerated in clause 34/49 of NSE/OTCEI Listing Agreement were circulated in advance to the Board. All Directors including Non-Executive Directors actively participated and deliberated in the Board Meeting.

(iii) Attendance of Directors

SE : Attendance of Directors at the meetings of the Board and at the last AGM to be furnished.

The overall attendance of Executive Directors was 98%. The table-1 presents details of attendance of the directors alongwith number of the directorship held by them.

तालिका - 1
TABLE - 1

निदेशकों के नाम	निदेशक की श्रेणी	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक	बैठक में शामिल हुए	अंतिम एजीएम 29.10.01 में उपस्थिति	31.3.2002 तक निदेशक पद धारण करने की सं.
Name of the Directors	Category of the Director	Meeting held during tenure of the Director	Meeting Attended	Attendance at the last AGM 29.10.01	No. of the Directorship held as on 31.3.2002
श्री योगेन्द्र प्रसाद	ई	10	10	हां	2
Sh. Yogendra Prasad	E	10	10	Yes	2
श्री अ.ई. बुनेट (07.08.01 तक)	ई	3	3	नहीं	शून्य
Sh. A.I. Bunet (upto 07.08.01)	E	3	3	No	Nil
श्री आर. नटराजन	ई	10	10	हां	शून्य
Sh. R. Natarajan	E	10	10	Yes	Nil
श्री ए.के. गंगोपाध्याय	ई	10	10	हां	शून्य
Sh. A.K. Gangopadhyay	E	10	10	Yes	Nil
श्री आर.के. शर्मा	ई	10	9	हां	शून्य
Sh. R.K. Sharma	E	10	9	Yes	Nil
श्री डी.वी. खेड़ा (31.12.01 तक)	एनई	7	4	हां	3
Sh. D.V. Khera (upto 31.12.01)	NE	7	4	Yes	3
श्री अजय शंकर (22.07.01 तक)	एनई	2	2	नहीं	3
Sh. Ajay Shankar (upto 22.07.01)	NE	2	2	No	3
श्री संजय टंडन (29.10.01 तक)	एनई	5	5	हां	7
Sh. Sanjay Tandon (upto 29.10.01)	NE	5	5	Yes	7
श्री अनिल राजदान (23.7.01 से 01.07.02 तक)	एनई	8	4	हां	4
Sh. Anil Razdan (From 23.07.01 - 01.07.02)	NE	8	4	Yes	4
श्री बिनय कुमार (08.08.01 से)	ई	7	7	हां	शून्य
Sh. Binay Kumar (From 08.08.01)	E	7	7	Yes	Nil
श्री आर. रामानुजम (23.07.01 से 01.07.02 तक)	एनई	7	4	हां	7
Sh. R. Ramanujam (From 23.07.01-01.07.02)	NE	7	4	Yes	7
श्री सी.पी. जैन (23.07.01 से)	एनई	7	3	हां	1
Sh. C.P. Jain (From 23.07.01)	NE	7	3	Yes	1
श्री बी.के. अग्रवाल (01.01.02 से)	एनई	3	3	नहीं	5
Sh. B.K. Aggarwal (from 1.1.02)	NE	3	3	No	5
श्री एम. शाहू (01.07.02 से)	एनई	1	1	नहीं	लागू नहीं
Sh M. Sahoo (since 01.07.02)	NE	1	1	No	NA

*एनई - अकार्यपालक निदेशक, ई - कार्यपालक निदेशक

*NE - Non Executive Director, E - Executive Director

(iv) अन्य निदेशक पद

कोई भी निदेशक 10 कंपनियों से अधिक में निदेशक पद धारण नहीं करता है। प्रत्येक निदेशक द्वारा निदेशक पद धारण किए जाने का विवरण तालिका - 1 में दिया गया है।

v) बोर्ड समितियों की सदस्यता

स्टॉक एक्सचेंज : कोई भी निदेशक 10 समितियों से अधिक का सदस्य या 5 समितियों से अधिक का अध्यक्ष नहीं होगा, उन सभी कंपनियों में जहां वह एक निदेशक के रूप में कार्यरत है।

(iv) Other Directorships

None of the Director holds directorship in more than 10 companies. The details of the directorship held by each director are given in table 1.

(v) Membership of Board Committees

SE : No Director shall be a member in more than 10 Committees or Chairman of more than 5 Committees across all companies in which he is a Director.

निदेशकों द्वारा किए गए प्रकटनों के अनुसार, किसी भी निदेशक के पास बोर्ड की 10 से अधिक समितियों की सदस्यता नहीं है, न ही कोई निदेशक सभी कंपनियों, जिनमें वह निदेशक है, के बोर्डों की 5 से अधिक समितियों का अध्यक्ष है।

(vi) नियुक्त/पुनः नियुक्त किए जा रहे निदेशकों के ब्यौरे

स्टॉक एक्सचेंज : नए निदेशकों की नियुक्ति अथवा किसी निदेशक की पुनःनियुक्ति के मामले में, शेयरधारकों को निदेशक का संक्षिप्त इतिवृत्त तथा विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में उसके अनुभव की प्रकृति तथा कंपनियों के नाम जिनमें वह वर्तमान में निदेशक का पद धारण किए हुए है तथा इसकी समितियों में सदस्य के रूप में सदस्यता संबंधी सूचना दी जानी चाहिए।

चूंकि निदेशकों की समस्त नियुक्तियां, चाहे वह कार्यपालक निदेशक हो या अकार्यपालक निदेशक हो, भारत के राष्ट्रपति द्वारा संगठन के अंतर्नियम के अनुसार की जाती हैं, इस खंड में निर्धारित शर्त निगम पर लागू नहीं होती।

2. लेखापरीक्षा समिति

स्टॉक एक्सचेंज : कंपनी के बोर्ड द्वारा अर्हताप्राप्त तथा स्वतंत्र लेखापरीक्षा समिति गठित की जानी चाहिए। यह वित्तीय प्रकटनों की विश्वसनीयता को बढ़ाने तथा पारदर्शिता के संवर्धन में काफी सहायक होगी।

प्रारंभ में, लेखापरीक्षा समिति का गठन वर्ष 2001 में किया गया था। जनवरी, 2002 में सूचीकरण करार पर हस्ताक्षर किए जाने के परिणामस्वरूप, सूचीकरण करार के उपबंध के अनुसार इसका पुनः गठन किया गया। इस वर्तमान समिति में तीन सदस्य हैं जो सभी अकार्यपालक निदेशक हैं। ये हैं :

- श्री सी.पी.जैन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (एनटीपीसी)
- श्री अनिल राजदान, संयुक्त सचिव (हाइड्रो), विद्युत मंत्रालय
- श्री आर.रामानुजम, पूर्व संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, विद्युत मंत्रालय (1.7.2002 तक)
- श्री एम.साहू, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, विद्युत मंत्रालय (1.7.2002 से)

श्री सी.पी.जैन समिति के अध्यक्ष हैं। समिति के सभी सदस्यों को परियोजना वित्त लेखों तथा कंपनी कानून का उचित ज्ञान है। समिति की वर्ष में तीन बार बैठक हुई। लेखापरीक्षा समिति के कार्यवृत्त सूचनार्थ बोर्ड के समक्ष रखे गए। लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय वही हैं जो एनएसई/ओटीसीआई के सूचीकरण करार के खंड 34/49 में निर्धारित किए गए हैं।

3. शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति

स्टॉक एक्सचेंज : बोर्ड विशेषतया शेयर अंतरणों तथा शेयरधारकों की शिकायतों के निवारण सहित शेयर धारक मामलों की देखरेख करने के लिए एक समिति का गठन करे।

निदेशक मंडल ने निवेशकों की शिकायतों के निवारण की मॉनीटरिंग करने के लिए "निवेशक शिकायत समिति" - नामक एक समिति का गठन किया। समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं :

- | | |
|--------------------------|---------|
| 1. श्री बी.के.अग्रवाल | अध्यक्ष |
| 2. श्री आर. नटराजन | सदस्य |
| 3. श्री ए.के.गंगोपाध्याय | सदस्य |

As per the Disclosures made by the Directors, none of the Director holds membership of more than 10 committees of the Board nor is any director Chairman of more than 5 committees of the boards across all Companies in which he is a director.

(vi) Details of Directors being appointed/re-appointed

SE : In the case of appointment of new Directors or re-appointment of a Director, the shareholders must be provided with a brief resume of the Director and nature of his experience in specific functional areas and names of companies in which he currently holds Directorships and membership of its committees as a member

As all the appointment of Directors whether Executive or Non-Executive Director are being made by the President of India in accordance to the Articles of Association, the condition stipulated in this Clause does not apply to the Corporation.

2. AUDIT COMMITTEE

SE : A qualified and independent Audit Committee should be set up by the Board of the Company. This would go a long way in enhancing the credibility of the financial disclosures and in promoting transparency.

Initially, Audit Committee was set up in 2001. Consequent upon signing of listing Agreement in Jan 2002 it was reconstituted in accordance with provision of listing agreement. This present committee has three members of which all are Non-Executive Directors. These are :

- Shri C.P. Jain, CMD (NTPC)
- Shri Anil Razdan, JS (Hydro) MOP
- Shri R. Ramanujam, Former JS& FA, MOP (Till 1.07.2002)
- Shri M.Sahoo, JS&FA MOP (since 1.07.2002)

Shri C.P. Jain is the Chairman of the Committee. All the members of the committee have fair knowledge of project finance accounts and company law. The committee met 3 times in the year. The minutes of Audit Committee were placed before the Board for information. The terms of reference of Audit Committee are same as stipulated in clause 34/49 of the listing Agreement of NSE/OTCEI.

3. SHAREHOLDERS/ INVESTORS GRIEVANCE COMMITTEE

SE : The Board should set up a committee to specifically look into shareholder issues, including share transfers and redressal of shareholder complaints.

The Board of Directors constituted a Committee called "Investors Grievance Committee" to monitor the redressal mechanism of Investors' Grievances. The committee comprises following members;

- Shri B.K.Aggarwal - Chairman
- Shri R.Natarajan - Member
- Shri A.K.Gangopadhyay - Member

4. परिलब्धि समिति

स्टॉक एक्सचेंज : वार्षिक रिपोर्ट के कारपोरेट अभिशासन अनुभाग में निदेशकों को वेतन, लाभ, बोनस, स्टॉक विकल्प, पेंशन तथा अन्य नियत एवं निष्पादन सहबद्ध प्रोत्साहनों सहित सभी रूपों में प्रदत्त परिलब्धियों संबंधी प्रकटन किए जाने चाहिए।

जहां तक परिलब्धि समिति का संबंध है, एनएचपीसी के लिए इसका बहुत कम महत्व है। भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्वाधीन सरकारी क्षेत्र उद्यम होने के कारण, सभी कार्यपालक निदेशकों की नियुक्ति, वेतनमान, भत्तों इत्यादि का निर्णय भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

5. साधारण निकाय बैठक

स्टॉक एक्सचेंज : पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों के ब्यौरे प्रस्तुत किए जाएं।

कंपनी की पिछली तीन आम वार्षिक बैठकों के ब्यौरे निम्न प्रकार है :

आम वार्षिक बैठक	तिथि	समय	स्थान
23 ^{वीं}	30.09.1999	5.30 बजे (अप.)	पंजी. कार्या.
24 ^{वीं}	27.09.2000	12.00 बजे दोप.	पंजी. कार्या.
25 ^{वीं}	27.09.2001	12.00 बजे दोप.	पंजी. कार्या.

टिप्पणी : 25^{वीं} आम वार्षिक बैठक स्थगित कर दी गई थी तथा स्थगित बैठक 29.10.2001 को दोपहर 12.00 बजे पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की गई थी। डाक मतदान के माध्यम से कंपनी द्वारा कोई संकल्प पारित नहीं किया गया।

6. प्रकटन

स्टॉक एक्सचेंज : स्टॉक एक्सचेंजों, सेबी या किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजारों से जुड़े किसी मामले के संबंध में आरोपित शास्तियों तथा आलोचनाओं सहित कंपनी द्वारा अपालन के ब्यौरे शेयरधारकों को प्रकट किए जाने चाहिए।

फरवरी 2002 में एनएसई/ओटीसीआई में निगम सूचीकरण के तदनंतर इसने विद्युत मंत्रालय (प्रशासनिक मंत्रालय) से सेबी मानदंडों तथा लोक उद्यम ब्यूरो के निदेशों के अनुसार निदेशक मंडल के संघटन की पुनःसंरचना करने का अनुरोध किया।

7. संचार साधन

स्टॉक एक्सचेंज : शेयरधारकों के प्रत्येक घराने को अर्धवार्षिक रिपोर्ट भेजी जाए, संस्थागत निवेशकों को किए गए प्रस्तुतीकरण तथा तिमाही परिणामों के प्रसार के तरीके के ब्यौरे प्रकट किए जाए तथा प्रबंधन चर्चा तथा विश्लेषण का विवरण रिपोर्ट में शामिल किया जाए।

निगम द्वारा निर्गत लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों, प्रैस विज्ञापितियों इत्यादि से संबंधित सूचना इसकी वेबसाइट nhpc india.com पर उपलब्ध है तथा अर्ध-वार्षिक रिपोर्टें तथा त्रैमासिक परिणामों से संबंधित सूचना भी साइट पर उपलब्ध कराई गई है। वेबसाइट

4. REMUNERATION COMMITTEE

SE : The Corporate Governance section of the Annual Report should make disclosures on remuneration paid to Directors in all forms including salary, benefits, bonuses, stock options pension and other fixed as well as performance linked incentives.

As regards Remuneration committee, it is of little significance in NHPC being wholly owned Public Sector Enterprise of Govt. of India, appointment, pay scale, perks etc. of all the Executive Directors are decided by the Govt. of India.

5. GENERAL BODY MEETING

SE: Details of last three Annual General Meetings to be furnished.

The details of last three AGM of the company is as under :

AGM	Date	Time	Location
23 rd	30.09.1999	5.30 P.M.	Regd Office
24 th	27.09.2000	12.00 Noon	Regd. Office
25 th	27.09.2001	12.00 Noon	Regd. Office

Note: 25th AGM was adjourned and adjourned meeting was held on 29.10.2001 at 12.00 Noon at Regd. Office. There was no resolution passed by company through postal ballot.

6. DISCLOSURES

SE : Details of non-compliance by the company including penalties and strictures imposed by the stock exchanges. SEBI or any statutory authority, on any matter related to capital markets during the last 3 years must be disclosed to the shareholders.

Subsequent to its Listing at NSE/OTCEI in Feb. 2002, the Corporation has requested the Ministry of Power (the administrative Ministry) to restructure the composition of Board of Directors in accordance with SEBI norms and directives of Bureau of Public Enterprises.

7. MEANS OF COMMUNICATION

SE : Half Yearly report to be sent to each household of shareholders, details of the mode of dissemination of quarterly results and presentations made to institutional investors to be disclosed and statement of management discussion and analysis to be included in the report.

Information pertaining to the audited financial results, press releases etc. issued by Corporation is available on its Website nhpcindia.com, and information pertaining to half yearly reports and quarterly results has also been made available on the site. The Website



अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों में है। इसके अतिरिक्त, निगम राष्ट्रीय दैनिक समाचारपत्रों में भी अर्ध वार्षिक/त्रैमासिक परिणाम प्रकाशित करता है।

प्रबंधन चर्चा तथा विश्लेषण रिपोर्ट को भी वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में शामिल किया गया है।

is in English as well as in Hindi. Besides this, Corporation also publishes half yearly /quarterly results in National Daily newspapers.

The Management Discussion and Analysis Report has been included as part of Annual Report.

8. आम शेयरधारक सूचना

GENERAL SHAREHOLDER INFORMATION

स्टॉक एक्सचेंज : निवेशकों की रुचि के विभिन्न विनिर्दिष्ट मामले रिपोर्ट में शामिल किए जाएंगे।

SE : Various specified matters of interest to investors to be included in the report.

वार्षिक आम बैठक

Annual General Meeting

वार्षिक आम बैठक AGM	तिथि Date	समय Time	स्थान Place
25	27.09.2001	12.00 बजे दोपहर	पंजी. कार्या.
25	27.09.2001	12.00 Noon	Registered Office

वित्तीय कैलेंडर

Financial Calendar

लेखाकरण अवधि 1 अप्रैल, 2001 से 31 मार्च, 2002
Accounting period 1st April, 2001 to 31st March, 2002

प्रथम त्रैमासिक परिणाम

Ist Quarter Results

द्वितीय त्रैमासिक परिणाम

IInd Quarter Results

तृतीय त्रैमासिक परिणाम

IIIrd Quarter Results

चतुर्थ त्रैमासिक परिणाम

IV Quarter Results

वार्षिक आम बैठक

Annual General Meeting

31 जुलाई, 2001 को या उससे पूर्व

On or before July 31, 2001

31 अक्टूबर, 2001 को या उससे पूर्व

on or before October 31, 2001

31 जनवरी, 2002 को या उससे पूर्व

on or before January 31, 2002

30 अप्रैल, 2002 को या उससे पूर्व

on or before April 30, 2002

अनुमानतः सितम्बर, 2002 में

Tentatively in September, 2002

बही समापन/रिकार्ड तिथि

Book Closure / Record Date

ब्याज

Interest

बॉण्ड श्रेणी Bond Series	ब्याज भुगतान Interest Payment	रिकार्ड तिथि Record date
के - 2 / K-2	01.05.01	11.04.01
के - 3 / K-3	31.05.01	09.05.01
जी / G	30.06.01, 31.12.01	07.06.01, 20.12.01
एल - 2 / L-2	31.08.01, 28.02.02	21.08.01, 30.01.02
जे - 1 / J-1	30.09.01	05.09.01
जे - 2 / J-2	30.09.01, 31.03.02	05.09.01, 27.02.02

शोधन

Redemption

श्रेणी Series	शोधन तिथि Redemption Date	रिकार्ड तिथि Record Date
जी / G	31.03.02	27.02.02
आई / I	04.04.01	01.03.01
के - II / K-II	01.08.01	10.07.01
के - III / K-III	30.09.01	10.09.01
जे - I / J-I	अक्टूबर / Oct. 2001	27.09.01
जे - I / J-I	नवम्बर / Nov. 2001	07.11.01
जे - I / J-I	दिसम्बर / Dec. 2001	22.11.01

लाभांश भुगतान तिथि

Dividend Payment date

वित्तीय वर्ष

Financial Year

2001-2002 (for 2000-01)

भुगतान तिथि

Payment date

23.11.2001

सूची में - एनएसई एवं ओटीसीआई

Listed at - NSE and OTCEI

एनएसई

NSE

एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा-कुर्ला,
कॉम्प्लेक्स (ई), मुंबई-400005

Exchange Plaza, Bandra-Kurla
Complex (E), Mumbai-400 005

ओटीसीआई

OTCEI

ओटीसी एक्सचेंज ऑफ इंडिया,
92, मेकर, टॉवर्स, "एफ" कुफी पैराडे,
मुंबई-400005
OTC Exchange of India
92, Maker Towers, 'F' Cuffe Parade,
Mumbai-400 005

स्टॉक कोड

Stock Code

अंश नाम Scrip Name	एनएसई अंश कोड NSE Scrip code	ओटीसीआई अंश कोड OTCEI Scrip code
एनएचपीसी 16% एल-टीबी 2004	—	एनएचपीसी एलबीटीबी
NHPC 16% L-TB 2004	—	NHPC LBTB
एनएचपीसी 10.5% एल-टीएफबी 2004	—	एनएचपीसी एलसीएफबी
NHPC 10.5% L-TFB 2004	—	NHPC LCFB
एनएचपीसी 17.5% के-टीबी 2003	—	एनएचपीसी केसीटीबी
NHPC 17.5% K-TB 2003	एनएचपीसी NHPC 03	NHPC KCTB
एनएचपीसी 17.5% के-टीबी 2001	—	एनएचपीसी केबीटीबी
NHPC 17.5% K-TB 2001	—	NHPC KBTB
एनएचपीसी 16.5% जे-टीबी 2002	—	एनएचपीसी जेडीटीबी
NHPC 16.5% J-TB 2002	—	NHPC JDTB
एनएचपीसी 13.25% जे-टीबी 2001	—	एनएचपीसी जेसीटीबी
NHPC 13.25% J-TB 2001	—	NHPC JCTB
एनएचपीसी 13% जे-टीबी 2001	—	एनएचपीसी जेसीटीबी
NHPC 13% J-TB 2001	—	NHPC JBTB
एनएचपीसी 9.25% जे-टीएफबी 2001	—	एनएचपीसी जेएएफबी
NHPC 9.25% J-TFB 2001	—	NHPC JAFB
एनएचपीसी 17% आई-टीबी 2001	—	एनएचपीसी आईएटीबी
NHPC 17% I-TB 2001	—	NHPC IATB
एनएचपीसी 9.55% एम-टीबी 2007	—	एनएचपीसी एनआई
NHPC 9.55% M-TB 2007	एनएचपीसी NHPC 07	NHPC NI



बाजार मूल्य आंकड़े

Market Price data

एनएसई में बॉण्ड व्यापार के बाजार मूल्य आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

The market price data of Bond trade at NSE is given below :

प्रतिभूति	निर्गम	प्रतिभूति प्रकार	निर्गम विवरण	निर्गम तिथि	परिपक्वता तिथि	अंतिम टीआरडी तिथि	अंतिम टीआरडी तिमाही	अंतिम कीमत
Security	Issue	Security Type	Issue Description	Issue date	Maturity date	Last Trd date	Last Trd Qty.	Last Trd Price
एनएचपीसी 02	16.25%	पीटी	एनएचपीसी 16.25% 2002	30-सित.-95	30-सित.-02	4-अग.-99	400	105.1000
NHPC 02	16.25%	PT	NHPC 16.25% 2002	30-Sep-95	30-Sep-02	4-Aug-99	400	105.1000
एनएचपीसी 03	17.50%	पीटी	एनएचपीसी 17.50% (श्रेणी के) 3 आरडीटीआरसी	30-सित.-96	30-सित.-03	16-जुलाई-01	5000	101.5642
NHPC 03	17.50%	PT	NHPC 17.50% (Series K) 3 RDTRC	30-Sep-96	30-Sep-03	16-Jul-01	5000	101.5642
एनएचपीसी 07	9.55%	पीटी	एनएचपीसी 9.55% 2007 (श्रेणी एम)	7-जन.-02	7-जन.-07	4-फर.-02	1900	101.5247
NHPC 07	9.55%	PT	NHPC 9.55% 2007 (Series M)	7-Jan-02	7-Jan-07	4-Feb-02	1900	101.5247

वित्तीय वर्ष 2001 - 2002 के दौरान ओटीसीआई में कोई व्यापार नहीं किया गया है।

At OTCEI no trade was done during the financial year 2001-2002.

व्यापक आधार वाले संकेतकों जैसे बीएसई सूचकांक की तुलना में निष्पादन

Performance in comparison with broad based indices such as BSE sensex.

चूंकि विनियम में सूचीबद्ध प्रतिभूतियां अपरिवर्तनीय बॉण्ड्स हैं इसलिए इसकी बीएसई सूचकांक के साथ तुलना नहीं की जा सकती है जो इक्विटी आधारित अनुक्रमणिका है।

As the securities listed in Exchange are Non- Convertible Bonds, these could not be compared with BSE sensex which is equity based Index.

रजिस्ट्रार स्थानांतरण एजेंट एवं शेयर स्थानांतरण पद्धति

Registrar Transfer Agent and Share Transfer system

निगम ने मैसर्स आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री (प्रा.) लि. 1515 (प्रथम तल) : भीष्मपितामह मार्ग, कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली-110003, फोन: 24643720/24692346 को कंपनी के रजिस्ट्रार एवं स्थानांतरण एजेंट के रूप में नियुक्त किया है। इन्हीं के द्वारा नियमित कार्य की देखभाल की जाती है। निगम की जिम्मेदारी समस्त कार्य की देखरेख करना है।

The Corporation has appointed M/s RCMC share Registry (P) Ltd. 1515(1st Floor): Bhisma Pitamah Marg, Kotla Mubarakpur, New Delhi-110003.Ph.24643720 / 24692346 as Registrar and Transfer Agent of the Company .The Routine work is looked after by them .The Corporation has responsibility of supervising the overall work.

धारिता के वितरण का पैटर्न

Pattern of Distribution of Holdings

31.03.2002 तक धारिता (बॉण्ड्स संबंधी) के वितरण का पैटर्न अनुबंध-"क" पर अनुबद्ध है।

The pattern of Distribution of holdings (i.e. Bonds) as on 31.3.2002 is annexed as Annexure "A"

शेयर एवं लिक्विडिटी का डिमटियलाइजेशन

Dematerialisation of Shares and Liquidity

16% एल श्रेणी (द्वितीय ट्रांश)

आईएसआईएन - आईएनई 848ई.07013

निर्गम राशि - 63.30 करोड़ रुपए

डिमटियलाइज्ड मूल्य - 32.70 करोड़ रुपए

16% L Series (2nd Tranche)

ISIN-INE848E07013

Issue amount- Rs. 63.30 Crores

Dematerialized Value - Rs.32.70 Crores.

10.5% एल श्रेणी (द्वितीय ट्रांश)

आईएसआईएन - आईएनई 848ई.07021

निर्गम राशि - 51 करोड़ रुपए

10.6 डिमटियलाइज्ड मूल्य - शून्य

10.5% L-Series(2nd Tranche)

ISIN - INE848E07021

Issue Amount - Rs. 51 Crores

Dematerialized Value -NIL

एनएसई व ओटीसीआई के

थोक ऋण में सूचीबद्ध

Listed in wholesale Debt of

NSE &OTCEI

9.55% एम श्रेणी बांड्स

आईएसआईएन - आईएनई 848ई.08011

निर्गम राशि - 430 करोड़ रुपए

डिमटियलाइज्ड मूल्य - 430 करोड़ रुपए

9.55% M Series Bonds

ISIN - INE848E08011

Issue Amount - Rs. 430 Crores

Dematerialized Value - Rs. 430 Crores.

बकाया जीडीआरएस/एडीआरएस वारंट या कोई परिवर्तनीय दस्तावेज, परिवर्तन की तिथि तथा इक्विटी पर संभावित प्रभाव।

Outstanding GDRS/ADRS warrants or any convertible instruments, conversion date and likely impact on equity

लागू नहीं

Not applicable

संयंत्र स्थल :

Plant Locations :

परियोजना का नाम Name of the Project	पता Address
सलाल पावर स्टेशन (चरण-I एवं II)	सलाल पावर स्टेशन, डाकखाना ज्योतिपुरम, वाया रियासी, जिला उदयपुर, जम्मू व कश्मीर
Salal Power Station (Stage-I & II)	Salal Power Station, P.O, Jyotipuram, Via Reasi, Distt. Udhampur, J&K.
उड़ी पावर स्टेशन (चरण-I)	उड़ी पावर स्टेशन, एनएचपीसी कार्यालय परिसर, जिंगल, डाकखाना मोहरा, जिला बारामूला (जम्मू व कश्मीर)
Uri Power Station (Stage-I)	Uri Power Station, NHPC Office Complex, Gingle, Post Office Mohra, Distt. Baramulla (J&K).
चमेरा पावर स्टेशन (चरण-I)	चमेरा पावर स्टेशन (चरण-I), डाकखाना खैरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
Chamera Power Station (Stage-I)	Chamera Power Station (Stage-I), P.O. Khairi, Distt. Chamba, Himachal Pradesh
बैरास्यूल पावर स्टेशन	बैरा स्यूल पावर स्टेशन, डाकखाना सुरगानी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
Baira Siul Power Station	Baira Siul Power Station, P.O. Surangani, Distt Chamba, Himachal Pradesh



परियोजना का नाम Name of the Project	पता Address
टनकपुर पावर स्टेशन Tanakpur Power Station	टनकपुर पावर स्टेशन, डाकखाना टीएचईपी, कैम्पस, बनबसा, जिला चम्पावत, उत्तरांचल Tanakpur Power Station, P.O. T.H.E.P. Campus, Banbassa, Distt. Champawat, Uttaranchal.
लोकतक पावर स्टेशन Loktak Power Station	लोकतक पावर स्टेशन, डाकखाना लोकतक, विद्युत विहार, कोमकेरप, 795124, मणिपुर Loktak Power Station, P.O Loktak, Vidyut Vihar, KomKeirap, 795124, Manipur
रंगित पावर स्टेशन Rangit Power Station	रंगित पावर स्टेशन डाकखाना रंगित नगर, (हिंगडैम), दक्षिण सिक्किम, पिन 737111. Rangit Power Station , P.O Rangit Nagar, (Hingdam), South Sikkim, Pin 737111.
पत्राचार के लिए पता पंजीकृत कार्यालय : एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सैक्टर 33, फरीदाबाद-121003 (हरियाणा)	Address for Correspondence Regd. Office : NHPC Office Complex, Sector-33, Faridabad-121003 (Haryana)
अनुपालन अधिकारी श्री जयंत कुमार, वरिष्ठ प्रबंधक (डीएफएस) एनएचपीसी परिसर, सैक्टर-33, फरीदाबाद-121003 (हरियाणा)	Compliance Officer Shri Jayant Kumar, Senior Manager (DFS) NHPC Office Complex, Sector-33, Faridabad-121003 (Haryana)

9. कारपोरेट अभिशासन के संबंध में लेखापरीक्षक प्रमाणपत्र

AUDITOR'S CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

स्टॉक एक्सचेंज : वार्षिक रिपोर्ट में निदेशक रिपोर्ट के अनुबंध के रूप में कारपोरेट अभिशासन संबंधी लेखापरीक्षक का एक प्रमाणपत्र होना चाहिए।
कारपोरेट अभिशासन से संबंधित, सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुपालन संबंधी लेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र निदेशकों की रिपोर्ट में प्रकाशित किया गया है।

SE : There should be an auditors' certificate on Corporate Governance in the Annual Report as an Annexure to the Directors' Report.

The Auditors Certificate on Compliance of Clause 49 of the listing Agreement relating to Corporate Governance is published in the Directors' Report.

ह./-

(योगेन्द्र प्रसाद)

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

नैशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड

sd/-

Yogendra Prasad

Chairman & Managing Director

National Hydroelectric Power Corporation Ltd.

अनुबंध - क
Annexure - A

एम श्रेणी बांडों तथा एल श्रेणी (द्वितीय ट्रेच) बांडों के लिए धारिता का पैटर्न
Pattern of Holding for M Series Bonds and L Series (2nd Tranche) Bonds

एम श्रेणी

M - Series

क्र. सं. S. No.	विवरण Particulars	धारिता की राशि (करोड़ रुपए) Amount of holdings (Cr.)	कुल धारिताओं का प्रतिशत % of total Holdings
1.	बैंक Banks	101.00	23
2.	वित्तीय संस्थाएं Financial Institutions	—	—
3.	अन्य Others		
	i) एलआईसी LIC	150.00	35
	ii) जीआईसी GIC	10.00	2
	iii) केंद्रीय न्यासी बोर्ड Central Board of Trustees	169.00	40
	कुल Total	430.00	100

16 प्रतिशत एल श्रेणी -द्वितीय ट्रेच

16% L Series - 2nd Tranche

क्र. सं. S. No.	विवरण Particulars	धारिता की राशि (करोड़ रुपए) Amount of Holdings (Rs. Cr.)	कुल धारिताओं का प्रतिशत % of Total Holdings
1.	बैंक Banks	25.00	40
2.	वित्तीय संस्थाएं Financial institution	—	—
3.	अन्य Others		
	i) भविष्य निधि Provident Fund	5.60	9
	ii) पेंशन निधि Pension Fund	2.70	4
	iii) एलआईसी/एलआईसी म्यूचुअल फंड LIC/LIC Mutual Fund	30.00	47
	कुल Total	63.30	100

10.5 प्रतिशत एल श्रेणी -द्वितीय ट्रेच

10.5% L Series - 2nd Tranche

क्र. सं. S. No.	विवरण Particulars	राशि (करोड़ रुपए) Amount (Rs. Cr.)	कुल का प्रतिशत % of Total
1.	बैंक Bank	51.00	100



लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र Auditors' Certificate

सेवा में, सदस्यगण,

नैशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड

हमने, 31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए नैशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन द्वारा क्रियान्वित की गई निगम अभिशासन प्रक्रियाओं की शर्तों, जैसा कि उक्त कंपनी द्वारा भारत के स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूची करार के क्लॉज 49 में निर्धारित हैं, के अनुपालन की जांच की है।

निगम अभिशासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधवर्ग का उत्तरदायित्व है। हमारे द्वारा की गई जांच, कंपनी द्वारा निगम अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके क्रियान्वयन की जांच तक सीमित थी। कंपनी के वित्तीय विवरणों की न तो लेखापरीक्षा हुई है और न ही इन विवरणों के संबंध में हमारा कोई मत है।

हम यह भी बताना चाहते हैं कि इस प्रकार का अनुपालन न तो भविष्य में कम्पनी की व्यवहार्यता के प्रति कोई आश्वासन है और न ही प्रबंधक वर्ग द्वारा किए गए कार्यों की दक्षता व प्रभावोत्पादकता से इसका कोई संबंध है।

हमारे द्वारा की गई समीक्षा और हमें दी गई जानकारी एवं विवरणों के अनुसार, कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूची करार के क्लॉज 49 में यथा निर्धारित निगम अभिशासन की शर्तों का सभी महत्वपूर्ण विषयों में पालन किया है, उस क्षेत्र को छोड़कर जिसमें प्रबंधवर्ग ने निगम अभिशासन रिपोर्ट में बताया है कि बोर्ड की बॉण्डधारक शिकायत/आबंटन एवं हस्तांतरण समिति द्वारा रखे गए रिकॉर्ड के अनुसार कंपनी के विरुद्ध एक महीने से अधिक अवधि तक कोई भी निवेशक संबंधी शिकायत/शिकायतें लंबित नहीं है / हैं।

कृते के.एन. गोयल एण्ड कंपनी,
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

ह./-
(के.एन. गोयल)
भागीदार

स्थान : फरीदाबाद
दिनांक : 24 अगस्त, 2002

To the Members of National Hydroelectric Power Corporation Limited

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance procedures implemented by National Hydroelectric Power Corporation Limited for the year ended on March 31, 2002 as stipulated in Clause 49 of the Listing Agreement of the said Company with the Stock Exchanges in India.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to review of procedures and implementation thereof, adopted by the Company for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Company.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Company nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

On the basis of our review and according to the information and explanations given to us, the conditions of Corporate Governance as stipulated in Clause 49 of the listing Agreement with the Stock Exchange have been complied with in all material respect by the Company, except to the extent stated in the Report on Corporate Governance given by the Management, and that no investor grievance(s) is/are pending for a period exceeding one month against the company as per the records maintained by the Bondholders Grievance/Allotment & Transfer Committee of the Board.

For K.N. Goyal & Co.
Chartered Accountants

Sd/-
(K.N. Goyal)
Partner

Place : Faridabad
Dated : 24th August, 2002

प्रबंध चर्चा तथा विश्लेषण रिपोर्ट MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS REPORT

सूचीकरण करार के अनुच्छेद 49 के अनुसरण में प्रबंध चर्चा तथा विश्लेषण रिपोर्ट निम्न प्रकार है :
In pursuant to Clause 49 of Listing Agreement management discussion and analysis report is as under :

1. उद्योग संरचना तथा विकास

स्वतंत्रता के पश्चात 50 वर्षों से भी अधिक समय से पथ पर अग्रसर होते हुए भारतीय विद्युत क्षेत्र इन वर्षों में प्राप्त महत्वपूर्ण वृद्धि के बावजूद अभी भी विद्युत की कमी और आपूर्ति दबावों की चुनौतियों का सामना कर रहा है। विद्युत क्षेत्र के आपूर्ति पक्ष के दबावों ने हमारी आर्थिक वृद्धि में रुकावट उत्पन्न की है तथा हमारे उद्योग को उस सीमा तक पंगु बना दिया है जहां भविष्य में पुनःसुधार एक अत्यंत कठिन प्रक्रिया होगी। यद्यपि, हमने वर्ष 1947 में मात्र 1350 मेगावाट की तुलना में 1,00,000 मेगावाट विद्युत वर्धन द्वारा पर्याप्त प्रगति की है, हम अभी भी अन्य देशों की तुलना में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत के अर्थों में बहुत नीचे हैं।

आठवीं योजना के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में बिजली की खपत की लोच 0.97 प्रतिशत तथा अर्थव्यवस्था में 8-9 प्रतिशत वृद्धि प्राप्त करने की राष्ट्रीय योजना से बिजली की कमी और भी अधिक तीव्र होने की संभावना है।

राज्य बिजली बोर्डों की खराब वित्तीय दशा, भारी पारेषण एवं वितरण हानियां, अपर्याप्त मीटरीकरण तथा पुरातन विधि के साथ जल-तापीय मिश्रण का घटता अंश विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण समस्याएं हैं।

विगत अवधि में, जलविद्युत के अंश में गिरावट आई है। साठ के दशक में, जल-ताप मिश्रण 40:60 था और अब यह गिरकर 25:75 हो गया है। भारत सरकार ने एक तकनीकी आवश्यकता के रूप में हाइड्रो क्षेत्र को मान्यता दी है जो नवीकरणीय, मितव्ययी, गैर-प्रदूषणकारी तथा पर्यावरणात्मक रूप से ऊर्जा का सुसाध्य स्रोत है। जल विद्युत स्टेशनों में तत्काल चालू होने तथा रुकने, भार परिवर्तन इत्यादि के लिए अंतर्निहित क्षमता होती है जो विद्युत प्रणाली को विश्वसनीयता प्रदान करने में सहायक है, इसलिए यह चरम मांग को पूरा करने का सर्वोत्तम विकल्प है। वर्तमान में उपलब्ध, विद्युत की चरम मांग की तुलना में 10000 मेगावाट अथवा लगभग 13 प्रतिशत की कमी है। अतः संतुलन को पुनः स्थापित किया जाना तत्काल आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, जल विद्युत परियोजनाओं का 50 वर्षों का दीर्घ उपयोगी जीवनकाल होता है जो दुर्लभ जीवाश्म ईंधन के परिरक्षण में सहायक है। यह दूरस्थ तथा पिछड़े क्षेत्रों के विकास के मार्ग खोलने में भी सहायता करता है।

वर्ष 1991 से भारत सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख सुधार किए गए कि विद्युत क्षेत्र राष्ट्र की विकास योजना में सहायता करने में समर्थ हो सके। निजी निवेशों के लिए सृजन, पारेषण तथा वितरण को खोलना, केंद्रीय तथा राज्य विनियामक आयोगों का सृजन, वितरण प्रणाली का निजीकरण, मेगा परियोजनाओं के लिए लाभों की शुरुआत, राज्य बिजली बोर्डों की कार्यपद्धति में सुधार इत्यादि जैसे सुधार शुरू किए गए। वर्ष 1998 में, जल विद्युत परियोजनाओं को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए जल नीति बनाई गई यथा जल विद्युत परियोजनाओं के लिए दरों का

1. Industry Structure and Development

Over Fifty years down the road since independence, Indian power sector is still facing challenges of shortage of power and supply constraints despite the significant growth achieved over the years. The supply side constraints in the power sector have arrested our economic growth and crippled our Industry to an extent where recovery in future would be a cumbersome process. Though we have made substantial progress by adding 1,00,000 MW of power compared to meager 1350 MW in the year 1947, we are still among the rock bottom in terms of per capita consumption of energy compared with other countries.

With elasticity of consumption of electricity with respect to GDP during Eighth plan at 0.97% and National plan of achieving 8-9% growth in economy, the shortage of power is likely to be more severe.

The significant problems of power sector are ,the poor financial health of SEBs, Heavy T&D losses, inadequate metering, and fast rate of obsolescence alongwith declining share of Hydro-Thermal mix.

Over the period, the share of Hydro Power has declined. In the sixties, Hydro Thermal mix was 40:60 and now it has declined to 25:75. The Government of India has given recognition to hydro sector as a technical necessity, which is a renewable, economic, non-polluting and environmentally benign source of energy. Hydro Power stations have inherent ability for instantaneous starting and stopping, load variation etc. which help in providing reliability to power system, therefore it is the best choice for meeting peak demand. At present peaking shortages is to the tune of 10,000 MW or 13% approx. Therefore, there is emergent need to bring the balance back in position. Moreover, Hydro Power Projects have long useful life of 50 years, which help in conserving scarce fossil fuels. It also helps in opening avenues for development of remote and backward areas.

Since 1991, major reforms were undertaken by the Government of India to ensure that power sector is able to support the nation's growth plan. Reforms like opening of Generation, Transmission & Distribution to private investments, creation of Central and State Regulatory commissions, privatization of distribution system, Introduction of benefits to Mega projects, improving the working of SEBs etc. were initiated. In 1998, hydro policy was also formulated to provide incentives to hydro projects like rationalization of tariff for hydro projects, simplification

युक्तीकरण, तकनीकी-आर्थिक मंजूरी के हस्तांतरण के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण, भूविज्ञानी जोखिम से सुरक्षा के लिए प्रक्रिया का विकास करना तथा 25 मेगावाट क्षमता तक की लघु जल विद्युत परियोजनाओं को गैर-पारस्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय को हस्तांतरित करना इत्यादि।

किन्तु इस क्षेत्र में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। अपेक्षा के अनुसार निजी निधियां प्राप्त नहीं हुई हैं। प्रमुख अवरोध राज्य बिजली बोर्डों की खराब दशा तथा इन राज्य बिजली बोर्डों से देयताओं का वसूल न होना है।

इसके कारण, आठवीं योजना में निवेश अवरोधों के कारण क्षमता वर्धन में कमी 56 प्रतिशत थी तथा नौवीं योजना में इसके 50 प्रतिशत होने की संभावना है। राज्य बिजली बोर्डों की बकाया देयताएं 270000 मिलियन रुपए के आंकड़े को पार कर गई हैं जिसकी भावी परियोजनाओं में निवेश प्रयोजनार्थ केंद्रीय सरकारी क्षेत्रीय उपक्रमों की लिक्विडिटी को प्रभावित किया है। आहलुवालिया समिति रिपोर्ट की सिफारिशों के क्रियान्वयन से, उनकी देयताओं की वसूली के लिए आशा की एक किरण है।

II. अवसर/खतरे, जोखिम तथा चिन्ताएं

- विभिन्न संस्थाओं से घरेलू / अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक वित्तपोषण को शामिल करने वाला समस्त बुनियादी विकास, उदासीकरण और नियंत्रित अर्थव्यवस्था के क्रमिक रूप से विकास के बावजूद, किसी न किसी कारण अनिवार्यतः सहायता के असामयिक निलम्बन या समाप्ति का जोखिम प्रस्तुत करता है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक समय तथा लागत लगने से परिणामी धक्का पहुंचेगा।
- एक लम्बे समय से बेहतर प्रणाली स्थिरता तथा साथ ही अर्थव्यवस्था के लिए देश के समग्र बिजली ऊर्जा प्रबंधन विकास में जल-विद्युत उत्पादन में पर्याप्त क्षमता उपलब्धता होने की तकनीकी आवश्यकता को स्वीकार करने के बावजूद, जल विद्युत परियोजनाओं के विकास में आशानुरूप गतिशीलता प्राप्त नहीं हो पाई है।
- जल विद्युत विकास की जेस्टेशन (परिवक्ता अवधि) लम्बी होती है तथा इनमें अपेक्षाकृत अधिक जोखिम उच्च वित्तपोषण लागत पर सापेक्ष रूप से दीर्घावधि वित्तपोषण की आवश्यकता होती है।
- जल विद्युत परियोजनाओं की आयोजना तथा विकास कार्यस्थल विशिष्ट तथा कस्टम इंजीनियर्ड होता है जिसमें सभी प्राकृतिक दशाओं का आकलन शामिल है।
- साथ ही चिन्ता का विषय है कि विभिन्न पर्यावरणीय, जलमग्नता, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना के मुद्दों को उठाकर बृहत जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण को स्वार्थी समूहों तथा कार्यकर्ताओं द्वारा सनसनीखेज बनाने के लिए अक्सर किए गए प्रदर्शन, जिन्हें प्रवृत्त स्थानीय दशा के अन्तर्गत क्रियान्वयन की व्यवहार्यता में पारस्परिक बोध द्वारा निपटाया जा सकता है। ऐसा अनुभव किया गया है कि भूमि अधिग्रहण सर्वाधिक समय लगने वाला तथा आंदोलन प्रवण मुद्दा रहा है।
- अंतः राज्यीय नदी जल विवाद चिन्ता के अन्य विषय रहे हैं। एक सुव्यवस्थित तथा एकीकृत तरीके के अन्तर्गत पूर्ण बेसिन विकास की प्राप्ति के लिए उनका निपटान एक पूर्व-अपेक्षा होने के कारण

of procedure for transfer of techno-economic clearance, evolution of mechanism to cover geological risk and transfer of small hydro projects up to 25 MW capacity to Ministry of non-conventional energy sources etc.

But not much has happened on the ground. The private funds have not poured in as expected. The major repellent has been the poor health of SEBs and non-recovery of the dues from these SEBs.

Due to this, the shortfall in capacity addition was 56% due to investment constraints in Eighth plan and is likely to be 50% in Ninth plan. The total outstanding dues of SEBs have crossed the figure of Rs. 270000 Million, which in turn have affected the liquidity of CPSUs for investment purpose in future projects. With the Implementation of recommendations of Ahluwalia Committee Report, there is ray of hope for realisation of their dues.

II. Opportunities/Threats, Risk & Concerns

- All infrastructure development involving domestic/international commercial financing from different institutions pose a certain element of risk of untimely suspension or termination of the support invariably under some kind of pretext with consequential setback in terms of overruns in time and cost, inspite of the liberalization and gradual coming out of controlled economy.
- Inspite of the recognition of technical necessity to have adequate capacity availability in hydro-generation in the country's overall electricity energy management system for better system stability and also economy over a long time, the gathering of momentum has not been as per expectations.
- Hydro developments have longer gestation period and a greater risk and require a relatively long tenure financing at much higher financing cost.
- The planning and development of hydro projects is site specific and Custom Engineered involving an assessment of all natural conditions.
- Also of concern, is the often held demonstrations by vested groups and activists to sensationalize making of large hydro projects by raising various environmental, submergence, land acquisition, resettlement and rehabilitation issues which can be settled by mutual appreciation of issues and concerns within practicality of implementation under prevalent local conditions. Land acquisition has been experienced to be the most time consuming as well as agitation prone activity.
- Interstate river water disputes are important area of concern. Their settlement being pre-requisite to achieve the total basin development under

यह एक अन्य विषय है जो अत्यंत जटिल, समय की खपत वाला तथा बहुत स्तरों पर मुकदमा प्रवण अनुभव किया जा रहा है।

- परियोजना विशेष को निधियों के अपर्याप्त आवंटन, पुरानी तथा कम यंत्रीकृत निर्माण प्रविधि को अपनाने, निर्माण में अपर्याप्तताओं के साथ कुछ भू-विज्ञानी आकस्मिकताओं तथा संबद्ध दुर्घटनाओं, अव्यवस्थित कानून एवं व्यवस्था स्थिति तथा स्वार्थपूर्ण हस्तक्षेपों के कारण अक्सर - जल विद्युत परियोजनाओं, के निर्माण में विलम्ब होता है।

III. खंडवार समीक्षा

निगम विद्युत परियोजनाओं/केंद्र के निर्माण तथा प्रचालन के व्यवसाय में लगी हुई है। एनएचपीसी ने भी देश में विभिन्न संगठनों के साथ परामर्शी कार्य लिए हैं। वर्ष 2001-02 में वास्तविक उपलब्धि, विद्युत मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में उपबंधित 110.0 मिलियन रुपए के लक्ष्य की तुलना में, 171.80 मिलियन रुपए हुई थी।

निम्नलिखित परियोजनाओं को टर्नकी/ डिपॉजिट कार्य आधार पर वर्ष के दौरान निष्पादित किया गया तथा परियोजनाओं की प्रगति निम्नानुसार है :

- कालपोंग जल विद्युत परियोजना (5.25 मेगावाट) अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह :** ये सभी तीनों यूनिट अगस्त, 2001 में संचालित की गई तथा संतोषजनक ढंग से संचालन में हैं। परियोजना अंडमान तथा निकोबार प्रशासन को सौंप दी गई थी।
- कुरिचु जल विद्युत परियोजना (60 मेगावाट) भूटान :** जैसाकि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में बताया गया था, यूनिट-I, II तथा III को अगस्त तथा सितम्बर, 2001 के दौरान समकालिक आरंभ किया गया था और अब वे संतोषजनक ढंग से संचालन में हैं। यूनिट-IV को भी दिसम्बर, 2002 के निर्धारित समय के स्थान पर 29 मई, 2002 को आरंभ कर दिया गया है।

streamlined and integrated manner. This is another area which is experiencing to be extremely complex, time consuming and litigation prone at multiple levels.

- Quite often – hydro projects are delayed due to inadequate allocation of funds to individual project, adoption of outmoded and less mechanized construction methodology, inadequacies in construction coupled with few geological surprises and related accidents, disturbed law & order situation and vested interferences.

III. Segment wise Review

The Corporation is engaged in the business of construction and operation of power projects/Stations. NHPC has also taken a number of consultancy assignments with various organizations in the country. The actual achievement in 2001-2002 was Rs.171.80 Million against the target of Rs. 110.0 Million provided in MOU signed with Ministry of Power

The following projects were executed on turnkey /deposit work basis during the year and progress of the projects is as under :

- Kalpang H.E. Project (5.25 MW) Andaman & Nicobar Islands :** All the three Units have been commissioned in August, 2001 and are running satisfactorily. The project was handed over to Andaman & Nicobar Administration.
- Kurichu H.E. Project (60 MW) Bhutan :** As stated in last year's report Unit-I, II & III were synchronized during August & September, 2001 and now they are running satisfactorily. Unit-IV has also been commissioned on 29th May, 2002 against the scheduled time of December, 2002.



कंक्रीट बांध - 5.25 मेगावाट कालपोंग पावर स्टेशन (अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह)
Concrete Dam - 5.25 MW Kalpong Power Station (Andaman & Nicobar Islands)

IV. आंतरिक नियंत्रण पद्धतियां तथा उनकी पर्याप्तता

कंपनी ने संचालनात्मक दक्षता प्राप्त करने, संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग तथा उनके प्रभावी अनुवीक्षण तथा कानून के अनुपालन के सहायतार्थ पर्याप्त नियंत्रण पद्धतियां स्थापित की हैं। निगम की एक सुपरिभाषित संगठन संरचना, शक्तियों का प्रत्यायोजन तथा प्रलेखबद्ध नीति, दिशानिर्देश तथा संहिताएं हैं। निगम मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में आंतरिक लेखापरीक्षा का एक पृथक अनुभाग है। एक व्यावसायिक दल देश के विभिन्न भागों में स्थित विभिन्न परियोजनाओं, संपर्क कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों की नियमित रूप से लेखापरीक्षा करता है।

गैर कार्यात्मक निदेशकों से युक्त निदेशक मंडल की एक योग्यताप्राप्त लेखापरीक्षा समिति आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों तथा आंतरिक नियंत्रण पद्धतियों की पर्याप्तता की समीक्षा करती है।

V. दृष्टिकोण

100,000 मेगावाट से अधिक की व्यापक दोहन न की गई संभाव्यता अगले 25 वर्षों में विकास के पर्याप्त अवसर प्रस्तुत करती है। निगम ने दसवीं योजना (2002-07) में 4357 मेगावाट क्षमता वर्धन की योजना बनाई है। योजना आयोग सिद्धांततः 314660 मिलियन रुपए का अनंतिम आवंटन देने के लिए सहमत हो गया है जिसमें से भारत सरकार द्वारा बजटीय समर्थन 142000 मिलियन का होगा जो नौवीं योजना की तुलना में 300 प्रतिशत की वृद्धि है।

VI. संचालनात्मक निष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन संबंधी चर्चा

वित्तीय निष्पादन

वर्ष 2001-2002 के दौरान निगम का कुल कारोबार 13496 मिलियन रुपए था तथा मूल्यहास, ऋणों पर ब्याज, वित्तपोषण प्रभारों के लिए व्यवस्था करने तथा पूर्वावधि समायोजन अनुमत करने के पश्चात आपके निगम ने पिछले वर्ष के 4434 मिलियन रुपए के लाभ की तुलना में इस वर्ष कर-पश्चात 4709 मिलियन रुपए का लाभ कमाया है। मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ पिछले वर्ष के लाभ की तुलना में लगभग 275 मिलियन रुपए अधिक था।

संचालित परियोजनाओं से निष्पादन

वर्ष 2001-2002 के दौरान, एनएचपीसी परियोजनाओं ने 9470 मिलियन यूनिट के उत्पादन लक्ष्य की तुलना में 8912.29 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन किया। बैरास्यूल, सलाल, टनकपुर तथा उड़ी पावर स्टेशनों के संबंध में उत्पादन जल के अल्प अंतः प्रवाह तथा ग्रिड अवरोधों के कारण लक्ष्य से 821.4 मिलियन यूनिट कम हुआ। इस प्रकार, परिकल्पित उत्पादन सहित कुल उत्पादन 9733.69 मिलियन यूनिट था जो लक्ष्य से 2.78 प्रतिशत अधिक है।

संचालन में सभी उत्पादन यूनिटों के क्षमता सूचकांक के लिए 92.00 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में वास्तविक क्षमता सूचकांक 96.86 प्रतिशत था जो लक्ष्य से 4.86 प्रतिशत अधिक है। इस

IV. Internal Control Systems and their adequacy

The Company has established adequate control systems to help in achieving operational efficiency, optimum utilization of resources and effective monitoring thereof and compliance of law. The Corporation has a well defined organization structure, delegation of powers and documented policy, guidelines and manuals. There is separate division of Internal Audit headed by Senior Officer at Corporate Office. A professional team regularly conducts audit of various Projects, Liaison and Regional Offices located in various parts of the Country.

A qualified Audit Committee of the Board of Directors comprising non functional Directors reviews the internal audit reports and the adequacy of internal control systems.

V. Outlook

A wide untapped potential of more than 100,000 MW provides ample opportunities for development in the next 25 years. The Corporation has planned a capacity addition of 4357 MW in X plan (2002-07). The Planning Commission has in principle agreed for tentative allocation of Rs. 314660 Million out of which net budgetary support by Govt. of India will be Rs. 142000 Million an increase of 300% as compared to IX plan.

VI. Discussion on financial Performance with Respect to Operational Performance

Financial Performance

The turnover of the Corporation during the year 2001-2002 was Rs.13496 million and your company after providing depreciation, interest on loans, financing charges and allowing prior period adjustment made a net profit, after tax, of Rs.4709 million compared to the previous year's profit of Rs. 4434 million. The profit for the year ended March 2002, was higher than the profit in the previous year by about Rs. 275 million.

Performance of Projects in Operation

During the year 2001-2002, NHPC projects generated 8912.29 MUs against generation target of 9470 MUs. In respect of Baira Siul, Salal, Tanakpur and Uri power stations, generation was less by 821.4 MUs than targeted due to poor inflow of water and grid constraints. Thus total generation including deemed generation was 9733.69 MUs, which is higher than the target by 2.78%.

Against the target of 92.00% for capacity index of all the generating units in operation, the actual capacity index was 96.86%, which is 4.86% more than the

वर्ष के दौरान एनएचपीसी परियोजनाओं का समग्र क्षमता उपयोग (अभिकल्प ऊर्जा पर आधारित) 95.58 प्रतिशत था।

परियोजनावार निष्पादन

वर्ष 2001-2002 के लिए लक्ष्यों, वास्तविक उत्पादन, क्षमता उपयोग (अभिकल्प ऊर्जा पर आधारित) का परियोजनावार ब्यौरा नीचे दिया गया है।

target. The overall capacity utilization (based on design energy) of NHPC projects was 95.58% during this year.

Projectwise Performance

The project wise breakup of targets, actual generation, capacity utilization (based on design energy) is given below for the year 2001-2002.

पावर स्टेशन	31.3.2002 की स्थिति के अनुसार प्रभावी क्षमता मेगावाट में	लक्ष्य (मि.यू.)	परिकल्पित उत्पादन सहित वास्तविक उत्पादन (मि.यू.) 2001 - 2002	क्षमता सूचकांक (%)	क्षमता उपयोग (%)	वास्तविक उत्पादन मि.यू. में 2000 - 2001	31 अगस्त 2002 तक वास्तविक उत्पादन
Power Stations	Effective Capacity as on 31.3.2002 in MW	Target (MU)	Actual Generation (MU) including deemed Generation	Capacity Index (%)	Capacity Utilization (%)	Actual Generation in MU	Actual generation upto 31st August, 2002
बैरास्यूल Baira Siul	180	780	749.28*	87.75	80.6	649.28	384.45
लोकतक Loktak	105	450	570.01	92.77	126.50	551.14	196.18
सलाल Salal	690	3100	3082.01*	98.79	95.14	2939.26	2059.31
टनकपुर Tanakpur	94.20	440	442.17*	97.40	91.78	440.10*	208.00
चमेरा Chamera	540	1785	1954.77	97.46	117.43	2111.63	1385.59
उड़ी Uri	480	2575	2587.38*	98.10	80.71	2587.38*	1467.83
रंगित Rangit	60	340	348.07	81.85	102.79	305.67	180.16
जोड़ Total	2149.20	9470.0	9733.69	96.86	95.58	9584.46	5881.57


* परिकल्पित उत्पादन सहित

* Including deemed generation

निर्माणाधीन / स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति PROGRESS OF ONGOING / SANCTIONED PROJECTS

1.0 चालू परियोजनाएं

- **दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना (390 मेगावाट) जम्मू व कश्मीर :** समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कार्य की प्रगति संतोषजनक रही, सिवाए एचआरटी के जिसमें प्रतिकूल भूविज्ञानी स्थिति तथा सुरंग में भारी जल रिसाव का सामना करने के कारण बाधा पहुंची। आर्द्रता परीक्षण को छोड़कर सभी जल विद्युत यांत्रिक कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। 10.6 किलोमीटर की कुल लम्बाई में से एचआरटी में 9.638 किलोमीटर खुदाई का कार्य अगस्त, 2002 तक पूरा हो चुका है तथा कंक्रीट लाइनिंग का कार्य प्रगति पर है। सितम्बर, 2003 तक पूरा करने के लिए निर्माण कार्य को तीव्रगति से किया जा रहा है। डिसिल्टिंग बेसिन-II का कार्य भी पूरा होने वाला है। परियोजना दिसम्बर, 2003 में आरंभ करने के लिए निर्धारित है।
- **धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना (280 मेगावाट) उत्तरांचल :** बांध क्षेत्र में, ईएल 1351 से ऊपर पहाड़ी ढलान सुधार तथा चट्टान ढलान खुदाई, बांध किनारा स्थापन तथा कट ऑफ वॉल कंक्रीटिंग का कार्य प्रगति पर है। कट ऑफ वॉल का कार्य 8.6.2002 से 5.7.2002 तक लगभग एक महीने के लिए रुका रहा क्योंकि विदेशी विशेषज्ञ भारत-पाक तनाव के मद्देनजर स्थल को छोड़कर चले गए थे। इनटेक सुरंग-I एवं II तथा डिसिल्टिंग बेसिन I तथा II (पायलट तथा स्लैशिंग) की खुदाई तथा प्रेशर शॉफ्ट तथा सर्ज शॉफ्ट की पायलट खुदाई पूर्ण कर ली गई है। डीबी-I की चैम्बर एक्सकवेशन पूर्ण कर ली गई है तथा डीबी-2 के लिए कार्य प्रगति पर है। 82.8 प्रतिशत हेड रेस सुरंग तथा 72 प्रतिशत टेल रेस खुली खुदाई का कार्य पूरा हो चुका है। ट्रांसफार्मर कैवर्न की खुदाई निर्धारित समय से एक वर्ष पहले कर ली गई है। पावर हाउस, ड्राफ्ट ट्यूब, मैनिफोल्ड तथा टेलरेस सुरंग पर निर्माण कार्य निर्धारित समय से आगे चल रहे हैं। यूनिट-4 का ड्राफ्ट ट्यूब निर्माण पूरा कर लिया गया है। परियोजना की पूर्णता का निर्धारित समय मार्च, 2005 है।




कंक्रीट बांध - 300 मेगावाट चमेरा परियोजना, चरण-II (हिमाचल प्रदेश)
Concrete Dam - 300 MW Chamera Project, Stage-II (Himachal Pradesh)

- **चमेरा जल विद्युत परियोजना चरण - II (300 मेगावाट) हिमाचल प्रदेश :** वर्ष के दौरान एचआरटी तथा टीआरटी की खुदाई का

1.0 ON GOING PROJECTS

- **Dul Hasti H.E. Project (390 MW) J&K :** During the year under review, the progress of work remained satisfactory except HRT which suffered due to adverse geological strata and heavy seepage of water encountered in the tunnel. All Hydro Electro Mechanical works except wet testing have been completed. The 9.638 Kms of excavation in HRT out



400 के.वी. गैस इन्सुलेटेड स्विचगियर - 390 मे.वा. दुलहस्ती परियोजना (जम्मू व कश्मीर)
400 kV Gas Insulated Switchgear - 390 MW Dul Hasti Project (J&K)

of total length of 10.6 Km has been achieved by August, 2002 and concrete lining is in progress. The work is being expedited to complete it by September, 2003. The work of desilting basin-II is also nearing completion. The project is scheduled for commissioning by December, 2003.

- **Dhauliganga H.E. Project (280 MW) Uttaranchal :** In the dam area, the hill slope treatment and rock slope excavation above EL 1351, dam embankment placement and Cut Off Wall concreting are in progress. The Cut Off Wall work remained stand still almost for a month from 08.06.02 to 5.07.02 as foreign experts left the site in view of Indo- Pak Tension. Excavation of Intake Tunnel I & II and desilting basins I & II (Pilot & Slashing) and Pilot Excavation of Pressure shaft-II and Surge shaft has been completed. Chamber Excavation of DB-1 has also been completed and DB-2 is in progress. 82.8% of Head Race Tunnel excavation and 72% of Tail Race open excavation has been completed. Transformer Cavern has been excavated ahead of Schedule by one year. The works at Power House, Draft Tube manifold and Tail Race Tunnel have been going on ahead of schedule. Erection of Draft Tube of Unit -4 has been completed. The project is scheduled for completion in March, 2005.

- **Chamera H.E. Project Stage-II (300 MW) H.P. :** The excavation of HRT and TRT has been completed

कार्य पूरा कर लिया गया है। टीआरटी में लाइनिंग का कार्य भी अप्रैल, 2002 में आरंभ कर लिया गया है। प्रेशर शॉफ्ट I, II तथा III का कार्य तथा ड्राफ्ट ट्यूब I, II तथा III की खुदाई, बस डक्ट - I, II तथा III का कार्य तथा सर्ज शॉफ्ट को पूरा चौड़ा करने का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। फ्लशिंग टनल की खुदाई का कार्य भी पूरा कर लिया गया है तथा कंक्रीट बिछाने का कार्य फरवरी, 2002 में शुरू कर लिया गया है। एचआरटी की कंक्रीट लाइनिंग, बांध तथा स्टिलिंग बेसिन में कंक्रीट के कार्य की प्रगति संतोषजनक है। शेष कार्यों की प्रगति भी संतोषजनक है। परियोजना के पूर्ण होने का निर्धारित समय मई, 2004 है। तथापि, इसे मई, 2003 में अर्थात् निर्धारित समय से 12 महीने पूर्व पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

- **तीस्ता - V जल विद्युत परियोजना (510 मेगावाट) सिक्किम :** डाइवर्सन टनल तथा सभी पांच एडिटों की खुदाई वर्ष के दौरान पूरी कर ली गई है। मुख्य प्रवेश टनल, ट्रांसफार्मर कैवर्न, पावर हाउस हेतु वेंटीलेशन टनल तथा पीएस टॉप के एडिट, केबल टनल एडिट तथा इनटेक टनल-III की खुदाई का कार्य पूरा कर लिया गया है। सभी प्रमुख निर्धारित लक्ष्य निर्धारित समय से पूर्व प्राप्त कर लिए गए हैं। सभी फेसों से एचआरटी की खुदाई का कार्य आरंभ हो गया है। इस अवधि के दौरान इलेक्ट्रो मैकेनिकल तथा हाइड्रो मैकेनिकल निर्माण कार्यों के ठेके प्रदान कर दिए गए हैं तथा परियोजना के फरवरी, 2007 तक पूरा होने की संभावना है।
- **कोयल कारो जल विद्युत परियोजना (710 मेगावाट) झारखण्ड :** पिछली रिपोर्ट के पश्चात कतिपय मंजूरीयां प्राप्त न होने के कारण परियोजना में सक्रिय निर्माण आरंभ नहीं किया गया है।



510 मेगावाट तीस्ता चरण - V परियोजना (सिक्किम) में टनलिंग कार्य प्रगति पर
Tunnelling work in progress at 510 MW Teesta Stage - V project (Sikkim)

- **लोकतक डाउनस्ट्रीम जल विद्युत परियोजना (90 मेगावाट) मणिपुर :** पिछली रिपोर्ट के पश्चात, परियोजना के लिए सुरक्षा व्यवस्था की अनुपलब्धता तथा भूमि/फसल क्षतिपूर्ति को अंतिम रूप न दिए जा सकने की समस्याओं के कारण कोई कार्य नहीं किया जा सका। प्रभावित ग्रामीणों द्वारा दायर याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय, गुवाहाटी द्वारा प्रदत्त स्थगन आदेश निरस्त कर दिया गया है। सड़क निर्माण कार्य/अन्य परियोजना निर्माण कार्यों के लिए नियोजित किए जाने वाले सुरक्षा कार्मिकों के आवास के लिए आवश्यक व्यवस्था अभी मणिपुर सरकार द्वारा की जानी शेष है।

उक्त परिस्थितियों के कारण उत्पादन की वर्धित लागत के मद्देनजर, परियोजना के निष्पादन के निर्णय की सरकार द्वारा समीक्षा की जा रही है।

during the year. In TRT, lining has also been started in April, 2002. The work of Pressure Shaft - I, II & III and excavation Draft Tube-I, II, & III, Bus Duct I, II, & III and widening of Surge shaft to full face have also been completed. Excavation of Flushing Tunnel has also been completed and concreting has been started in Feb., 2002. The concrete lining of HRT and concreting in dam and stilling basin is progressing satisfactorily. The remaining works are also progressing satisfactorily. The project is scheduled for completion in May, 2004. However, efforts are on to complete it by May, 2003 i.e. 12 months ahead of schedule.

- **Teesta-V H.E. Project (510 MW) Sikkim :** The excavation of Diversion Tunnel and all the five Adits have been completed during the year. Excavation of Main Access Tunnel, Transformer Cavern, Ventilation Tunnel to Power House, and Adit to PS Top, Cable Tunnel Adit & Intake Tunnel-III have been completed.

All major milestones have been achieved ahead of the schedule. Excavation of HRT from all the faces has been started. The contract of Electro mechanical and Hydro-Mechanical works have been awarded during the period and the project is likely to be completed by February, 2007.

- **Koel Karo H.E. Project (710 MW) Jharkhand :** Since the last report, for want of certain clearances the project has not been taken up under active construction.
- **Loktak Downstream H.E. Project (90 MW) Manipur :** Since last report, no work could be taken up due to non-availability of security coverage for the Project and due to problems in non-finalisation of land/crop compensation. The stay order granted by the Hon'ble High Court, Guwahati on the petition filed by affected villagers has been vacated. Necessary arrangement for accommodation of security personnel to be deployed for road construction works/ other project works are yet to be made available by the Govt. of Manipur.

In view of increased cost of generation due to above circumstances, the decision for execution of the project is being reviewed by Government.

- **पार्वती जल विद्युत परियोजना चरण-II (800 मेगावाट) हिमाचल प्रदेश :** सड़कों तथा पुलों का बुनियादी कार्य पूर्ण प्रगति पर है। तीन घाटियों में निजी भू-अधिग्रहण पूरा कर लिया गया है। हाल ही में पीआईबी ने निवेश निर्णय लेने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। डाइवर्सन सुरंग तथा आंशिक एचआरटी के लिए सिविल तथा जल यांत्रिक निर्माण कार्य, एचआरटी तथा सम्बद्ध कार्य तथा जीवा नालाह एवं सम्बद्ध कार्य के लिए संविदाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा निवेश अनुमोदन की प्राप्ति पर उन्हें एवार्ड कर दिया जाएगा।

2.0 नई परियोजनाओं/योजनाओं की स्थिति


अरुणाचल प्रदेश में परियोजनाएं

- **अपर सियांग परियोजना (11000 मेगावाट)**

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से चरण-I के लिए स्थल स्वीकृति प्राप्त हो गई है। चीन से जल-मौसम विज्ञानी आंकड़े उपलब्ध होने के पश्चात संभाव्यता रिपोर्ट की तैयारी आरंभ की जानी है।

- **लोअर सियांग परियोजना (1700 मेगावाट)**

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से चरण-I के लिए स्वीकृति प्राप्त हो गई है। चीन से जल मौसमविज्ञानी आंकड़े प्राप्त न होने के कारण संभाव्यता रिपोर्ट तैयार नहीं की जा सकी।



ड्रिलिंग कार्य प्रगति पर -1600 मेगावाट सुबानसिरी मिडिल परियोजना (अरुणाचल प्रदेश)
Drilling work in progress at 1600 MW Subansiri Middle Project (Arunachal Pradesh)

अपर सुबानसिरी परियोजना (2000 मेगावाट), मिडिल सियांग परियोजना (1000 मेगावाट), मिडिल सुबानसिरी परियोजना (1600 मेगावाट).

संभाव्यता रिपोर्ट तैयार कर ली गई है तथा वाणिज्यिक व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए रिपोर्ट केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को प्रस्तुत की गई है।

लोअर सुबानसिरी परियोजना (2000 मेगावाट)

तकनीकी आर्थिक स्वीकृति के लिए सीईए द्वारा डीपीआर की संवीक्षा की जा रही है। चरण-II के लिए बुनियादी विकास, भू-अधिग्रहण के व्यय के लिए 409.10 मिलियन रुपए के अनुमान को विद्युत मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टेल वन्यजीवन अभयारण्य, जो अंशतः जलमग्न क्षेत्र के अन्तर्गत आ रहा है, के अनाखण की स्वीकृति दे दिए जाने पर परियोजना के बुनियादी विकास का कार्य आरंभ करने की प्रक्रिया में है। परियोजना के आरंभ का निर्धारित समय मार्च, 2010 है।

- **Parbati H.E. Project Stage-II (800 MW) H.P :** Infrastructure work of Roads and Bridges is going on in full swing. Private land acquisition under three valleys has been completed. Recently PIB has given its recommendation for taking investment decision. The contracts for Civil & Hydro mechanical works for diversion Tunnel and part HRT, HRT and associated work and Jiwa Nallah and Associated Work have been finalized and shall be awarded on receipt of Investment approval.

2.0 STATUS OF NEW PROJECTS/SCHEMES

PROJECTS IN ARUNACHAL PRADESH

- **Upper Siang Project (11000MW)**

The Stage-I site clearance from Ministry of Environment and Forest(MOEF) has been received. The preparation of Feasibility Report is to be taken after hydro-metrological data is available from China.

- **Lower Siang Project (1700MW)**

The Stage-I clearance from MOEF has been received. The Feasibility Report could not be prepared for want of hydro-metrological data from China.

Upper Subansiri Project (2000 MW), Middle Siang Project (1000MW), Middle Subansiri Project (1600 MW).

The Feasibility Report has been prepared and submitted to CEA for assessing its Commercial viability.

Lower Subansiri Project (2000MW)

The DPR is under scrutiny of CEA for Techno-economic clearance. Stage-II estimate amounting to Rs. 409.10 Million to cover expenditure on development of infrastructure, land acquisition has been sanctioned by Ministry of Power. The project is in the process of taking up development of infrastructure, after the Hon'ble Supreme Court has given the permission for dereservation of Tale Wild Life Sanctuary, which is coming under submergence partly. The project is scheduled for commissioning in March, 2010.

जम्मू व कश्मीर में परियोजनाएं

किशनगंगा परियोजना (330 मेगावाट)

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इस परियोजना के निर्माण से सभी डाउनस्ट्रीम परियोजनाओं से उपार्जित होने वाले अतिरिक्त लाभों पर विचार करने के पश्चात् भी यह परियोजना वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य नहीं है।

उड़ी - II परियोजना (280 मेगावाट)

डीपीआर को अद्यतन करने के लिए चरण-II के लिए बुनियादी विकास, भू-अधिग्रहण तथा अतिरिक्त सर्वेक्षण तथा जांच संबंधी व्यय के लिए 382.50 मिलियन रुपए के अनुमानों को अनुमोदित कर दिया गया है। परियोजना प्रस्तावित कार्य आरंभ करने की प्रक्रिया में है। आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करने के पश्चात् परियोजना को अगस्त, 2004 में शुरू किया जाना निर्धारित है तथा निर्माणावधि सक्रिय निर्माण के आरंभ से 4-1/2 वर्ष होगी।

निम्मो बाजगो परियोजना (30 मेगावाट)

डीपीआर तैयार करने हेतु चरण-I के लिए 29.90 मिलियन रुपए की अनुमान राशि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अनुशंसित कर दी गई है। संभाव्यता रिपोर्ट की तैयारी के लिए जांच कार्य प्रगति पर है तथा इसके मई, 2003 तक पूरा हो जाने की आशा है। चरण-I के लिए स्थल स्वीकृति पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से प्राप्त हो गई है।

चुटक परियोजना (18 मेगावाट)

चरण-I गतिविधियों के लिए निधियां विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी कर दी गई हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से स्थल स्वीकृति (चरण-I) भी प्राप्त हो गई है। संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए सर्वेक्षण एवं जांच कार्य शुरू किया गया है जिसके मई, 2003 तक पूर्ण होने की आशा है।

बरसर परियोजना (1020 मेगावाट)

सीपीआईबी ने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण से परियोजना की व्यवहार्यता की जांच करने का अनुरोध किया। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने परियोजना की वाणिज्यिक व्यवहार्यता की अनुशंसा करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने चरण-II के लिए स्थल स्वीकृति प्रदान कर दी है तथा परियोजना के निष्पादन से पूर्व किश्तवार हाइ आल्टीट्यूट नेशनल पार्क के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एनएचपीसी/जम्मू व कश्मीर सरकार को कहा है। आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त होने के पश्चात् परियोजना के निर्माण कार्य शुरू किए जाने का निर्धारित समय जनवरी, 2005 है तथा विद्युत मंत्रालय द्वारा नियत लक्ष्य के अनुसार इसका संचालन वर्ष 2010 है।

पकल दुल परियोजना (1000 मेगावाट)

यह परियोजना ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए नियोजित है। डीपीआर को अद्यतन करने के लिए बुनियादी विकास, भू-अधिग्रहण, अतिरिक्त सर्वेक्षण तथा जांच संबंधी व्यय हेतु चरण-II के लिए 386.60 मिलियन रुपए के अनुमान को विद्युत मंत्रालय द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है बशर्ते कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से चरण-II के लिए स्थल मंजूरी दे दी गई हो। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने चरण-II के लिए स्थल की मंजूरी दे दी है तथा परियोजना के

PROJECTS IN JAMMU & KASHMIR

Kishenganga Project (330MW)

The CEA has informed that the project is not commercially viable even after considering the additional benefits from all downstream projects to be accrued upon construction of this project.

Uri-II Project (280MW)

Stage-II estimates amounting to Rs. 382.50 Million to cover expenditure on development of infrastructure, land acquisition and additional Survey & Investigation to update DPR has been approved. The project is in the process of taking up proposed works. The project is scheduled to start in August, 2004 after getting necessary clearances and construction period would be 4½ years from the start of active construction.

Nimoo Bazgo Project (30MW)

The Stage-I estimate amount of Rs.29.90 Million for formulation of DPR has been recommended by CEA. Survey & Investigation for preparation of Feasibility report is under progress and is expected to be completed by May, 2003. Site clearance for Stage-I has been received from Ministry of Environment & Forest.

Chutak Project (18MW)

Funds for stage-I activities have been released by Ministry of Power. Site clearance (Stage-I) has also been received from Ministry of Environment & Forest. The work on Survey & investigation has been taken up for preparation of Feasibility Report, which is expected to be completed by May, 2003.

Bursar Project (1020MW)

CPIB requested CEA to examine the viability of the project. CEA has submitted its report recommending Commercial viability of the Project. MOE&F has given Stage-II site clearance and has asked NHPC/J&K Govt. to get the approval of Hon'ble Supreme Court in respect of Kishtwar High Altitude National Park before execution of the Project. The project is scheduled to start in January, 2005 after necessary clearances are received and to commission by year 2010 as per milestone fixed by the Ministry of Power.

Pakal Dul Project (1000MW)

This Project is planned for XI Five Year Plan. The Stage-II estimate amounting to Rs. 386.60 Million to cover expenditure on development of infrastructure, land acquisition, additional survey and investigation to update DPR has been sanctioned by Ministry of Power, subject to Stage-II site clearance, from MOE&F. The MOE&F has given Stage-II site clearance and asked NHPC / J&K Govt. to get approval of Hon'ble Supreme Court in respect

निष्पादन से पूर्व किश्तवार हाई आल्टीट्यूट नेशनल पार्क के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एनएचपीसी/जम्मू एवं कश्मीर सरकार को कहा है। विद्युत मंत्रालय द्वारा नियत लक्ष्य के अनुसार परियोजना के निर्माण कार्य शुरू किए जाने का निर्धारित समय जनवरी, 2005 तथा संचालित समय मार्च, 2010 है।

सेवा - II परियोजना (120 मेगावाट)

डीपीआर को अद्यतन करने के लिए चरण-II के बुनियादी विकास, भूमि अधिग्रहण, अतिरिक्त सर्वेक्षण तथा जांच संबंधी व्यय के लिए 449.2 मिलियन रुपये के अनुमानों को विद्युत मंत्रालय द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है। डीपीआर पुनरीक्षण हेतु केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को प्रस्तुत की गई है तथा विद्युत मंत्रालय द्वारा नियत लक्ष्य के अनुसार परियोजना के संचालन का निर्धारित समय फरवरी, 2007 है।

हिमाचल प्रदेश में परियोजनाएं

पार्वती - I परियोजना (750 मेगावाट)

चरण-I के लिए स्थल स्वीकृति प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था।

of Kishtwar High altitude National park before execution of the Project. The project is scheduled to start from January, 2005 after necessary clearances are received and to be commissioned in March, 2010 as per milestone fixed by MOP.


Sewa-II Project (120MW)

Stage-II estimates amounting to Rs. 449.2 Million to cover expenditure on development of infrastructure, land acquisition, additional survey and investigation to update DPR has been sanctioned by MOP. The DPR has been submitted to CEA for vetting and project is Scheduled for commissioning in February, 2007 as per milestone fixed by MOP.

PROJECTS IN HIMACHAL PRADESH

Parbati-I Project (750MW)

Application for according stage-I site clearance was rejected by MOE&F.



बांध स्थल के डाउनस्ट्रीम का दृश्य - पार्वती परियोजना (हिमाचल प्रदेश)
Downstream view of Dam Site - Parbati Project (Himachal Pradesh)

पार्वती - III परियोजना (520 मेगावाट)

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा वाणिज्यिक व्यवहार्यता जारी कर दी गई है। बांध, जलाशय तथा पावर हाउस का कटिबंधीय सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। सरकार द्वारा चरण-II की गतिविधियों के लिए 237.70 मिलियन रुपये के लागत अनुमानों को अनुमोदित कर दिया गया है।

चमेरा - III (231 मेगावाट)

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा वाणिज्यिक व्यवहार्यता स्थापित कर दी गई है तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से स्थल स्वीकृति

Parbati-III Project (520MW)

The Commercial viability has been issued by CEA. Topographical survey of dam, reservoir and power house has been completed. The cost estimates has been approved by Government for stage-II activities at Rs. 237.70 Million.

Chamera-III (231 MW)

The Commercial viability has been established by CEA and site clearance (Stage-I&II) has been received from

(चरण-I तथा II) प्राप्त हो गई है। पीआईबी समिति द्वारा चरण-II के लिए 288 मिलियन रुपए के अनुमान को अनुमोदित कर दिया गया है। डीपीआर की तैयारी के लिए सर्वेक्षण तथा जांच कार्य तथा बुनियादी विकास कार्य प्रगति पर है।

पश्चिम बंगाल में परियोजनाएं

तीस्ता लो डैम - III (132 मेगावाट)

सीईए द्वारा तीस्ता लो डैम चरण-III के लिए वाणिज्यिक व्यवहार्यता प्रदान कर दी गई है। तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति के लिए डीपीआर, सीईए को प्रस्तुत की गई है तथा चरण-I एवं II के लिए स्थल स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है। परियोजना दसवीं पंचवर्षीय योजना में संचालन के लिए प्रस्तावित है।

तीस्ता लो डैम चरण- IV (200 मेगावाट)

सीईए द्वारा तीस्ता लो डैम चरण - IV को वाणिज्यिक व्यवहार्यता प्रदान कर दी गई है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा चरण-II के लिए स्थल स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है क्योंकि इस परियोजना के निष्पादन से महानंदा वन्यजीव अभयारण्य प्रभावित हो रहा है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

फरक्का बैराज (125 मेगावाट)

सीईए ने सूचित किया है कि परियोजना वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य नहीं है। वाणिज्यिक रूप से इसे व्यवहार्य बनाने के लिए लागत कम करने की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है। विद्युत मंत्रालय द्वारा नियत लक्ष्यों के अनुसार परियोजना का ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में पूर्ण होना निर्धारित है।

महाराष्ट्र में परियोजनाएं

बाव चरण - I (18 मेगावाट)

चरण-I अनुमानों को सीईए ने अनुशंसित कर दिया था तथा विद्युत मंत्रालय द्वारा निधियां अभी जारी की जानी हैं। 725 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि के जलमग्न होने के कारण पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने स्थल स्वीकृति (चरण-I) प्रदान नहीं की है।

MOE&F. The Stage-II estimate has been approved by Committee of PIB for Rs.288 Million. Survey & Investigation work for preparation of DPR and infrastructure development works are in progress.

PROJECTS IN WEST BENGAL

Teesta Low Dam-III (132MW)

Commercial viability for Teesta Low Dam Stage-III has been accorded by CEA. The DPR has been submitted to CEA for Techno-Economic clearance and site clearance for stage -I & II is also available The project is proposed to be commissioned in X Five year plan.

Teesta Low Dam Stage-IV (200 MW)

Commercial viability for Teesta Low Dam Stage-IV has been accorded by CEA. Site clearance Stage-II by MOE&F is not available as the Mahananda Wild Life Sanctuary is getting affected due to execution of this project. Detailed Project Report is under preparation.

Farakka Barrage (125MW)

CEA informed that the project is commercially unviable. Possibilities to reduce the cost to make it commercially viable are being explored. As per the milestones fixed by Ministry of Power, the project is scheduled to be completed in XI Five year plan.

PROJECTS IN MAHARASHTRA

Bav Stage - I (18 MW)

Stage-I estimates were recommended by CEA and MOP is yet to release funds. MOE&F has not given site clearance (Stage-I) due to submergence of 725 ha of Agricultural land.



बाव परियोजना (महाराष्ट्र)
Bav Project (Maharashtra)

बाव चरण - II (37 मेगावाट)

सीईए ने बाव-II के लिए चरण-I अनुमानों की पृथक रूप से अनुशंसा की है। विद्युत मंत्रालय को उसके लिए निधियां जारी करने का अनुरोध किया गया है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्थल स्वीकृति (चरण-I) प्रदान कर दी गई है। वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आकलन के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को संभाव्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। परियोजना ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में संचालित करने के लिए प्रस्तावित है।

कर्नाटक में परियोजनाएं

अपर कृष्णा (810 मेगावाट)

मौजूदा जल उपलब्धता के साथ अपर कृष्णा परियोजना वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य नहीं होगी जब तक कि कर्नाटक सरकार नारायणपुर बांध से अतिरिक्त जल निकासी के लिए सहमत नहीं हो जाती जैसाकि एनएचपीसी द्वारा अनुरोध किया गया है। परियोजना को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा चरण-I के लिए स्थल स्वीकृति भी प्रदान नहीं की गई है। इन समस्याओं को सुलझाने में अभी समय लगेगा। अतः यह परियोजना केवल ग्यारहवीं योजना में ही संचालित किए जाने की संभावना है।

कावेरी शिवासमुद्रम (270 मेगावाट)

पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट की जांच तथा तैयारी हेतु चरण-I के लिए प्रस्ताव केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को प्रस्तुत किया गया था। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के सुझावों के अनुसार, बाईं ओर पर इनटेक वाली योजना के लिए आवश्यक जांच (एनएचपीसी प्रस्ताव में) चरण-II जांच के भाग के रूप में ही की जा सकती है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा चरण-I के लिए स्थल स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। एनएचपीसी ने विद्युत मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वह एनएचपीसी तथा राज्य सरकार के बीच हस्ताक्षर किए जाने वाले समझौता ज्ञापन को अनुमोदित करे तथा एनएचपीसी द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन के लिए बिजली आपूर्ति अधिनियम 1948 की धारा 18 के अन्तर्गत आदेश जारी करे। सीईए ने सूचित किया है कि शिवासमुद्रम परियोजना के चरण - II प्रस्ताव पर अंतर-राज्यीय स्वीकृति के पश्चात ही विचार किया जाएगा।

लघु जल विद्युत परियोजनाएं

कामबांग तथा सिप्पी लघु जल विद्युत परियोजनाओं के लिए करारों पर अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ 16 जनवरी, 2002 को हस्ताक्षर किए गए थे। इन परियोजनाओं के लिए सिविल निर्माण कार्य तथा विद्युत यांत्रिक निर्माण कार्य/जल-यांत्रिक निर्माण कार्य की संविदाएं प्रदान कर दी गई हैं। निर्माण कार्य पूर्ण गति पर है तथा संविदात्मक अवधि के भीतर परियोजनाओं को चालू करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

4 X 3 मेगावाट हलाईपानी लघु जल विद्युत परियोजना के लिए डीपीआर तैयार की गई है तथा उसे अरुणाचल प्रदेश सरकार ने स्वीकार कर लिया है। एमएनईएस ने इस परियोजना के लिए 225 मिलियन रुपये की पूंजीगत आर्थिक सहायता स्वीकृत

Bav Stage – II (37 MW)

CEA recommended stage-I estimates for Bav-II separately. Ministry of Power has been requested to release the funds for the same. Site Clearance (stage-1) has been accorded by MOE&F. Feasibility Report has been submitted to CEA for assessing of commercial viability. The project is proposed to be commissioned in XI Five year Plan.

PROJECTS IN KARNATAKA

Upper Krishna (810MW)

Upper Krishna project with existing water availability may not be commercially viable till Govt. of Karnataka agrees to release additional discharge from Narayanpur Dam as requested by NHPC. The project has also not been accorded stage-I site clearance by MOE&F. These problems may take time to settle. Therefore project is likely to be commissioned only in XI Plan.

Cauvery Sivasamudram (270MW)

Proposal for Stage-I for investigation and preparation of pre-feasibility report was submitted to CEA. As per suggestions of CEA, necessary investigation for the scheme having intake on the left limb (in NHPC proposal) could be undertaken as a part of the Stage-II investigation. Site clearance stage-I has been accorded by MOE&F. NHPC has requested MOP to approve MOU to be signed between NHPC and State Government and issue order under section - 18 A of Electricity Supply Act 1948 for implementation of the Project by NHPC. CEA has informed that the Stage-II proposal of Sivasamudram project will be considered after interstate clearance only.

SMALL HYDRO PROJECTS

The agreements for Kambang and Sippi Small HE Projects were signed with the Government of Arunachal Pradesh on 16th Jan.02. The Contract for Civil works and Electro-mechanical works / Hydro-mechanical works for these projects stand awarded. The work is going on in full swing and all efforts are being made to commission the projects within the contractual period

The DPR for 4X3 MW Halaipani Small Hydro Project has been prepared and accepted by Government of Arunachal Pradesh. MNES has also sanctioned a capital subsidy of Rs. 225 million for this project .Pre-qualification of the

की है। संविदाकारों की पूर्व अर्हकता को पूरा कर लिया गया तथा अब ड्राइंग/विशिष्टता तैयार की जा रही है ताकि सिविल तथा विद्युत यांत्रिक/जल यांत्रिक कार्यों के लिए बोलियां जारी की जा सकें।

भू-तापीय ऊर्जा का विकास

एनएचपीसी भारत में भू-तापीय ऊर्जा के विकास के लिए सभी प्रयास कर रही है, जिसके लिए इसे एमएनईएस द्वारा नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। संभावी भू-तापीय क्षेत्रों के लिए क्रम निर्धारण का कार्य भारत में पहली बार पूरा किया गया है। चार शीर्षस्थ निर्धारित क्षेत्रों की पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट भी पूरी कर ली गई है। जैसे ही गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय (एमएनईएस) द्वारा 265 मिलियन रुपए के इसके अनुमान को अनुमोदित कर दिया जाता है, तत्तापानी भू-तापीय क्षेत्रों में 1 मेगावाट भू-तापीय विद्युत संयंत्र की संस्थापना का कार्य उच्च प्राथमिकता आधार पर किया जाएगा।

परामर्शी कार्य

एनएचपीसी ने देश के विभिन्न संगठनों से अनेक परामर्शी कार्य प्राप्त किए हैं। वर्ष 2001-2002 में वास्तविक प्राप्ति 171.80 मिलियन


contractors have been completed and now drawings / specification are being prepared so that bids for the Civil and Electro-mechanical/Hydro-mechanical works can be issued.

DEVELOPMENT OF GEOTHERMAL

NHPC is making all efforts for the development of geothermal energy in India for which it has been appointed as nodal agency by MNES. Ranking of potential Geothermal fields has been completed for the first time in India. Pre- feasibility report of top four ranked fields has also been completed. Work for installation of 1MW Geothermal Power Plant at the Tattapani Geothermal Fields shall be taken up on top priority as soon as its estimate of Rs. 265 million (approx) is approved by Ministry of Non conventional Energy Sources (MNES).

CONSULTANCY

NHPC has taken up a number of consultancy assignments with various organizations in the country. The actual



रुपए थी जबकि विद्युत मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में 110.0 मिलियन रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

घरेलू ऋण

आपके निगम ने उच्च लागत ऋणों को अपेक्षाकृत सस्ते ऋणों से प्रतिस्थापित करने की अपनी नीति को जारी रखा। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, निगम ने क्रिसिल से एए+ दर निर्धारण प्राप्त करने के

achievement in 2001-2002 was Rs.171.80 Million against the target of Rs 110.0 Million provided in MOU signed with Ministry of Power.

DOMESTIC BORROWINGS

Your Corporation continued with its policy of substituting the high cost debts with cheaper debts. During the year under report, the Corporation has pre-paid the Government

पश्चात 9.55 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर बांड जारी करके 4300 मिलियन रुपए के भारत सरकार के ऋण पूर्व प्रदत्त कर दिए हैं, जिसमें ब्याज तथा मूलधन के सामयिक भुगतान की उच्च सुरक्षा निर्दिष्ट होती है। इस प्रक्रिया से प्रतिवर्ष लगभग 220 मिलियन रुपए की बचत हुई है।

जैसाकि हमारी पिछली रिपोर्ट में सूचित किया गया था, एलआईसी ने आपके निगम को 25000 मिलियन रुपए लाइन ऑफ क्रेडिट के तौर पर स्वीकृत किए हैं। बाजार में वर्धित नकदीकरण तथा ब्याज दर में गिरावट के कारण निगम ने एलआईसी से ब्याज की न्यूनतम दर को और कम करने के लिए कहा है, जिसकी 10.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष पर सहमति हुई है।

निगम ने अपनी कार्यकारी पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 5000 मिलियन रुपए के मध्यमावधि ऋणों के लिए विभिन्न बैंकों के साथ भी व्यवस्था की है।

निधि की व्यवस्था करने के अतिरिक्त, निगम ने बॉण्डधारकों तथा वित्तीय संस्थाओं को बिना किसी चूक के समय पर ब्याज तथा मूलधन के प्रति अपनी वचनबद्ध देयता का निर्वहन किया है।

विदेशी ऋण

निगम ने तीस्ता जल विद्युत परियोजना चरण-V के निर्माण के लिए व्यय के वित्तपोषण हेतु (एनईएक्सआई) असंबद्ध क्रेडिट बीमा योजना के अन्तर्गत ड्यूश बैंक एजी के साथ 150 मिलियन अमरीकी डालर के समकक्ष जापानी येन के संबद्ध ऋण के लिए वार्ता की है तथा उसे अंतिम रूप दे दिया है। निगम ने धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना पर व्यय के वित्तपोषण के लिए ऋण की तीसरी ट्रेच के अनुमोदनार्थ भारत सरकार के माध्यम से जेबीआईसी के साथ भी मामला उठाया है। इस परियोजना के लिए इसी ऋण की दो ट्रेचों जेबीआईसी द्वारा पूर्व में अनुमोदित की जा चुकी हैं।

सहायक कंपनी

नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन, एनएचपीसी तथा मध्य प्रदेश सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, जिसमें कम से कम 51 प्रतिशत इक्विटी एनएचपीसी द्वारा धारित है। कंपनी वर्तमान में स्वामित्व आधार पर इंदिरा सागर परियोजना (आईएसपी) 1000 मेगावाट तथा ओमकारेश्वर परियोजना (ओएसपी) 520 मेगावाट के निष्पादन कार्यरत है। वर्ष के दौरान, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आईएसपी के निष्पादन के लिए कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान कर दिया है तथा इसके लागत अनुमान को सितम्बर, 2000 के मूल्य स्तर पर अद्यतन किया है।

इंदिरा सागर परियोजना (आईएसपी) 1000 मेगावाट

कंक्रीट बांध तथा पावर हाउस का कार्य पूर्ण गति पर चल रहा है। परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) का पुनर्वास कार्य तीव्रता से किया जा रहा है। कुल 3031 परिवारों को स्थानांतरित किया गया है, 2461 प्लॉट विकसित किए गए हैं तथा आवंटन हेतु तैयार हैं। शेष प्लॉटों को भी विकसित किया जा रहा है।

of India loan amounting to Rs.4300 million by issuing Bonds at a rate of interest 9.55% per annum, after obtaining AA + rating from CRISIL which indicates high safety of timely payment of interest and principal. This exercise has saved approximately Rs. 220 million per annum.

As informed in our last report, LIC has sanctioned Line of Credit of Rs. 25000 million to your Corporation. With the increased liquidity in the market and down trend of interest rate, the Corporation has approached LIC to further reduce the minimum rate of interest which has been agreed at 10.50% per annum.

The Corporation has also tied up with different bankers for medium term loans amounting to Rs.5000 million to meet its working capital requirement.

Besides arranging the funds, the Corporation has discharged all its committed liability towards interest as well as principal to Bondholders and Financial Institutions well in time without any default.

EXTERNAL BORROWINGS

The Corporation has negotiated and finalized an untied credit of Japanese Yen equivalent to 150 million USD with Deutsche Bank AG under NEXI, Untied Credit Insurance scheme for financing the expenditure for the construction of Teesta HE Project–Stage-V. The Corporation has also taken up with JBIC through Government of India for approval of third tranche of the loan for financing the expenditure on Dhauliganga H.E. Project. Two tranches of the same loan were earlier approved by JBIC for this project.

SUBSIDIARY COMPANY

Narmada Hydroelectric Development Corporation Ltd. is a Joint Venture Company between NHPC and Govt. of Madhya Pradesh with NHPC holding at least 51% of the equity . The Company is presently engaged in execution of Indira Sagar Project (ISP) 1000MW and Omkareshwar Project (OSP) 520MW on ownership basis. During the year, Union Cabinet granted ex-post facto approval to the execution of ISP and updated its cost estimate at September, 2000 price level.

Indira Sagar Project (ISP) 1000 MW

The work of concrete Dam and Power House is going on at its full swing. The Rehabilitation work of Project Affected Families (PAFs) is being expedited. In total 3031 families have been shifted, 2461 plots have been developed and are ready for allotment. The balance plots are also being developed.

इसके अतिरिक्त, रेलवे लाइनों के डाइवर्सन, घिसार छतरी तथा बड़केश्वर स्थित शिव मंदिर जैसे स्मारकों के पुनःअवस्थापन से संबंधित कार्य भी प्रगति पर हैं। परियोजना को निर्धारित समय में पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

ओमकारेश्वर परियोजना (ओएसपी) 520 मेगावाट

परियोजना की तकनीकी आर्थिक स्वीकृति इस संयुक्त उद्यम कंपनी के नाम हस्तांतरित कर दी गई है तथा एक अद्यतन लागत अनुमान केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। विद्युत क्रय करार पर भी मध्य प्रदेश सरकार के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं।

सीसीईए का अनुमोदन लंबित होने के कारण, टर्नकी आधार पर ओएसपी के निष्पादन के लिए आईसीबी निविदाएं जारी की गई हैं। परियोजना को मार्च, 2007 तक पूरा किया जाना निर्धारित है।

मानव संसाधन प्रबंधन में महत्वपूर्ण विकास

मानव संसाधन विकास

मानव संसाधन दर्शन के अनुरूप, प्रतिस्पर्धात्मक व्यवसाय माहौल की उदीयमान चुनौतियों तथा अवसरों का सामना करने के लिए जागरूक कर्मचारियों को प्रेरित करने तथा संगठनात्मक लक्ष्य प्राप्त करने हेतु हमारी मानव संसाधन नीतियों को अपनाया गया है।

एनएचपीसी, लोगों तथा उनके विकास में विश्वास करता है। यह प्रशिक्षण, विकास तथा शिक्षा क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करता है। इसके परिणामस्वरूप कर्मचारी एक परिपक्व व्यक्ति, प्रभावी निष्पादक, संगठन का उपयोगी सदस्य तथा बेहतर मनुष्य बनता है।

प्रशिक्षण तथा मानव संसाधन विकास विभाग ने 8000 श्रम दिवसों के लक्ष्य की तुलना में 24,294 मानव दिवसों का प्रशिक्षण संचालित किया। ये प्रशिक्षण कार्य पूरे वर्ष कामगारों, नए भर्ती किए गए लोगों, (कनिष्ठ अभियंता, पर्यवेक्षक इत्यादि), मध्यम, वरिष्ठ स्तर के कार्यपालकों इत्यादि के लिए इंडक्शन प्रशिक्षण, प्रबंधन विकास, परियोजना प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, गुणवत्ता प्रबंधन इत्यादि जैसे क्षेत्रों में संचालित किए गए।

उपर्युक्त कार्यक्रमों के अलावा, इस विभाग ने नई दिल्ली में दो सम्मेलन भी संचालित किए :

- (i) "गैर जीवाश्म ईंधन उत्पादन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तथा व्यवसाय बैठक"
- (ii) "बांध सुरक्षा संबंधी राष्ट्रीय संगोष्ठी।"

वर्तमान स्टाफ के ज्ञान तथा कौशल को उन्नत करने के अतिरिक्त, निगम ने कारपोरेट योजना 2012 में निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी जनशक्ति आवश्यकता को बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से 1202 कार्मिक भर्ती किए हैं।

स्टाफ कल्याण तथा औद्योगिक संबंध

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निगम ने 8748 कामगारों के वेतन संशोधन के लिए यूनियनों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। 103 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का लाभ उठाया तथा

Further, work relating to Diversion of Railway Lines, relocation of monuments like Shiv Mandir at Badkeshwar and Ghisar Chhatra is also under progress. Efforts are being made to complete the project within the scheduled time.

Omkareshwar Project (OSP) 520 MW

The techno-economic clearance of the project has been transferred in the name of this Joint Venture Company and an updated cost estimates have been approved by CEA. The power purchase agreement has also been signed with Govt. of Madhya Pradesh.

Pending CCEA'S approval, ICBs tenders for execution of OSP on turnkey basis have been floated. The project is scheduled to be completed by March, 2007.

Material Development in Human Resources Management

HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT

Human Resource philosophy is to align our HR policies to achieve organizational goals to motivate empowered employees to respond to the emerging challenges and opportunities of competitive business environment.

NHPC believes in the people and their development. It encourages training, development, and education activities. This results in making an employee a matured individual, effective performer, useful member of organisation and better human being.

Training & HRD Division conducted 24294 mandays of training against the target of 8000 Mandays. These training Programmes were conducted throughout the year for workmen, fresh recruits (Junior Engineer, Supervisors etc), Middle, Senior Level of Executives etc. covering areas like Induction Training, Management Development, Project Management, Information Technology, Quality Management etc.

Apart from above Programmes, the Division also conducted two Conferences in New Delhi .

- i) "International Conference and Business Meet on Non Fossil Fuel Generation"
- ii) "National Seminar on Dam Safety"

Beside upgrading Knowledge and Skills of the present Staff, the Corporation has recruited 1202 personnel from various fields to augment its manpower requirement for achieving the ambitious target set out in Corporate plan 2012.

STAFF WELFARE AND INDUSTRIAL RELATIONS

During the period under review, the Corporation signed an Agreement with the unions for wage revision of 8748 workmen. 103 employees availed the benefit of Voluntary

अपने स्वयं के आंतरिक संसाधनों से अर्थात् राष्ट्रीय नवीकरण निधि से सहायता लिए बिना इस राशि का भुगतान किया गया।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, सभी विद्युत केंद्रों/परियोजनाओं/यूनिटों में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण तथा सुमेल थे तथा मानव दिवसों की कोई हानि नहीं हुई।

खेलकूद तथा सांस्कृतिक गतिविधियां

वर्ष के दौरान, एनएचपीसी ने मार्च, 2002 में जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली में विद्युत क्षेत्र खेलकूद समारोह का आयोजन किया। एनएचपीसी की महिला टीम को इस श्रेणी में भाग लेने वाली टीमों में सर्वोत्तम निर्णीत किया गया। एनएचपीसी टीमों ने विद्युत खेलकूद नियंत्रण बोर्ड के तत्वावधान में अन्य विद्युत क्षेत्र उपक्रमों द्वारा आयोजित क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल, ब्रिज तथा चेस टूर्नामेंट में भी भाग लिया।

Retirement Scheme and payment was made through its own internal resources i.e. without assistance from the National Renewal Fund.

During the year under report, Industrial relations were cordial and harmonious at all the Power Stations/ Projects/ Units and there was no loss of mandays.

SPORTS AND CULTURAL ACTIVITIES

During the year, NHPC hosted Power Sector Athletic meet at Jawahar Lal Nehru Stadium, New Delhi in the month of March, 2002. The female Team of NHPC was adjudged as the best among the teams participated in the category. NHPC teams also participated in Cricket, Kabaddi, Volley Ball, Bridge and Chess Tournament organised by other Power Sector Undertakings under the aegis of Power Sports Control Board.



श्रीमती जयवंती मेहता, माननीय विद्युत राज्य मंत्री, एनएचपीसी द्वारा आयोजित एथलेटिक मीट में पुरस्कार वितरित करती हुई
Smt. Jayawanti Mehta, Hon'ble Minister of State for Power giving away prizes at the Athletic meet hosted by NHPC

हमारी संस्कृति हमारी पहचान है। निगम आत्मसम्मान तथा आत्म पहचान की प्रोन्नति में संस्कृति की भूमिका को स्वीकार करता है, अतः यह निगम मुख्यालय में तथा अपनी परियोजनाओं/यूनिटों में एनएचपीसी दिवस, नववर्ष दिवस तथा होली पर एनएचपीसी महिला कल्याण एसोसिएशन के साथ मिलकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस तथा अन्य अवसरों पर भी परियोजनाओं/यूनिटों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

सचेतक विवरण

इस रिपोर्ट में निहित विचार तथा भावी विवरण प्रबंध वर्ग की परिकल्पना है तथा कतिपय जोखिमों तथा अनिश्चितता के फलस्वरूप वास्तविक परिणाम ऐसे विवरणों में प्रतिबिम्बित परिणामों से भिन्न हो सकते हैं। अध्येता को इस रिपोर्ट में तथा कंपनी की आवधिक रिपोर्टों में अन्य सूचना की सावधानीपूर्वक समीक्षा करनी चाहिए। कम्पनी इन भावी विवरणों को, नई सूचना, भावी घटनाओं या अन्यथा किसी कारण से, अद्यतन करने तथा संशोधित करने के लिए बाध्य नहीं है।

Our Culture is our Identity. The Corporation recognizes the role of culture in promotion of self esteem and self identity. Therefore it organises Cultural Programmes together with NHPC Ladies Welfare Association on NHPC Day, New Year's day and Holi at Corporate Office and at its Projects/ Stations. Cultural Programmes are also organised on Independence Day, Republic day and other occasions at Projects/Stations.

CAUTIONARY STATEMENT

The views and futuristic statement contained in this report are the perception of the Management and subject to certain risks and uncertainty that could cause actual results to differ from those reflected in such statements. Reader should carefully review the other information in this report and in the Company's periodic reports. The company undertakes no obligation to publicly update or revise any of these futuristic statement whether as a result of new information, future events or otherwise.

वार्षिक लेखे
Annual Accounts

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

Significant Accounting Policies

1. लेखाकरण परम्पराएं

- 1.1 निगम के लेखे लेखाकरण की संभूति विधि का प्रयोग करते हुए पारम्परिक लागत परम्परा के अनुसार तैयार किए जाते हैं।
- 1.2 ग्राहकों से प्रभारित ब्याज/अधिभार का प्राप्ति पर अथवा जब संग्रहण की युक्तिसंगत निश्चितता हो, आय माना जाता है।

2. नियत परिसम्पत्तियां

- 2.1 नियत परिसम्पत्तियों का कथन अर्जन/निर्माण आधार पर किया जाता है। जिन मामलों में संविदाकारों के साथ बिलों का अंतिम निपटान लंबित है, किन्तु परिसंपत्ति पूर्ण तथा प्रयोग के लिए तैयार है, पूंजीकरण अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अधीन अनुमानित आधार पर किया जाता है। स्थिर परिसंपत्तियों के लिए बाहरी अभिकरणों से प्राप्त अंशदान, यदि कोई हो, नियत परिसंपत्ति की लागत से घटा दिया जाता है।
- 2.2 निगम के स्वामित्वरहित भूमि पर सृजित स्थिर परिसंपत्तियों को स्थिर परिसंपत्तियों के अन्तर्गत शामिल किया जाता है।
- 2.3 भूमि से संबंधित क्षतिपूर्ति तथा अन्य व्ययों के लिए अनंतिम रूप से किए गए भुगतानों को भूमि की लागत माना जाता है।
- 2.4 सहायतानुदान/अभिकरण अथवा डिपॉजिट आधार पर परियोजनाओं में अधिप्राप्त/सृजित परिसंपत्तियों को परिसंपत्तियों में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि स्वामित्व निगम में निहित नहीं है।
- 2.5 अतिशेष घोषित निर्माण उपकरणों का मूल्य, बही मूल्य तथा निवल वसूली योग्य मूल्य से कम दर्शाया जाता है।

3. चालू पूंजीगत कार्य

- 3.1 संचालनाधीन परियोजनाओं तथा अन्य चालू पूंजीगत कार्य को लागत आधार पर लिया जाता है। निर्माणाधीन परियोजनाओं के संबंध में, निर्माण के दौरान प्रयुक्त नियत परिसंपत्तियों पर ब्याज तथा मूल्यहास सहित प्रासंगिक तथा आरोप्य व्ययों को निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय के भाग के रूप में लिया जाता है जिसका आबंटन परियोजना के संचालन पर भूमि तथा अवसंरचना सुविधाओं को छोड़कर बृहत् अचल परियोजना परिसंपत्तियों को किया जाना है।

1. ACCOUNTING CONVENTIONS

- 1.1 The accounts of the Corporation are prepared under the historical cost convention using the accrual method of accounting.
- 1.2 Interest/Surcharge charged from customers are recognized as income on receipt or when there is reasonable certainty of collection.

2. FIXED ASSETS

- 2.1 Fixed assets are stated at cost of acquisition/construction. In cases where final settlement of bills with contractors is pending, but the asset is complete and ready for use, capitalisation is done on estimated basis subject to necessary adjustment in the year of final settlement. Contribution, if any, received from outside agencies, towards fixed assets are reduced from cost of the fixed asset.
- 2.2 Fixed Assets created on land not belonging to the Corporation are included under fixed assets.
- 2.3 Payments made provisionally towards compensation and other expenses relatable to land are treated as cost of land.
- 2.4 Assets procured/created in projects on grants-in-aid/agency or deposit basis are not included in the assets as ownership does not vest with the Corporation.
- 2.5 Construction equipments declared surplus are shown at lower of book value and net realisable value.

3. CAPITAL WORK IN PROGRESS

- 3.1 Projects under commissioning and other capital work-in-progress are carried at cost. In respect of Projects under construction, incidental and attributable expenses including interest and depreciation on fixed assets in use during construction are carried as part of Incidental Expenditure During Construction to be allocated on major immovable Project Assets other than Land and infrastructural facilities, on commissioning of the Project.

3.2 निर्माणाधीन परियोजनाओं में सामान्य जन सुविधाओं के अनुरक्षण, उन्नयन इत्यादि पर हुए व्यय को 'निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय' को प्रभारित किया जाता है।

4. मूल्यहास तथा परिशोधन

4.1 पट्टाधारी भूमि पर प्रीमियम का परिशोधन पट्टे की अवधि में किया जाता है।

4.2 उन विद्युत केंद्रों, जिनके लिए प्रशुल्क को सीईआरसी अधिसूचना सं.एल-7/25(1) 2001- सीईआरसी दिनांक 26.3.2001 के तहत अधिसूचित है, पर मूल्यहास की व्यवस्था उक्त अधिसूचना में सीईआरसी द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार सीधी पद्धति से की जाती है। अन्य मामलों में मूल्यहास की व्यवस्था समय-समय पर विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 के तहत अधिसूचित दरों के अनुसार सीधी पद्धति से की जाती है। इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान खरीदी गई 5000/-रुपए या कम के मूल्य की परिसंपत्तियों तथा वर्ष के आरंभ के समय डब्ल्यूडीवी (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) वाली परिसंपत्तियों को वर्ष के दौरान पूर्णतया मूल्यहासित कर दिया जाता है। जिन परिसंपत्तियों के संबंध में उक्त अधिनियम/सीईआरसी अधिसूचना दिनांक 26.03.2001 (यथा मामला) के अन्तर्गत दरें निर्धारित नहीं की गई हैं, कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-XIV में यथा-निर्धारित दरें अपनाई जाती है। मूल्यहास की व्यवस्था परिसंपत्तियों के प्रयोग के लिए उपलब्ध हो जाने वाले वर्ष के अनुवर्ती वर्ष से की जाती है।

4.3 विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव के कारण वर्ष के दौरान पूंजीकृत राशियों के संबंध में मूल्यहास की व्यवस्था परिसंपत्तियों के अवशिष्ट उपयोगी काल के लिए प्रत्याशित रूप से की जाती है।

5. निवेश

निवेश का अभिप्राय दीर्घ अवधि से है और ये लागत पर आधारित होते हैं।

6. वस्तुसूचियां

6.1 भंडारों तथा अतिरिक्त पूजों को भारित औसत लागत पर मूल्यांकित किया जाता है सिवाय आयातित अतिशेष निर्माण उपकरणों के जिनका मूल्यनिर्धारण लागत से कम तथा निवल वसूलीयोग्य मूल्य पर किया जाता है। स्कैप का मूल्यनिर्धारण निवल व वसूलीयोग्य मूल्य पर किया जाता है।

6.2 वर्ष के दौरान निर्गत लूज टूल्स को खपत लेखे में प्रभारित किया जाता है जहां पृथक मदों की लागत 5000/- रुपए या इससे कम है तथा अन्य मामलों में 5 वर्षीय समान किस्तों में बट्टे खाते डाल दिया जाता है।

6.3 पावर स्टेशनों में संचालन तथा अनुरक्षण के लिए निर्गत किन्तु वर्ष के अंत में स्थल पर प्रयोग न किए गए भंडारों का मूल्यांकन

3.2 Expenditure on maintenance, up gradation etc. of common public facilities in projects under construction is charged to 'Incidental Expenditure During Construction'.

4. DEPRECIATION & AMORTISATION

4.1 Premium on lease hold land is amortised over the period of lease.

4.2 Depreciation on Power Stations for which tariff stands notified under CERC notification No.L-7/25(1) 2001- CERC dated 26.3.2001 is provided on Straight Line Method as per rates prescribed by CERC in the said notification. In other cases Depreciation is provided on Straight Line Method, as per rates notified under the Electricity (Supply) Act, 1948 from time to time. Further, assets valuing Rs.5,000/- or less purchased during the year and those with similar W.D.V. (excluding immovable assets) at the beginning of the year are depreciated fully during the year. In respect of assets where the rates are not prescribed under the said Act/CERC notification dated 26.03.2001 (as the case may be), the rates as prescribed in Schedule XIV to the Companies Act, 1956 are adopted. Depreciation is provided from the year following the year in which the assets become available for use.

4.3 In respect of amounts capitalised during the year on account of foreign exchange fluctuation, depreciation is provided prospectively over the residual useful life of the assets.

5. INVESTMENTS

Investments are intended for long term and carried at cost.

6. INVENTORIES

6.1 Stores & spares are valued at weighted average cost except spares of imported surplus construction equipments which are valued at lower of cost and net realisable value. Scrap is valued at net realisable value.

6.2 Loose tools issued during the year are charged to consumption account where cost of individual items is Rs. 5,000/- or less and in other cases written off in 5 yearly equated installments.

6.3 Stores issued for operation and maintenance at Power Stations but lying unused at site at the year

इंजीनियरिंग अनुमानों के आधार पर किया जाता है तथा इन्हें भंडारों के रूप में लिया जाता है।

7. विविध व्यय

वाणिज्यिक संचालन शुरू होने के पश्चात पांच वर्षों की अवधि के बाद परियोजना के विविध व्यय को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

8. विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव

विदेशी मुद्रा में लेनदेन को उसी तिथि को प्रवृत्त विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है। विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित मौद्रिक मदों को लेखाकरण वर्ष के अंतिम दिन प्रवृत्त विनिमय दर पर रूपांतरित किया जाता है। नियत परिसंपत्तियों से संबंधित देयताओं के पुनःभुगतान अथवा पुनः कथन के कारण उत्पन्न हुए विनिमय अंतरों को संबंधित नियत परिसंपत्तियों, यदि वे पूंजीकृत हों, की वर्तमान मूल्यराशि में समायोजित कर दिया जाता है अथवा चालू पूंजीगत कार्य के भाग के रूप में ले लिया जाता है, यदि परिसंपत्ति निर्माणाधीन हो, अन्य मामलों में रूपांतरण/परिवर्तन के कारण हुए लाभ या हानि को पावर स्टेशन में मामले में लाभ तथा हानि लेखों में तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं के मामले में निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय में हस्तांतरित कर दिया जाता है।

9. सेवानिवृत्ति लाभ

उपदान, अवकाश नकदीकरण तथा पश्च-सेवानिवृत्ति चिकित्सा स्वास्थ्य योजना के लिए प्रावधान प्रत्येक वर्ष बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

10. राजस्व

10.1 क. ऊर्जा की बिक्री का लेखाजोखा भारत सरकार/केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार किया जाता है। पावर स्टेशनों के मामले में, जहां टैरिफ अधिसूचित नहीं होता, बिक्रियों का बिल निर्धारण समुचित प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए मानदंडों तथा विधि के आधार पर परिकल्पित अनंतिम दरों पर किया जाता है। विदेशी मुद्रा ऋणों के संबंध में विदेशी मुद्रा अंतर के लिए वसूली/प्रतिदाय तथा आयकर के लिए वसूली का लेखाजोखा वर्ष-दर-वर्ष आधार पर किया जाता है।

ख. प्रोत्साहनों/हतोत्साहनों को टैरिफ अधिसूचनाओं के अनुसार मान्य किया जाता है। पावर स्टेशन के मामले में जहां टैरिफ अधिसूचित नहीं किए गए हैं, प्रोत्साहनों को उनकी स्वीकृति की संभावना के निर्धारण के आधार पर अनंतिम रूप से मान्य किया जाता है।

ग. व्याय लेखों को अंतिम रूप दिए जाने से प्रत्युत्पन्न समायोजन, चाहे वे महत्वपूर्ण न हो, अंतिम रूप दिए जाने के संबंधित वर्ष से प्रभावी किए जाते हैं।

end are evaluated at engineering estimates and taken as stores.

7. MISCELLANEOUS EXPENDITURE

Miscellaneous expenditure of the project is written off over a period of five years after start of commercial operation.

8. FOREIGN EXCHANGE FLUCTUATION

Transactions in foreign currency are recorded at exchange rates prevailing on the date of transaction. Monetary items denominated in foreign currency are translated at the exchange rate prevailing on the last day of the accounting year. Exchange differences arising due to repayment or restatement of liabilities relating to fixed assets is adjusted in the carrying amount of the respective fixed assets where capitalised or carried as part of Capital Work-in-progress where the asset is under construction. Gain or loss arising out of translation/conversion in other cases is transferred to Profit & Loss Account in case of Power Station and to Incidental Expenditure During Construction in case of projects under construction.

9. RETIREMENT BENEFITS

Provision for gratuity, leave encashment and post-retirement Medical Health Scheme is made on actuarial valuation basis every year.

10. REVENUE

10.1 a. Sale of energy is accounted for as per tariff notified by Government of India/Central Electricity Regulatory Commission. In case of Power Station where tariff is not notified, sales are billed on provisional rates worked out based on the parameters and method adopted by the appropriate authority. Recovery/refund towards foreign currency variation in respect of foreign currency loans and recovery towards income tax are accounted for on year to year basis.

b. Incentives/Disincentives are recognised as per tariff notifications. In case of Power Station where tariffs have not been notified, incentives are recognized provisionally on assessment of the likelihood of acceptance of the same.

c. Adjustments arising out of finalisation of global accounts, though not material, are effected in the year of respective finalisation.

घ. ऋणों की पुनर्दायगी को सरल बनाने के लिए आरंभिक वर्षों में टैरिफ के घटक के रूप में, मूल्यहास के प्रति दिए गए अग्रिम को बिक्री में से घटा दिया जाता है तथा इसे अनुवर्ती वर्षों में बिक्री में शामिल की जाने वाली आस्थगित आय माना जाता है।

10.2 लागत जमा/डिपॉजिट/टर्नकी आधार पर संविदा कार्यों से राजस्व को समापन विधि की प्रतिशतता पर निम्न प्रकार से मान्य किया जाता है :

कार्य की प्रगति	राजस्व मान्यता
क) 66.67 प्रतिशत तक	शून्य
ख) 66.67 से ऊपर 90 प्रतिशत तक	80 प्रतिशत
ग) 90 प्रतिशत से अधिक	100 प्रतिशत

संविदाओं में प्रत्याशित हानियों सहित हानियों को तत्काल मान्य किया जाता है एक से मामलों में तथा यथावश्यक समझी जाने वाली सीमा तक त्रुटि देयता अवधि के दौरान उत्पन्न होने वाले किन्ही दावों के लिए आकस्मिकताओं हेतु व्यवस्था की जाती है।

10.3 परियोजना प्रबंधन/परामर्शी संविदाओं के संबंध में राजस्व को करार की शर्तों तथा संविदा के अन्तर्गत किए गए कार्य की प्रमात्रा के आधार पर मान्य किया जाता है।

10.4 निवेशों पर ब्याज की गणना संभूति आधार पर की जाती है।

11. कॉरपोरेट कार्यालय व्ययों का आबंटन

कॉरपोरेट कार्यालय व्ययों का आबंटन निम्न प्रकार किया जाता है :

- क. पावर स्टेशनों पर कर तथा शुल्कों को निकाल कर वर्ष में ऊर्जा की बिक्री के 1 प्रतिशत की दर से।
- ख. निगम को प्रदान किए गए तथा उसके द्वारा निष्पादित निर्माण संविदा कार्यों के मामले में वर्ष के दौरान उपगत परियोजना व्यय के 5 प्रतिशत की दर से।
- ग. शेष व्यय का आबंटन निर्माण परियोजनाओं को वर्ष के दौरान उपगत निवल पूंजीगत व्यय के अनुपात में किया जाता है।

12. स्व-बीमा

तुलन-पत्र की तिथि की स्थिति के अनुसार पावर स्टेशन के सकल ब्लॉक 0.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष लाभ तथा हानि लेखे को प्रभारित करके वर्ष-दर-वर्ष आधार पर स्व-बीमा आरक्षित खाते को अंतरित किया जाता है। इस प्रकार सृजित आरक्षित राशि का उपयोग विनिर्दिष्ट आकस्मिकताओं के लिए परिसंपत्तियों की हानियों के लिए किया जाएगा।

d. Advance against depreciation given as a component of tariff in the initial years to facilitate repayment of loans is reduced from Sales and considered as deferred income to be included in Sales in subsequent years.

10.2 Revenue from Contract Works on Cost Plus/ Deposit/ Turnkey basis is recognised on %age of completion method as under :

Progress of Work	Recognition of Revenue
a) upto 66.67%	Nil
b) above 66.67 to 90%	80%
c) above 90%	100%

Losses including those anticipated in the contracts are recognised immediately. Provision for contingencies is made in such cases and to such extent as is considered necessary to cover any claims that may arise during the defect liability period.

10.3 In respect of Project Management/Consultancy Contracts, revenue is recognized based on the terms of agreement and the quantum of work done under the contract.

10.4 Interest on investments is accounted for on accrual basis.

11. ALLOCATION OF CORPORATE OFFICE EXPENSES

Corporate Office Expenses are allocated as under :

- a. On Power Station @ 1% of Sale of Energy for the year excluding taxes & duties.
- b. In case of construction contract works awarded to and executed by the Corporation @ 5% of the project expenditure incurred during the year.
- c. The balance expenditure is allocated to construction projects in the ratio of net capital expenditure incurred during the year.

12. SELF INSURANCE

0.5% p.a. of Gross Block of Power Station as on the date of Balance Sheet is transferred to Self Insurance Reserve Account on year to year basis by charge to Profit & Loss Account. Reserve so created will be utilised for losses of Assets for specified contingencies.

13. विविध

- 13.1 पारगमन में वस्तुओं/निष्पादित पूंजीगत कार्यों, किन्तु जो प्रमाणित नहीं हैं, के लिए देयताओं की व्यवस्था निगम द्वारा निरीक्षण तथा स्वीकृति के लंबित होने तक नहीं की जाती है।
- 13.2 निर्माणाधीन परियोजनाओं को पावर स्टेशनों से आपूरित विद्युत पर सामान्य टैरिफ के अनुसार प्रभार लगाया जाता है।
- 13.3 50,000/- रुपए तथा उससे कम राशि की मदों के पूर्व प्रदत्त व्ययों तथा पूर्वावधि व्ययों/आय को सामान्य लेखाशीर्षों में प्रभारित किया जाता है।

14. उधार लागत

निर्माण/नवीकरण तथा आधुनिकीकरण के दौरान नियत परिसंपत्तियों को आरोप्य उधार लेने की लागतों को पूंजीकृत किया जाता है। उधार लेने की अन्य लागतों को उनके उपगत किए जाने की अवधि में व्यय में माना जाता है।

15. आय पर कर

चालू अवधि के लिए आय पर करों का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत कर योग्य आय के आधार पर किया जाता है।

आस्थगित कर को वर्ष के लिए लेखाकरण आय तथा कर योग्य आय के बीच समयांतरों के आधार पर मान्य किया जाता है तथा तुलन-पत्र की तिथि की स्थिति के अनुसार अधिनियमित या स्वायत्त अधिनियमित कानूनों तथा कर दरों का प्रयोग करते हुए उसका प्रमात्रात्मक निर्धारण किया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को उस सीमा तक मान्य तथा अग्रेनीत किया जाता है जहां तक युक्तिसंगत निश्चयता है कि ऐसी पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके प्रति ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्तियों को वसूल किया जा सकता है। आस्थगित कर वसूली समायोजन लेखे को भावी वर्षों में वास्तविक भुगतान आधार पर लाभानुभोगियों से प्रभार्य कर व्यय की सीमा तक क्रेडिट/डेबिट किया जाता है।

13. MISCELLANEOUS

- 13.1 Liabilities for Goods in transit/Capital works executed but not certified are not provided for, pending inspection and acceptance by the Corporation.
- 13.2 Power supplied from Power Stations to Projects under construction is charged as per normal tariff.
- 13.3 Prepaid expenses and prior period expenses/income of items of Rs.50,000/- and below are charged to natural heads of accounts.

14. BORROWING COST

Borrowing costs attributable to the Fixed Assets during construction/renovation & modernisation are capitalised. Other borrowing costs are recognised as an expense in the period in which they are incurred.

15. TAXES ON INCOME

Taxes on income for the current period is determined on the basis of taxable income under the Income Tax Act, 1961.

Deferred tax is recognized on timing differences between the accounting income and taxable income for the year and quantified using the tax rates and laws enacted or substantively enacted as on the Balance Sheet date. Deferred tax assets are recognized and carried forward to the extent there is a reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realized. Deferred Tax Recovery Adjustment Account is credited/debited to the extent tax expense is chargeable from the Beneficiaries in future years on actual payment basis.



31 मार्च, 2002 को तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2002

(मिलियन रुपए) (Rs. in millions)

	अनुसूची सं. SCHEDULE NO.	31 मार्च, 2002 को AS AT 31ST MARCH, 2002	31 मार्च, 2001 को AS AT 31ST MARCH, 2001
निधियों के स्रोत			
SOURCES OF FUNDS			
हिस्सेदारों की निधियां			
SHAREHOLDERS' FUNDS			
हिस्सा पूंजी			
Share Capital	1	52931	46144
हिस्सा पूंजी जमा			
Share Capital deposit		6268	1480
इक्विटी में समायोजन योग्य भारत सरकार की निधि			
Government of India Fund adjustable to equity		4258	4258
आरक्षित व अधिशेष			
Reserves and Surplus	2	25985	21391
		89442	73273
ऋण निधियां			
LOAN FUNDS			
आरक्षित ऋण	3		
Secured Loans		37449	31931
अनारक्षित ऋण			
Unsecured Loans		24723	24500
		62172	56431
मूल्यहास के बदले बतौर			
पेशगी अग्रिम रूप से प्राप्त			
INCOME RECEIVED IN ADVANCE ON ACCOUNT			
OF ADVANCE AGAINST DEPRECIATION			
		6484	5199
आस्थगित कर			
DEFERRED TAX			
शुद्ध आस्थगित कर देनदारियां			
Net Deferred Tax Liabilities		11329	-
घटाएं : आस्थगित कर वसूलने योग्य			
Less : Deferred Tax recoverable		11329	-
		-	-
		158098	134903
निधियों का उपयोग			
APPLICATION OF FUNDS			
स्थिर पूंजीगत खर्च			
FIXED CAPITAL EXPENDITURE			
स्थिर परिसंपत्तियां			
Fixed Assets	4		
सकल ब्लॉक			
Gross Block		81135	78927
मूल्यहास			
Depreciation		15267	12801
शुद्ध ब्लॉक			
Net Block		65868	66126
चालू पूंजीगत कार्य			
Capital Work in Progress	5	57438	43238
		123306	109364
निवेश			
INVESTMENTS			
	6	19272	6799

31 मार्च, 2002 को तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2002

(मिलियन रुपए) (Rs. in millions)

	अनुसूची सं. SCHEDULE NO.	31 मार्च, 2002 को AS AT 31ST MARCH, 2002	31 मार्च, 2001 को AS AT 31ST MARCH, 2001
चालू परिसंपत्तियां, ऋण व पेशगियां			
CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES	7		
माल सूचियां			
Inventories		837	904
संविदा कार्य प्रगति पर			
Contract Work in Progress		11	18
विविध देनदार			
Sundry Debtors		12715	19825
नकद व बैंक शेष			
Cash and Bank Balances		5417	2206
अन्य चालू परिसंपत्तियां			
Other Current Assets		1357	548
ऋण व पेशगियां			
Loans and Advances		2487	1827
		22824	25328
घटाएं : चालू देयताएं व प्रावधान			
Less: Current Liabilities and Provisions	8		
देयताएं			
Liabilities		4161	3206
प्रावधान			
Provisions		3163	6686
		7324	3480
शुद्ध चालू परिसंपत्तियां			
NET CURRENT ASSETS		15500	18642
विविध खर्च			
(बटटे खाते या समायोजन न की गई की सीमा तक)			
MISCELLANEOUS EXPENDITURE	9	20	98
(To the extent not written off or adjusted)			
		158098	134903
लेखों तथा आकस्मिक देयताओं पर टिप्पणियां			
NOTES TO THE ACCOUNTS AND CONTINGENT LIABILITIES	17		
अनुसूची 1 से 17 तक और लेखा नीतियां लेखों का अभिन्न अंग हैं।			
Schedule 1 to 17 and Accounting Policies form integral part of the Accounts			
हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार			
As per our report of even date attached			
कृते के.एन. गोयल एंड कंपनी			
For K.N. Goyal & Co.			
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स			
Chartered Accountants			
के.एन. गोयल	विजय गुप्ता	आर. नटराजन	योगेन्द्र प्रसाद
K.N. GOYAL	VIJAY GUPTA	R. NATARAJAN	YOGENDRA PRASAD
भागीदार	सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
Partner	Secretary	Director (Finance)	Chairman & Managing Director

स्थान / Place : फरीदाबाद / Faridabad
दिनांक / Dated : 24.08.2002



31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2002

(मिलियन रुपए) (Rs. in millions)

	अनुसूची सं. SCHEDULE NO.	31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2002	31 मार्च, 2001 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2001
आय			
INCOME			
विक्री			
Sales		13496	13137
घटाएं : मूल्यहास के लिए पेशगी			
Less: Advance against depreciation		1286	1338
ठेके व परामर्श		12210	11799
Contracts and Consultancy	10	1144	3102
अन्य आय			
Other Income	11	2200	2679
कुल आय			
TOTAL INCOME		15554	17580
खर्च			
EXPENDITURE			
उत्पादन, प्रशासन व अन्य खर्च			
Generation, Administration and Other Expenses	12	1494	1294
कर्मचारियों को पारिश्रमिक व हितलाभ			
Employees' Remuneration and Benefits	13	1998	1895
मूल्यहास			
Depreciation		2355	2416
ब्याज व वित्त प्रभारें			
Interest and Finance charges	14	4395	4878
		10242	10483
घटाएं : कारपोरेट कार्यालय प्रबंधवर्ग को प्रदत्त खर्च			
Less: Corporate office Management Expenses allocated to			
क) निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च			
a) Incidental expenditure during construction		566	378
ख) ठेका व परामर्श खर्च			
b) Contract and consultancy Expenses		30	115
ठेका एवं परामर्श खर्च		9646	9990
Contract and Consultancy Expenses	15	712	2659
पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध)			
Prior period adjustment (Net)	16	65	89
कुल खर्च			
TOTAL EXPENDITURE		10423	12738
वर्ष के लिए लाभ (कर पूर्व)			
Profit for the year (before tax)		5131	4842
कर के लिए प्रावधान			
Provision for Taxation			
चालू कर			
Current Tax		422	408
आस्थगित कर			
Deferred Tax		2198	-
घटाएं : आस्थगित कर वसूली योग्य समायोजन			
Less: Deferred Tax Recoverable Adjustment		2198	422
		-	408

31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2002

(मिलियन रुपए) (Rs. in millions)

	अनुसूची सं. SCHEDULE NO.	31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED 31 ST MARCH, 2002	31 मार्च, 2001 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED 31 ST MARCH, 2001
कर के पश्चात लाभ			
Profit after tax		4709	4434
पिछले लेखों के अनुसार शेष			
Balance as per last account		4137	8712
बाण्डस रिडेम्पशन रिजर्व से पुनरांकित			
Write back from Bonds redemption reserve		—	2422
		<u>8846</u>	<u>15568</u>
विनियोजन			
Appropriations -			
सामान्य रिजर्व को हस्तांतरण			
Transfer to General Reserve		—	11100
प्रस्तावित लाभांश			
Proposed Dividend		500	300
आयकर के लिए प्रावधान (लाभांश पर)			
Provision for Income Tax (on Dividend)		—	31
आगे ले जाया गया अधिशेष			
Balance carried forward		<u>8346</u>	<u>4137</u>
		<u>8846</u>	<u>15568</u>

लेखों तथा आकस्मिक देयताओं

पर टिप्पणियां

**NOTES TO THE ACCOUNTS AND
CONTINGENT LIABILITIES**

17

अनुसूची 1 से 17 तक और लेखा नीतियां लेखों
का अभिन्न अंग हैं।

Schedule 1 to 17 and Accounting
Policies form integral part of the Accounts

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date attached

कृते के.एन. गोयल एंड कंपनी

For K.N. Goyal & Co.

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

Chartered Accountants

के.एन. गोयल
K.N. GOYAL
भागीदार
Partner

विजय गुप्ता
VIJAY GUPTA
सचिव
Secretary

आर. नटराजन
R. NATARAJAN
निदेशक (वित्त)
Director (Finance)

योगेन्द्र प्रसाद
YOGENDRA PRASAD
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
Chairman & Managing Director

स्थान / Place : फरीदाबाद / Faridabad

दिनांक / Dated : 24.08.2002



अनुसूची - 1 - शेयर पूंजी Schedule - 1 - Share Capital

(मिलियन रुपए) (Rs. in millions)

	31 मार्च, 2002 को AS AT 31ST MARCH, 2002	31 मार्च, 2001 को AS AT 31ST MARCH, 2001
प्राधिकृत AUTHORISED		
70000000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 70000000) 1000/- रुपए प्रति शेयर 70000000 Equity Shares (Previous year 70000000) of Rs. 1000/- each	70000	70000
निर्गमित, अभिदत्त व प्रदत्त ISSUED, SUBSCRIBED AND PAID UP		
1000/- रुपए प्रति शेयर की दर से पूर्ण प्रदत्त 52930547 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 46144947) (इनमें से 6,29,529 शेयर नकद के अतिरिक्त अनुगामी ठेकों के प्रतिफल के लिए आबंटित कर दिए गए हैं और एक शेयर का आबंटन नकदी के अलावा आंशिक प्रतिफल के लिए किया गया है) 52930547 Equity Shares (Previous year 46144947) of Rs. 1000/- each fully paid up (Out of above, 6,29,529 Shares have been allotted for consideration other than cash pursuant to contracts and one Share has been allotted for part consideration other than cash.)	52931	46144
कुल TOTAL	52931	46144

अनुसूची - 2 - आरक्षित व अधिशेष Schedule - 2 - Reserves and Surplus

(मिलियन रुपए) (Rs. in millions)

	31 मार्च, 2001 को शेष BALANCE AS AT 31ST MARCH, 2001	बढ़ोत्तरी ADDITIONS	कटौती DEDUCTION	31 मार्च, 2002 को शेष BALANCE AS AT 31ST MARCH, 2002
आरक्षित पूंजी (स्थिर परिसंपत्तियों की बिक्री) Capital Reserve (Sale of Fixed Assets)	1	—	—	1
बॉण्ड रिडेम्पशन रिजर्व Bond Redemption Reserve	2654	—	—	2654
स्व-बीमा रिजर्व Self Insurance Reserve	1399	386	1	1784
सामान्य रिजर्व General Reserve	13200	9131	9131	13200
लाभ व हानि लेखा के अनुसार अधिशेष Surplus as per Profit and Loss Account	4137	4209	—	8346
कुल TOTAL	21391	13726	9132	25985

अनुसूची - 3 - ऋण निधियां Schedule - 3 - Loan Funds

(मिलियन रुपए) (Rs. in millions)

	31 मार्च, 2002 को AS AT 31ST MARCH, 2002	31 मार्च, 2001 को AS AT 31ST MARCH, 2001
आरक्षित ऋण SECURED LOANS		
बॉण्ड्स (अपरिवर्तनीय, असंचयी) BONDS (Non-convertible, Non-Cumulative)		
बॉण्ड्स - 'जी' सीरीज *1 BONDS - G SERIES *1		
31 मार्च, 2002 को सममूल्य पर प्रतिदेय 1000/- रुपए प्रत्येक के 9 प्रतिशत (करमुक्त) पर 10 वर्षीय बॉण्ड्स 9% (Tax-Free) 10 year Bonds of Rs. 1000/- each redeemable at Par on 31st March, 2002	—	70
बॉण्ड्स - 'आई' सीरीज *1 (प्राइवेट प्लेसमेंट) BONDS - I SERIES *1 (PRIVATE PLACEMENT)		
4 अप्रैल, 2001 को सममूल्य पर प्रतिदेय 1000/- रुपए प्रत्येक के 14 प्रतिशत पर 7 वर्षीय बॉण्ड्स 14% 7 year Bonds of Rs. 1000/- each redeemable at Par on 4th April, 2001	—	8
बॉण्ड्स - 'जे' सीरीज *2 (प्राइवेट प्लेसमेंट) BONDS - J SERIES *2 (PRIVATE PLACEMENT)		
1 दिसम्बर, 2001 को सममूल्य पर प्रतिदेय 1000/- रुपए प्रत्येक के 13 प्रतिशत पर 7 वर्षीय बॉण्ड्स 13% 7 year Bonds of Rs. 1000/- each redeemable at Par on 1st December, 2001	—	500
अक्तूबर से दिसंबर, 2001 तक सममूल्य पर प्रतिदेय 1000/- रुपए प्रत्येक के 13.25 प्रतिशत पर 7 वर्षीय बॉण्ड्स 13.25% 7 year Bonds of Rs. 1000/- each redeemable at Par from October to December 2001	—	1550
15 और 16 नवम्बर, 2001 को सममूल्य पर प्रतिदेय 1000/- रुपए प्रत्येक के 9.25 प्रतिशत (करमुक्त) पर 7 वर्षीय बॉण्ड्स 9.25% (Tax-Free) 7 year Bonds of Rs. 1000/- each redeemable at Par on 15th and 16th November 2001	—	1000
21 जुलाई, 2002 को सममूल्य पर प्रतिदेय 1000/- रुपए प्रत्येक के 16.5% प्रतिशत पर 7 वर्षीय बॉण्ड्स 16.5% 7 year Bonds of Rs. 1000/- each redeemable at Par on 21st July, 2002	250	3300



अनुसूची - 3 - ऋण निधियां Schedule - 3 - Loan Funds

(मिलियन रुपए) (Rs. in millions)

	31 मार्च, 2002 को AS AT 31ST MARCH, 2002	31 मार्च, 2001 को AS AT 31ST MARCH, 2001
बॉण्ड्स - 'के' सीरीज *2 (प्राइवेट प्लेसमेंट) BONDS - K SERIES *2 (PRIVATE PLACEMENT)		
1 अगस्त, 2001 को सममूल्य पर प्रतिदेय 1000/- रुपए प्रत्येक के 17.5 प्रतिशत पर 5 वर्षीय बॉण्ड्स 17.5% 5 Year Bonds of Rs. 1000/- each redeemable at Par on 1st August, 2001	—	300
30 सितम्बर, 2001 को सममूल्य पर प्रतिदेय 1000/- रुपए प्रत्येक के 17.5 प्रतिशत पर 7 वर्षीय बॉण्ड्स 17.5% 7 Year Bonds of Rs. 1000/- each redeemable at Par on 30th September, 2001	—	500
		800
बॉण्ड्स - 'एल' सीरीज *2 (प्राइवेट प्लेसमेंट) BONDS - L SERIES *2 (PRIVATE PLACEMENT)		
31 मार्च, 2004 को सममूल्य पर प्रतिदेय 1000/- रुपए प्रत्येक के 16 प्रतिशत पर 7 वर्षीय बॉण्ड्स 16% 7 Year Bonds of Rs. 1000/- each redeemable at Par on 31.03.2004	633	633
31 मार्च, 2004 को सममूल्य पर प्रतिदेय 1000/- रुपए प्रत्येक के 10.5 प्रतिशत (करमुक्त) पर 7 वर्षीय बॉण्ड्स 10.5% (Tax-Free) 7 Year Bonds of Rs. 1000/- each redeemable at Par on 31.03.2004	510	1143
		510
		1143
बॉण्ड्स - 'एम' सीरीज *6 (प्राइवेट प्लेसमेंट) BONDS - M SERIES *6 (PRIVATE PLACEMENT)		
07 जनवरी, 2007 को सममूल्य पर प्रतिदेय 100000/- रुपए प्रत्येक के 9.55 प्रतिशत पर 5 वर्षीय बॉण्ड्स 9.55% 5 Year Bonds of Rs. 100000/- each redeemable at Par on 07.01.2007	4300	—

अनुसूची - 3 - ऋण निधियां Schedule - 3 - Loan Funds

(मिलियन रुपए) (Rs. in millions)

	31 मार्च, 2002 को AS AT 31ST MARCH, 2002	31 मार्च, 2001 को AS AT 31ST MARCH, 2001
आवधिक ऋण		
TERM LOANS		
बैंक ऑफ इंडिया *1		
Bank Of India *1	500	—
बैंक ऑफ इंडिया *5		
Bank Of India *5	410	—
बैंक ऑफ महाराष्ट्र *1		
Bank Of Maharashtra *1	500	—
बैंक ऑफ महाराष्ट्र *2		
Bank Of Maharashtra *2	1000	1000
केनरा बैंक *1		
Canara Bank *1	2000	1000
केनरा बैंक *2		
Canara Bank *2	857	1072
सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया *2		
Central Bank Of India *2	300	400
सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया *5		
Central Bank of India *5	310	—
कारपोरेशन बैंक *2		
Corporation Bank *2	1000	1000
हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लि. *2		
Housing Development Finance Corporation Ltd. *2	36	52
हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लि. *5		
Housing Development Finance Corporation Ltd. *5	310	—
आईसीआईसीआई लि. *2		
I C I C I Ltd. *2	4000	4000
इंडियन बैंक *1		
Indian Bank *1	1000	1000
इंडियन ओवरसीज बैंक *1		
Indian Overseas Bank *1	500	—
इंडियन ओवरसीज बैंक *2		
Indian Overseas Bank *2	500	500
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया *2		
Industrial Development Bank Of India *2	3000	3000
भारतीय जीवन बीमा निगम लि.*1		
Life Insurance Corporation of India *1	4000	4000
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स *2		
Oriental Bank of Commerce *2	1000	1000



अनुसूची - 3 - ऋण निधियां Schedule - 3 - Loan Funds

(मिलियन रुपए) (Rs. in millions)

	31 मार्च, 2002 को AS AT 31ST MARCH, 2002	31 मार्च, 2001 को AS AT 31ST MARCH, 2001
पंजाब एंड सिंध बैंक *5 Punjab & Sind Bank *5	310	—
पंजाब नैशनल बैंक *1 Punjab National Bank *1	1000	—
पंजाब नैशनल बैंक *5 Punjab National Bank *5	470	—
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद *1 State Bank Of Hyderabad *1	600	—
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद *5 State Bank Of Hyderabad *5	160	—
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया *5 State Bank Of India *5	770	—
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया *2 State Bank Of India *2	2000	2000
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर *1 State Bank Of Indore *1	400	400
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला *1 State Bank Of Patiala *1	400	—
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला *2 State Bank Of Patiala *2	500	500
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला *5 State Bank Of Patiala *5	160	—
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र *1 State Bank Of Saurashtra *1	500	—
यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया *1 Unit Trust Of India *1	—	28493
		500
बैंकों से कार्यकारी पूंजी मांग ऋण *3 Working Capital Demand Loan From Banks *3	2178	2390
बैंकों से नकद उधार *3 Cash Credit From Banks *3	1085	2796
कुल आरक्षित ऋण Total Secured Loans	37449	31931

एक वर्ष में पुनर्दायगी के लिए देय 4749 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 4758 मिलियन रुपए)

Due for repayment within one year Rs 4749 millions (Previous Year Rs 4758 millions)

अनुसूची - 3 - ऋण निधियां Schedule - 3 - Loan Funds

(मिलियन रुपए) (Rs. in millions)

	31 मार्च, 2002 को AS AT 31ST MARCH, 2002	31 मार्च, 2001 को AS AT 31ST MARCH, 2001
अनारक्षित ऋण UNSECURED LOANS		
भारत सरकार से ऋण LOAN FROM GOVERNMENT OF INDIA	287	4397
अल्प आवधिक ऋण SHORT TERM LOANS		
बैंक ऑफ इंडिया *4 Bank Of India *4	500	—
कारपोरेशन बैंक *4 Corporation Bank *4	500	—
इंडियन बैंक *4 Indian Bank *4	400	—
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर *4 State Bank Of Indore *4	500	—
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर *4 State Bank Of Mysore *4	500	—
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला *4 State Bank Of Patiala *4	400	—
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र *4 State Bank Of Saurashtra *4	500	—
व्यास बैंक लि. *4 The Vysya Bank Ltd. *4	—	750
	3300	750
अन्यों से ऋण LOAN FROM OTHERS		
भारत सरकार द्वारा गारंटीयुक्त Guaranteed by Government of India		
वेस्ट एलबी (पूर्व में वेस्ट मर्चेंट बैंक लि.) West Lb (Formerly West Merchant Bank Ltd)	1015	1216
ए.बी.एस.ई.के. ABSEK	4048	4776
नॉर्डिक इन्वेस्टमेंट बैंक Nordic Investment Bank	2216	2357
क्रेडिट कॉमर्शियल डी.ई. फ्रांस Credit Commercial DE France	6137	5097
एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन Export Development Corporation	2156	1387
जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन-(पूर्व में ओ.ई.सी.एफ.) ट्रेंच-I Japan Bank of International Cooperation- (Formerly O.E.C.F.) Tranche-I	1787	1451
जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन-(पूर्व में ओ.ई.सी.एफ.) ट्रेंच-II Japan Bank of International Cooperation- (Formerly O.E.C.F.) Tranche-II	2934	1454
	20293	17738



अनुसूची - 3 - ऋण निधियां Schedule - 3 - Loan Funds

(मिलियन रुपए) (Rs. in millions)

	31 मार्च, 2002 को AS AT 31ST MARCH, 2002	31 मार्च, 2001 को AS AT 31ST MARCH, 2001
अन्य OTHERS		
एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन Export Development Corporation	843	1615
कुल अनारक्षित ऋण Total Unsecured loan	<u>24723</u>	<u>24500</u>
एक वर्ष में पुनर्दायगी के लिए देय 6378 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 3453 मिलियन रुपए) Due for repayment within one year Rs. 6378 millions (Previous Year Rs. 3453 millions)		
कुल ऋण (आरक्षित ऋण + अनारक्षित ऋण) Total Loan (Secured loans + Unsecured loans)	<u>62172</u>	<u>56431</u>

नोट :

Note :

- *1. चमेरा जल विद्युत परियोजना चरण-I के बुक डेब्ट्स और स्टोर्स को छोड़कर परिसंपत्तियों के बदले सामयिक मॉर्टगेज/बंधक रखकर पारी-पासू प्रभार के माध्यम से आरक्षित।
Secured by pari-passu charge by way of equitable mortgage / hypothecation against assets of Chamera H.E. Project stage-I except for Book Debts and Stores.
- *2. उड़ी जल विद्युत परियोजना चरण-I के बुक डेब्ट्स और स्टोर्स को छोड़कर परिसंपत्तियों के बदले सामयिक मॉर्टगेज/बंधक रखकर पारी-पासू प्रभार के माध्यम से आरक्षित।
Secured by pari-passu charge through equitable mortgage / hypothecation against assets of Uri H.E. Project stage-I except for Book Debts and Stores.
- *3. देनदारों व ओ. एंड एम. सामग्रियों के बदले बंधक द्वारा आरक्षित।
Secured by hypothecation against Debtors and O & M Stores.
- *4. अनारक्षित अल्प अविध क्रेडिट सुविधा।
Unsecured short term credit facility.
- *5. चमेरा जल विद्युत परियोजना चरण-II की परिसंपत्तियों के बदले सामयिक मॉर्टगेज/बंधक रखकर आरक्षित।
Secured by equitable mortgage / hypothecation against assets of Chamera H.E. Project Stage-II.
- *6. रंगित जल विद्युत परियोजना की परिसंपत्तियों के बदले बैंकर्स की पूर्व शर्तों के अधीन परिसंपत्तियों के बदले सामयिक मॉर्टगेज/बंधक रखकर आरक्षित।
Secured by equitable mortgage / hypothecation against assets of Rangit H.E. Project subject to prior charge of Bankers against Books Debts and Stores.

अनुसूची - 4 स्थिर परिसंपत्तियां Schedule - 4 - Fixed Assets

(मिलियन रुपए) (Rs. in millions)

विवरण / Description	सकल ब्लॉक GROSS BLOCK				मूल्यहास DEPRECIATION				शुद्ध ब्लॉक NET BLOCK	
	1.4.2001 को As at 1.4.2001	वर्द्धतियां/ समायोजन Additions/ Adjustments	कटौतियां/ समायोजन Deductions/ Adjustments	31.3.2002 को As at 31.3.2002	1.4.2001 को As at 1.4.2001	वर्ष के लिए For the year	समायोजन* Adjust- ments*	31.3.2002 को As at 31.3.2002	31.3.2002 को As at 31.3.2002	31.3.2001 को As at 31.3.2001
फ्रीहोल्ड भूमि Land Freehold	1103	443	13	1533	-	-	-	-	1533	1103
लीज़होल्ड भूमि Land Leasehold	182	9	5	186	18	3	(1)	20	166	164
अवर्गीकृत भूमि Land Unclassified	101	122	-	223	-	-	-	-	223	101
भवन Buildings	7049	543	13	7579	1435	242	(4)	1673	5906	5614
सड़कें व पुल Roads and Bridges	856	124	2	978	184	34	1	219	759	672
निर्माण संयंत्र व मशीनरी Construction Plant and Machinery	519	211	23	707	285	44	(13)	316	391	234
उत्पादन संयंत्र व मशीनरी Generating Plant and Machinery	19348	238	-	19586	3707	740	8	4455	15131	15641
सब-स्टेशन उपस्कर Sub-Station Equipments	480	15	-	495	94	36	3	133	362	386
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, टनल आदि) Hydraulic Works (Dams, Tunnels, etc.)	47529	376	3	47902	6206	1260	-	7466	40436	41323
वाहन Vehicles	254	41	3	292	125	52	(2)	175	117	129
फर्नीचर, फिक्सचर व उपस्कर Furniture Fixture and Equipments	387	118	5	500	122	45	(1)	166	334	265
ट्रांसमिशन लाइनें Transmission Lines	192	36	-	228	100	14	-	114	114	92
विविध परिसंपत्तियां/उपस्कर Miscellaneous Assets / Equipments	246	64	21	289	58	24	(2)	80	209	188
अतिरिक्त घोषित निर्माण संयंत्र व मशीनरी Construction Plant And Machinery Declared Surplus	616	10	75	551	402	6	(44)	364	187	214
5000/- रुपए तक के कम मूल्य की स्थिर परिसंपत्तियां Fixed Assets of Minor Value Upto Rs. 5000/-	65	23	2	86	65	21	-	86	-	-
कुल Total	78927	2373	165	81135	12801	2521	(55)	15267	65868	66126
पिछले वर्ष Previous year	77527	1636	236	78927	10290	2517	(6)	12801	66126	67237

*इसमें 36 मिलियन रुपए पूर्व अवधि समायोजन के शामिल हैं

*Includes Prior Period Adjustments of Rs. 36 millions

अनुसूची - 5 चालू पूंजीगत कार्य Schedule - 5 - Capital Work-in-Progress

(मिलियन रुपए) (Rs. in millions)

विवरण / Description	1.4.2001 को AS AT 1.4.2001	वर्ष के दौरान बढ़ोतरी ADDITIONS DURING THE YEAR	समायोजन ADJUST- MENTS	वर्ष के दौरान पूंजीकृत CAPITALISED DURING THE YEAR	31.3.2002 को AS AT 31.3.2002
क. निर्माण कार्य प्रगति पर A. CONSTRUCTION WORKS-IN-PROGRESS					
सर्वेक्षण, अन्वेषण तथा अन्य खर्च Survey, Investigation and Other Expenses	339	229	(94)	—	474
भवन, सिविल इंजीनियरिंग कार्य तथा संचार Buildings, Civil Engineering Works and Communications	912	2077	(375)	447	2167
सड़कें और पुल Roads and Bridges	430	361	(11)	92	688
हाइड्रोलिक कार्य, बैराज, बांध, टनल व पावर चैनल Hydraulic Works, Barrages, Dams, Tunnels and Power Channel	8752	10537	(8228)	4	11057
रेलवे साइडिंग Railway Siding	1	—	—	—	1
पेनस्टॉक Penstocks	204	—	—	—	204
जनरेटिंग स्टेशन में संयंत्र व मशीनरी Plant and Machinery in Generating Stations	6544	1223	—	—	7767
विद्युत संस्थापनाएं व सब-स्टेशन उपस्कर Electrical Installations and Sub-Station Equipments	38	45	(1)	20	62
विविध परिसंपत्तियां Miscellaneous Assets	4	7	1	4	8
ट्रंक ट्रांसमिशन लाइनें Trunk Transmission Lines	3	145	—	9	139
विनिमय दर अंतर Exchange Rate Variation	(26)	189	61	—	224
निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च Incidental Expenditure During Construction	16471	4705	(310)	54	20812
कुल (क) TOTAL (A)	33672	19518	(8957)	630	43603
(ख) टर्नकी कांट्रैक्ट्स के अंतर्गत किया गया भुगतान B. PROGRESSIVE PAYMENTS UNDER TURNKEY CONTRACTS	3436				8580
कुल (ख) TOTAL (B)	3436				8580
(ग) पूंजीगत खर्च के लिए पेशगियां C. ADVANCE FOR CAPITAL EXPENDITURE					
आरक्षित (कंसीडर्ड गुड) Secured (Considered good)	1594				2649
अनारक्षित (कंसीडर्ड गुड) Unsecured (Considered good)	3356				1615
कुल (ग) TOTAL (C)	4950				4264
(घ) निर्माण भंडार (प्रबंधवर्ग द्वारा मूल्यांकित और प्रमाणित लागत पर) D. CONSTRUCTION STORES (At cost as valued and certified by Management)					
ट्रांज़िट में निर्माण सामग्री Construction Material in Transit	1				7
स्टोर्स Stores	1179				984
कुल (घ) TOTAL (D)	1180				991
कुल (क+ख+ग+घ) TOTAL (A+B+C+D)	43238				57438

अनुसूची - 5 का अनुबंध-निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च

Annexure to Schedule - 5 - Incidental Expenditure During Construction

(मिलियन रुपए) (Rs. in millions)

	31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए AS AT 31ST MARCH, 2002	31 मार्च, 2001 को समाप्त वर्ष के लिए AS AT 31ST MARCH, 2001
कर्मचारियों को पारिश्रमिक व लाभ		
EMPLOYEES' REMUNERATION AND BENEFITS		
वेतन, मज़दूरी, भत्ते व लाभ	1196	1079
Salaries, wages, allowances and benefits		
ग्रेच्युटी व भविष्य निधि में अंशदान	290	109
(प्रशासन फीस सहित)		
Gratuity and contribution to provident fund		
(Including administration fee)		
स्टाफ कल्याण खर्च	99	133
Staff welfare expenses		
छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान	14	6
Leave salary and pension contribution	1599	1327
मरम्मत व रखरखाव		
REPAIRS AND MAINTENANCE		
भवन	17	15
Buildings		
मशीनरी व निर्माण उपकरण	20	35
Machinery and construction equipments		
अन्य	53	52
Others	90	102
प्रशासन व अन्य खर्च		
ADMINISTRATION AND OTHER EXPENSES		
किराया	21	16
Rent		
दरें व कर	3	3
Rates and taxes		
बिजली प्रभारें	30	28
Electricity charges		
बीमा	8	7
Insurance		
यात्रा व वाहन	40	30
Travelling and conveyance		
स्टाफ कारों व वाहन निरीक्षण पर खर्च	58	41
Expenses on staff cars and inspection vehicles		
टेलीफोन, टेलेक्स व डाक खर्च	15	11
Telephone, telex and postage		
विज्ञापन व प्रचार	14	8
Advertisement and publicity		
विदेशी परामर्श प्रभारें	7	5
Foreign consultancy charges		
डिजाइन व परामर्श प्रभारें	2	2
Design and consultancy charges		
क्षतिपूरक वनरोपण/जल अधिग्रहण उपचार क्षेत्र पर किया गया खर्च	78	—
Expenses on compensatory afforestation/catchment area treatment		
सत्कार	—	1
Entertainment		
छपाई व लेखन सामग्री	9	9
Printing & stationery		
भूमि, जो निगम की नहीं है, के लिए खर्च	240	201
Expenditure on land not belonging to corporation		
भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वास	12	5
Land acquisition and rehabilitation		
सुरक्षा खर्च	93	74
Security expenses		
अन्य खर्च	32	24
Other expenses		
सामग्रियों/परिसंपत्तियों पर हानि, जो बट्टे खाते डाली गई	2	4
Loss on material/assets written off	664	469



अनुसूची - 5 का अनुबंध - निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च

Annexure to Schedule - 5 - Incidental Expenditure During Construction

(मिलियन रुपए) (Rs. in millions)

	31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए AS AT 31ST MARCH, 2002	31 मार्च, 2001 को समाप्त वर्ष के लिए AS AT 31ST MARCH, 2001
ब्याज व वित्त प्रभारें INTEREST AND FINANCE CHARGES		
भारत सरकार के ऋण पर ब्याज Interest on Government of India loan	42	40
बॉण्ड्स पर ब्याज Interest on bonds	130	292
विदेशी ऋण पर ब्याज Interest on foreign loan	668	483
नकद उधार सुविधाओं/आवधिक ऋण पर ब्याज Interest on cash credit facilities/term loan	745	444
बॉण्ड जारी करने के लिए खर्च Bond issue expenses	—	1
कमिटमेंट फीस Commitment fee	48	58
विदेशी ऋण पर गारंटी फीस Guarantee fee on foreign loan	112	75
अन्य वित्त प्रभारें Other finance charges	41	81
	1786	1474
विनिमय दर अंतर-शुद्ध (लाभ) EXCHANGE RATE VARIATION-NET (GAIN)	—	(335)
मूल्यह्रास DEPRECIATION	159	94
कारपोरेट कार्यालय प्रबंधन खर्चें CORPORATE OFFICE MANAGEMENT EXPENSES	566	378
पूर्व अवधि खर्चें (शुद्ध) PRIOR PERIOD EXPENSES (NET)		
क) आय A) INCOME	1	28
घटाएं : Less :		
ख) खर्च B) EXPENDITURE		
i) वेतन, मजदूरी, भत्ते व लाभ Salaries, wages, allowances and benefits	—	—
ii) मरम्मत व रखरखाव Repairs and maintenance	—	—
iii) अन्य Others	81	3
iv) मूल्यह्रास Depreciation	4	2
v) ब्याज Interest	1	—
	85	(23)
कुल खर्च TOTAL EXPENDITURE	4949	3486
घटाएं : प्राप्तियां व वसूलियां LESS: RECEIPTS AND RECOVERIES		
संयंत्र व मशीनों का किराया प्रभार/आउट टर्न Hire charges/out turn of plant and machinery	10	51
ऋणों व पेशगियों पर ब्याज Interest on loans and advances	140	31
विविध प्राप्तियां व वसूलियां Miscellaneous receipts and recoveries	44	63
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ Profit on sale of assets	1	1
अनावश्यक प्रावधानों/देयताओं की वापसी Provisions / Liability not required written back	49	—
कुल प्राप्तियां व वसूलियां TOTAL RECEIPTS AND RECOVERIES	244	146
पूँजीगत चालू कार्य को हस्तांतरित राशि AMOUNT TRANSFERRED TO CAPITAL		
WORK IN PROGRESS	4705	3340

अनुसूची - 6 - निवेश Schedule - 6 - Investments

(मिलियन रुपए) (Rs. in millions)

	31 मार्च, 2002 को AS AT 31ST MARCH, 2002	31 मार्च, 2001 को AS AT 31ST MARCH, 2001
दीर्घकालीन		
LONG TERM		
सहायक कंपनी में निवेश		
INVESTMENT - SUBSIDIARY COMPANY		
अनुद्धृत		
Unquoted		
नर्मदा हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड में 1000/- रुपए प्रत्येक, के 2095512 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर 2095512 Fully paid-up equity shares of Rs. 1000/- each in Narmada Hydro Development Corporation Limited	2095	795
निवेश - अन्य (गैर व्यापार)		
INVESTMENT - OTHERS (NON TRADE)		
अनुद्धृत		
Unquoted		
उत्तर प्रदेश सरकार - 11% रिडीमेबल बॉण्ड्स Government of Uttar Pradesh-11% redeemable- bonds	3000	3000
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि. - 12% रिडीमेबल बॉण्ड्स/बॉण्ड्स के बदले प्रामिजरी नोट्स Uttar Pradesh Power Corporation Limited-12% redeemable-bonds/promissory note in lieu of bonds	2873	—
हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लि. - 11.89% रिडीमेबल नॉन-कंवर्टीबल नॉन-क्यूमिलेटिव बाण्ड्स Haryana Vidut Prasaran Nigam Limited-11.89% redeemable-non-convertible non-cumulative-bonds	3000	3000
हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लि. - 11% रिडीमेबल नॉन-कंवर्टीबल नॉन-क्यूमिलेटिव बाण्ड्स Haryana Vidut Prasaran Nigam Limited-11% redeemable non-convertible non-cumulative-bonds	500	—
जम्मू व कश्मीर सरकार - 12% रिडीमेबल नॉन-कंवर्टीबल बाण्ड्स Government of Jammu & Kashmir-12% redeemable non-convertible-bonds	7200	—
पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड - 11.85% रिडीमेबल बाण्ड्स Punjab State Electricity Board-11.85% redeemable-bonds	600	—
उद्धृत		
Quoted		
इंडियन ओवरसीज़ बैंक में 10/- रुपए प्रत्येक के 360800 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर 360800 Fully paid-up equity shares of Rs. 10/- each in Indian Overseas Bank	4	4
	19272	6799

टिप्पणी :

NOTE :

उद्धृत निवेश

Quoted Investment

बुक वैल्यू

Book Value

मार्केट वैल्यू

Market Value

(मिलियन रुपए) (Rs. in millions)

31 मार्च, 2002 को
As at 31st March, 2002

31 मार्च, 2001 को
As at 31st March, 2001

	4	4
	3	3



अनुसूची - 7 - चालू परिसंपत्तियां, ऋण व पेशगियां
Schedule - 7- Current Assets, Loans and Advances

(मिलियन रुपए) (Rs. in millions)

	31 मार्च, 2002 को AS AT 31ST MARCH, 2002		31 मार्च, 2001 को AS AT 31ST MARCH, 2001	
चालू परिसंपत्तियां CURRENT ASSETS				
मालसूचियां (प्रबंधवर्ग द्वारा मूल्यांकित व प्रमाणित लागत पर) Inventories (As taken, valued and certified by Management)				
सामग्री व पुर्जे Stores and spares	847		911	
लूज टूल्स Loose tools	2		1	
	849		912	
घटाएं : प्रावधान Less : Provisions	12	837	8	904
संविदा कार्य प्रगति पर Contract Work-in-Progress		11		18
विविध देनदार (अनारक्षित) Sundry Debtors (Unsecured)				
छः मास से अधिक अवधि की देयताएं Debts due over six months	8524		13892	
अन्य देयताएं Other debts	4966		6708	
	13490		20600	
घटाएं : प्रावधान Less : Provisions	775	12715	775	19825
विविध देनदारों (अनारक्षित) का विवरण PARTICULARS OF SUNDRY DEBTORS (Unsecured)				
	2001-2002	2000-2001		
कंसीडर्ड गुड (सहायक कंपनी से 57 मिलियन रुपए देय शामिल हैं पिछले वर्ष 'शून्य') Considered good	12715	19825		
(Includes Rs. 57 millions Due from Subsidiary Company Previous year 'Nil') कंसीडर्ड संदेहजनक व प्रावधानित Considered doubtful and provided	775	775		
नकद व बैंक शेष Cash and Bank Balances				
नकद, अग्रदाय, चेक व ड्राफ्ट Cash, Imprest, Cheques and Drafts	5358		1625	
अनुसूचित बैंकों में शेष Balances with scheduled banks in चालू खाता Current account	32		510	
जमा खाता (अल्प अवधि) Deposit account (short term)	1		1	
गैर-अनुसूचित बैंकों में शेष Balances with non-scheduled banks (बैंक ऑफ भूटान में) (With Bank of Bhutan) चालू खाता Current account	26		20	
बचत खाता Saving account	-	5417	50	2206

अनुसूची - 7 - चालू परिसंपत्तियां, ऋण व पेशगियां Schedule - 7- Current Assets, Loans and Advances

(मिलियन रुपए) (Rs. in millions)

	31 मार्च, 2002 को AS AT 31ST MARCH, 2002		31 मार्च, 2001 को AS AT 31ST MARCH, 2001	
अन्य चालू परिसंपत्तियां Other Current Assets				
जमा राशि/निवेश पर उपचित ब्याज Interest accrued on deposits / investments	825		251	
अन्य Others	532	1357	297	548
ऋण व पेशगियां Loans and Advances				
सहायक कंपनियों से वसूली योग्य पेशगियां Advances recoverable from subsidiaries	5		16	
कर्मचारियों को ऋण (अनारक्षित-कंसीडर्ड गुड) Loans to employees (unsecured- considered good)	548		385	
नकद या माल अथवा प्राप्त होने वाले मूल्य के रूप में वसूली योग्य पेशगियां Advances recoverable in cash or kind or for value to be received				
आरक्षित (कंसीडर्ड गुड) Secured (considered good)	—	2		
अनारक्षित (कंसीडर्ड गुड) Unsecured (considered good)	617	454		
अनारक्षित (कंसीडर्ड डाउटफुल) Unsecured (considered doubtful)	6	623	5	461
घटाएं : संदेहजक पेशगियों के लिए प्रावधान Less : Provision for doubtful advances	—	6	5	456
अग्रिम कर जमा और स्रोत पर काटा गया कर Advance tax deposit and tax deducted at source	918			434
अन्य वसूली योग्य Other recoverable-				
पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. से देय Due from Power Grid Corporation of India Ltd.	399	2487	536	1827
		22824		25328

क. वर्ष के दौरान गैर-अनुसूचित बैंकों में अधिकतम शेष का विवरण

A. PARTICULARS OF MAXIMUM BALANCE DURING THE YEAR WITH NON-SCHEDULED BANKS

(मिलियन रुपए) (Rs. in millions)

	2001-2002	2000-2001
बैंक ऑफ भूटान Bank of Bhutan		
चालू खाता Current account	213	433
आवधिक जमा Term deposit	50	120

ख. निदेशकों से प्राप्त ऋण व पेशगियों का विवरण

B. PARTICULARS OF LOANS AND ADVANCES DUE FROM DIRECTORS

(मिलियन रुपए) (Rs. in millions)

	2001-2002	2000-2001
वर्ष के अंत में प्राप्त राशि Amount due at the end of the year	0.8	0.6
वर्ष के दौरान किसी भी समय अधिकतम शेष Maximum balance at any time during the year	1.0	1.3

निगम का कोई निदेशक, जिन कंपनियों में सदस्य अथवा निदेशक है, उन कंपनियों द्वारा देय पेशगी-शून्य रुपए
(पिछले वर्ष शून्य रुपए)

Advance due by Companies in which any Director of the Corporation is a Director or member amounts to
Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)



अनुसूची - 8 - चालू देयताएं व प्रावधान Schedule - 8 - Current Liabilities and Provisions

(मिलियन रुपए) (Rs. in millions)

	31 मार्च, 2002 को AS AT 31ST MARCH, 2002		31 मार्च, 2001 को AS AT 31ST MARCH, 2001	
देयताएं				
LIABILITIES				
विविध लेनदार				
Sundry creditors				
लघु औद्योगिक उपक्रम (उपक्रमों)				
की कुल बकाया देय राशि (30 दिनों से अधिक देय - शून्य)				
Total outstanding dues of small scale				
Industrial undertaking(s). (Due over 30 days Nil)	1		1	
अन्य				
Others	2585	2586	1065	1066
डिपोजिट/एजेंसी की खर्च न की गई राशि				
Unspent amount of deposit/agency		13		27
डिपोजिट/प्रतिधारण राशि				
Deposits/retention money		312		157
ऋण पर उपचित ब्याज, परंतु देय नहीं				
Interest accrued but not due on Loans		803		1023
जारी किए गए चैकों के लिए देयता				
Liability for cheques issued		-		-
परियोजना लागत के नामे पेशगियां				
Advances against cost of project		54		54
ठेकेदाताओं से पेशगियां				
Advances from contractee's		33		417
अन्य देयताएं				
Other liabilities	360	4161	462	3206
प्रावधान				
PROVISION				
कराधान				
Taxation		830		408
प्रस्तावित लाभांश				
Proposed dividend		500		300
प्रस्तावित लाभांश पर कर				
Tax on proposed dividend		-		31
आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान				
Provision for contingencies		280		230
स्टाफ के हित लाभ				
Staff benefits	1553	3163	2511	3480
		7324		6686

अनुसूची - 9 - विविध खर्च

Schedule - 9 - Miscellaneous Expenditure

(बट्टे खाते न डाले गए या समायोजित न किए गए की सीमा तक)

(TO THE EXTENT NOT WRITTEN OFF OR ADJUSTED)

(मिलियन रुपए) (Rs. in millions)

	31 मार्च, 2002 को AS AT 31ST MARCH, 2002		31 मार्च, 2001 को AS AT 31ST MARCH, 2001	
आस्थगित राजस्व खर्च				
Deferred revenue expenses		20		47
निगम की स्वामित्व रहित परिसंपत्तियों पर खर्च				
Expenditure on assets not belonging to corporation		-		51
बट्टे खाते डाले जाने की मंजूरी की प्रतीक्षा संबंधी हानियां				
Losses awaiting write off sanction	37		32	
घटाएं : के लिए प्रावधान				
Less : Provided for	37	-	32	-
		20		98

अनुसूची - 10 - संविदा व परामर्शी आय Schedule - 10 - Contracts & Consultancy Income

(मिलियन रुपए) (Rs. in millions)

	31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2002	31 मार्च, 2001 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2001
संविदा आय		
Contract income	1070	5171
जोड़ें : संविदा कार्य प्रगति पर - अंतिम		
Add : Contract work-in-progress - closing	11	18
घटाएं : संविदा कार्य प्रगति पर - आरम्भिक		
Less : Contract work-in-progress - opening	18	2142
परामर्शी आय	1063	3047
Consultancy income	81	55
	1144	3102

अनुसूची - 11 - अन्य आय Schedule - 11- Other Income

(मिलियन रुपए) (Rs. in millions)

	31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2002	31 मार्च, 2001 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2001
लघुकालीन जमा से आय		
Income from short term deposit	9	-
बांडों पर ब्याज		
Interest on bonds	1988	587
ऋणों व पेशगियों पर ब्याज		
लाभांश आय (सकल 1,56,182/- रुपए, पिछले वर्ष शून्य)	24	19
Interest on loans and advances	-	-
Dividend income (Gross Rs. 1,56,182/-, previous year nil)		
अधिभार		
Surcharge	65	2001
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ		
Profit on sale of assets	17	34
अनावश्यक प्रावधानों/देयताओं की वापसी		
Provisions / liability not required written back	59	10
बेकार माल से आय		
Income from scrap	4	1
अन्य विविध आय		
Other miscellaneous income	34	27
	2200	2679



अनुसूची - 12 - उत्पादन, प्रशासन व अन्य खर्च
Schedule - 12- Generation, Administration and Other Expenses

(मिलियन रुपए) (Rs. in millions)

	31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2002	31 मार्च, 2001 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2001
सामग्री व पुर्जों की खपत Consumption of stores and spares	69	71
मरम्मत व रख-रखाव Repairs & maintenance		
भवन Buildings	45	35
मशीनें Machinery	160	182
अन्य Others	151	332
विविध संचालनात्मक खर्च Miscellaneous operational expenses	19	34
किराया Rent	55	46
दरें व कर Rates and taxes	1	1
बीमा Insurance	399	392
सुरक्षा खर्च Security expenses	174	150
बिजली प्रभारें Electricity charges	14	11
यात्रा व वाहन Travelling and conveyance	48	42
स्टाफ कारों पर खर्च Expenses on staff car	33	31
टेलीफोन, टेलेक्स व डाक खर्च Telephone, telex and postage	22	18
विज्ञापन व प्रचार Advertisement and publicity	14	13
अनुदान (50,000/- रुपए) Donation (Rs. 50,000/-)	—	7
छपाई व लेखन सामग्री Printing and stationery	20	20
परामर्शी प्रभारें Consultancy charges	3	4
लेखापरीक्षा शुल्क Audit fee	2	1
स्टोर्स व स्पेयर्स के मूल्य में ह्रास Diminution in value of stores & spares	63	—
बटटे खाते डाले गए परियोजना खर्च Project expenses written off	119	—
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि Loss on sale of assets	4	10
बटटे खाते डाले गए आस्थगित राजस्व खर्च Deferred revenue expenditure written off	8	11
अन्य सामान्य खर्च Other general expenses	60	74
विनिमय दर अंतर Exchange rate variation	11	26
	1494	1294

अनुसूची - 13 - कर्मचारियों को पारिश्रमिक व हितलाभ Schedule - 13 - Employees Remuneration And Benefits

(मिलियन रुपए) (Rs. in millions)

	31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2002	31 मार्च, 2001 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2001
वेतन, मजदूरी व भत्ते Salaries, wages and allowances	1424	1505
ग्रेच्युटी व भविष्य निधि में अंशदान (प्रशासन फीस सहित) Gratuity and contribution to provident fund (Including Administration Fees)	356	166
स्टाफ कल्याण खर्च Staff welfare expenses	218	224
	1998	1895

अनुसूची - 14 - ब्याज व वित्त प्रभारें Schedule - 14 - Interest and Finance Charges

(मिलियन रुपए) (Rs. in millions)

	31 मार्च, 2002 का समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2002	31 मार्च, 2001 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2001
स्थायी ऋणों पर ब्याज Interest on Fixed Loans		
भारत सरकार के ऋणों पर ब्याज Interest on Government of India loans	520	718
बॉण्डों पर ब्याज Interest on bonds	461	1036
विदेशी ऋणों पर ब्याज Interest on foreign loans	448	697
आवधिक ऋण पर ब्याज Interest on term loan	2285	3714
अन्य ऋणों पर ब्याज Interest on Other Loans		
नकद उधार सुविधाओं पर ब्याज Interest on cash credit facilities	318	251
बॉण्ड खर्च Bond Expenses	9	1
ग्राहकों को छूट Rebate to Customers	234	167
कमिटमेंट फीस Commitment Fee	—	—
विदेशी ऋणों पर गारंटी फीस Guarantee Fee on Foreign Loan	109	129
अन्य वित्त प्रभारें Other Finance Charges	11	16
	4395	4878



अनुसूची - 15 - संविदा और परामर्शी खर्च Schedule - 15 - Contract and Consultancy Expenses

(मिलियन रुपए) (Rs. in millions)

	31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2002	31 मार्च, 2001 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2001
प्रत्यक्ष खर्च (श्रम, सामग्री, परिसंपत्तियों और ठेकेदारों/ आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान सहित) DIRECT EXPENSES	520	2200
(Includes labour, materials, assets and payment to contractors/suppliers)		
कर्मचारियों को पारिश्रमिक व हितलाभ EMPLOYEES' REMUNERATION AND BENEFITS		
वेतन, मज़दूरी, भत्ते व लाभ Salaries, wages, allowances and benefits	87	59
ग्रेच्युटी व भविष्य निधि में अंशदान Gratuity and contribution to provident fund	10	6
स्टाफ कल्याण खर्च Staff welfare expenses	2	67
मरम्मत व रखरखाव REPAIRS AND MAINTENANCE		
भवन Buildings	1	1
मशीनरी व निर्माण उपकरण Machinery and construction equipments	10	5
अन्य Others	6	24
प्रशासन व अन्य खर्च ADMINISTRATION AND OTHER EXPENSES		
किराया Rent	3	1
यात्रा व वाहन Travelling and conveyance	11	9
स्टाफ कारों तथा निरीक्षण वाहनों पर खर्च Expenses on staff cars and inspection Vehicle	6	7
बीमा Insurance	3	4
टेलीफोन, टेलेक्स व डाक खर्च Telephone, telex and postage	4	4
विज्ञापन व प्रचार Advertisement and publicity	1	—
छपाई व लेखन सामग्री Printing and stationery	1	1
बैंक प्रभारें Bank charges	—	1
निगम मुख्यालय प्रबंधन खर्च Corporate office management expenses	30	115
आकस्मिकताएं Contingencies	49	230
अन्य खर्च Other expenses	8	384

अनुसूची - 15 - संविदा और परामर्शी खर्च Schedule - 15 - Contract and Consultancy Expenses

(मिलियन रुपए) (Rs. in millions)

	31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2002	31 मार्च, 2001 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2001
मूल्यहास DEPRECIATION	6	7
कुल खर्च TOTAL EXPENDITURE	758	2682
घटाएं : प्राप्तियां व वसूलियां LESS : RECEIPTS AND RECOVERIES		
विविध Miscellaneous	41	32
अनावश्यक प्रावधानों / देयताओं की वापसी Provisions / Liability not required written back	1	—
वर्ष के दौरान शुद्ध खर्च NET EXPENDITURE DURING THE YEAR	716	2650
पूर्व अवधि समायोजन Prior Period Adjustments	(4)	9
	712	2659

अनुसूची - 16 - पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध) Schedule - 16 - Prior Period Adjustment (NET)

(मिलियन रुपए) (Rs. in millions)

	31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2002	31 मार्च, 2001 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2001
आय INCOME		
बिजली की बिक्री Sale of electricity	5	—
देनदारों से प्राप्त ब्याज/अधिभार Interest / Surcharge received from debtors	—	(2)
अन्य Others	12	30
	17	28
खर्च EXPENDITURE		
वेतन व मजदूरी Salaries and wages	—	18
मरम्मत व रख-रखाव Repair and maintenance	2	10
ब्याज Interest	1	(1)
अन्य Others	47	18
मूल्यहास Depreciation	32	72
	82	117
	65	89

लेखों संबंधी टिप्पणियां NOTES TO THE ACCOUNTS

1. आकस्मिक देयताएं

क) निगम के प्रति दावे, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, 9964 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 8465 मिलियन रुपए) के हैं। इनमें विदेशी वाणिज्यिक उधार के संबंध में अतिरिक्त गारंटी शुल्क के 757 मिलियन रुपए शामिल हैं जिनको समाप्त करने के लिए किया गया आवेदनपत्र अभी भी भारत सरकार के पास लंबित है।

ख) निगम द्वारा सीमाशुल्क प्राधिकारियों के पक्ष में निष्पादित किए गए बांड 174 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 212 मिलियन रुपए) के हैं।

2. पूंजी लेखों में निष्पादित की जाने वाली शेष संविदाओं तथा जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है, की अनुमानित राशि 22154 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 23796 मिलियन रुपए) है।

3. क) विद्युत मंत्रालय तथा एनसीईएस के पत्र सं.4/1/78-डीओ (एनएचपीसी) दिनांक 9.2.89 तथा दिनांक 12.7.91 के तहत सलाल पावर स्टेशन (चरण-I) को नवम्बर 1987 से निगम को हस्तांतरित कर दिया गया था। कानूनी हस्तांतरण के लिए विधि औपचारिकताएं पूरी न होने के कारण तथा कानूनी राय के आधार पर इस परियोजना के लेखे उन्हीं शर्तों तथा निबंधनों पर शामिल कर लिए गए हैं जो भारत सरकार द्वारा निगम को अन्य परियोजनाओं के हस्तांतरण के मामले में निर्धारित की गई थी। तदनुसार 3316 मिलियन रुपए (2976 मिलियन रुपए अनुमानित संशोधित लागत के प्रथम 50 प्रतिशत के हैं तथा 340 मिलियन रुपए आईडीसी के 50 प्रतिशत के हैं) की राशि को सरकार से निवेश के रूप में माना गया है तथा इक्विटी में समंजन योग्य भारत सरकार की निधि के रूप में इसे हिसाब में शामिल किया गया है।

ख) स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण 942 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 942 मिलियन रुपए) की राशि को, जो भारत सरकार के ऋण पर निर्माण के दौरान उत्पन्न ब्याज का पहला 50 प्रतिशत है तथा चमेरा-I, टनकपुर, उड़ी तथा रंगित पावर स्टेशनों के संबंध में पूंजीकृत किया गया है, इक्विटी में समंजनीय भारत सरकार की निधि के रूप में दर्शाया गया है।

4. भूमि व भवन

क) उपलब्ध प्रलेखन के आधार पर कंपनी के स्वामित्व वाली भूमि को यथासंभव सीमा तक फ्रीहोल्ड तथा लीजहोल्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा शेष भूमि को अवर्गीकृत के रूप में दर्शाया गया है जिसमें वन भूमि शामिल है जो निगम को उपयोग हेतु दी जाती है।

1. CONTINGENT LIABILITIES

a) Claims against the Corporation not acknowledged as debts Rs.9964 millions (previous year Rs. 8465 millions). This includes Rs.757 millions towards additional guarantee fee in respect of external commercial borrowing for which application for waiver is still pending with Govt. of India.

b) Bonds for Rs.174 millions (previous year Rs. 212 millions) executed in favour of Customs Authorities by the Corporation.

2. Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for is Rs. 22154 millions (previous year Rs. 23796 millions).

3. a) Salal Power Station (Stage-I) had been transferred to the Corporation w.e.f. Nov. 87 vide Ministry of Power and NCES letter Nos. 4/1/78-DO (NHPC) dated 9.2.89 and dated 12.7.91. Pending completion of legal formalities for de jure transfer and based on legal opinion, the Accounts of this project have been incorporated on the same terms and conditions as stipulated by the Government of India in case of transfer of other projects to the Corporation. Accordingly, an amount of Rs.3316 millions (Rs.2976 millions being the first 50% of estimated revised cost and Rs.340 millions being 50% of IDC) has been treated as investment from Govt. and accounted for as GOI fund adjustable to equity.

b) Pending sanction, Rs. 942 millions, (previous year Rs. 942 millions) being the first 50% of interest accrued during construction on Govt. of India loan and capitalised in respect of Chamera -I, Tanakpur, Uri and Rangit Power Stations has been shown as Government of India fund adjustable to equity.

4. LAND & BUILDING

a) Land owned by the Company has been classified into freehold and leasehold to the extent possible based on available documentation and the balance has been shown as unclassified including forest land, which is given to the Corporation for use.

ख) कुछ मामलों में, भूमि एवं भवन के संबंध में अधिकार संलेख/अधिकार को अभी निष्पादित/पारित किया जाना है। उसके पंजीकरण से जुड़े स्टाम्प शुल्क इत्यादि पर व्ययों को, जब और जैसे उपगत होगा, लेखों में शामिल किया जाएगा।

ग) जम्मू एवं कश्मीर में कुछ यूनिटों में पट्टा संलेखों के निष्पादित न किए जाने के कारण पट्टे की अवधि 99 वर्ष मान ली गई है, जम्मू में कुछ भूमि को छोड़कर जहां इसे 40 वर्ष माना गया है।

5. निवेश

क) निगम को विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों द्वारा निगम को उनकी देयताओं के निपटान में 31 मार्च 2002 तक 17173 मिलियन रुपए के बांड जारी किए गए हैं। तथापि, भारत सरकार एम.एस. अहलुवालिया समिति की सिफारिशों के अनुसार एक बारगी निपटान योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में लगी है जिसमें विनिर्दिष्ट कर मुक्त ब्याज दरों पर बांड निर्गम तथा राज्य सरकार द्वारा ब्याज तथा मूलधन के भुगतान के लिए एक गारंटी तंत्र द्वारा 30 सितम्बर, 2001 की स्थिति के अनुसार देयताओं को निश्चित रूप देने तथा उनके प्रतिभूतिकरण की व्यवस्था है। यह योजना 1 अक्टूबर, 2001 से प्रभावी होगी तथा निगम को पहले ही निर्गत किए गए बांड भी उक्त योजना में सम्मिलन के लिए अर्हक है। उक्त योजना के अनुसार लेखों का अंतिम निपटान तथा निगम को पहले ही निर्गत बांडों के प्रतिस्थापन हेतु दस्तावेजों के निष्पादन तथा 30 सितम्बर, 2001 की स्थिति के अनुसार बकाया अन्य देयताओं को एक निश्चित रूप देने तथा उन्हें प्रतिभूतिकृत करने की प्रक्रिया चल रही है। उक्त निपटान योजना के परिणामस्वरूप लेखों में आवश्यक समायोजन प्रलेखों के अंतिम निष्पादन के समय किए जाएंगे।

ख) हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में निगम के निवेशों के संबंध में 500 मिलियन रुपए के मूल्य के बांड प्रमाणपत्र अभी प्राप्त होने हैं।

6. बिक्री

क) 690 मेगावाट सलाल तथा 94.2 मेगावाट टनकपुर पावर स्टेशनों के संबंध में, केंद्रीय बिजली विनियामक आयोग ने वर्षान्त के तदनंतर दिनांक 27.7.2002 के टैरिफ आदेश की शर्तों के अनुसार टैरिफ को अनुमोदित कर दिया है। इन पावर स्टेशनों के संबंध में बिक्रियों का परिकलन संशोधित टैरिफ दरों के अनुसार तत्पश्चात भेजे गए बिलों के आधार पर किया गया है। अन्य पावर स्टेशनों के संबंध में 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार सीईआरसी द्वारा यथानिर्देशित के आधार पर बिक्रियों को अनंतिम रूप से स्वीकार किया गया है।

ख) बिक्रियों में ऊपर (क) के अनुसार यथा अनुमत कुल 1681 मिलियन रुपए के प्रोत्साहन/हतोत्साहन, विदेशी मुद्रा परिवर्तनों के कारण लाभानुभोगियों पर प्रभारित किए जाने वाले प्रभार, परिकल्पित सृजन तथा वर्ष के लिए आयकर शामिल है।

b) Title deeds/title in respect of Land & Building, in some cases, have yet to be executed/passed. Expenses on stamp duty etc. relating to registration thereof will be accounted for as and when incurred.

c) Pending execution of lease deeds at some of the Units in Jammu and Kashmir, period of lease has been taken at 99 year except certain land at Jammu where it has been taken as 40 years.

5. INVESTMENT

a) The Corporation has been issued Bonds for Rs.17173 millions by different State Electricity Boards until 31st March, 2002 in settlement of their dues to the Corporation. However, the Government of India, as per the recommendations of the M.S.Ahluwalia Committee is in the process of implementation of a one-time settlement scheme which provides for crystallisation and securitisation of the dues as on 30th September, 2001 by issuance of Bonds at specified tax-free interest rates and a guarantee mechanism for payment of interest and principal by the State Government. The Scheme will be effective retrospectively from 1st October, 2001 and the Bonds already issued to the Corporation are also eligible for inclusion in the above Scheme. The final settlement of accounts as per the above scheme and execution of documents for substitution of the Bonds already issued to the Corporation and settlement and securitisation of other dues outstanding as on 30th September, 2001 are in process. Necessary adjustment in the accounts resulting from the above settlement scheme shall be carried out on final execution of the documents.

b) Bonds certificate for value of Rs.500 millions are yet to be received in respect of the Corporation's investments in Haryana Vidut Prasaran Nigam Limited.

6. SALES

a) In respect of 690 MW Salal and 94.2 MW Tanakpur Power Stations, the Central Electricity Regulatory Commission has since, subsequent to the close of the year approved the tariff as per the terms of the Tariff order dated 27.07.2002. Sales in respect of these Power Stations have been accounted for based on the bills raised subsequently as per the revised tariff rates. In respect of other Power Stations, sales have been recognized provisionally on the basis as on 31st March, 2001 as directed by the CERC.

b) Sales includes charges yet to be billed on the Beneficiaries towards foreign currency variation, deemed generation, income tax for the year and incentives/disincentives aggregating to Rs. 1681 millions as admissible in terms of (a) above.

7. सीईआरसी द्वारा निर्गत दिनांक 27.7.2002 के टैरिफ निर्धारण आदेश के परिणामस्वरूप, ऐसे पावर स्टेशनों में मूल्यहास की व्यवस्था सीईआरसी द्वारा इसकी अधिसूचना सं.एल-7/25(1)/2001-सीईआरसी दिनांक 26.3.2001 में निर्धारित दरों पर की गई हैं तथा ऐसी दरों को अपनाने के लिए लेखाकरण नीति में संशोधन किया गया है। परिवर्तन के प्रभाव के परिणामस्वरूप मूल्यहास में 90 मिलियन रुपए की कमी तथा नियत परिसंपत्तियों के शुद्ध ब्लॉक में 90 मिलियन रुपए की वृद्धि हुई है।
8. कालपोंग परियोजना के संबंध में, गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय से संशोधित बजट अनुमान को स्वीकृति न मिलने के कारण संविदा की शर्तों के अनुसार वसूलनीय 60 मिलियन रुपए के 10 प्रतिशत प्रशासनिक प्रभारों को राजस्व के रूप में नहीं माना गया है। उपगत लागत की सीमा तक राजस्व को मान्य किया गया है तथा यह 'डेपोजिट वर्क' आधार पर परियोजना होने के कारण, कोई हानि होने की प्रत्याशा नहीं है।
9. संविदाकारों को निर्गत सामग्री के अन्तर्गत दर्शाए गए अधिशेष वसूलनीय दावे (पीजीसीआईएल तथा बीमा कंपनी से दावों सहित) पूंजी व्यय के लिए अग्रिम, विविध ऋणदाता तथा संविदाकारों से जमा राशियां/पेशगी धन मिलान/पुष्टि तथा संबंधित परिणामी समायोजनों के अध्यक्षीन हैं। तदनुसार, चमेरा-I तथा टनकपुर पावर स्टेशनों से संबंधित 28.8 मिलियन रुपए, 22.68 मिलियन रुपए, 10.37 मिलियन रुपए, 4.44 मिलियन रुपए तथा 16.52 मिलियन रुपए की राशि जो क्रमशः संविदाकारों को निर्गत सामग्री, संविदाकारों को अग्रिम, वसूलनीय किराया प्रभारों, अग्रिमों पर उपार्जित ब्याज तथा संविदाकारों/अन्यों से वसूलनीय दावों में शामिल हैं, दावों के निपटान पर समायोजन के अध्यक्षीन हैं। प्रबंधक वर्ग की राय में, उक्त के लिए इस अवस्था पर किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।
10. (क) भारत सरकार के निर्णय के अनुसार, सियांग (13400 मेगावाट) तथा सुबानसरी (7500 मेगावाट) परियोजनाओं को ब्रह्मपुत्र बोर्ड से निगम को हस्तांतरित किया गया था। हस्तांतरण प्रक्रिया को अंतिम रूप दिए जाने तथा ब्रह्मपुत्र बोर्ड के साथ लेखों का निपटान किए जाने तक, इन परियोजनाओं के संबंध में परिसंपत्तियाँ तथा देनदारियाँ निगम द्वारा उपगत राशियों की सीमा तक दर्ज की गई हैं।
- (ख) भारत सरकार के निर्णय के अनुसार निगम ने उड़ी-II, किशनगंगा, पकलदुल, सेवा-II, बरसर, निमोबाजगो, चुटक परियोजनाओं को जेएंडके पीडीसी से अधिगृहीत कर लिया है जिसके लिए जेएंडके पीडीसी द्वारा 848.90 मिलियन रुपए की मांग भेजी गई है। उपर्युक्त मांग के प्रति निगम ने हस्तांतरित परिसंपत्तियों के सत्यापन तथा जेएंडके पीडीसी द्वारा दिए गए लेखों के साथ मिलान की सीमा तक, सेवा-II परियोजना के लिए दावा किए गए 414.41 मिलियन रुपए के प्रति उक्त योजना के लिए 332.55 मिलियन रुपए का कुल व्यय दर्ज किया है। जेएंडके पीडीसी द्वारा मांग किया गया शेष व्यय मदों के अंतिम मिलान तथा उनके द्वारा लेखे प्रस्तुत किए जाने
7. Consequent upon tariff fixation order dated 27.07.2002 issued by CERC, the depreciation on such power stations is provided at rates prescribed by CERC in its notification No.L-7/25(1)/2001-CERC dated 26.03.2001 and accounting policy is revised to adopt such rates. The impact of change has resulted in decrease in depreciation by Rs. 90 millions and increase in Net Block of fixed assets by Rs. 90 millions.
8. In respect of Kalpong Project, 10% administrative charges, amounting to Rs. 60 millions, recoverable in terms of contract are not recognised as revenue, pending sanction of revised budget estimate from Ministry of Non-conventional Energy Sources. Revenue has been recognized to the extent of costs incurred and this being a Project on 'Deposit work' basis, no losses are expected.
9. Balances shown under Material issued to contractors, claims recoverable (including from PGCIL and Insurance company) advance for Capital Expenditure, Sundry Debtors, Advances to Contractors, Sundry Creditors and Deposit/Earnest money from contractors are subject to reconciliation/confirmation and respective consequential adjustments. Accordingly, a sum of Rs.28.8 millions, Rs.22.68 millions, Rs. 10.37 millions, Rs. 4.44 millions and Rs. 16.52 millions included in Material Issued to Contractors, Advance to Contractors, Hire charges recoverable, interest accrued on advances and claims recoverable from contractors/others, respectively, pertaining to Chamera-I & Tanakpur Power Stations are subject to adjustment on settlement of claims. In the opinion of Management, no provision is required against the above at this stage.
10. a) In accordance with the decision of Govt. of India, Siang (13400mw) and Subansiri (7500mw) Projects were transferred to the Corporation from Brahmaputra Board. Pending the finalisation of the handing over process and settlement of account with Brahmaputra Board, assets and liabilities in respect of these Projects have been booked to the extent of amounts incurred by the Corporation.
- b) In pursuance of Govt. of India decision, the Corporation has taken over, Uri-II, Kishanganga, Pakul Dul, Sewa-II, Bursur, Nimmo-Bazgo, Chutak Project's from J&KPDC for which demand of Rs. 848.90 millions has been raised by J&KPDC. Against the above, the Corporation has booked a total expenditure of Rs.332.55 millions towards SEWA II Project against Rs.414.41 millions claimed for the said Project to the extent of verification of the assets transferred and reconciliation with account rendered by J&KPDC. The remaining expenditure as demanded by J&KPDC shall be booked on final reconciliation of items and the

पर दर्ज किया जाएगा। उक्त परियोजनाओं से संबंधित व्यय अधिग्रहण के पश्चात निगम द्वारा उपगत किए गए व्यय तथा यथोक्त सेवा-II परियोजना के संबंध में मिलान की गई राशि की सीमा तक दर्ज किया गया है। सेवा-II परियोजना में, जेएंडके पीडीसी द्वारा हस्तांतरित नियत परिसंपत्तियों जेएंडके पीडीसी द्वारा अर्जित/निर्मित लागत पर पूंजीकृत की गई है तथा उसपर 31 मार्च, 2002 तक संचित मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है।

account rendered by them. The Expenditure on the above Projects have been booked to the extent of expenditure incurred by the Corporation after take over and to the extent of amount reconciled on SEWA II Project as above. In SEWA II Project, fixed assets transferred by J&KPDC have been capitalised at the cost at which acquired/constructed by J&KPDC and accumulated depreciation upto 31st March, 2002 has been provided thereon.

11. वसूलनीय दावों में भारत सरकार के आदेशों के अनुसार जेएंडके पीडीसी को सौंपी गई बगलिहार परियोजना के संबंध में उनके द्वारा देय 166.77 मिलियन रुपए की राशि शामिल है। सावलकोट परियोजना के संबंध में, परियोजना के अंतिम रूप से सौंपे जाने तक 46.4 मिलियन रुपए का पूंजी व्यय निगम की परिसंपत्तियों के भाग के तौर पर दर्शाया जाना जारी है। किन्तु पूंजी व्यय का भाग बनने वाली उक्त दो परियोजनाओं के संबंध में ब्याज तथा वित्तीय प्रभारों तथा कारपोरेट व्ययों की कुल 118.89 मिलियन रुपए की राशि इन लेखों में बट्टे खाते डाल दी गई है क्योंकि यह जेएंडके पीडीसी के साथ सम्मत हस्तांतरण की शर्तों के अनुसार निगम को प्रतिपूर्ति योग्य नहीं है। सावलकोट परियोजना के संबंध में जेएंडके पीडीसी से प्राप्त 54 मिलियन रुपए को तदर्थ अग्रिम चालू देयताओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है तथा इन्हें लेखों के अंतिम निपटान पर समायोजित किया जाएगा।
12. चालू पूंजीगत कार्य में 1980 से कोयलकारो जल विद्युत परियोजना पर उपगत 602 मिलियन रुपए तथा पार्वती (चरण-I) परियोजना पर उपगत 16 मिलियन रुपए शामिल हैं जिसकी स्वीकृति भारत सरकार से लंबित है।
13. कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 को माननीय उच्च न्यायालय, जम्मू के निर्णय के अनुसार संबंधित कर्मचारियों के लिए लागू किया गया है तथा इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय लंबित है। अधिकांश कर्मचारियों के संबंध में अंशदान बकाया वसूल कर लिए गए हैं तथा आरपीएफसी में जमा करा दिए गए हैं। शेष कर्मचारियों के संबंध में बकाया वसूली की प्रक्रिया चल रही है क्योंकि परियोजनाएं उन परियोजनाओं/इकाइयों से विगत वेतन तथा अन्य विवरण प्राप्त करने की प्रक्रिया में हैं जहां ये कर्मचारी पहले समय-समय पर तैनात थे। अतिरिक्त देयता का लेखाकरण, जब और जैसे निपटान किया जाएगा, कर दिया जाएगा।
14. माल सूचियों में अतिशेष निर्माण उपकरणों से संबंधित आयातित अतिरिक्त पुर्जे शामिल हैं जिन्हें वर्ष के दौरान उनके अनुमानित निवल वसूलीयोग्य मूल्य तक मूल्यह्रासित कर दिया गया है। इसके प्रति 62.5 मिलियन रुपए का ह्रास लाभ तथा हानि लेखे में प्रभावित किया गया है।
15. निगम ने अवकाश यात्रा रियायत का उपयोग न किए गए मामलों के संबंध में, उनमें अन्तर्निहित सैद्धांतिक अनुमान के मद्देनजर, जो वास्तविक व्यय से अत्यंत भिन्न था, अवकाश यात्रा रियायत प्रदान करने की पद्धति को अब बंद कर दिया है। यदि पूर्ववर्ती वर्षों में भी इसी आधार पर प्रावधान किया गया होता तो लाभ तथा हानि लेखे हेतु प्रभावित व्यय उच्चतर
11. Claims recoverable includes Rs.166.77 million due from J&KPDC in respect of Baglihar Project handed over to them as per GOI orders. In respect of Sawalkot Project, pending the final handing over of the Project, capital expenditure aggregating to Rs.46.4 millions continues to appear as part of the assets of the Corporation. However, interest and financial charges and corporate expenses aggregating to Rs.118.89 millions in respect of the above two Projects forming part of the capital expenditure have been written off in these accounts, the same being not reimbursable to the Corporation as per the terms of transfer agreed with J&KPDC. Adhoc advance of Rs.54 million received from J&KPDC in respect of Sawalkot Project is shown under Current Liabilities and shall be adjusted on final settlement of account.
12. Capital Work-in-progress includes Rs.602 millions incurred, since 1980, on Koel Karo H.E. Project and Rs.16 millions on Parbati (Stage-I) Project which are pending clearance from Govt. of India.
13. The operation of Employees Pension Scheme, 1995 is made applicable to relevant employees in terms of decision of Hon'ble High Court, Jammu and is pending decision of Hon'ble Supreme Court. The arrears of contribution in respect of most of the employees have been recovered and deposited with RPFC. Arrears recovery in respect of remaining employees are under process as the projects are in the process of obtaining past wages and other details from the Projects/Units where these employees were previously posted from time to time. Additional liability, if any, will be accounted for as and when settled.
14. Inventories include imported spares relating to surplus construction equipments, which have been written down to their estimated net realisable value during the year. Diminution of Rs.62.5 millions there against is charged to Profit and Loss Account.
15. The Corporation has since discontinued the practice of providing for leave travel concession in respect of unavailed cases in view of the theoretical estimation involved therein which varied significantly from the actual expenditure. Had provision been made on the same basis as in earlier years, expenditure charged to Profit & Loss Account would have been higher and

होता तथा वर्ष के लिए लाभ 15 मिलियन रुपए कम होता तथा निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय के अन्तर्गत अग्रेनीत व्यय 23.98 मिलियन रुपए उच्चतर होता।

profit for the year lower by Rs.15 millions and expenditure carried under Incidental Expenditure During Construction would have been higher by Rs.23.98 millions.

16. क) वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव का प्रभाव निम्नानुसार है :

16. a) The effect of foreign exchange fluctuation during the year is as under :

(मिलियन रुपए) / (Rs. in millions)		
	2001-02	2000-01
(i) मूल्यह्रास को छोड़कर लाभ तथा हानि लेखे में प्रभारित राशि Amount charged to Profit and Loss Account excluding depreciation	11	26
(ii) मूल्यह्रास को छोड़कर वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखे में जमा की गई निवल राशि Net amount credited to Profit and Loss Account for the year excluding depreciation	शून्य Nil	शून्य Nil
(iii) निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय को प्रभारित राशि Amount charged to Incidental expenditure during construction	शून्य Nil	(335)
(iv) चालू पूंजीगत कार्य हेतु प्रभारित राशि Amount charged to Capital work-in-progress	250	(36)
(v) नियत परिसंपत्तियों की अग्रेनीत राशि में जमा द्वारा समायोजित राशि Amount adjusted by addition to carrying amount of fixed assets	429	454
(vi) मौनीटरी परिसंपत्तियों में जमा द्वारा समायोजित राशि Amount adjusted by addition to monetary assets	शून्य NIL	14

(ख) वर्ष के दौरान पूंजीकृत की गई उधार लेने की लागत की राशि 1745 मिलियन रुपए (विगत वर्ष 1393 मिलियन रुपए) है।

b) The amount of borrowing cost capitalised during the year is Rs.1745 millions (previous year Rs.1393 millions).

17. संबंधित प्राधिकारियों से पूर्णता प्रमाणपत्र तथा मांग सूचना प्राप्त न होने के कारण फरीदाबाद कार्यालय परिसर के संबंध में संपत्ति कर के लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

17. Pending receipt of completion certificate and demand notice from respective authorities, provision for property tax has not been made in respect of Faridabad Office Complex.

18. निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष में 4.93 मिलियन रुपए जमा कराए गए हैं। 6.44 मिलियन रुपए की शेष राशि मिलान, समर्थन दस्तावेजों तथा बैंकों से पुष्टि न होने के कारण हस्तांतरण के लिए लंबित है।

18. Rs. 4.93 millions is deposited with Investors' Education and Protection Fund. Balance of Rs.6.44 millions is pending to be transferred for want of reconciliation, supporting documents and confirmation from Banks.

19. विद्युत उत्पादन निगम का प्रमुख व्यवसाय है। भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान द्वारा निर्गत खंड रिपोर्टिंग संबंधी लेखाकरण मानक 17 के अनुसार अन्य प्रचालन अर्थात् संविदा कार्य तथा परामर्शी सेवाएं सूचना देने योग्य खंड नहीं बनता। निगम द्वारा अर्जित ब्याज आय विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों को आपूरित ऊर्जा के प्रति उनके द्वारा देय ऋण के परिसमापन में उनके द्वारा निगम को जारी बांडों/वचनपत्रों से संबंधित है तथा उत्पादन गतिविधि को आरोप्य है।

19. Electricity generation is the principal business activity of the Corporation. Other operations viz., contract works and consultancy services do not form a reportable segment as per Accounting Standard 17 on Segment Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Interest income earned by the Corporation is in respect of bonds/ promissory notes issued to the Corporation by various State Electricity Boards in liquidation of the debts owed by them against energy supplied to them and are attributable to the generation activity.

20. क) इस लेखाकरण वर्ष से आय पर करों के लिए लेखाकरण संबंधी लेखाकरण मानक 22 के अनिवार्य हो जाने के परिणामस्वरूप निगम ने सामान्य प्रारक्षित राशि के नामे डालकर 1 अप्रैल, 2001 की स्थिति के अनुसार 9131 मिलियन रुपए की संचित निवल आस्थगित कर देयता दर्ज की है। चूंकि भारत सरकार/केंद्रीय बिजली विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित टैरिफ विनियमों में लाभानुभोगियों अर्थात् राज्य बिजली बोर्डों से वास्तविक भुगतान आधार पर कर व्यय प्रभारित करने का प्रावधान किया गया है, भावी वर्षों में राज्य बिजली बोर्डों से प्रभार द्वारा 1 अप्रैल, 2001 की स्थिति के अनुसार समंजसीय आस्थगित कर की 9131 मिलियन रुपए की राशि को भी सामान्य प्रारक्षित राशि में क्रेडिट द्वारा लेखें पर में लिया गया है। 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार आस्थगित कर परिसंपत्तियां तथा देयताएं निम्न प्रकार हैं :

20. a) Consequent to the Accounting Standard 22 on Accounting for Taxes on Income becoming mandatory from this accounting year, the Corporation has recorded accumulated net deferred tax liability of Rs.9131 Millions as on 1st April,2001 by debit to the General Reserve. As the Tariff regulations notified by the Government of India/Central Electricity Regulatory Commission provides for charging of the tax expense from the Beneficiaries viz. State Electricity Boards on actual payment basis, Rs.9131 Millions towards amount of deferred tax as on 1st April,2001 adjustable by charge from the SEBs in future years has also been accounted for by credit to the General Reserves. Deferred Tax Assets and Liabilities as on 31st March, 2002 are as under :

(मिलियन रुपए) (Rs. in millions)

अस्थगित कर परिसंपत्तियां

Deferred Tax Assets

i) असमाहित मूल्यह्रास	
Accumulated unabsorbed depreciation	2929
ii) कर परिकलन में आय समझे जाने वाले मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	
Advance against depreciation to the considered as income in tax computation	1419
iii) संदिग्ध ऋणों, बीमा आकस्मिताओं के लिए प्रावधान	
Provision for doubtful debts, insurance contingencies	1043
iv) कर्मचारी लाभ योजनाओं के लिए प्रावधान	
Provision for employee benefit schemes	245
	5636

आस्थगित कर देयताएं

Deferred Tax Liabilities

i) आयकर के अनुसार मूल्यह्रासित मूल्य की तुलना में बहियों के अनुसार मूल्यह्रास योग्य पूंजीगत परिसंपत्तियों के निवल बही मूल्य में अंतरण	
Difference between net book value of Depreciable capital assets as per books vis-à-vis written down value as per Income Tax	16965

शुद्ध आस्थगित देयता

Net Deferred Liability

11329

ख) प्राप्त राय के आधार पर कंपनी की कोई करयोग्य संपत्ति नहीं है तथा इसलिए संपत्ति कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

b) On the basis of opinion obtained, the Corporation does not have any taxable wealth and hence, no provision for wealth tax has been made.

21. संबंधित पार्टी प्रकटन प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

श्री योगेन्द्र प्रसाद	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री आर.नटराजन	निदेशक (वित्त)
श्री बिनय कुमार	निदेशक (कार्मिक)
श्री ए.के. गंगोपाध्याय	निदेशक (परियोजनाएं)
श्री आर.के.शर्मा	निदेशक (तकनीकी)

मद सं. 22 के अनुसार संबंधित पार्टी कार्य विवरण

21. Related Party Disclosures

Key Management Personnel

Shri Yogendra Prasad	Chairman & Managing Director
Shri R. Natarajan	Director (Finance)
Shri Binay Kumar	Director (Personnel)
Shri A.K. Gangopadhyay	Director (Projects)
Shri R.K. Sharma	Director (Technical)

Related party transactions as per item no. 22.



22. निदेशकों को अदा किए गए पारिश्रमिक

Remuneration paid to Directors

(मिलियन रूपए) (Rs. in millions)

	2001-02	2000-01
(क) i) वेतन व भत्ते		
a) Salaries & allowances	2.4	2.4
ii) भविष्य निधि में अंशदान		
Contribution to provident fund	0.3	0.2
iii) रिहायशी आवास के लिए किराया		
Rent for residential accommodation	0.7	0.4
iv) चिकित्सा प्रतिपूर्ति		
Medical reimbursement	0.1	0.2
(ख) यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति		
b) Reimbursement of travelling expenses	3.2	2.9

पूर्ण कालिक निदेशकों को सरकारी यात्रा के लिए तथा भुगतान पर निजी यात्रा के लिए 1000 कि.मी.तक कंपनी की कार का उपयोग करने की निम्न प्रकार अनुमति थी :

Whole-time Directors were also allowed the use of company's car for official journeys and for private journeys upto 1000 kms. on payment as under :

	गैर-वातानुकूलित कार Non - AC Car	वातानुकूलित कार AC Car
16 एचपी तक Upto 16 HP	325 रूपए प्रतिमाह Rs. 325 per month	520 रूपए प्रतिमाह Rs. 520 per month
16 एचपी से अधिक Above 16 HP	490 रूपए प्रतिमाह Rs. 490 per month	780 रूपए प्रतिमाह Rs. 780 per month

23. सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान

Payments to Statutory Auditors

(मिलियन रूपए) (Rs. in millions)

	2001-02	2000-01
सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क		
Statutory audit fees	0.65	0.63
कर लेखापरीक्षा शुल्क		
Tax audit fees	0.18	0.12
लेखापरीक्षा व्यय		
Audit expenses	0.47	0.35
अन्य मामले		
Other matters	0.45	0.01

24. विगत वर्ष के आंकड़ों को यथा आवश्यक पुनः समूहबद्ध/पुनःव्यवस्थित किया गया है।

Previous year's figures have been regrouped/re-arranged wherever necessary.

25. उत्पादित तथा विक्रीत ऊर्जा के संबंध में मात्रात्मक विवरण

Quantitative details in respect of Energy produced and sold :

	2001-2002	2000-01
i) लाइसेंस शुदा क्षमता (मेगावाट)	लागू नहीं	लागू नहीं
Licensed Capacity (M.W.)	-Not Applicable -	-Not Applicable-
ii) संस्थापित क्षमता (मेगावाट)		
Installed Capacity (M.W.)	2149.20	2149.20
iii) वास्तविक उत्पादन (मि.यू.)		
Actual Generation (M.U.s.)	8912.29	8773.93
iv) वास्तविक बिक्री (मि.यू.)		
Actual Sales (M.U.s.)	7754.45	7632.08

(मिलियन रुपए) (Rs. in millions)

	2001-2002	2000-2001
26. क) आयातित संयंत्र तथा मशीनरी एवं अतिरिक्त पुर्जों का सीआईएफ आधार पर मूल्य		
a) Value of imported Plant and Machinery and Spares on CIF basis.	1268	535
ख) विदेशी मुद्रा में व्यय		
b) Expenditure in Foreign Currency		
i) जानकारी Know - How	14	139
ii) ब्याज Interest	1110	1178
iii) अन्य विविध मामले Other Misc. Matters	322	3033
ग) प्रचालन इकाइयों में खपत किए अतिरिक्त पुर्जों तथा संघटकों का मूल्य		
c) Value of spare parts and Components consumed in operating units.		
i) आयातित Imported	19 (28%)	4 (6%)
ii) स्वदेशी Indigenous	50 (72%)	67 (94%)
घ) विदेशी मुद्रा में अर्जन		
d) Earnings in foreign currency		
ब्याज Interest	—	—
अन्य Others	—	—

कृते के.एन. गोयल एंड कंपनी

For K. N. Goyal & Co.

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

Chartered Accountants

(के.एन. गोयल)

(K. N. Goyal)

भागीदार

Partner

विजय गुप्ता

VIJAY GUPTA

सचिव

Secretary

आर. नटराजन

R. NATARAJAN

निदेशक (वित्त)

Director (Finance)

योगेन्द्र प्रसाद

YOGENDRA PRASAD

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

Chairman & Managing Director

स्थान/Place : फरीदाबाद/Faridabad

दिनांक/Dated : 24.08.2002

तुलन पत्र सार एवं कंपनी के सामान्य व्यवसाय की रूपरेखा

BALANCE SHEET ABSTRACT AND COMPANY'S GENERAL BUSINESS PROFILE

I. पंजीकरण विवरण

Registration details

पंजीकरण संख्या
Registration no.

3	2	5	6	4
---	---	---	---	---

राज्य कोड
State code

0	5
---	---

तुलन पत्र दिनांक
Balance sheet date

3	1	0	3	2	0	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---

II. वर्ष के दौरान जुटाई गई पूंजी (मिलियन रुपए)

Capital raised during the year (Rupees in millions)

सार्वजनिक निर्गम

Public issue

शू	-	य
----	---	---

N	I	L
---	---	---

बांड निर्गम

Bond issue

शू	-	य
----	---	---

N	I	L
---	---	---

* भारत सरकार से प्राप्त अंशपूंजी जमा राशि

* Share capital deposit received from Govt. of India.

III. निधियों के संग्रहण तथा विनियोजन की स्थिति (मिलियन रुपए)

Position of Mobilisation and Development of Funds (Rupees in millions)

कुल देयताएं

Total liabilities

1	6	5	4	2	2
---	---	---	---	---	---

निधियों के स्रोत

Sources of Funds

प्रदत्त पूंजी #

Paid-up capital #

6	3	4	5	7
---	---	---	---	---

प्रतिभूति ऋण

Secured loan

3	7	4	4	9
---	---	---	---	---

राइट इश्यू

Right issue

शू	-	य
----	---	---

N	I	L
---	---	---

निजी नियोजन*

Private placement*

1	1	5	7	5
---	---	---	---	---

कुल परिसंपत्तियां

Total assets

1	6	5	4	2	2
---	---	---	---	---	---

आरक्षित एवं अधिशेष \$

Reserves and surplus \$

3	2	4	6	9
---	---	---	---	---

अप्रतिभूति ऋण

Unsecured loans

2	4	7	2	3
---	---	---	---	---

इसमें 6268 मि. की अंशपूंजी जमा राशि तथा इक्विटी में समायोजनीय भारत सरकार की निधि के 4258 मिलियन रुपए शामिल हैं।
Includes share capital deposit Rs. 6268 millions and Govt. of India fund adjustable to equity Rs. 4258 millions.

\$ इसमें मूल्यहास के प्रति अग्रिम के लिए प्राप्त 6484 मिलियन रुपए की अग्रिम आय शामिल है।

\$ Includes Income received in advance on account of Advance against depreciation amounting to Rs. 6484 million.

निधियों का प्रयोग

Application of Funds

शुद्ध स्थिर परिसंपत्तियां

Net fixed assets

1	2	3	3	0	6
---	---	---	---	---	---

 @

शुद्ध चालू परिसंपत्तियां

Net current assets

1	5	5	0	0
---	---	---	---	---

निवेश

Investments

1	9	2	7	2
---	---	---	---	---

विविध खर्च

Misc. expenditure

2	0
---	---

संचित हानियां

Accumulated losses

शू न य

N I L

@ इसमें 57438 मिलियन रुपए के चालू पूंजीगत कार्य शामिल हैं।

@ Includes capital work-in-progress of Rs. 57438 millions.

IV. कंपनी का कार्य निष्पादन (मिलियन रुपए)

Performance of Company (Rupees in millions)

कुल कारोबार

Turnover

1 3 3 5 4 **

कर-पूर्व लाभ

Profit before tax

5 1 3 1

प्रति शेयर मूल अर्जन रुपए में

Basic earning per share in Rs.

9 1 . 0 5

कुल खर्च

Total expenditure

1 0 4 2 3

कर के पश्चात् लाभ

Profit after tax

4 7 0 9

लाभांश की राशि

Dividend amount

5 0 0

** इसमें अन्य आय के 2200 मिलियन रुपए शामिल नहीं हैं।

** Excludes other income Rs. 2200 millions.

V. कंपनी के तीन प्रमुख उत्पादों/सेवाओं के सामान्य नाम

Generic Names of Three Principal Products/Services of Company

i) उत्पाद विवरण

Products description

वि द्यु त उ त् पा द न

G E N E R A T I O N O F E L E C T R I C I T Y

मद कोड संख्या

Item code no.

-

ii) उत्पाद विवरण

Product description

नि र्मा ण सं वि दा एं

C O N S T R U C T I O N C O N T R A C T S

मद कोड संख्या

Item code no.

-

iii) उत्पाद विवरण

Product description

प रा म र्शी से वा एं

C O N S U L T A N C Y S E R V I C E S

मद कोड संख्या

Item code no.

-

विजय गुप्ता
VIJAY GUPTA

सचिव
Secretary

आर. नटराजन
R. NATARAJAN

निदेशक (वित्त)
Director (Finance)

योगेन्द्र प्रसाद
YOGENDRA PRASAD

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
Chairman & Managing Director



कैश फ्लो स्टेटमेंट / Cash Flow Statement

(स्टॉक एक्सचेंजों की करार सूची के खण्ड-32 के संदर्भ में प्रस्तुत)

(PURSUANT TO CLAUSE 32 OF THE LISTING AGREEMENT WITH STOCK EXCHANGES)

(मिलियन रुपए) (Rs. in millions)

	31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2002	31 मार्च, 2001 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2001
क. संचालित गतिविधियों से कैश फ्लो		
A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
कर-पूर्व शुद्ध लाभ तथा असाधारण मदें Net Profit before tax and extraordinary items	5131	4842
जोड़ें :		
ADD :		
मूल्यहास Depreciation	2392	2495
आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान Provisions for Contingencies	49	230
अदा किया गया ब्याज Interest Paid	4395	4878
स्वयं बीमा आरक्षण Self-Insurance Reserve	386	382
राजस्व खर्च में क्रमवार अंतर Deferred revenue expenditure amortized	8	11
मालसूचियों के मूल्य में कमी Diminution in value of inventories	63	—
बटूटे खाते डाले गए परियोजना खर्च Project expenses written off	119	—
परिसंपत्तियों की बिक्री से हानि Loss on sale of assets	4	10
विनिमय दर अंतर Exchange rate variation	11	26
मूल्यहास के लिए पेशगी Advance against Dep.	1286	1338
	8713	9370
घटाएं : परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ		
Less : Profit on sale of assets	17	35
आस्थगित राजस्व खर्च Deferred Revenue Expenditure	1	90
ग्राहकों को दी गई छूट Rebate Given to Customers	234	167
प्रदत्त विनिमय दर अंतर Exchange Rate Variation Paid	11	26
अति प्रावधानों व देनदारियों को वापस लिया जाना Excess Provisions & Liabilities written back	59	11
लाभांश आय Dividend Income	—	—
कार्यकारी पूंजी समायोजनों से पूर्व संचालित गतिविधियों से कैश फ्लो Cash flow from operating activities before working capital adjustments	13522	13883

कैश फ्लो स्टेटमेंट / Cash Flow Statement

(स्टॉक एक्सचेंजों की करार सूची के खण्ड-32 के संदर्भ में प्रस्तुत)

(PURSUANT TO CLAUSE 32 OF THE LISTING AGREEMENT WITH STOCK EXCHANGES)

(मिलियन रुपए) (Rs. in millions)

	31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2002	31 मार्च, 2001 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2001
कार्यकारी पूंजी परिवर्तन Working Capital Changes		
मालसूचियों में (वृद्धि)/कमी (Increase)/Decrease in inventories	4	(75)
संविदा कार्य प्रगति में (वृद्धि)/कमी (Increase)/Decrease in contract work in progress	7	2123
प्राप्तियों में (वृद्धि)/कमी (Increase)/Decrease in receivables	(3963)	(2692)
व्यापार और अन्य देयताओं में (वृद्धि)/कमी (Increase)/Decrease in trade & other payables	(1187)	(1378)
कर पूर्व संचालित गतिविधियों से कैश फ्लो Cash flow from operating activities before taxes	8383	11861
घटाएँ : कर भुगतान Less : Taxes Paid	422	408
संचालित गतिविधियों से शुद्ध कैश फ्लो (क) NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (A)	7961	11453
ख. निवेश संबंधी गतिविधियों से कैश फ्लो B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
स्थिर परिसंपत्तियों की खरीद और निर्माण परियोजना पर खर्च (निर्माण के दौरान आकस्मिक खर्च शामिल हैं) Purchase of fixed assets & expenditure on construction projects (including incidental expenditure during construction)	(14357)	(11283)
स्थिर परिसंपत्तियों के निपटान की बिक्री प्रक्रिया Sale proceeds on disposal of fixed assets	89	175
सहायक कंपनी के शेयरों में निवेश Investment in shares of subsidiary company	(1300)	(799)
लाभांश प्राप्त (156,182 रुपए) Dividend received (Rs. 156,182)	—	—
निवेश गतिविधियों से शुद्ध कैश फ्लो (ख) NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES (B)	(15568)	(11907)
ग. वित्तीय गतिविधियों से कैश फ्लो C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
हिस्सा पूंजी जारी करने से प्राप्ति Proceeds from issue of share capital	5307	5940
हिस्सा पूंजी जमा Share capital deposit	6268	1480
लाभांश व कर प्रदत्त लाभांश Dividend & dividend tax paid	(331)	(185)
उधार (शुद्ध) से प्राप्ति Proceeds on borrowings (net)	5741	594
ब्याज व वित्तीय प्रभारें Interest & financial charges	(6167)	(6286)
वित्त गतिविधियों से शुद्ध कैश फ्लो (ग) NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	10818	1543



कैश फ्लो स्टेटमेंट / Cash Flow Statement

(स्टॉक एक्सचेंजों की करार सूची के खण्ड-32 के संदर्भ में प्रस्तुत)

(PURSUANT TO CLAUSE 32 OF THE LISTING AGREEMENT WITH STOCK EXCHANGES)

(मिलियन रुपए) (Rs. in millions)

	31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2002	31 मार्च, 2001 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2001
नकद व नकद समतुल्यों से शुद्ध वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग) NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (A+B+C)	3211	1089
वर्ष के आरंभ में नकद व नकद समतुल्य Cash & cash equivalents at the beginning of the year	2206	1117
वर्ष के अंत में नकद व नकद समतुल्य Cash & cash equivalents at the close of the year	5417	2206

टिप्पणी :

NOTE :

- नकद व नकद समतुल्य में शामिल हैं उपलब्ध चेक/ड्राफ्ट सहित नकद राशि एवं बैंक बैलेंस।
Cash and cash equivalents consist of cash and bank balances including cheques / drafts in hand.
- कारपोरेशन को ऋण चुकाने के लिए प्रदत्त बांडों पर अर्जित ब्याज को कोर जनरेटिंग गतिविधि में संचालन संबंधी गतिविधियों के हिस्से के तौर पर माना गया है।
Bonds allotted to the corporation in discharge of debts and interest earned thereon being related to the core generating activity has been considered as part of cash from operating activities.
- उपरोक्त में वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा देयताओं के पुनः सारणीकृत (रि-स्टेटमेंट) विनिमय अंतर से हानि के 597 मिलियन रुपए शामिल हैं।
The above includes exchange variation loss on restatement of foreign currency liabilities at year end rates Rs. 597 millions.
- ब्याज तथा पूंजीगत वित्तीय प्रभारों के 1786 मिलियन रुपयों को स्थिर परिसंपत्तियों व निर्माण कार्य प्रगति पर निवेश में शामिल नहीं किया गया है।
Investment in fixed assets & construction work in progress excludes interest & financial charges capitalised Rs. 1786 millions
- पिछले वर्षों के आंकड़ों को, जहां आवश्यक है, पुनः समूहित/पुनः व्यवस्थित किया गया है।
Previous year's figures have been regrouped/re-arranged wherever necessary.

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date attached

कृते के.एन. गोयल एंड कंपनी

For K.N. Goyal & Co.

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

Chartered Accountants

के.एन. गोयल

K.N. GOYAL

भागीदार

Partner

विजय गुप्ता

VIJAY GUPTA

सचिव

Secretary

आर. नटराजन

R. NATARAJAN

निदेशक (वित्त)

Director (Finance)

योगेन्द्र प्रसाद

YOGENDRA PRASAD

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

Chairman & Managing Director

स्थान / Place : फरीदाबाद / Faridabad

दिनांक / Dated : 24.08.2002

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट Auditors' Report

सेवा में, सदस्यगण,
नैशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड

To The Members of
National Hydroelectric Power Corporation Limited

1. नैशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2002 के संलग्न तुलन पत्र व उसी तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा की लेखा परीक्षा कर ली गई है। इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी कंपनी प्रबन्धन की है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करना है।
2. साधारणतः भारत में प्रचलित लेखा परीक्षा मानदंडों के अनुसार हमने अपनी लेखा परीक्षा संचालित की है। इन मानदंडों के अंतर्गत हम योजना बनाते हैं तथा वित्तीय विवरणों के दोषरहित विवरण सामग्री हेतु उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा पूर्ण करते हैं। लेखा परीक्षा में जांच आधारित परीक्षण, राशि के समर्थन में प्रमाण तथा वित्तीय विवरणों में प्रकटन शामिल हैं। लेखा परीक्षा में प्रयोग किए गए लेखा सिद्धांत का निर्धारण तथा प्रबंधन द्वारा बनाए गए सार्थक अनुमानों के साथ-साथ पूरे वित्तीय विवरण के प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी लेखा परीक्षा हमारे मत हेतु एक उचित आधार प्रदत्त करती है।
3. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 (4ए) की शर्तों पर कंपनी लॉ बोर्ड द्वारा निर्गत अन्य कंपनियों (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) के आदेश, 1988 एवं विनिर्माण की आवश्यकतानुसार, आदेश के पैरा 4 व 5 में उल्लिखित विषयों पर एक विवरण, कंपनी के लिए लागू होने की सीमा तक, हमने अनुलग्नक में दिया है।
4. i. तुलन-पत्र 'वास्तविक कीमत' तथा कंपनी अधिनियम, 1956 के लिए निर्धारित अनुसूची-VI की आवश्यकतानुसार चार परियोजनाएं अर्थात् चमेरा-1, टनकपुर, रंगित तथा उड़ी के मामलों में स्थिर परिसंपत्तियों के संचयित मूल्यहास को प्रतिबिंबित नहीं करता है। स्थिर परिसंपत्तियों की सभी मद, जो निर्माण अवधि के दौरान प्राप्त की गई, को वास्तविक कीमत के बदले निर्माण अवधि के अंत में 'लिखित निम्न मूल्य' पर दर्शाया गया है। भारत के चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था की सिफारिशों, "निर्माण अवधि के दौरान व्यय" का गलत अर्थ लगाया गया है यहां तक कि मदों जैसे भूमि, भवन, सड़कें इत्यादि की वास्तविक कीमत, जो निर्माण अवधि के दौरान खरीदे अथवा निर्मित किए गए, यद्यपि कि जो निर्माण गतिविधियों के लिए नहीं भी थी, को उपरोक्तानुसार घटा दिया गया है। केवल विशिष्ट निर्माण उपस्कर एवं अस्थायी परिसंपत्तियों विशेषकर स्थिर परिसंपत्तियों के निर्माण को सरल बनाने हेतु निर्मित, जो स्वयं में स्थिर परिसंपत्तियाँ नहीं हैं, के मामलों में उपरोक्त निर्देशन टिप्पणी एक अनुमानित लागत पर उस स्थिर परिसंपत्तियों को आगे उपयोग में लाने की सिफारिश करती है। यदि निर्माण अवधि के पश्चात वह उपयोग करने लायक हो। अनुशंसा की गई है यदि वह निर्माणवधि के बाद उपयोग में लाई जा सकती हैं। यह निर्माणवधि के दौरान अधिप्राप्त स्थिर परिसंपत्तियों की स्वतंत्र मदों पर लागू नहीं है। स्थिर परिसंपत्तियों को आईसीएआई द्वारा निर्गत वित्तीय विवरणों में प्रयुक्त शब्द समूहों संबंधी मार्गदर्शन टिप्पणी में इस प्रकार परिभाषित किया गया है 'वस्तुओं या सेवाओं को प्रदान करने या उत्पादित करने के प्रयोजनार्थ धारित परिसंपत्ति तथा जो व्यवसाय के सामान्य क्रम में पुनः बिक्री हेतु धारित नहीं हैं'। कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-VI तथा स्थिर परिसंपत्तियों संबंधी लेखाकरण मानक 10 की अपेक्षा के अनुसार, स्थिर परिसंपत्तियाँ लागत पर बताई जानी हैं। लेखाकरण के आधारभूत सिद्धांतों के अनुसार, स्थिर परिसंपत्ति की मूल लागत के प्रति मूल्यहास के
1. We have audited the attached Balance Sheet of NATIONAL HYDROELECTRIC POWER CORPORATION LIMITED as at 31st March, 2002 and the Profit & Loss Account for the year ended on that date annexed thereto. These financial statements are the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.
2. We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material mis-statements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
3. As required by the Manufacturing and Other Companies (Auditors' Report) Order, 1988 issued by the Company Law Board in terms of Section 227 (4A) of the Companies Act, 1956, we give in the Annexure a statement on the matters specified in paragraphs 4 and 5 of the said Order, to the extent applicable to the Company.
4. i. The Balance Sheet does not reflect the 'original cost' and accumulated depreciation of Fixed Assets in case of four Projects viz., Chamera I, Tanakpur, Rangit and Uri as required by Schedule VI to the Companies Act, 1956. All items of fixed assets which were acquired during the construction period have been stated at 'written down value' as at the end of the construction period, instead of the original cost. The recommendations of the Institute of Chartered Accountants of India vide Guidance Note on Treatment of Expenditure During Construction Period have been misconstrued and the original cost of even items like land, building, roads, etc. which were purchased or constructed during construction period, though not for construction activities, have been reduced as above. Only in case of special construction equipments and temporary assets created specially to facilitate construction of the Fixed Assets, which are not fixed assets in themselves, the above Guidance Note recommends the carry over of the same at an estimated cost, if the same is of use after construction period. This does not apply to independent items of Fixed Assets which are acquired for business purposes just because they are procured during construction period. Fixed Asset is defined in the Guidance Note on Terms used in Financial Statements issued by the ICAI as 'Asset held for the purpose of providing or producing goods or services and that is not held for resale in the normal course of business'. As per the requirement of Schedule VI to the Companies Act, 1956 and Accounting Standard 10 on Fixed Assets, Fixed Assets have to be stated at Cost. As per fundamental principles of accounting, adjustment of provision for depreciation against the original cost of fixed asset is made only

लिए प्रावधान का समायोजन तभी किया जाता है जब मद या तो स्क्रेप की गई हो, छोड़ दी गई हो या बेच दी गई हो। मूल लागत के प्रति मूल्यहास के लिए प्रावधान के समायोजन की अपेक्षा हेतु उक्त स्थितियों में से कोई भी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई तथा इसलिए लेखाबहियों में पारित प्रविष्टियां आधारभूत रूप से गलत हैं। अतः मूल लागत तथा संचित मूल्यहास के अन्तर्गत दर्शायी गई राशि का स्थिर परिसंपत्तियों के विभिन्न शीर्षों के सामने निम्न प्रकार अल्पकथन हुआ है :

	राशि (मिलियन)
लीजहोल्ड भूमि	8
भवन	276
सड़कें तथा पुल	40
उप-केन्द्र उपस्कर	20
फर्नीचर, फिक्सचर तथा उपस्कर	24
पारेषण लाइनें	13
विविध परिसंपत्तियां/उपस्कर	42

- ii. स्वनिर्मित परियोजना परिसंपत्तियों यथा उत्पादन संयंत्र वाले भवन, हाइड्रोलिक कार्य तथा उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी को समुचित प्रकार से निर्धारित नहीं किया गया क्योंकि निर्माणावधि के दौरान अर्जित सभी परिसंपत्तियों पर मूल्यहास की व्यवस्था साविधियों के तहत यथा निर्धारित सामान्य दरों पर की गई है तथा निर्माण की लागत को आबंटित की गई है, बिना स्थिर परिसंपत्तियों यथा लीजहोल्ड भूमि, स्थायी भवन, बुनियादी सुविधाओं इत्यादि के बीच अंतर किए जो परियोजना की स्वतंत्र स्थिर परिसंपत्तियां हैं जिन पर मूल्यहास केवल उस सीमा तक आबंटित किया जाना चाहिए था, जहां तक वह निर्माण गतिविधि के लिए प्रासंगिक है तथा निर्माण उपकरण, अस्थायी संरचना इत्यादि, जिनके संबंध में कंपनी के लिए समुचित उपयोगिता सुनिश्चित की जानी चाहिए थी तथा मूल्यहास उपयोगिता पर प्रभारित किया जाना चाहिए था अथवा वैकल्पिक रूप से पूर्ण लागत को पूंजीकृत किया जाना चाहिए था तथा निर्माणावधि के अंत में निपटान मूल्य/अवशेष मूल्य स्व संचित परिसंपत्ति की निर्माण लागत में क्रेडिट किया जाना चाहिए था, जैसाकि आईसीआई द्वारा जारी निर्माण के दौरान व्यय व्यवहार हेतु मार्गदर्शन टिप्पणी में अनुशंसा की गई है। वित्तीय विवरणों पर उक्त का प्रभाव सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।
- iii. अवर्गीकृत भूमि में परियोजना के लिए वन भूमि का उपयोग अनुमत करने के लिए वन विभाग को क्षतिपूर्ति भुगतान शामिल है। भुगतान केवल उपयोग का अधिकार प्रदान करते हैं स्वामित्व नहीं और इन्हें अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति के रूप में पूंजीकृत किया जाना था तथा परियोजना के निर्माणकाल में परिशोधित किया जाना था किन्तु पूर्ण क्षतिपूर्ति को भूमि की लागत के रूप में पूंजीकृत किया जा रहा है तथा कोई परिशोधन नहीं किया गया। इस प्रकार संपूर्ण राशि को पूंजीकृत किया गया है तथा परिशोधन राशि का सुनिश्चय नहीं किया गया।
- iv. पूंजीगत अतिरिक्त पुर्जों, वैकल्पिक उपस्करों सुधारों, प्रतिस्थापनों मरम्मत तथा आधुनिकीकरण/नवीकरण पर व्यय, के व्यवहार के संबंध में कंपनी की कोई मानक नीति नहीं है। समान मदों के संबंध में भिन्न व्यवहार किया गया है यथा टर्बाइन का निचला रिंग, लैब्रिथ, टॉप कवर इत्यादि को कुछ मामलों में पूंजीकृत किया गया तथा अन्य मामलों में वस्तुसूची के रूप में शामिल किया गया तथा कुछ अन्यो में मरम्मत को प्रभारित

when either the item is scrapped, discarded or sold. None of the above situations have arisen to require the adjustment of the provision for depreciation against the original cost and hence, the entries passed in the books of account are also fundamentally wrong. The amounts appearing under 'original cost' and 'accumulated depreciation' are therefore, understated against various heads of Fixed Assets as under :

	Amount (Millions)
Leasehold Land	8
Buildings	276
Roads and Bridges	40
Sub-Station Equipments	20
Furniture, Fixture and Equipments	24
Transmission Lines	13
Miscellaneous Assets/Equipments	42

- ii. The cost of self-constructed Project Assets viz., Building containing Generating Plant, Hydraulic Works and Generating Plant & Machinery have not been appropriately determined insofar as depreciation on all assets acquired during construction period have been provided at normal rates as prescribed under the statutes and allocated to the cost of construction without differentiating between fixed assets like leasehold land, permanent buildings, infrastructure facilities, etc. which are independent Fixed Assets for business, depreciation on which ought to have been allocated only to the extent to which they were considered as incidental to the construction activity, and assets specially procured for construction activities like special construction equipments, temporary structures, etc., in respect of which appropriate useful life to the Company ought to have been ascertained and depreciation charged over the useful life, or alternatively, the whole of the cost should have been capitalised and the disposal value/residual value at the end of the construction period should have been certified to the cost of construction of the self-constructed asset, as recommended in the Guidance Note for Treatment of Expenditure During Construction issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Effect of the above on the financial statements is not ascertainable.
- iii. Unclassified Land includes compensatory payments to the Forest Department for allowing use of forest land for the Project. These payments only confer a right to use and not ownership and ought to be capitalized as an *intangible asset* and amortized over the project life. But the total compensation is being capitalized as cost of 'Land' and no amortization is made. Total amount thus capitalized and amortization amount unascertained.
- iv. The Company does not have a standard policy regarding treatment of capital spares, stand-by equipments, expenditure on modernization/renovation, improvements, replacements and repairs. Similar items had been rendered different treatments like lower ring of turbine, labyrinth, top cover, etc. which were found to be capitalised in certain cases and carried as inventory and charged to repairs in yet other cases.

पाया गया है। चमेरा-1 में, वस्तुसूचियों में 85.44 मिलियन रुपए के उत्पादन संबंधी अतिरिक्त पुर्जों शामिल किए गए जिन्हें 4-5 वर्षों से परिवर्तित नहीं किया गया था तथा इनमें पूंजीगत अतिरिक्त पुर्जों की विभिन्न मदें तथा वैकल्पिक उपकरण जैसे टर्बाइन गाइड बेयरिंग, 400 केवी ट्रांसफार्मर इत्यादि शामिल हैं, जिन्हें स्थिर परिसंपत्तियों के लिए लेखाकरण संबंधी लेखाकरण मानक 10 के अनुसार पूंजीकृत तथा मूल्यह्रासित किया जाना चाहिए था। बैरास्यूल परियोजना में 162.60 मिलियन रुपए वर्ष 1999-2000 में पूंजीकृत किए गए थे (जिसमें पहले मरम्मत के लिए प्रभारित 87.60 मिलियन रुपए की वापसी को शामिल किया गया है) तथा उक्त वर्ष की लेखा टिप्पणियों के अनुसार, वह विद्युत गृह के नवीकरण तथा आधुनिकीकरण पर पूंजीकृत व्यय का द्योतक है, यह मानते हुए कि उक्त राशि का परिणाम पूंजी अतिरिक्त पुर्जों/वैकल्पिक उपकरण था, जबकि आधुनिकीकरण तथा नवीकरण का परिणाम पूंजीगत पुर्जों अथवा वैकल्पिक उपकरणों का अधिग्रहण तथा वैकल्पिक उपकरणों के अधिग्रहण पर व्यय के लिए लेखा में व्यवहार भिन्न है। हमें उक्त सभी प्रश्नों का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया सिवाए दो मामलों में एक तकनीकी व्यक्ति से टिप्पणी/प्रमाणपत्र के कि प्रदत्त व्यवहार सही है। इसके अतिरिक्त, मरम्मत प्रभारित को उच्च लागत मदों के प्रतिस्थापन के मामले में पुनः प्राप्त मद की प्राप्ति तथा इसके लेखाकरण व्यवहार का संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है तथा हमारे प्रेक्षण के प्रत्युत्तर में 0.90 मिलियन रुपए की राशि बैरास्यूल परियोजना में स्कैप स्टॉक में जोड़ दी गई थी। उचित स्पष्टीकरण के अभाव में तथा लेखों में दिए गए भिन्न व्यवहारों के कारण हम पूंजीगत पुर्जों, वैकल्पिक उपकरण, आधुनिकीकरण/नवीकरण व्यय तथा सुधारों संबंधी व्यवहार तथा खपत किए गए अतिरिक्त पुर्जों (मरम्मत किए गए पुर्जों सहित) की लाभ तथा हानि लेखा में प्रभारित किए जाने की यथार्थता के संबंध में आईसीएआई द्वारा निर्गत नियत परिसंपत्तियों के लिए लेखाकरण संबंधी लेखाकरण मानक 10 तथा मूल्यह्रास संबंधी लेखाकरण मानक-6 के अनुपालन के संबंध में अपनी राय व्यक्त करने में असमर्थ हैं। वित्तीय विवरणों पर इसका प्रभाव सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

- v. वस्तुसूचियों में विभिन्न संचालनात्मक परियोजनाओं द्वारा धारित अतिरिक्त घोषित विशेष निर्माण उपकरणों के अतिरिक्त पुर्जों के संबंध में 328 मिलियन रुपए शामिल हैं जो वस्तुसूचियों की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आते। इसके अतिरिक्त इन्हें निवल वसूलीयोग्य मूल्य के बजाए भारित औसत लागत पर लिया जा रहा था। हमारे पूछने पर 62.50 मिलियन रुपए की तदर्थ कटौती चमेरा-1 द्वारा धारित ऐसे अतिरिक्त पुर्जों के 271 मिलियन रुपए के स्टॉक में की गई है जिसे 2.8.2002 को गठित एक समिति द्वारा सुनिश्चित किया गया बताया गया है जिसने अपनी रिपोर्ट 3.8.2002 को प्रस्तुत की थी। मूल्य में कटौती की प्रविष्टि को निगम स्तर पर पारित किया गया है तथा हमें परियोजना के मूल्य निर्धारित स्टोर लैजर में किए गए समायोजनों का ज्ञान नहीं है। इसके अतिरिक्त, मूल्य में उक्त कटौती करके, कंपनी ने अपनी लेखाकरण नीति विवरण बदल दिया है कि अतिरिक्त निर्माण उपकरण के आयातित पुर्जों निवल वसूली योग्य मूल्य पर लिए गए हैं। एक दिन में 30000 मदों के निवल वसूली योग्य मूल्य के सुनिश्चय के साथ जुड़ी स्वेच्छाचारिता तथा समायोजन के तरीके तथा लेखाकरण नीति

In Chamera I, inventories were found to include Generation Plant & Machinery Spares of Rs. 85.44 millions which have not moved over 4-5 years and include various items of capital spares and stand by equipments like Turbine Guide Bearing, 400 KV Transformer etc. which ought to have been capitalised and depreciated as per Accounting Standard 10 on Accounting for Fixed Assets. In Bairasiul Project, Rs. 162.60 mn had been capitalised in the year 1999-2000 (which included a write back of Rs. 87.60 mn. earlier charged to repairs) and as per the Notes to the Accounts of the said year, the same represented "expenditure on renovation and modernization of Power House capitalized considering the said amount incurred as resulting into capital spares/stand by equipments". Whereas, modernization and renovation do not result in the acquisition of capital spares or stand by equipments and treatment required in accounts for expenditure on modernization/renovation and acquisition of capital spares and acquisition of stand by equipment are different. Certain additions/replacements in the nature of improvements were also found to be charged to Repairs. We have not been given any satisfactory explanation to all our queries expect a note/certificate from a Technical person in two cases that the treatment rendered is correct. Further, in case of replacement of high cost items charged to repairs, the status of the retrieved item and its accounting treatment have also not been satisfactorily explained and in response to our observation, a sum of Rs. 0.90 millions was added to the stock of scrap in Bairasiul Project. In the absence of proper explanation and diverse treatments given in the accounts, we are unable to express our opinion on the compliance with the Accounting Standard - 10 on Accounting for Fixed Assets and Accounting Standard - 6 on Depreciation Accounting issued by the Institute of Chartered Accountants of India with regard to treatment of capital spares, stand by equipments, modernization/renovation expenditure and improvements and the correctness of spares consumed (including by way of repairs) charged to Profit & Loss Account. Effect of the same on the financial statements is unascertainable.

- v. Inventories include Rs. 328 Millions in respect of surplus spares of special construction equipments declared surplus held by various Operational Projects which do not come within the definition of 'Inventories'. Further, these were being carried at weighted average cost instead of net realisable value. On our query, an adhoc reduction of Rs. 62.50 Million has been made to the stock of Rs. 271 Millions of such spares held by Chamera I which is said to have been ascertained by a Committee constituted on 2.8.2002 which has submitted its report on 3.8.2002. The entry for the reduction in value has been passed at the Corporate Office level and we are not aware of the adjustments made in the Priced Store Ledger of the Project. Further, by making the above reduction in value, the Company has changed its accounting policy statement that imported spares of surplus construction equipment are carried at net realisable value. In view of the arbitrariness attached to the ascertainment of the net realisable value of over 30000 items in one day and

में मनमाने परिवर्तन के मद्देनजर हम उस मूल्य के संबंध में अपनी राय व्यक्त करने में असमर्थ हैं, जिसपर अतिरिक्त निर्माण उपकरणों के अतिरिक्त पुर्जों के स्टॉक को कंपनी द्वारा शामिल किया जा रहा है।

- vi. वस्तुसूचियों में आगे अचल भंडारों तथा अतिरिक्त पुर्जों के लिए 385 मिलियन रुपए शामिल हैं, जिन्हें लागत पर शामिल किया गया है। न तो उनके निवल वसूली योग्य मूल्य का सुनिश्चय किया गया है, न ही उनके मूल्य में तदनुकरण के लिए कोई प्रावधान लेखों में किया गया है। हम उन मूल्यों पर अपनी राय व्यक्त करने में असमर्थ हैं जिनपर वे लेखों में शामिल किए गए हैं।
- vii. कंपनी अपनी सभी वस्तुसूचियों (ऊपर सूचित अतिरिक्त निर्माण उपकरणों के आयातित पुर्जों को छोड़कर) को भारित औसत लागत पर शामिल करती है तथा वह निवल वसूलीयोग्य मूल्य का निर्धारण नहीं करती। वस्तुसूचियों के मूल्यनिर्धारण संबंधी लेखाकरण मानक 2 लागत पर वस्तुसूचियों को शामिल करने की अनुमति देता है चाहे निवल वसूलीयोग्य मूल्य कम है जहां अंततः तैयार माल लागत पर या उससे अधिक बेचा जाता है। किन्तु बैरास्यूल, लोकतक, टनकपुर तथा रंगित परियोजनाओं के संबंध में, परियोजनाएं हानि की स्थिति में हैं अर्थात् बैरास्यूल के मामले में 212 मिलियन रुपए की बिक्री की तुलना में 223 मिलियन रुपए की हानि लोकतक के मामले में 283 मिलियन रुपए की बिक्री की तुलना में 72 मिलियन रुपए की हानि, टनकपुर के मामले में 440 मिलियन रुपए की बिक्री की तुलना में 72 मिलियन रुपए की हानि तथा रंगित के मामले में 635 मिलियन रुपए की बिक्री की तुलना में 103 मिलियन रुपए की हानि। वस्तुसूचियों के मूल्यनिर्धारण संबंधी लेखाकरण मानक 2 का इन चार परियोजनाओं के संबंध में अनुपालन नहीं किया जा रहा है।
- viii. कंपनी को प्रदत्त संविदा कार्यों के संबंध में, संविदा कार्य के लिए प्रयुक्त स्थिर परिसंपत्तियों पर मूल्यहास का परिकलन भी विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत अधिसूचित दरों के अनुसार तथा परिसंपत्ति को प्रयोग में लाए जाने के वर्ष के अनुवर्ती वर्ष से किया जा रहा है। स्थिर परिसंपत्तियों का मूल्यहास कंपनी के लिए परिसंपत्तियों की उपयोगिता के निर्धारण के आधार पर या कंपनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत निर्धारित दरों पर, जो भी उच्च हो, किया जाना चाहिए। कंपनी की नीति त्रुटि पूर्ण है तथा इससे संविदा कार्यों में मूल्यहास तथा संविदा कार्य की लाभ/हानि पर प्रभाव अल्प प्रभारण होता है। निर्माण संविदाओं के लिए लेखाकरण संबंधी लेखाकरण मानक 7 का अनुपालन भी नहीं किया गया क्योंकि संविदा की आरोप्य लागतें ठीक प्रकार सुनिश्चित नहीं की गईं। वित्तीय विवरणों पर उक्त के प्रभाव को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।
- ix. दो पावर स्टेशनों अर्थात् सलाल और टनकपुर के मामले में विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 की वर्तमान अधिसूचना के स्थान पर केन्द्रीय विद्युत नियामक प्राधिकरण की अधिसूचित दरों के अनुसार मूल्यहास का प्रावधान किया गया है तथा उसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 616 के अधीन कंपनी ने अपनाया है। इस के परिणामस्वरूप मूल्यहास 90 मिलियन कम दिखाया गया है, और लाभ को उपरोक्त राशि के अधिक दिखाया गया है।
- x. लाभ तथा हानि लेखों में प्रभारित बीमा व्यय में संचालनात्मक परियोजनाओं की स्थिर परिसंपत्तियों के सकल ब्लॉक के

the manner of adjustment and the arbitrary change in accounting policy, we are unable to express our opinion on the value at which the stock of spares of surplus construction equipments are being carried by the Company.

- vi. Inventories further include Rs. 385 Millions towards non-moving stores and spares which are carried at cost. Neither the net realisable value of the same have been ascertained nor any provision for diminution in value of the same have been provided in the accounts. We are unable to express our opinion on the values at which they are carried in the accounts.
- vii. The Company carries all its inventories (other than imported spares of surplus construction equipments as reported above), at weighted average cost and is not determining the net realisable value. Accounting Standard 2 on Valuation of Inventories permits carrying of inventories at cost even if the net realisable value is lower where the ultimate finished goods are sold at or above cost. But, in respect of Bairasiul, Loktak, Tanakpur and Rangit Projects, the Projects are into losses viz., loss of Rs. 223 Millions against sale of Rs. 212 Millions in case of Bairasiul, loss of Rs. 72 Millions against a sale of Rs. 283 Millions in case of Loktak, loss of Rs. 72 Millions against sale of Rs. 440 Millions in case of Tanakpur and loss of Rs. 103 Millions against sale of Rs. 635 Millions in case of Rangit. The Accounting Standard 2 on Valuation of Inventories is not being followed in respect of these four Projects.
- viii. In respect of Contract Works awarded to the Company, depreciation on fixed assets used for the contract work is also being computed in accordance with the rates notified under the Electricity Supply Act, 1948 and from the year following the year in which the asset is put to use. The fixed assets ought to be depreciated from the first year itself, based on the assessment of the useful life of the assets to the Company or the rates prescribed under the Companies Act, 1956 if it is higher. The policy of the Company is defective and is leading to an undercharge of depreciation to the contract works and effect on the profit/loss on the contract work. Accounting Standard 7 on Accounting for Construction Contracts is also not complied with insofar as the costs attributable to the contract are not properly ascertained. Effect of the above on the financial statements is unascertained.
- ix. In respect of two Power Stations, viz., Salal and Tanakpur, depreciation has been provided at the rates recommended by the Central Electricity Regulatory Authority in the tariff notification instead of the rates prescribed under the existing notification under the Electricity Supply Act, 1948 and adopted by the Company as permitted under section 616 of the Companies Act, 1956. This has resulted in depreciation provided being lower by Rs. 90 Millions and profit higher by the said amount.
- x. Insurance Expenses charged to Profit & Loss Account includes Rs. 386 Millions as a notional charge by

0.5 प्रतिशत पर परिकलित स्वबीमा आरक्षित लेखा में क्रेडिट द्वारा सांकेतिक प्रभार के रूप में 386 मिलियन रुपए शामिल हैं। वित्तीय विवरणों में प्रयुक्त शर्तों संबंधी मार्गदर्शन टिप्पणी के अनुसार 'किए गए खर्च' को एक 'देयता उपगत करने', नकद के संवितरण या परिसंपत्तियां, माल, उप सेवाएं प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ संपत्ति के अंतरण के रूप में परिभाषित किया गया है तथा व्यय को किसी लेखाकरण अवधि के संचालनों से संबंधित लागत या अवधि के दौरान अर्जित राजस्व या जिसके लाभ उस अवधि के आगे नहीं विस्तारित होते के रूप में परिभाषित किया गया है। 'लागत' को पुनः किसी विनिर्दिष्ट मद, उत्पाद या गतिविधि पर उपगत या आरोप्य व्यय की राशि के रूप में परिभाषित किया गया है। लाभ तथा हानि लेखे में प्रभारित स्व बीमा आरक्षित राशि के परिणामस्वरूप कोई व्यय नहीं हुआ अर्थात् कोई दायित्व उपगत नहीं हुआ, कोई नकद संवितरित नहीं हुआ या संपत्ति का अंतरण नहीं हुआ या कंपनी के राजस्व सृजन क्रियाकलाप पर आरोपित नहीं किया गया। ऐसा सांकेतिक प्रभार लेखाकरण के आधारभूत तथा लाभ एवं हानि लेखा तैयार करने से संबंधित सिद्धांतों के विरुद्ध है। इसके अतिरिक्त, आरक्षित राशि इस प्रकार लाभ का विनियोजन है तथा लाभ पर प्रभार नहीं है। कंपनी परियोजना के लाभ एवं हानि लेखा में डेबिट द्वारा उन मामलों में भी स्वबीमा आरक्षित राशि का सृजन कर रही है, जहां लाभ एवं हानि लेखा हानि दर्शाते हैं। निदेशक मंडल ने 3 जनवरी 1998 को हुई अपनी बैठक में ओएंडएम परियोजनाओं के सकल ब्लॉक का 0.5 प्रतिशत वर्ष दर वर्ष आधार पर लाभ के विनियोजन तथा सरकारी प्रतिभूतियों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम बांडों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों की जमा राशियों में निवेश के द्वारा आरक्षित राशि के रूप में अंतरित करने, प्रतिपूर्ति की जाने वाले हानियों के लिए निधियों की आवश्यकता के दृष्टिगत ऐसे निवेशों की प्राप्ति या बेचने/वसूल करने का संकल्प किया। वर्ष के दौरान दिनांक 24 जुलाई, 2001 के बोर्ड के कार्यवृत्त तथा अनुवर्ती कार्यालय आदेश के अनुसार, यूपीएसईबी के बांडों में 1337.70 मिलियन रुपए के निवेशों को भी स्व-बीमा निधि में निवेश के लिए निर्दिष्ट कर दिया गया, जो पहले निधियों की अल्पता के कारण निवेशित नहीं किया गया था। उस पर 168 मिलियन रुपए का लाभ अर्जित किया गया है तथा बोर्ड के कार्यवृत्त के अनुसार ऐसे ब्याज को भी पुनः निवेशित किए जाने पर विचार किया गया है। यद्यपि बोर्ड ने लाभों को विनियोजित करने का सही निर्णय लिया है, लेखाकरण में तथा लाभ एवं हानि लेखा तैयार करने में, सकल ब्लॉक का 0.5 प्रतिशत बीमा व्ययों के रूप में डेबिट किया जा रहा है। निर्दिष्ट निवेश भी अंतिम लेखों में पृथक रूप से नहीं दर्शाए गए तथा यथोक्त निर्दिष्ट बांडों पर अर्जित 168 मिलियन रुपए का ब्याज भी आरक्षित राशि में विनियोजित नहीं किया गया है। अतः लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित व्यय का लेखों में 386 मिलियन रुपए का अतिकथन तथा लाभों में इसी राशि का अल्पकथन किया गया है।

- xi. आस्थगित कर परिसंपत्ति तथा देयता का परिकलन करने में, स्व बीमा आरक्षित राशि को एक 'समय संबंधी अंतर' माना गया है तथा उसके प्रति आस्थगित कर परिसंपत्ति को मान्य किया गया है, जो सही नहीं है। परिणामतः लाभ एवं हानि लेखे को प्रभारित आस्थगित कर 156 मिलियन रुपए कम है तथा लाभ में इसी राशि का अति कथन है। तुलनपत्र में निवल आस्थगित कर देयता में 655 मिलियन रुपए का अल्पकथन है, लाभ एवं हानि लेखा के अधिशेष में 156 मिलियन रुपए का अतिकथन है तथा सामान्य आरक्षित राशि में 499 मिलियन रुपए का अतिकथन है।

credit to Self Insurance Reserve Account calculated at 0.5% of the gross block of fixed assets of operational projects. As per Guidance Note on Terms Used in Financial Statements, 'Expenditure' is defined as 'incurring a liability, disbursement of cash or transfer of property for the purpose of obtaining assets, goods or services' and 'Expense' is defined as 'A cost relating to the operations of an accounting period or to the revenue earned during the period or the benefits of which do not extend beyond that period'. 'Cost' is again defined as 'the amount of expenditure incurred on or attributable to a specified article, product or activity. Self Insurance Reserve charged to the Profit & Loss account has not resulted in any expenditure i.e. incurring of any liability, disbursement of cash or transfer of property incurred on or attributable to the revenue generating activity of the Company. Such notional charge is against the fundamental principles of accounting and those relating to preparation of the Profit & Loss Account. Further, Reserves are as such appropriations of Profit and not a charge on the Profit. The Company is creating the Self Insurance Reserve by debit to the Project's Profit & Loss Account even in cases where the Profit & Loss Accounts are reflecting a loss. The Board of Directors in their meeting held on 3rd January, 1998 had resolved to transfer 0.5% of the Gross Block of O&M Projects towards self insurance fund on year to year basis as a reserve by appropriation of profits and its investment in Government Securities, PSU Bonds and time deposits of Nationalised Banks and to sell/realise the proceeds of such investments in view of requirement of funds for the losses to be reimbursed. During the year, vide Board Minutes dated 24th July, 2001 and subsequent office order, investments in the Bonds of UPSEB for Rs. 1337.70 Millions were also earmarked towards investment of the self-insurance fund, which had not earlier been invested due to paucity of funds. Interest of Rs. 168 Millions has been earned thereon and as per the Board Minutes, such interest have also to be considered as reinvested. Though the Board has correctly resolved to appropriate the profits, in accounting and framing the Profit & Loss Account, 0.5% of the gross block in being debited as Insurance Expenses. The investments earmarked have also not been shown separately in the final accounts nor the interest of Rs. 168 Millions earned on the Bonds earmarked as above, been appropriated to the reserves. The Expenses charged to the Profit & Loss Account is therefore, overstated by Rs. 386 Millions and Profit understated to the said extent.

- xi. In computing the Deferred Tax asset and liability, self-insurance reserve has been considered as a 'timing difference' and 'deferred tax asset' has been recognized thereagainst, which is incorrect. As a result, deferred tax charged to Profit & Loss Account is lower by Rs. 156 Millions and profit overstated to the said extent. Net Deferred Tax Liability in the Balance Sheet is understated by Rs. 655 Millions, Balance in Profit & Loss Account overstated by Rs. 156 Millions and General Reserve overstated by Rs. 499 Millions.

xii. दर विनियमों में कर को व्यय के रूप में भुगतान देयता के अनुमान पर वर्ष दर वर्ष राज्य बिजली बोर्डों से प्रभारित करने की व्यवस्था है। इसके दृष्टिगत निगम ने बिक्री के क्रेडिट द्वारा वर्तमान कर वसूली के लिए 395 मिलियन रुपए की राशि दर्ज की है तथा वर्ष के आस्थगित कर व्यय के प्रति आस्थगित कर वसूलनीय समायोजन लेखे के रूप में 2198 रुपए की राशि दर्ज की है। 31 मार्च 2002 की स्थिति के अनुसार कंपनी ने आय पर करों के लिए लेखाकरण संबंधी लेखाकरण मानक 22 के अनुसार दर्ज उसी राशि की अपनी निवल आस्थगित कर देयता के प्रति वसूलनीय आस्थगित कर के रूप में 11329 मिलियन रुपए दर्ज किए हैं। तथापि, दर विनियमों में अग्रेनीत भत्तों तथा कर को यथेष्ट रूप से प्रभावी करते हुए व्यष्टि परियोजनाओं की देयता के निर्धारण तथा केंद्रीय उत्पादन गतिविधि की आय पर केवल करों की वसूली का प्रावधान किया गया है। कंपनी ने अपने स्वयं के खाते से कर देयता के प्रति उचित समायोजनों के बिना 7 संचालनात्मक परियोजनाओं के लाभानुभोगियों से वसूलनीय कुल निवल आस्थगित कर देयता दर्ज की है, जो राज्य बिजली बोर्डों से वसूलनीय नहीं है। राज्य बिजली बोर्डों से वसूलनीय चालू कर देयता के मामले में, लाभ तथा हानि लेखा में व्यय के रूप में तथा स्व-बीमा योजना के निवेश के तौर पर निर्दिष्ट इयरमार्कड बांडों पर ब्याज के रूप में लाभ एवं हानि लेखे को सांकेतिक रूप से प्रभारित स्व बीमा प्रारक्षित राशि को प्रभावी नहीं किया गया है, जैसाकि निदेशक मंडल द्वारा संकल्प किया गया था जो निगम के अपने खाते से हैं। आस्थगित कर देयता के प्रति वसूलनीय राशि का परिकलन करने में, उक्त परियोजनाओं के असमाहित मूल्यहास के प्रति आस्थगित कर आस्ति को उस राशि द्वारा वर्जित नहीं किया गया है जो कंपनी द्वारा अपने स्वयं के खाते से उत्पन्न देयता को प्रतिसंतुलित करने के लिए खपत की गई थी तथा उक्त परियोजना से संबंधित नहीं है जैसे निधियों के अल्पावधि नियोजन पर आय तथा स्व बीमा निधि, कंपनी द्वारा किए गए संविदा कार्य, बगलिहार तथा सावल कोट परियोजनाओं के जम्मू व कश्मीर विद्युत विकास निगम को अंतरित/पावर स्टेशन अंतरणाधीन अवसूली योग्य परियोजना व्यय के कारण बट्टे खाते डाली गई राशि तथा लाभ एवं हानि लेखे, को सांकेतिक रूप से प्रभारित स्व बीमा व्यय को अनुमत न करना। उक्त का प्रभाव यह है कि बिक्री तथा ऋण 43 मिलियन रुपए अधिक है तथा चालू कर तथा कराधान के लिए प्रावधान 1 मिलियन रुपए अधिक है, लाभ तथा हानि लेखें में क्रेडिट किया गया आस्थगित कर वसूलनीय समायोजन 257 मिलियन रुपए अधिक है तथा वर्ष के लिए कर पश्चात लाभ 299 मिलियन रुपए अधिक है, प्रारक्षित सामान्य राशि 772 मिलियन रुपए अधिक है, तथा वसूलनीय आस्थगित कर 1029 मिलियन रुपए अधिक है।

xiii. कंपनी को टर्नकी आधार पर प्रदत्त कुरिचु जल विद्युत परियोजना के संबंध में संविदाकार को अनुमत विपथनों तथा अतिरिक्त कार्य जिन्हें लेखे में, नहीं लिया गया, के लिए व्ययों के संबंध में 62 मिलियन रुपए की राशि का अल्प कथन किया गया है। स्थल कार्यालय ने किए गए कार्य को प्रमाणित किया है तथा कंपनी द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र समिति ने इस राशि को संदेय निर्धारित किया है तथा कार्यालय टिप्पणी में भी इस देयता की पुष्टी की गई है। किन्तु लेखाबहियों में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। पहले हमें यह स्पष्ट किया गया था कि देयता आकस्मिक देयता टिप्पणी में शामिल है तथा बाद में यह बताया गया कि यह संविदा के संबंध में किए गए आकस्मिकता प्रावधान में शामिल है। आकस्मिकताओं के लिए

xii. The Tariff regulations provide for charging of tax as an expense from the State Electricity Boards from year to year on estimate of payment liability. In view of the same, the Company has booked a sum of Rs. 395 Millions towards recovery of current tax by credit to sales and Rs. 2198 Millions as Deferred Tax Recoverable Adjustment Account against Deferred Tax Expense of the year. As at 31st March, 2002, the company has booked Rs. 11329 Millions as Deferred Tax Recoverable against its own Net Deferred Tax Liability of the same amount booked as per Accounting Standard 22 on Accounting for Taxes on Income. However, the Tariff Regulations provide for recovery only of taxes on income of core generation activity and determination of liability of individual projects giving due effect to brought forward allowances and tax holidays. The Company has booked the total net deferred tax liability as recoverable from the Beneficiaries of the 7 operational Projects without proper adjustments towards the tax liability arising on its own account which are not recoverable from the State Electricity Boards. Current tax recoverable from the SEBs have also been worked out at a higher amount by including tax impact arising on account of disallowance of self-insurance reserve because of the notional charge and interest on bonds earmarked towards investment of self-insurance fund as resolved by the Board of Directors which are on the company's own account. In computing amount recoverable from SEBs against net deferred tax liability, deferred tax asset against unabsorbed depreciation of the above Projects has not been increased by the amount which has been consumed by the Company to offset tax liability arising on its own account and not related to the above Projects like income on short term deployment of funds and self insurance fund, contract works carried out by the Company, write off on account of irrecoverable Project Expenses of Baglihar and Sawalkot Project transferred/under transfer to Government of Jammu & Kashmir Power Development Corporation and disallowance of self-insurance expense notionally charged to Profit & Loss account. Impact of the above is that sales and debtors are higher by Rs. 43 Millions and current tax and provision for taxation is higher by Rs. 1 Million, Deferred tax Recoverable Adjustment credited to the Profit & Loss Account is higher by Rs. 257 Millions, Profit after tax for the year is higher by Rs. 299 Millions, General Reserve is higher by Rs. 772 Millions and Deferred Tax Recoverable is higher by Rs. 1029 Millions.

xiii. In respect of Kurichu HE Project awarded to the Company on Turnkey basis, expenses are understated to the tune of Rs. 62 Millions towards extra work and deviations allowed to a Contractor which has not been accounted for. The Site Office has certified the work done and an independent Committee appointed by the Company has also determined the same amount as payable and the Office Note also confirms the liability. However, no provision for the same has been made in the books of account. At first, it was explained to us that the liability is covered by the contingent liability note and later it was explained that the same is covered in the Provision for Contingencies made in respect of the contract. The said Provision for

उक्त प्रावधान प्रत्येक वर्ष वारंटी दावों तथा दोष देयता अवधि में आकस्मिकताओं के लिए समनुरूप से संविदा राशि की 5 प्रतिशत दर पर किया गया प्रावधान है तथा उक्त देयता के लिए किया गया प्रावधान नहीं है। अतः संविदा व्ययों का अल्पकथन किया गया है तथा वर्ष के लिए लाभ में 62 मिलियन रुपए का अतिकथन तथा विविध देनदारों में इसी राशि का अल्पकथन किया गया है।

xiv. निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय में कोयल कारो परियोजना के संबंध में 598 मिलियन रुपए शामिल हैं, जहां कार्य रुका हुआ है। पिछले 20 वर्षों से परियोजना में किया गया कुल प्रत्यक्ष कार्य केवल 21 मिलियन रुपए का है। परियोजना की स्थापना के साथ जुड़ी अनिश्चितता तथा परियोजना द्वारा की गई नगण्य प्रगति के दृष्टिगत पूंजीगत व्यय के रूप में 598 मिलियन रुपए के कुल प्रासंगिक व्यय का अग्रेशन विवेकपूर्ण नहीं है तथा केवल वही व्यय जो प्रत्यक्ष है यथा सर्वेक्षण, अन्वेषण इत्यादि पर जिसका भावी लाभ है, अग्रणीत किया जाना चाहिए तथा अधिशेष को बट्टे खाते डाला जाना चाहिए। राशि सुनिश्चित नहीं की गई है।

xv. विभिन्न लेखों की पुष्टि तथा समाधान के संबंध में टिप्पणी संख्या 9 की ओर संदर्भ आकर्षित किया जाता है, जिसके संबंध में समायोजन का प्रभाव, यदि कोई हो, सुनिश्चित नहीं किया गया है।

xvi. धौलीगंगा परियोजना के संबंध में, चालू निर्माण कार्य में कंपनी द्वारा आयातित संयंत्र तथा मशीनरी पर सीमा शुल्क के लिए प्रदत्त 17 मिलियन रुपए शामिल हैं जबकि संयंत्र तथा मशीनरी का मूल्य 31 मार्च 2002 तक दर्ज नहीं किया गया है। संविदा के अनुसार, सम्पत्ति तथा माल पहले ही संभरक द्वारा नौवहन पर कंपनी को पारित कर दिया गया है। राशि सुनिश्चित नहीं की गई है।

5. उपर्युक्त अनुबंध के पैरा (1) के संदर्भ में टिप्पणियों के अतिरिक्त तथा ऊपर पैराग्राफ 4 में हमारी रिपोर्ट के अधीन हमारा कथन है कि :

क) हमने वे सभी सूचना व स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थे।

ख) हमारे विचार से जैसा कि बहियों की जांच परख से पता चला है, कंपनी ने कानूनी तौर पर अपेक्षित समुचित लेखा बहियां रखी हैं।

ग) शाखाओं तथा संविदा लेखों संबंधी रिपोर्ट (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 2(9) के अर्थ में शाखा नहीं) अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित कर हमें अग्रेषित की गई तथा हमने अपनी रिपोर्ट तैयार करने में उस पर समुचित कार्रवाई की है।

घ) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलनपत्र और लाभ एवं हानि लेखे बहियों से मेल खाते हैं।

ड.) हमारी राय में लाभ तथा हानि लेखे तथा तुलनपत्र कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उपधारा (3ग) में उल्लिखित अनिवार्य लेखाकरण मानकों का अनुपालन करते हैं, सिवाय नियत परिसंपत्तियों के लिए लेखाकरण संबंधी लेखाकरण मानक 10 तथा मूल्यह्रास लेखाकरण संबंधी लेखाकरण मानक 6 के जैसाकि ऊपर पैराग्राफ 4 मद संख्या (i) से (iv) में सूचित किया गया है, तथा वस्तुसूची मूल्यनिर्धारण संबंधी लेखाकरण मानक 2 जैसा कि पैराग्राफ 4, मद (v) से (vii) में सूचित किया गया है, निर्माण संविदाओं के लिए

Contingencies is a provision @ 5% of the contract amount made consistently every year towards warranty claims and contingencies in the defect liability period and is not a provision towards the above liability. Contract expenses is, therefore, understated and Profit for the year overstated by Rs. 62 millions and Sundry Creditors understand by the said amount.

xiv. Incidental Expenditure During Construction includes Rs. 598 Millions in respect of Koel Karo Project, work on which is standstill. The total tangible work carried out in the Project since the last 20 years is only Rs. 21 Millions. Considering the total tangible work done vis-a-vis the incidental expenditure on construction incurred till date, the uncertainty and insignificant progress made by the Project, the carry forward of the total incidental expenditure of Rs. 598 Millions as capital expenditure is not prudent and only such of the expenditure which are direct like on survey, investigation, etc. which may have future benefit should be carried forward and the balance written off. Amount unascertained.

xv. Reference is invited to Note No. 9 regarding confirmation and reconciliation of various accounts, the impact of adjustment in respect of which, if any, is not ascertainable.

xvi. In respect of Dhauliganga Project, Construction Work in Progress includes Rs. 17 Millions paid towards customs duty on Plant and Machinery imported by the Company whereas the value of the plant and machinery has not been booked till 31st March, 2002. As per the contract, the property in the goods has already passed on to the Company on shipment by the supplier. Amount unascertained.

5. Further to our comments in Annexure referred to in paragraph 1 above and subject to our report in paragraph 4 above, we state that :

a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;

b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the company so far as appears from our examination of such books;

c) The report on the accounts of Branches and Contract Works (not being Branches within the meaning of Section 2 (9) of the Companies Act, 1956) audited by other auditors have been forwarded to us and have been appropriately dealt by us in preparing our report.

d) The Balance Sheet and profit & Loss Account referred to in this report are in agreement with the books of account;

e) In our opinion, the Profit & Loss Account and Balance Sheet comply with the mandatory accounting standards referred to in sub-section (3C) of section 211 of the Companies Act, 1956 except Accounting Standard 10 on Accounting for Fixed Assets and Accounting Standard 6 on Depreciation Accounting as reported in paragraph 4, items (i) to (iv) above and Accounting Standard 2 on Valuation of Inventories as reported in paragraph 4, items (v) to (vii), Accounting Standard 7 on Accounting for Construction Contracts as reported

लेखाकरण संबंधी लेखाकरण मानक 7 जैसाकि ऊपर पैराग्राफ 4, मद (viii) में सूचित किया गया है तथा आय पर कर के लिए लेखाकरण मानक 22 जैसाकि ऊपर पैराग्राफ 4, मद (xi) में सूचित किया गया है।

- च) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 274 (1) (छ) के प्रावधानों से नामित निदेशकों को अभी हाल ही में छूट दी गई है। अन्य निदेशकों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 (1)(छ) के संदर्भ में उनकी योग्यता के संबंध में कोई टिप्पणी करने के लिए हमें किसी प्रकार की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है।
- छ) हमें सूचित करना है कि मद (ii) से (viii) तथा (xiv) से (xvi) पर ध्यान दिए बिना जैसा कि पैराग्राफ (4) में बताया गया है, जिनके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सका तथा पैराग्राफ 4 में दी गई सूचना के अनुसार (i) तथा मद (ix) से (xiii) पर विचार करते हुए, वित्तीय विवरण पर प्रभाव निम्नानुसार होगा :

in paragraph 4, item (viii) above and Accounting Standard 22 on Accounting for Taxes on Income as reported in paragraph 4, item (xi) above;

- f) Nominee directors have been recently exempted from the provisions of section 274(1) (g) of the Companies Act, 1956. In respect of the remaining directors, no declarations have been provided to us in order to enable us to comment upon their qualification in terms of section 274(1)(g) of the Companies Act, 1956.
- g) We have to report that without considering items (ii) to (viii) and (xiv) to (xvi) as reported under paragraph 4, the effect of which could not be determined and considering item (i) and items (ix) to (xiii) as reported under paragraph 4, the effect on the financial statements would have been as under :

(मिलियन रुपए) (Rs. in millions)

	हमारी टिप्पणियों को कार्यान्वित करने के बाद आंकड़े Figure after Giving effect to our observation	वित्तीय विवरण में दी गई सूचना के अनुसार As Reported in the Financial Statement
i. कर पश्चात लाभ Profit after tax	4488	4709
ii. बिक्री Sales	13453	13496
iii. वर्तमान कर Current Tax	421	422
iv. विविध देनदार Sundry Debtors	13447	13490
v. कराधान के लिए प्रावधान Provision for Taxation	829	830
vi. आस्थगित कर व्यय Deferred Tax Expense	2354	2198
vii. आस्थगित कर वसूलनीय - Deferred Tax Recoverable - समायोजन लेखा (पी एंड एल) Adjustment A/c (P&L)	1941	2198
viii. बीमा व्यय Insurance Expenses	13	399
ix. संविदा तथा पमरार्श व्यय Contract & Consultancy Exp.	775	713
x. अनुसूची-आरक्षित तथा अधिशेष में लाभ तथा हानि लेखे के अनुसार अधिशेष Surplus as per Profit & Loss A/c In Schedule - Reserves & Surplus	7739	8346
xi. सामान्य आरक्षित General Reserve	11929	13200
vi. मूल्यहास Depreciation	2445	2355
vii. संचित मूल्यहास Accumulated Depreciation	15357	15267
viii. स्थिर परिसंपत्तियों का निवल ब्लॉक Net Block of Fixed Assets	65778	65868
vii. विविध लेनदार Sundry Creditors	2648	2586
viii. निवल आस्थगित कर देयता Net Deferred Tax Liability	11984	11329
ix. वसूलनीय आस्थगित कर Deferred Tax Recoverable	10300	11329

(मिलियन रुपए) (Rs. in millions)

	हमारी टिप्पणियों को कार्यान्वित करने पर आंकड़े Figure after Giving effect to our observation	वित्तीय विवरण में दी गई सूचना के अनुसार As Reported in the Financial Statement
x. निम्न की सकल लागत - Gross cost of -		
लीजहोल्ड भूमि Leasehold Land	194	186
भवन Buildings	7855	7579
सड़कें व पुल Roads and Bridges	1018	978
उपकेन्द्र उपस्कर Sub-Station Equipments	515	495
फर्नीचर फिक्सचर तथा उपस्कर Furniture, Fixture and Equipments	524	500
पारेषण लाइनें Transmission Lines	241	228
विविध परिसंपत्तियां/उपस्कर Miscellaneous Assets/Equipments	331	289
xi. निम्न का संचित मूल्यहास - Accumulated Depreciation of -		
लीजहोल्ड भूमि Leasehold Land	28	20
भवन Buildings	1949	1673
सड़क तथा पुल Road and Bridges	259	219
उपकेन्द्र उपस्कर Sub-Station Equipments	153	133
फर्नीचर, फिक्सचर तथा उपस्कर Furniture, Fixture and Equipments	190	166
पारेषण लाइनें Transmission Lines	127	114
विविध परिसंपत्तियां/उपकरण Miscellaneous Assets/Equipments	122	80
उपर्युक्त के अधीन तथा अनुसूची 17-लेखा टिप्पणियों में दर्शित अन्य टिप्पणियों के साथ पढ़ने पर हमारी राय में तथा हमारी अधिकतम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उक्त लेखे निर्धारित तरीके से कंपनी अधिनियम 1956 द्वारा यथाअपेक्षित सूचना देते हैं तथा साथ ही निम्न के संबंध में भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के समनुरूप सही तथा उचित प्रतीत होते हैं :		
Subject to the foregoing, and read with other notes appearing in Schedule '17' - Notes to the Accounts, in our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said accounts give in the prescribed manner, the information required by the Companies Act, 1956 and also give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India :		
(i) 31 मार्च, 2002 को तुलनपत्र के मामले में कम्पनी के कार्यों की स्थिति और In the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Company as at 31st March, 2002; and		
(ii) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए निगम के लाभ व हानि लेखा, लाभ के मामले में। In the case of the Profit & Loss Account, of the profit of the Company for the year ended on that date.		

कृते के.एन. गोयल एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

For K.N. Goyal & Co.

Chartered Accountants

(के.एन. गोयल)

(K.N. Goyal)

भागीदार

Partner

स्थान/Place : फरीदाबाद/Faridabad

दिनांक/Dated : 24.08.2002

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध

ANNEXURE TO THE AUDITORS' REPORT

(समसंख्यक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के पैराग्राफ 3 में उल्लिखित)
(Referred to in Paragraph 3 of the Audit Report of even date)

- | | |
|--|--|
| <p>i) कंपनी ने नियत परिसंपत्तियों से संबंधित अभिलेख (रिकार्ड) रखे हैं किन्तु कुछ मामलों में संस्थापन, अवस्थिति तथा अभिज्ञान की तिथि अपूर्ण पाई गई। हमें बताया गया है कि परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन वर्ष के दौरान किया गया है तथा ऐसे सत्यापन पर कोई महत्वपूर्ण विसंगति जानकारी में नहीं आई है।</p> <p>ii) वर्ष के दौरान किसी नियत परिसंपत्ति का पुनः मूल्यांकन नहीं किया गया है।</p> <p>iii) प्रबंधन द्वारा अधिकांश परियोजनाओं में चिरस्थायी मालसूची पद्धति का अनुसरण करते हुए भंडारों तथा अतिरिक्त पुर्जों का वास्तविक सत्यापन किया गया है। हमारी राय में, सत्यापन की बारम्बारता इसके व्यवसाय के आकार तथा प्रकृति के अनुसार युक्तिसंगत है। तथापि, कंपनी में तीसरे पक्षों के पास पड़े भंडारों के सत्यापन/पुष्टि की कोई नियमित पद्धति नहीं है। कंपनी द्वारा निष्पादित संविदा कार्यों के मामले में, जहां कतिपय निर्माण कार्य उप-संविदा पर दिए गए थे तथा सामग्री को कंपनी के खाते में डाला गया था, खरीदी गई तथा उप-संविदाकार को निर्गत समस्त सामग्री को आरंभ के वर्षों में खपत पर प्रभारित किया गया था तथा 4 मिलियन रुपये की राशि के स्टॉक का लेखाजोखा सामग्री की वापसी पर चालू वर्ष के दौरान ही किया गया है।</p> <p>iv) हमारी राय में प्रबंधन द्वारा धारित भंडारों तथा अतिरिक्त पुर्जों के संबंध में इसके द्वारा अनुसरण की जा रही भंडारों तथा अतिरिक्त पुर्जों के वास्तविक सत्यापन की प्रक्रियाएं कंपनी के आकार तथा इसके व्यवसाय के प्रकृति के संदर्भ में युक्तिसंगत तथा पर्याप्त हैं।</p> <p>v) बही अभिलेखों की तुलना में जानकारी में आई भंडारों तथा अतिरिक्त पुर्जों के वास्तविक सत्यापन संबंधी विसंगतियां महत्वपूर्ण नहीं हैं तथा लेखाबहियों में उनके संबंध में उचित प्रकार से कार्यवाही की गई है।</p> <p>vi) भंडार अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, निम्नलिखित को छोड़कर भंडारों का मूल्यांकन सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार सही तथा उचित है तथा पूर्ववर्ती वर्ष के समान आधार पर ही है :</p> <p>क. अतिरिक्त निर्माण उपस्करों के संबंध में 328 मिलियन रुपये के अतिरिक्त पुर्जों के मामले में जिन्हें पिछले वर्ष तक भारित औसत लागत पर मूल्यांकित किया जा रहा था तथा वर्ष के दौरान चमेरा-I में अतिरिक्त घोषित कतिपय आयातित निर्माण उपस्करों से संबंधित अतिरिक्त पुर्जों के संबंध में मूल्य में 62.5 मिलियन रुपये की तदर्थ कटौती अत्यधिक मनमाने ढंग से की गई है तथा यह कहते हुए लेखाकरण नीति को बदल दिया गया है कि अतिरिक्त निर्माण उपस्करों से संबंधित आयातित अतिरिक्त पुर्जों का मूल्य-निर्धारण निवल वसूली योग्य मूल्य पर</p> | <p>i) The company has maintained records relating to fixed assets, but date of installation, location and identification were found to be incomplete in some cases. We are informed that physical verification of the assets have been undertaken during the year and no material discrepancies were noticed on such verification.</p> <p>ii) None of the fixed assets have been revalued during the year.</p> <p>iii) Physical verification of stores and spares has been conducted by the Management at most of the Projects, following perpetual inventory system. In our opinion, the frequency of verification is reasonable according to the size and nature of its business. However, the Company does not have a regular system of verification/confirmation of stores lying with third parties. In case of contract works executed by the Company, where certain works were sub-contracted and material was to the account of the Company, all the material purchased and issued to the sub-contractor were charged to consumption in earlier years and stock to the tune of Rs. 4 Millions have been accounted for only during the current year on return of the material.</p> <p>iv) In our opinion, the procedures of physical verification of stores and spares followed by the management, in respect of stores and spares held by it, are reasonable and adequate in relation to the size of the company and nature of its business.</p> <p>v) The discrepancies noticed on physical verification of stores and spares as compared to book records were not significant and they have been properly dealt with in the books of account.</p> <p>vi) On the basis of our examination of stock records, the valuation of stock is fair and proper in accordance with the normally accepted accounting principles and is on the same basis as in the preceding year except the following :</p> <p>a. in case of spares of Rs. 328 Millions relating to surplus construction equipments which until last year was being valued at weighted average cost and during the year, in respect of spares relating to certain imported construction equipments declared surplus at Chamera I, an adhoc reduction in value by Rs. 62.5 Millions has been made in a very arbitrary manner and the accounting policy has been changed stating that imported spares relating to surplus construction equipments are valued at net realisable value. In view of the arbitrary</p> |
|--|--|

किया जाता है। मूल्य में कटौती को अभिलेखबद्ध किए जाने के निरंकुश तरीके के मद्देनज़र हम लेखों में शामिल इन मदों के मूल्यों के संबंध में अपनी राय व्यक्त करने में असमर्थ हैं { हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के पैराग्राफ 4 की मद (v) देखें}।

(ख) कुल 385 मिलियन रुपए के अचल तथा पुराने भंडार, जिनके संबंध में न तो निवल वसूलीयोग्य मूल्य सुनिश्चित किया गया है न ही अपक्षय के लिए कोई प्रावधान किया गया है { हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के पैराग्राफ 4 की मद (vi) देखें}।

(ग) बैरास्यूल, लोकतक, टनकपुर तथा रंगित परियोजनाएं, जो हानि में चल रही हैं, के संबंध में मालसूचियों के मूल्यनिर्धारण संबंधी लेखाकरण मानक 2 का अनुपालन नहीं किया गया है किन्तु फिर भी निवल वसूलीयोग्य मूल्य का निर्धारण किए बिना भंडारों तथा अतिरिक्त पुर्जों को भारित औसत लागत के आधार पर लिया गया है। { हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के पैराग्राफ 4 की मद (vii) देखें}।

vii) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत अनुरक्षित रजिस्ट्रों में सूचीबद्ध कंपनियों, फर्मों अथवा अन्य पार्टियों से वर्ष के दौरान कोई प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण नहीं लिए हैं। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 370 की उप-धारा (6) के अनुसार, कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1999 के प्रवर्तन के पश्चात इस धारा के उपबंध किसी कंपनी पर लागू नहीं हैं।

viii) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत अनुरक्षित रजिस्ट्रों में सूचीबद्ध कंपनियों, फर्मों अथवा अन्य पार्टियों को वर्ष के दौरान कोई प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण नहीं दिए हैं। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 370 की उप-धारा (6) के अनुसार, कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1999 के प्रवर्तन के पश्चात इस धारा के उपबंध किसी कंपनी पर लागू नहीं हैं।

ix) कंपनी द्वारा दिए गए ऋणों की प्रकृति के ऋणों तथा अग्रिमों के संबंध में पार्टियां निर्धारित शर्तों के अनुसार मूल राशि का पुनर्भुगतान कर रही हैं तथा साथ ही, जहां भी लागू है, ब्याज का भी नियमित भुगतान कर रही हैं।

x) हमारी राय में, संघटकों, संयंत्र तथा मशीनरी, उपकरण तथा अन्य परिसंपत्तियों सहित भंडारों, अतिरिक्त पुर्जों की खरीद के संबंध में तथा वस्तुओं की बिक्री के संबंध में कंपनी के आकार तथा इसके व्यवसाय की प्रकृति के समनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं हैं।

xi) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में प्रविष्ट संविदाओं या व्यवस्थाओं के अनुसरण में माल तथा सामग्रियों की ऐसी कोई खरीद तथा माल, सामग्रियों तथा सेवाओं की ऐसी कोई बिक्री नहीं की गई है, जिसका उनकी प्रत्येक किस्म के संबंध में मूल्य 50,000/- रुपए से अधिक हो।

xii) जैसाकि हमें बताया गया है, कंपनी के बेकार तथा क्षतिग्रस्त भंडारों तथा अतिरिक्त पुर्जों के निर्धारण हेतु एक नियमित

manner in which the reduction in value has been recorded, we are unable to express our opinion with respect to the values at which these items are carried in the accounts. (Refer item (v) of paragraph 4 of our audit report).

b. non-moving and obsolete stocks aggregating to Rs. 385 Millions, in respect of which neither the net realisable value has been ascertained nor any provision made towards obsolescence. (Refer item (vi) of paragraph 4 of our audit report).

c. Non-compliance with Accounting Standard 2 on Valuation of Inventories in respect of Bairasiul, Loktak, Tanakpur and Rangit Projects which are in losses, but still the stores and spares are being carried at weighted average cost without determining the net realisable value. (Refer item (vii) of paragraph 4 of our audit report).

vii) The Company has not taken any loans, secured or unsecured, during the year from companies, firms or other parties listed in the registers maintained under section 301 of the Companies Act, 1956. In terms of sub-section (6) of section 370 of the Companies Act, 1956, provisions of the section are not applicable to a company after the commencement of Companies (Amendment) Act, 1999.

viii) The Company has not granted any loans, secured or unsecured, during the year to companies, firms or other parties listed in the registers maintained under section 301 of the Companies Act, 1956. In terms of sub-section (6) of section 370 of the Companies Act, 1956, provisions of the section are not applicable to a company after the commencement of Companies (Amendment) Act, 1999.

ix) In respect of loans and advances in the nature of loans given by the company, the parties are repaying the principal amount as stipulated and are also regular in payment of interest where applicable.

x) In our opinion, there are adequate internal control procedures commensurate with the size of the company and nature of its business with regard to purchases of stores, spares including components, plant and machinery, equipment and other assets and with regard to sale of goods.

xi) In our opinion, and according to the information and explanations given to us, there are no purchases of goods and materials and sale of goods, materials and services, exceeding Rs. 50,000/- in value for each type thereof, made in pursuance of contracts or arrangement entered in the register maintained under section 301 of the Companies Act, 1956.

xii) As explained to us, the company has a regular procedure for the determination of unserviceable and

प्रक्रिया है। तथापि, अतिरिक्त तथा अचल भंडारों तथा अतिरिक्त पुर्जों के संबंध में, कंपनी के पास उन्हें लागत से कम मूल्य पर तथा निवल वसूलीयोग्य मूल्य पर लेने के लिए कोई उचित मूल्यनिर्धारण विधि नहीं है।

- xiii) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने जनता से स्वीकृत जमाशायियों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58क तथा कंपनी (जमाशायियों की स्वीकृति) नियमावली, 1975 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।
- xiv) हमारी राय में, कंपनी ने स्क्रेप की बिक्री तथा निपटान के लिए युक्तिसंगत अभिलेखों का अनुरक्षण किया है। तथापि, यह पाया गया कि मरम्मत न होने योग्य अतिरिक्त पुर्जों अथवा मरम्मत होने पर स्थिर परिसंपत्तियों में पुनः प्राप्त मदों के संबंध में उपयुक्त प्रविष्टियां नहीं की गई हैं। बैरास्यूल परियोजना में स्क्रेप के बंद स्टॉक में 0.90 मिलियन रुपए का स्टॉक जोड़ा गया जब नियत परिसंपत्तियों में किए गए कतिपय प्रतिस्थापनों के प्रति पुरानी पुनः प्राप्त मदों की स्थिति के बारे में हमने पूछताछ की। कंपनी के प्रचालनों द्वारा उप-उत्पादों का उत्पादन नहीं होता।
- xv) हमारी राय में, कंपनी में इसके आकार तथा इसके व्यवसाय की प्रकृति के समनुरूप एक पर्याप्त आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है। तथापि, इस रिपोर्ट में दिए गए प्रेक्षणों के अनुसार कमियों के मद्देनजर लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र में सुधार किए जाने की आवश्यकता होगी।
- xvi) रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान, लागत अभिलेखों के अनुरक्षण का निर्धारण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1)(घ) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा नहीं किया गया था।
- xvii) कंपनी के अभिलेखों के अनुसार, वर्ष के दौरान भविष्य निधि देयताओं को समुचित प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा कराया गया है। जैसाकि हमें बताया गया है, कर्मचारी राज्य बीमा योजना कंपनी पर लागू नहीं है।
- xviii) जैसाकि हमें बताया गया है, 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार आयकर, सम्पत्ति कर, बिक्री कर, सीमाशुल्क अथवा उत्पाद शुल्क के संबंध में कोई अविवादित राशियां छः माह से अधिक अवधि के लिए बकाया नहीं थी।
- xix) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, कर्मचारियों या निदेशकों के कोई वैयक्तिक व्यय राजस्व खाते में प्रभारित नहीं किए गए हैं, सिवाए उनके जो संविदात्मक बाध्यताओं के अन्तर्गत देय हैं अथवा सामान्यः स्वीकृत व्यावसायिक पद्धतियों के अनुसार हैं।
- xx) कंपनी सिक इंडस्ट्रीयल कंपनी (स्पेशल प्रोविजनस) एक्ट 1985 की धारा 3 की उपधारा-1 के खण्ड (ण) के अर्थ में घाटे की औद्योगिक कंपनी नहीं है।
- xxi) सेवा गतिविधियों के संबंध में :
 - क. कंपनी के पास सामग्री तथा भंडारों की प्राप्तियों, निर्गमों तथा खपत को अभिलेखबद्ध करने तथा खपत की गई सामग्री का संबंधित कार्यों के प्रति आबंटित करने की एक

damaged stores and spares. However, in respect of surplus and non-moving stores and spares, the Company does not have proper valuation method for carrying them at lower of cost and net realisable value.

- xiii) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the company has complied with the provision of Section 58A of the Companies Act, 1956 and the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 1975 with regards to the deposits accepted from the public.
- xiv) In our opinion, the company has maintained reasonable records for the sale and disposal of scrap. However, it was observed that proper entries are not made with respect to irreparable spares or items retrieved on repair to fixed assets. In Bairasiul Project, stock of Rs. 0.90 Millions was added to the closing stock of scrap when the status of old retrieved items were enquired by us against certain replacements made in the fixed assets. No by-products are generated by the company's operations.
- xv) In our opinion, the company has an adequate internal audit system commensurate with the size and nature of its business. However, the scope of the audit would need improvement in view of the deficiencies as per observations given in this Report.
- xvi) During the year under report, maintenance of cost records had not been prescribed by the Central Government under section 209(I) (d) of the Companies Act, 1956.
- xvii) According to the records of the Company, Provident Fund dues have been regularly deposited with the appropriate authorities during the year. As explained to us, Employees' State Insurance Scheme is not applicable to the Company.
- xviii) As explained to us, no undisputed amounts payable in respect of income tax, wealth tax, sales tax, customs duty or excise duty were outstanding as at 31st March, 2002 for a period of more than six months.
- xix) According to the information and explanations given to us, no personal expenses of employees or directors have been charged to revenue account other than those payable under contractual obligations or in accordance with generally accepted business practice.
- xx) The company is not a sick industrial company within the meaning of Clause (O) of Sub-section 1 of Sec.3 of the Sick Industrial Companies (Special provisions) Act, 1985.
- xxi) **In respect of service activities :**
 - a. the Company has a reasonable system of recording receipts, issues, consumption of materials and stores and allocation of materials consumed to

युक्तिसंगत प्रणाली है, सिवाए उप-संविदाकार को निर्गत सामग्रियों के संबंध में, जहां संविदा की शर्तों के अनुसार, सामग्री की लागत को कंपनी के लेखे में डाला गया है। ऐसे मामलों में, उप-संविदाकार को निर्गत समस्त सामग्री को खपत की गई के रूप में अभिलेखबद्ध किया गया है तथा उप-संविदाकार द्वारा कार्य पर खपत की गई वास्तविक सामग्री का उचित मिलान किए बिना तथा वर्ष के अंत में स्टॉक का लेखाजोखा किए बिना उसे संविदा के खाते में प्रभारित कर दिया गया है।

- ख. कंपनी द्वारा प्रदत्त सेवा की प्रकृति इस प्रकार की है कि विभिन्न गतिविधियों पर खपत किए गए श्रम घंटों का आबंटन आवश्यक नहीं है।
- ग. उपयुक्त स्तरों पर प्राधिकृत करने की एक युक्तिसंगत प्रणाली तथा भंडारों के निर्गम तथा आबंटन पर आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्त प्रणाली विद्यमान है सिवाए उस स्थिति में, जहां वह उप-संविदाकारों को निर्गत सामग्रियों से संबंधित है जहां सामग्रियों को कंपनी के खाते में डाला गया है।

relative jobs except with respect to materials issued to sub-contractors where as per the terms of contract, the cost of materials is to the account of the Company. In such cases, all the materials issued to the sub-contractor are being recorded as consumed and charged to the contract account without properly reconciling the actual material consumed on the job by the sub-contractor and accounting for the stock as at the year end.

- b. The nature of service rendered by the Company is such that allocation of man-hours consumed on different activities is not required.
- c. There exists a reasonable system of authorization at proper levels and adequate system of internal control on issue and allocation of stores except insofar as it relates to materials issued to sub-contractors where the materials are to the account of the Company.

कृते के.एन. गोयल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
ह./—
(के.एन. गोयल)
भागीदार

For K.N. Goyal & Co.
Chartered Accountants
Sd/-
(K.N. Goyal)
Partner

स्थान : फरीदाबाद
दिनांक : 24 अगस्त, 2002

Place : Faridabad
Dated : 24th August, 2002



नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लि.
निदेशकों की रिपोर्ट एवं वार्षिक लेखे

Narmada Hydroelectric Development Corporation Ltd.
Directors' Report & Annual Accounts

अनुबंध - III
Annexure - III

**सहायक कंपनी के संबंध में कंपनी अधिनियम,
1956 की धारा 212 के अनुसरण में विवरण**
**Statement pursuant to section 212 of the companies act,
1956 relating to subsidiary company.**

- | | |
|--|---|
| 1. कंपनी का नाम व पता

Name and address of the company | नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन, एनएचडीसी ब्लॉक 2,
5वां तल, पर्यावास भवन, एरेरा हिल्स कालोनी, भोपाल (मध्य प्रदेश)

Narmada Hydroelectric Development Corporation,
NHDC Block, 2-5th Floor, Paryavas Bhawan,
Arera Hills Colony, Bhopal (M.P.) |
| 2. सहायक कंपनी के वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तिथि

Financial year of the Subsidiary Company ended on | 31 मार्च, 2002

31st March, 2002 |
| 3. एनएचपीसी तथा इसके नामितों द्वारा उक्त तिथि
को धारित सहायक कंपनी के शेयर
Share of the Subsidiary Company held by NHPC
and its nominees on the above date | 1000/- रुपए प्रत्येक के पूर्णतः
प्रदत्त 2095512 इक्विटी शेयर
2095512 Equity Shares of
Rs. 1000/- each fully paid |
| (क) शेयरों की संख्या तथा अंकित मूल्य
(A) Number of Shares and Face Value | प्रदत्त 2095512 इक्विटी शेयर
2095512 Equity Shares of
Rs. 1000/- each fully paid |
| (ख) धारिता का विस्तार
(B) Extent of Holding | एक शेयर को छोड़कर सभी शेयर
All Except one share |
| 4. सहायक कंपनी के लाभ (हानियों) की निवल कुल राशि जहां
तक वह नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड
के सदस्यों से संबंधित है तथा नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर
कारपोरेशन लिमिटेड के खाते में शामिल नहीं की गई है :
Net aggregate amount of profits/(losses) of the
Subsidiary Company so far as it concerns the members of
National Hydroelectric Power Corporation Limited and is
not dealt within the accounts of National Hydroelectric
Power Corporation Limited | |
| (i) सहायक कंपनी के मार्च, 2002 को समाप्त
वित्तीय वर्ष के लिए
For Subsidiary Company Financial year
ended on March, 2002 | शून्य

NIL |
| (ii) सहायक कंपनी के पिछले वित्तीय वर्षों के
लिए जब से वह सहायक कंपनी बनी
For previous Financial years of the Subsidiary
company since it become Subsidiary | शून्य

NIL |
| 5. सहायक कंपनी के लाभ/(हानियों) की निवल कुल राशि जहां
तक वह नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड
के सदस्यों से संबंधित है तथा नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर
कारपोरेशन लिमिटेड के खातों में शामिल नहीं की गई है:
Net aggregate amount of profits/(losses) of the
Subsidiary Company so far as it concerns the members
of National Hydroelectric Power Corporation Limited
and is not dealt within the accounts of
National Hydroelectric Power Corporation Limited | |



(i) सहायक कंपनी के मार्च, 2002 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए For Subsidiary Company Financial year ended on March, 2002	शून्य NIL
(ii) सहायक कंपनी के पिछले वित्तीय वर्षों के लिए जब से वह सहायक कंपनी बनी For previous Financial years of the Subsidiary company since it become Subsidiary	शून्य NIL
6. सहायक कंपनी के वित्तीय वर्ष तथा नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बीच सहायक कंपनी में नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के हिस्से में परिवर्तन Change in the interest of National Hydroelectric Power Corporation Limited in the Subsidiary company between the end of the Financial year of the Subsidiary Company and that of National Hydroelectric Power Corporation Limited	शून्य NIL
7. सहायक कंपनी के वित्तीय वर्ष की समाप्ति तथा नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बीच सहायक कंपनी की स्थिर परिसंपत्तियों, निवेशों, चालू देयताओं को पूरा करने से भिन्न किसी प्रयोजनार्थ उधार लेने तथा देने के संबंध में महत्वपूर्ण परिवर्तन Material changes between the end of the Financial year of the Subsidiary Company and end of the Financial year of National Hydroelectric Power Corporation Limited in respect of Subsidiary Company's fixed assets, investments, lending and borrowing for the purpose other than meeting their current liabilities.	शून्य NIL

*चूंकि कंपनी ने अपने वाणिज्यिक संचालन आरंभ नहीं किए हैं, कोई लाभ तथा हानि लेखा तैयार नहीं किया गया है। तुलन पत्र की तिथि तक उपगत व्यय अग्रणीत किया गया है तथा उसे चालू पूंजीगत कार्य तथा निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

*As the Company has not commenced its commercial operations, no profit and loss account has been prepared. The expenditure incurred up to date of the Balance sheet has been carried forward and shown under the Head Capital - work in progress and incidental expenditure during construction.

बोर्ड की ओर से व बोर्ड के लिए
For and on behalf of the Board

योगेन्द्र प्रसाद
Yogendra Prasad
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
Chairman & Managing Director

आर. नटराजन
R. Natarajan
निदेशक (वित्त)
Director (Finance)

विजय गुप्ता
Vijay Gupta
कंपनी सचिव
Company Secretary

निदेशकों की रिपोर्ट

DIRECTORS' REPORT

सदस्यगण,

नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि. के निदेशक मंडल को आपके समक्ष कंपनी की दूसरी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इस रिपोर्ट में लेखापरीक्षित लेखे, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा दिनांक 31 मार्च, 2002 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ शामिल हैं।

कार्य-निष्पादन की मुख्य विशेषताएं

मेसर्स नैशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (एनएचपीसी), भारत सरकार का उद्यम एवं मध्य प्रदेश सरकार की संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में इस कंपनी को दिनांक 1.08.2000 को निगमित कर दिया गया। यह कंपनी 1000 मेगावाट इंदिरा सागर परियोजना एवं 520 मेगावाट की ओमकारेश्वर परियोजना को कार्यान्वित कर रही हैं। पूर्ण होने पर इन परियोजनाएं से विद्युत का लाभ मिलेगा साथ में उद्योगों, मत्स्यपालन, पर्यटन व सिंचाई को बढ़ावा तथा लोगों समाजिक उत्थान में सहायता एवं इनके जीवन में सुधार भी होगा।

कार्यों की प्रगति

इंदिरा सागर परियोजना

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने एनएचपीसी की सहभागिता के साथ संयुक्त क्षेत्र में इंदिरा सागर परियोजना के कार्यान्वयन हेतु अनुमोदन तथा सितंबर, 2000 के मूल्य स्तर पर अद्यतन परियोजना लागत अनुमान की स्वीकृति दे दी है। अनुमोदन के पश्चात इस परियोजना का कार्यान्वयन तीव्र गति से अग्रसर हुआ। परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना तथा रेलवे लाइन के दिशा-परिवर्तन पर कार्य क्रमशः मध्यप्रदेश सरकार एवं रेलवे विभाग द्वारा संसाधनों की बढ़ोतरी के साथ तेज रफ्तार पकड़ चुका है। परियोजना को यथानिर्धारित मई 2005 तक पूर्ण कर लिए जाने की योजना है।

बाँध (डैम)

कंक्रीट डैम के अति बहाव में नहीं आने वाले ब्लॉक्स ईएल 267 मी. तक पूरे कर लिए गए हैं। अति बहाव सैक्शन के आठ ब्लॉक्स को ईएल 245.13 मी. के शिखर (क्रेस्ट) स्तर तक ऊँचा किया गया है तथा अति बहाव सैक्शन के बचे हुए ब्लॉक्स को ईएल 215 मी. तक ऊँचा किया गया है। डाउनस्ट्रीम सुरक्षा कार्यों एवं डाउनस्ट्रीम कॉफर डैम की पुनर्स्थापना को भी पूरा कर लिया गया है। 14.08 लाख क्यूमिक कुल अनुमानित मात्रा में से किए गए कंक्रीटिंग की मात्रा 11.11 लाख क्यूमिक है।

स्पिलवे गेट्स के हाइड्रो मैकेनिकल कार्य को एवार्ड कर दिया गया है।

पावर हाउस

पावर हाउस भवन के लिए आरसीसी संरचनाएँ पूरी कर ली गई हैं। यूनिट-1 के लिए ईएल 194.5 मी. तक कंक्रीटिंग जो स्पाईरल

To the Members,

Narmada Hydroelectric Development Corporation Ltd. Your Directors have great pleasure in presenting the 2nd Annual Report of your Company together with the audited Accounts, Auditor's Report and the comments of the Comptroller and Auditor General of India for the financial year, 31st March, 2002.

PERFORMANCE HIGHLIGHTS

The company was incorporated on 1st August 2000 as a joint venture Company of M/s National Hydroelectric Power Corporation (NHPC), A Govt. of India Enterprise and Govt. of Madhya Pradesh. The company is executing the 1000 MW, Indira Sagar Project and 520 MW Omkareshwar Project. The projects on completion will yield benefits of power besides promotion of industries, pisciculture, tourism & irrigation and help in improving the social upliftment of people and in betterment of their life.

PROGRESS OF WORKS

INDIRA SAGAR PROJECT

The Union Cabinet has approved the execution of Indira Sagar Project in the joint Sector with NHPC's participation and sanctioned the updated project cost estimate at Sept., 2000 Price Level. The execution of the project gained further momentum after the approval. The work on Rehabilitation and Resettlement of Project Affected Families and diversion of Railway line has gained faster pace with the augmentation of resources by Govt. of Madhya Pradesh and Railway Department respectively. The Project is set to get completed by May, 2005 as scheduled.

DAM

The non overflow blocks of the Concrete Dam have been completed upto EL 267 M. Eight blocks of overflow section have been raised upto crest level of EL 245. 13 M. and remaining blocks of overflow section have been raised upto EL 215 M. The downstream protection works and restoration of D/S Cofferdam has also been accomplished. The quantity of Concreting done is 11.11 lakh cum out of total estimated quantity of 14.08 lakh cum.

The Hydro Mechanical work of spillway gates has been awarded.

POWER HOUSE

The RCC structures for Power House building have been completed. The concreting for Unit-1 upto EL 194.5 M i.e


केसिंग (चक्करदार बॉक्स) के ऊपरी तल (टॉप) के लिए है, पूरी कर ली गई है। यूनिट 2 से 8 के लिए स्पाइरल केसिंग के स्तंभाधार तक कंक्रीटिंग पूरी कर ली गई है। 3.40 लाख क्यूमिक की कुल अनुमानित मात्रा में से पूरी की गई कुल कंक्रीटिंग 3.04 लाख क्यूमिक है।

यूनिट 1 एवं 2 के लिए स्पाइरल केसिंग के निर्माण के साथ ही साथ हाइड्रोलिक जॉच पूरी कर ली गई है तथा यूनिट 3 से 5 का निर्माण-प्रगति पर है। यूनिट-1 के लिए स्टेटर एवं रोटार हेतु संयोजन तथा अन्य पावर हाउस उपस्कर की आपूर्ति प्रगति पर है।

इनटेक द्वारों एवं पेनस्टॉक्स के कार्य पूरे कर लिए गए हैं तथा ड्राफ्ट ट्यूब द्वारों का कार्य प्रगति पर है।

रेलवे लाइन का दिशा-परिवर्तन (डाइवर्शन) : जलमग्नता के अंदर आने वाले 57 कि.मी. रेलवे लाइन की दिशा-परिवर्तन का कार्य प्रगति पर है जो सेंट्रल रेलवे विभाग द्वारा डिपॉजिट कार्य आधार पर किया जा रहा है। 90 प्रतिशत जमीनी कार्य पूरे कर लिए गए हैं। 05 बड़े पुलों में से 04 तथा 60 छोटे पुलों में से 54 पर कार्य पूरा कर लिया गया है। शेष बचे हुए पुलों पर कार्य प्रगति पर है। सभी सामग्रियों अर्थात् पटरी, सिगनलिंग, दूर-संचार प्रणाली एवं इलैक्ट्रिकल कार्यों के लिए प्रापण कार्य आरंभ कर दिया गया है। 05 कि.मी. लंबी पटरी के लिए स्लीपर्स एवं लाइनों का पहला हिस्सा रेलवे बोर्ड से रिलीज कर दिया गया है। इस कार्य को मार्च, 2004 तक पूरा कर लिया जाना निर्धारित है।

पुनर्वास व पुनर्स्थापना के कार्य : परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के कार्य सुनियोजित ढंग से प्रगति पर हैं। कुल मिलाकर 3182 परिवारों का स्थान परिवर्तन किया गया है। कुल 211 गांवों का स्थान परिवर्तन किए जाने में से 12 गांवों का पूर्ण रूप से स्थान परिवर्तन कर दिया गया है। अन्य 38 गांवों में सिर्फ सरकारी जमीन है तथा इन परिवारों के स्थान परिवर्तन नहीं किया जाना है। 12 पुनर्स्थापना स्थलों पर पहले भाग में परियोजना प्रभावित परिवारों को आबंटन हेतु 4284 भू-खंडों के विकास का कार्य प्रगति पर है तथा 3720 भू-खंडों को विकसित कर दिया गया है। पुनर्वास व पुनर्स्थापना के कार्यों की योजना तैयार कर ली गई है तथा परियोजना निर्माण कार्यक्रम के अनुसार इसकी प्रगति को बनाए रखने के लिए अत्यंत ही गहन मानीटरिंग की जा रही है।



कंक्रीट बांध – 1000 मेगावाट, इंदिरा सागर परियोजना (मध्य प्रदेश)
Concrete Dam – 1000 MW Indira Sagar Project (Madhya Pradesh)


पर्यावरण संरक्षण

पर्यावरण व वन मंत्रालय के अनुबंध का पालन करते हुए, 80945 हैक्टर लक्ष्य की तुलना में 76389 हैक्टर प्रतिपूरक वनरोपण पूरा कर लिया गया है। इसी तरह, जल ग्रहण-क्षेत्र सुधार का कार्य 62975 हैक्टर लक्ष्य की तुलना में क्षेत्र निरूपण 51280 हैक्टर क्षेत्र में पूरा कर लिया गया है। पुरातत्व संबंधी महत्वपूर्ण समारकों को

to the top of spiral casing has been completed. For Units 2 to 8 concreting upto Pedestal of spiral casing has been completed. The total concreting done is 3.04 lakh cum out of total estimated quantity of 3.40 lakh cum.

Erection as well as Hydraulic testing of spiral casing for Unit-1 and 2 have been completed and erection of units 3 to 5 is in progress. The assembly for the stator and rotor for Unit-I and Supply of other Power House equipment is in progress.

The work of intake gates and penstocks have been completed and work of draft tube gates is in progress.



निर्माणाधीन पावर हाउस – 1000 मेगावाट, इंदिरा सागर परियोजना (मध्य प्रदेश)
Power House under construction-1000MW Indira Sagar Project (Madhya Pradesh)

DIVERSION OF RAILWAY LINE

The work of diversion of 57 Km of Railway line, coming under submergence is in progress by Central Railway Department on deposit work basis. 90% of earth work has been completed. The work on 4 out of 5 major bridges and 54 out of 60 minor bridges has been completed. The work on balance bridges is in progress. The procurement action has been initiated for all the material i.e. for track, signalling; telecommunication and electrical works. First lot of sleepers and rails for 5 Kms track length has been released from Railway Board. The work is scheduled to be completed by March, 2004.

REHABILITATION & RESETTLEMENT WORKS

The work of Rehabilitation of Project Affected Families is in progress in a planned manner. In all 3182 families have been shifted. 12 villages have been fully shifted, out of total 211 villages to be shifted. In other 38 villages, there is only Govt. land and shifting of families is not involved. The work of development of 4284 plots for allotment to Project Affected Families in first phase at 12 resettlement sites is in progress and 3720 plots have been developed. The R&R works have been planned and very close monitoring is being done to match its progress with the project construction schedule.

ENVIRONMENT PROTECTION

Adhering to the stipulation of Ministry of Environment & Forests, Compensatory Afforestation over an area of 76389 Ha. is completed against target of 80945 Ha. Likewise Catchment Area Treatment is completed over an area of 51280 Ha., against total target of 62975 Ha. Work

अन्यत्र स्थापित करने के कार्य भी विकासाधीन है। धारीकोटला गांव के शिव मंदिर को सफलतापूर्वक आर एंड आर स्थल सरलेया में स्थापित किया गया है। बडकेश्वर एवं घिसार छतरी के शिव मंदिरों को अब अनयंत्र स्थापित किया जा रहा है। यह कार्य इतना सुनियोजित है कि इसे परियोजना निर्माण के साथ पूरा कर लिया जाएगा।

ओमकारेश्वर परियोजना

परियोजना की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति एनएचडीसी के पक्ष में हस्तांतरित कर दी गई तथा अनुमान की अधतन लागत केन्द्रीय विद्युत विनियामक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कर दी गई है। पीआईबी द्वारा भी उक्त स्वीकृति के संबंध में कार्यवाही की जा रही है। विद्युत क्रय करार पर हस्ताक्षर मध्य प्रदेश सरकार के साथ दिनांक 03.05.2002 को कर दिया गया। सीसीईए के अनुमोदन एवं फंडों की उपलब्धता के पश्चात् परियोजना कार्यान्वयन की रफ्तार में तेजी आएगी। इस परियोजना को मार्च, 2007 तक पूरा कर लिया जाना निर्धारित है।

टर्नकी आधार पर ओएसपी के कार्यान्वयन हेतु आईसीबी निविदाएँ 54 महीनों की अवधि में पूरा करने के लिए जारी कर दी गई है।

लाभांश

चूंकि निगम ने दोनों परियोजनाओं, जो अभी तक निर्माणावस्था के अधीन हैं, से वाणिज्यिक प्रचालन एवं राजस्व का उत्पादन शुरू नहीं किया है इसलिए आपके निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए कोई लाभांश की सिफारिश नहीं की है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन तथा विदेशी मुद्रा अर्जन व व्यय

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन और विदेशी मुद्रा अर्जन व व्यय से संबंधित सूचना को कंपनी नियमावली, 1988 (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों को प्रकट करना) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(1)(ई) के प्रावधानों के अनुसार इस रिपोर्ट के अनुबंध-‘क’ में दिया गया है।

औद्योगिक संबंध

औद्योगिक संबंध पूरे वर्ष सौहार्दपूर्ण रहे हैं।

मानव संसाधन विकास

मानव संसाधन को एक मूल्यवान संपत्ति मानते हुए निगम में सभी स्तर के कर्मचारियों के लिए उनके संबंधित कार्यक्षेत्रों में उनकी कार्य-कुशलता एवं दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके उनके तकनीकी कौशल के विकास व उसे उन्नत करने के लिए निरंतर गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान निगम ने आंतरिक कंप्यूटर प्रशिक्षण भी आयोजित किए हैं तथा विभिन्न स्तर के कर्मचारियों को बाह्य एजेंसियों द्वारा आयोजित किए गए सम्मेलनों / सेमिनारों और प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए नामित किया है।

राजभाषा कार्यान्वयन

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान निगम के कार्यालयीन कार्यों में हिंदी भाषा के गहन प्रयोग के लिए वास्तविक प्रयास किए गए और इसके लिए आवश्यक आदेश/निर्देश जारी किए गए। अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग करने में कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए इस दिशा में पुरस्कार भी दिए गए हैं।

relating to relocation of Archaeologically significant monuments is also under progress. Shiv Temple at Dharikotla village is successfully relocated at Sarlaya R&R site. Shiv Mandir at badkeshwar and Ghisar Chatri are being relocated now. The works are so planned that these will be completed alongwith project completion.

OMKARESHWAR PROJECT

The techno-economic clearance of the project has been transferred in favour of NHDC and updated cost estimate has been approved by CEA. The clearance of the same by PIB is under progress. Power Purchase Agreement was signed with Govt. of Madhya Pradesh on 03.05.2002. The pace of project execution will accelerate after CCEA's approval and larger flow of funds. This project is scheduled to be completed by March, 2007.

The ICB tenders for execution of OSP on turnkey basis have been floated with completion period of 54 months

DIVIDEND

As the Corporation has not started commercial operation and generation of revenue, with both the Projects still in construction stage. Your directors have not recommended any dividend for the year ending 31st March, 2002.

CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION AND FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO

Information regarding conservation of energy, technology absorption and foreign exchange earnings and outgo in accordance with the provisions of Section 217(1)(e) of the Companies Act, 1956 read with Companies (Disclosure of particulars in the report of Board of Directors) Rules, 1988 is given in Annexure "A" to this report.

INDUSTRIAL RELATIONS

The industrial relations were cordial throughout the year.

HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT

Considering the human resource as a valuable asset, the Corporation is making constant and concerted efforts to train, develop and upgrade the technical skills by organizing various training programmes for all levels of employees to improve the efficiency and effectiveness at their respective work places. During the year under report, the Corporation has also arranged in house computer training and sponsored employees of different levels to conferences, seminars and training programmes organized by outside agencies.

OFFICIAL LANGUAGE IMPLEMENTATION

During the year, the Corporation made earnest efforts for extensive use of hindi in official working by issue of necessary orders/instructions. Awards have also been instituted in this direction to motivate the employees in the use of Hindi more & more.

सतर्कता तंत्र

विशेष अधिकारियों सहित एक सतर्कता ग्रुप मुख्य सतर्कता अधिकारी, एनएचपीसी के अधीन निगम मुख्यालय, आईएसपी, ओएसपी तथा आर एण्ड आर में सतर्कता कार्य हेतु मनोनीत किया गया जो विधिवत् विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित है तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों के आधार पर एनएचडीसी में पहले से ही कार्य कर रहा है।

लेखा परीक्षक

मेसर्स एम. मेहता एण्ड कंपनी, चाटर्ड एकाउन्टेन्ट्स, इंदौर को वर्ष 2001-2002 के लिए लेखा-परीक्षा संचालित करने के हेतु "सांविधिक लेखा-परीक्षक" के रूप में नियुक्त किया गया।

लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट

लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट में अनुसूची-10 में शामिल निगम की विभिन्न टिप्पणियों का उल्लेख है जो स्वयं में स्पष्ट हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ तथा उनके जवाब अनुबंध "ख" पर हैं।

निदेशकों की जिम्मेदारियों का विवरण

निदेशकों के उत्तदायित्व संबंधी विवरण के विषय में कंपनी संशोधन अधिनियम 2000 की धारा 217 (2एए) के अंतर्गत अपेक्षा के अनुसार एतद् द्वारा यह पुष्टि की जाती है :

- कि 31.03.2002 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखे की तैयारी में, प्रयोज्य लेखा मानदंड का सामग्री प्रेषण संबंधी उचित स्पष्टीकरण सहित अनुसरण किया गया था :
- कि निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया था तथा इन्हें एक रूपता से लागू किया और निर्णय लिए तथा अनुमान है कि ये समाप्त वित्तीय वर्ष पर कंपनी मामलों की स्थिति की सही एवं उचित दृष्टिकोण हेतु तर्कसंगत एवं दूरदर्शी थे।
- कि निदेशकों ने कंपनी की परिसंतियों की रक्षा एवं धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं की रोकथाम और पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार समुचित लेखा रिकार्ड के रख-रखाव के लिए उचित सुरक्षा के उपाय किए हैं ;
- कि निदेशकों ने 31.03.2002 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अनवरत सम्बद्ध आधार पर लेखे तैयार किए थे।

लेखा-परीक्षा समिति

बोर्ड लेखा-परीक्षण समिति में श्री एस.सी. शर्मा, प्रबंध निदेशक, श्री अनिल राजदान, निदेशक एवं श्री प्रदीप भार्गव, निदेशक शामिल हैं। उक्त लेखा-परीक्षण समिति ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292 ए की आवश्यकतानुसार बोर्ड की समझ प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक वित्तीय ब्यौरों की समीक्षा कर ली है।

आंतरिक लेखा-परीक्षा नियंत्रण पद्धति एवम् इसकी यथेष्टता

अतिरिक्त लेखा-परीक्षण नियंत्रण पद्धति को और अधिक मजबूत करने हेतु वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त) एवं चार लेखा अधिकारियों द्वारा नियंत्रित निगम मुख्यालय में आपकी कंपनी का आंतरिक लेखा-परीक्षा

VIGILANCE MACHINERY

A vigilance group with specific officer nominated for vigilance function at Corporate office, ISP, OSP and R&R under Chief Vigilance Officer, NHPC duly approved by MOP, GOI is already functioning in NHDC as per guidelines of CVC.

AUDITORS

M/s M. Mehta & Co., Chartered Accountants, Indore were appointed as "Statutory Auditors" for conducting the Audit for the year 2001-2002.

AUDITOR'S REPORT

The Auditor's Report refers to various notes incorporated by the Corporation in schedule-10 which are self-explanatory. The comments of the Comptroller and Auditor General of India and replies there on at Annexure "B".

DIRECTORS RESPONSIBILITY STATEMENT

Pursuant to requirement under Section 217 (2AA) of the Companies Amendment Act, 2000 with respect to Director's responsibility Statement, it is hereby confirmed :

- That in the preparation of the Annual Accounts for the financial year ended 31.03.2002, the applicable accounting standards had been followed alongwith proper explanation relating to material departures :
- That the Directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgements and estimates that were reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year.
- That the Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 1956 for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- That the Directors had prepared the accounts for the financial year ended 31.03.2002 on a 'going concern' basis.

AUDIT COMMITTEE

The audit committee of the board consists of Sh. S.C. Sharma, Managing Director, Sh. Anil Razdan, Director and Sh. Pradip Bhargava, Director. The said Audit Committee has reviewed the annual financial statements before submission to the Board as required in Section 292 A of the Companies Act, 1956.

INTERNAL AUDIT CONTROL SYSTEM AND ITS ADEQUACY

To further strengthen the internal audit control system, your company will have internal audit cell at Corporate Office headed by Sr. manager (Finance) and four Accounts

कक्ष होगा। वे अलग-अलग परियोजनाओं एवं स्थलों का दौरा करेंगे तथा आवधिक रूप से अतिरिक्त लेखा-परीक्षण करेंगे।

कर्मचारियों का विवरण

कंपनी नियमावली 1975 (कर्मचारियों के ब्योरे) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा-217 (2ए) के अंतर्गत अपेक्षित सूचना शून्य मानी जाए।

निदेशकों का विवरण

बोर्ड के संयोजन में क्रमशः श्री योगेन्द्र प्रसाद अध्यक्ष के रूप में तथा चार अन्य निदेशकों सहित श्री एस.सी.शर्मा प्रबंध निदेशक के तौर पर शामिल है।

श्री आर. नटराजन, निदेशक दिनांक 19.12.2001 से कंपनी के निदेशक नहीं रहे तथा श्री एच.डी. खुंटेटा, निदेशक उनके स्थान पर एनएचडीसी के बोर्ड में शामिल हुए हैं।

श्री एम.एम. खंडेलवाल, सदस्य (इंजीनियर), एनवीडीए, मध्यप्रदेश सरकार दिनांक 28.02.2002 को सेवा-निवृत्ति की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप कंपनी के निदेशक पद से सेवा-मुक्त हो गए। मध्य प्रदेश सरकार ने श्री यू.सी. सक्सेना, सदस्य (इंजीनियर) एनवीडीए को दिनांक 08.03.2002 से एनएचडीसी के बोर्ड में निदेशक मनोनित किया है।

श्री राजनारायण सिंह पुर्णी ने दिनांक 05.07.2002 से निदेशक पद से त्यागपत्र दे दिया है एवम् मध्यप्रदेश सरकार को भी इसकी सूचना दे दी है।

कंपनी के निदेशक के रूप में श्री आर. नटराजन, श्री एम.एम. खण्डेलवाल एवं श्री राजनारायण सिंह पुर्णी द्वारा दिए गए योगदान एवं मार्गदर्शन के लिए बोर्ड आभार प्रकट करता है।

आभार

निदेशक मंडल, विभिन्न मंत्रालयों एवं सरकारी एजेंसियों को विभिन्न स्तर पर दिए गए सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञतापूर्वक आभार व्यक्त करता है।

बोर्ड सांविधिक लेखापरीक्षकों, बैंकों एवं अन्य संबंधित संस्थाओं की उनके बहुमूल्य सहयोग के लिए सराहना करता है।

इसके साथ ही बोर्ड, निगम के सभी समर्पित कर्मचारियों को भी धन्यवाद देता है, जिनके बहुमूल्य योगदान और पूर्ण सहयोग से निगम को महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ प्राप्त हो सकी हैं।

निदेशक मंडल के लिए तथा की ओर से

हस्ता./-
अध्यक्ष

दिनांक : 22 अगस्त, 2002

स्थान : नई दिल्ली

Officers. They will visit different projects and locations and do internal audit periodically.

PARTICULARS OF EMPLOYEES

Information required under section 217 (2A) of the Companies Act, 1956 read with Companies (Particular, of Employees) Rules 1975, may be treated as nil.

PARTICULARS OF DIRECTORS

The composition of the board includes Sh. Yogendra Prasad as Chairman and Sh. S.C. Sharma as Managing Director of the company respectively along with four other Directors.

Sh. R. Natarajan, Director ceased to be the Director of the company w.e.f. 19.12.2001 and Sh. H.D. Khunteta, Director has joined the board of NHDC in his place.

Sh. M.M. Khandelwal, Member (Engg.), NVDA, Government of Madhya Pradesh ceased to be a Director of the company consequent upon his attaining the age of superannuation on 28.02.2002. The Government of Madhya Pradesh has nominated Sh. U.C. Saxena, Member (Engg.) NVDA as Director on the board of NHDC w.e.f. 08.03.2002.

Sh. Rajnarain Singh Purni has resigned from Directorship w.e.f. 05.07.2002 and intimated the same to Govt. of Madhya Pradesh also.

The Board expresses its gratitude for the contributions made and guidance given by Sh. R. Natarajan, Sh. M.M. Khandelwal and Sh. Rajnarain Singh Purni as Directors of the company.

ACKNOWLEDGEMENTS

The Board of Directors acknowledge with thanks the guidance and cooperation extended by various Ministries and Govt. agencies at various stages of work.

The Board records its deep appreciation of cooperation extended by the Statutory Auditors, Bankers and other concerned authorities.

Further, Board takes the opportunity to thank all the dedicated employees of the Corporation but for whose valuable contributions and unstinted support, the achievements of the Company would not have been possible.

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
Chairman

Dated : 22nd August 2002

Place : New Delhi

नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का विवरण

NARMADA HYDROELECTRIC DEVELOPMENT CORPORATION LTD., BHOPAL STATEMENT OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. लेखाकरण परम्पराएं

- 1.1 वित्तीय विवरण पूर्ववर्ती लागत आधार पर तैयार किए गए हैं।
- 1.2 कंपनी लेखाकरण की मेर्केंटाइल की पद्धति का अनुसरण करती है।

2. स्थिर परिसंपत्तियां

- 2.1 स्थिर परिसंपत्तियों का निर्धारण अर्जन/निर्माण आधार पर किया गया है। फिर भी, जहां संविदाकर्ता/आपूर्तिकर्ताओं इत्यादि द्वारा बिल प्रस्तुत न करने/समायोजन न किए जाए के कारण वास्तविक लागत सुनिश्चित नहीं की जा सकती, वहां उसे अनुमानित लागत के आधार पर दर्शाया गया है।
- 2.2 निगम के स्वामित्व रहित भूमि पर सृजित स्थिर परिसंपत्तियों को नियत परिसंपत्तियों के अन्तर्गत दर्शाया गया है, सिवाए उन परिसंपत्तियों के जिन्हें पुनर्वास/पुनःस्थापन के लिए सृजित किया गया है।

3.0 चालू पूंजीगत कार्य

- 3.1 निर्माणधीन परियोजनाओं में सामान्य जनसुविधाओं के अनुक्षण, उन्नयन इत्यादि पर हुए व्यय को निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय को प्रभारित किया जाता है।
- 3.2 वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने पर भूमि तथा अवसरचना निर्माण कार्यों को छोड़कर, 'निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय' की पूर्ण राशि अचल मुख्य संघटकों को आवंटित कर दी जाएगी।

4. आरंभिक व्यय

वाणिज्यिक संचालन शुरू होने के बाद परियोजनाओं का आरंभिक व्यय 5 वर्ष की अवधि के बाद बट्टे खाते डाल दिया जाएगा।

5. पुनर्वास तथा पुनःस्थापन व्यय

जल प्लावित हो जाने वाली भूमि से संबंधित क्षतिपूर्ति एवं अन्य व्ययों के लिए अनंतिम रूप से किया गया भुगतान पुनर्वास तथा पुनःस्थापन व्यय माना जाता है।

6. मूल्यह्रास तथा परिशोधन

- 6.1 लीज पर ली गई जमीन का प्रीमियम, लीज की अवधि में, चुकाया गया है।
- 6.2 जिस वर्ष में परिसंपत्तियां उपयोग में लाए जाने के लिए उपलब्ध होती हैं उसमें मूल्यह्रास की व्यवस्था, बिजली (आपूर्ति) अधिनियम 1948 के अन्तर्गत निर्धारित तथा समय-समय पर यथा अधिसूचित दरों के अनुसार सीधी रेखा विधि से की

1. ACCOUNTING CONVENTIONS

- 1.1 The financial statements are drawn up on historical cost basis.
- 1.2 The Company follows mercantile system of Accounting.

2. FIXED ASSETS

- 2.1 Fixed assets are carried at cost of acquisition/construction. However, where actual cost is not ascertainable due to non-submission/adjustment of bill from contractors/ suppliers etc., the same are carried at estimated cost.
- 2.2 Fixed Assets created on land not belonging to the Corporation are included under Fixed Assets except those assets which are created for Rehabilitation/ Resettlement.

3. CAPITAL WORK PROGRESS

- 3.1 Expenditure on maintenance, upgradation etc. of common public facilities in the projects under construction is charged to 'Incidental Expenditure During the Construction'.
- 3.2 On start of commercial production, the entire amount of 'Incidental Expenditure During Construction' will be allocated on immovable major components of the Project excluding Land and Infrastructure works.

4. PRELIMINARY EXPENDITURE

Preliminary expenditure of the Projects will be written off over a period of 5 years after start of commercial operation.

5. REHABILITATION & RESETTLEMENT EXPENSES :

Payment made provisionally towards compensation and other expenses relatable to land which is going to be sub-mergence are treated as Rehabilitation & Resettlement expenses.

6. DEPRECIATION & AMORTISATION

- 6.1 Premium on lease-hold land is amortized over the period of lease.
- 6.2 Depreciation is provided on Straight Line Method in the year in which the assets become available for use, as per rates prescribed under the Electric (Supply) Act, 1948 and as notified from time to time, except in case of assets valuing Rs. 5000/- or less

जाती है, सिवाए वर्ष के दौरान खरीदी गई 5000/- रुपये या उससे कम मूल्य की परिसंपत्तियों तथा वर्ष के आरंभ में डब्ल्यूडीवी (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) के संबंध में जो चालू वर्ष के दौरान पूर्णतया मूल्यह्रासित हो जाती हैं। जिन परिसंपत्तियों के संबंध में उक्त अधिनियम के अनुसार दरें उपलब्ध नहीं हैं, वहां कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-XIV में निर्धारित दरें अपनाई जाती हैं।

7. वस्तुसूचियों का मूल्यांकन

- 7.1 भंडारों तथा अतिरिक्त पुर्जों का मूल्यांकन भारत औसत लागत पर किया जाता है, किन्तु बेकार माल का मूल्य निर्धारण निवल प्राप्य मूल्य के आधार पर किया जाता है।
- 7.2 वर्ष के दौरान निर्गमित लूज टूल्स की लागत को, जहां एकल मद की लागत 5000/- रुपए या इससे कम है, खपत में प्रभारित किया जाता है तथा अन्य मामलों में 5 बराबर वार्षिक किश्तों में बट्टे खाते में डाला जाता है।

8. विदेशी मुद्रा लेन-देन

विदेशी मुद्रा ऋणों/अधिशेषों को वर्ष के अंत में लागू विनिमय दरों के अनुसार हस्तांतरित/परिवर्तित किया जाता है। पूंजीगत परिसंपत्तियों के मामले में इस अंतर को चालू पूंजीगत कार्यों/नियत परिसंपत्तियों में हस्तांतरित किया जाता है तथा चालू परिसंपत्तियों के मामले में इसे निर्माण के दौरान प्रांसगिक खर्च (आईईडीसी) में डाला जाता है।

9. सेवानिवृत्ति लाभ

प्रत्येक वर्ष बीमाकृत मूल्यांकन के आधार पर ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण तथा सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा स्वास्थ्य योजना की व्यवस्था है।

10. विविध

- 10.1 मार्गस्थ माल/निष्पादित पूंजीगत कार्य, जिनके लिए निगम द्वारा लंबित निरीक्षण तथा स्वीकृत न किए जाने के कारण प्रावधान नहीं किया गया है, के लिए देयताएं।
- 10.2 50,000/- रुपये और इससे कम की मदों के पूर्व प्रदत्त व्ययों तथा पूर्वावधि व्ययों/आय को स्वाभाविक लेखाशीर्ष के अन्तर्गत प्रभारित किया जाता है।

11. निगम कार्यालय व्यय का आवंटन

निगम कार्यालय व्यय परियोजनाओं को वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय के अनुपात में आवंटित किए जाते हैं।

purchased during the year and those with similar W.D.V. (excluding immovable assets) at the beginning of the year which are depreciated fully during the current year. In respect of assets where the rates are not available as per the said Act, the rates as prescribed in Schedule XIV to the Companies Act, 1956 are adopted.

7. VALUATION OF INVENTORIES

- 7.1 Stores & spares are valued at weighted average cost. However, scrap is valued at net realizable value.
- 7.2 Loose tools issued during the year are charged to consumption where cost of individual items is Rs. 5,000/- or less and in other cases written off in 5 yearly equated installments.

8. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

Foreign currency loans/balances are translated/converted with reference to the rates of exchanges ruling at the year end. The difference is transferred to Capital work in progress /Fixed assets in case of capital assets and to I.E.D.C. in case of current assets.

9. RETIREMENT BENEFITS

Provision for Gratuity, Leave Encasement and Post Retirement Medical Health Scheme is made on actuarial valuation basis every year.

10. MISCELLANEOUS

- 10.1 Liabilities for Goods in Transit/Capital Works executed but not certified are not provided for pending inspection and acceptance by the Corporation.
- 10.2 Pre-paid expenses and prior period expenses/income of items of Rs. 50,000/- and below are charged to natural head of account.

11. ALLOCATION OF CORPORATE OFFICE EXPENSES

The Corporate Office Expenses are allocated to projects in the ratio of capital expenditure incurred during the year.



नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि.

(एनएचपीसी और मध्य प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम)

NARMADA HYDROELECTRIC DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

(A JOINT VENTURE OF NHPC & GOVT. OF M.P.)

31, मार्च 2002 को तुलन पत्र BALANCE SHEET AS AT 31.03.2002

(राशि रुपये में) (Amount in Rupees)

विवरण PARTICULARS	अनुसूची सं. SCHEDULE NO.	31 मार्च, 2002 को AS AT 31ST MARCH, 2002	31 मार्च, 2001 को AT AT 31ST MARCH, 2001
निधियों के स्रोत SOURCES OF FUNDS			
हिस्सेदारों की निधियाँ SHAREHOLDERS' FUNDS			
हिस्सा पूंजी Share Capital	1	2095513000	795513000
आरक्षित व अधिशेष Reserves and Surplus	2	— 2095513000	— 795513000
ऋण निधियाँ LOAN FUNDS	3		
आरक्षित ऋण Secured Loans		—	—
अनारक्षित ऋण Unsecured Loans		8389601956 8389601956	— —
		10485114956	795513000
निधियों का उपयोग APPLICATION OF FUNDS			
स्थिर पूंजीगत खर्च FIXED CAPITAL EXPENDITURE			
स्थिर परिसंपत्तियाँ Fixed Assets	4		
सकल ब्लॉक Gross Block		42952476	67375689
मूल्य ह्रास Depreciation		11631113	2813762
शुद्ध ब्लॉक Net Block		31321363	64561927
चालू पूंजीगत कार्य Capital Work-in-Progress	5	10131237850	823352753
निर्माण सामग्री व पेशगियाँ Construction Stores and Advances	6	1211537303 11374096516	13171131 901085811
चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण व पेशगियाँ CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES	7		
माल सूचियाँ Inventories		—	—
निर्माण कार्य प्रगति पर (ठेके) Construction Work in Progress (Contracts)		—	—
विविध देनदार Sundry Debtors		—	—
नकद व बैंक शेष Cash and Bank Balances		74516110	168648763
अन्य चालू परिसंपत्तियाँ Other Current Assets		37418952	46800448
ऋण व पेशगियाँ Loans and Advances		25194827 137129889	8770209 224219420

31, मार्च 2002 को तुलन पत्र
BALANCE SHEET AS AT 31.03.2002

(राशि रुपये में) (Amount in Rupees)

विवरण PARTICULARS	अनुसूची सं. SCHEDULE NO.	31 मार्च, 2002 को AS AT 31ST MARCH, 2002	31 मार्च, 2001 को AT AT 31ST MARCH, 2001
घटाएं : चालू देयताएं व प्रावधान LESS : CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	8		
देयताएं Liabilities	1034042506		346139465
प्रावधान Provisions	12584643	1046627149	4168466 350307931
शुद्ध चालू परिसंपत्तियां NET CURRENT ASSETS		(909497260)	(126088511)
विविध खर्च (बट्टे खाते या समायोजन न की गई की सीमा तक) MISCELLANEOUS EXPENDITURE (To the extent not written off or adjusted)	9	20515700	20515700
		<u>10485114956</u>	<u>795513000</u>
लेखों तथा प्रासंगिक देयताओं पर टिप्पणीयां NOTES TO THE ACCOUNTS AND CONTINGENT LIABILITIES	10		
अनुसूची 1 से 10 और लेखा नीतियां लेखों का अभिन्न अंग है। Schedule 1 to 10 and Accounting Policies Form integral part of the Accounts			

एन. के. चड्ढा
N.K. CHADHA
प्रमुख (वित्त)
Chief (Finance)

वी.के. त्रिपाठी
V.K. TRIPATHI
सहायक सचिव
Asst. Secretary

एच.डी. खुंटेटा
H.D. KHUNTETA
निदेशक
Director

एस.सी. शर्मा
S.C. SHARMA
प्रबंध निदेशक
Managing Director

हमारी इस तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date attached
कृते मैसर्स एम. मेहता एण्ड कंपनी
FOR M/S M. MEHTA & CO.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
Chartered Accountants

पी.आर. बंदी
P.R. BANDI
भागीदारी
Partner

स्थान / Place : नई दिल्ली / New Delhi
दिनांक / Dated : 24.06.2002



शेयर पूंजी SHARE CAPITAL

अनुसूची - 1 Schedule - 1

(राशि रुपये में) (Amount in Rupees)

विवरण PARTICULARS	31 मार्च, 2002 को AS AT 31ST MARCH, 2002	31 मार्च, 2000 को AS AT 31ST MARCH, 2001
प्राधिकृत AUTHORISED		
30000000/- इक्विटी शेयर, 1000/- रुपए प्रत्येक के 30000000 Equity Shares of Rs. 1000/- each	30000000000	30000000000
निर्गमित, अभिदत्त व प्रदत्त ISSUED, SUBSCRIBED AND PAID UP		
1000.00 रुपये प्रति शेयर की दर से पूर्ण प्रदत्त 20,95,513 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष, 7,95,513) इनमें से 20,95,512 (पिछले वर्ष 7,95,512) शेयर धारक कंपनी नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन को आबंटित कर दिए गए हैं। 2095513 (Previous year 7,95,513) Equity Shares of Rs. 1000.00 each fully paid. Out of above, 20,95,512 (Previous year 7,95,512) shares have been allotted to holding company National Hydroelectric Power Corporation Ltd., Faridabad	2095513000	795513000
कुल TOTAL	2095513000	795513000

अनुसूची - 2 Schedule - 2

(राशि रुपये में) (Amount in Rupees)

	31 मार्च, 2002 को शेष BALANCE AS AT 31ST MARCH, 2002	31 मार्च, 2001 को शेष BALANCE AS AT 31ST MARCH, 2001
आरक्षित व अधिशेष RESERVES AND SURPLUS	-	-

अनुसूची - 3 Schedule - 3

(राशि रुपये में) (Amount in Rupees)

	31 मार्च, 2002 को BALANCE AS AT 31ST MARCH, 2002	31 मार्च, 2001 को BALANCE AS AT 31ST MARCH, 2001
ऋण निधियां LOAN FUNDS		
अनारक्षित Unsecured		
ब्याज मुक्त ऋण मध्य प्रदेश सरकार (एनवीडीए) Interest Free Loan M.P. GOVT. (NVDA)	8389601956	-
	8389601956	-

स्थिर परिसंपत्तियां
FIXED ASSETS

अनुसूची - 4
Schedule - 4

(राशि रुपये में) (Amount in Rupees)

विवरण PARTICULARS	सकल ब्लॉक Gross Block				मूल्यह्रास Depreciation				शुद्ध ब्लॉक Net Block	
	1.4.2001 को As at 1.4.2001	बढ़ौतियां / समायोजन Additions/ Adjustments	कटौतियां / समायोजन Deductions/ Adjustments	31.3.2002 को As at 31.3.2002	1.4.2001 को As at 1.4.2001	वर्ष के लिए For the year	समायोजन Adjust- ments	31.3.2002 को As at 31.3.2002	31.3.2002 को As at 31.3.2002	31.3.2001 को As at 31.3.2001
फ्री होल्ड भूमि Land Freehold	42594680	-	(42594680)	-	-	-	-	-	-	42594680
भवन Buildings	170200	3541240	-	3711440	915	446471	-	447386	3264054	169285
सड़कें व पुल Roads and Bridges	-	938824	-	938824	-	27498	-	27498	911326	-
निर्माण संयंत्र व मशीनरी Construction Plant and Machinery	-	150000	-	150000	-	8161	-	8161	141839	-
वाहन Vehicles	4950724	1533261	-	6483985	674857	2114807	-	2789664	3694321	4275867
फर्नीचर फिक्स्चर व उपस्कर Furniture Fixture and Equipments	17296434	7314452	-	24610886	354120	2853247	-	3207367	21403519	16942314
ट्रान्समिशन लाइनें Transmission Lines	-	569581	-	569581	-	21290	-	21290	548291	-
विविध परिसंपत्तियां/उपस्कर Misc Assets / Equipments	589032	917373	-	1506405	9251	139141	-	148392	1358013	579781
5000/- रुपये तक की कम कीमत वाली स्थिर परिसंपत्तियां Fixed Assets Of Minor Value Upto Rs. 5000/-	1774619	3206736	-	4981355	1774619	3206736	-	4981355	-	-
कुल TOTAL	67375689	18171467	(42594680)	42952476	2813762	8817351	-	11631113	31321363	64561927
पिछले वर्ष Previous year	-	63735689	-	67375689	-	2813762	-	2813762	64561927	-

चालू पूंजीगत कार्य CAPITAL WORK-IN-PROGRESS

अनुसूची - 5 Schedule - 5

(राशि रुपये में) (Amount in Rupees)

विवरण	1.4.2001 को AS AT 1ST APRIL 2001	वर्ष के दौरान बढ़ौतरी ADDITIONS DURING THE YEAR	समायोजन ADJUSTMENTS	वर्ष के दौरान पूंजीकृत CAPITALISED DURING THE YEAR	31.3.2002 को AS AT 31ST MARCH 2002
PARTICULARS					
1. सर्वेक्षण, अन्वेषण एवं अन्य खर्च Survey, Investigation and Other Expenses	-	-	-	-	-
2. भवन व सिविल इंजीनियरिंग कार्य तथा संचार Building & Civil Engg. Works and Communications	454701898	1688107421	-	641643	2142167676
3. सड़कें व पुल Roads & Bridges	410974	16028211	16485	938824	15516846
4. हाइड्रोलिक कार्य, बैराज, बांध, टनल व पावर चैनल Hydraulic Works, Barrages, Dams, Tunnels & Power Channels	176505972	2266725341	-	-	2443231313
5. जनरेटिंग स्टेशन में संयंत्र व मशीनरी Plant & Machinery in Generating Station	128591167	1378486085	-	-	1507077252
6. विविध परिसंपत्तियां Miscellaneous Assets	1412734	-	(16485)	1396249	-
7. ट्रंक ट्रांसमिशन लाइनें Trunk Transmission Lines	220847	-	-	-	220847
8. निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च Incidental Expenditure During Construction	61509161	2324400072	-	-	2385909233
उप जोड़ Sub Total	823352753	7673747130	-	2976716	8494123167
9. पुनर्वासि खर्च Rehabilitation Expenses	-	1637114683	-	-	1637114683
जोड़ Total	823352753	9310861813	-	2976716	10131237850
पिछले वर्ष Previous Year	-	823352753	-	-	823352753

अनुसूची - 5 का अनुबंध-निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च
Annexure to Schedule - 5 - Incidental Expenditure During Construction

(राशि रुपये में) (Amount in Rupees)

विवरण PARTICULARS	1.4.2001 से 31.3.2002 तक की अवधि के लिए FOR THE PERIOD FROM 1.4.2001 To 31.3.2002	1.8.2000 से 31.3.2001 तक की अवधि के लिए FOR THE PERIOD FROM 1.8.2000 To 31.3.2001
कर्मचारियों को पारिश्रमिक व लाभ EMPLOYEES' REMUNERATION AND BENEFITS		
वेतन, मजदूरी, भत्ते व लाभ Salary, wages, allowances and benefits and gratuity	111636640	18520774
गेच्युटी व भविष्यनिधि में अंशदान (प्रशासन फी सहित) Contribution to provident fund (including administration fee)	5962580	3185365
स्टाफ कल्याण खर्च Staff welfare expenses	12877337	1279698
छुट्टी वेतन व पेंशन अंशदान Leave salary and pension contribution	2964843	504151
	133441400	23489988
मरम्मत व रखरखाव REPAIRS AND MAINTENANCE		
भवन Buildings	2601588	2582910
मशीनरी व रख-रखाव Machinery and construction equipments	14054	56837
अन्य Others	10138972	2421920
	12754614	5061667
प्रशासन व अन्य खर्च ADMINISTRATION AND OTHER EXPENSES		
यात्रा व वाहन Travelling and conveyance	7332161	3226147
स्टाफ कारों व वाहन निरीक्षण पर खर्च Expenses on staff cars and inspection vehicles	10791571	2957449
कार्यालय किराया Rent office	1386765	1018228
आवासीय किराया Rent residential	6541235	1542996
लीज़ भूमि किराया Rent lease land	98152	—
दरें व कर Rate and taxes	222822	2512
बीमा Insurance	469585	131633
बिजली प्रभारें Electricity charges	12580683	29963446
टेलीफोन, टेलेक्स व डाक खर्च Telephone, telex and postage	3071643	923577
विज्ञापन व प्रचार Advertisement and publicity	3676543	2629789
डिजाइन व परामर्शी प्रभारें Design and consultancy charges	150611087	2998739
सत्कार Entertainment	391445	59078



अनुसूची - 5 का अनुबंध-निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च

Annexure to Schedule - 5 - Incidental Expenditure During Construction

(राशि रुपये में) (Amount in Rupees)

विवरण PARTICULARS	1.4.2001 से 31.3.2002 तक की अवधि के लिए FOR THE PERIOD FROM 1.4.2001 To 31.3.2002	1.8.2000 से 31.3.2001 तक की अवधि के लिए FOR THE PERIOD FROM 1.8.2000 To 31.3.2001
छपाई व लेखन सामग्री Printing and Stationery	3386209	1271694
भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वास Land acquisition and rehabilitation	—	30722
अन्य खर्चे Other expenses	12800588	2340649
लेखा परीक्षकों को भुगतान Payment to auditors	213439	213573928
मूल्यह्रास DEPRECIATION	8817351	2813762
अन्य OTHERS		
वेतन, मजदूरी, प्रारंभिक खर्च, प्लांटेशन रख-रखाव व पर्यावरण खर्च एनवीडीए अवधि के दौरान Salary, wages, preliminary expenses, plantation maintainance & environment expenses during NVDA period	2077822869	—
कुल खर्च TOTAL EXPENDITURE	2,446,410,162	80,602,758
घटाएं : प्राप्तियां व वसूलियां LESS : RECEIPTS AND RECOVERIES		
आवधिक/डिपॉजिट/बैंक एकाउंट्स पर ब्याज Interest on Term deposits/Bank Accounts	6199843	8091905
घटाएं : बैंक ब्याज पर आयकर Less : Income tax on bank Interest	-2183595	4016248
ऋणों व पेशगियों पर ब्याज Interest on Loans and advances	580557	74358
विविध प्राप्तियां व वसूलियां Miscellaneous receipts and recoveries	117413285	14127685
कुल प्राप्तियां व वसूलियां TOTAL RECEIPTS AND RECOVERIES	122010090	19093597
कुल खर्च NET EXPENDITURE	2324400072	61509161
सीडब्ल्यूआईपी को हस्तांतरित राशि AMOUNT TRANSFERRED TO C.W.I.P	2324400072	61509161

एन. के. चड्ढा
N.K. CHADHA
प्रमुख (वित्त)
Chief (Finance)

वी.के. त्रिपाठी
V.K. TRIPATHI
सहायक सचिव
Astt. Secretary

एच.डी. खुंटेटा
H.D. KHUNTETA
निदेशक
Director

एस.सी. शर्मा
S.C. SHARMA
प्रबंध निदेशक
Managing Director

हमारी इस तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date attached

कृते मैसर्स एम. मेहता एण्ड कंपनी

FOR M/S M. MEHTA & CO.

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

Chartered Accountants

पी.आर. बंदी / P.R. BANDI

भागीदार / Partner

स्थान / Place : नई दिल्ली / New Delhi

दिनांक / Dated : 24.06.2002

A) निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण
PARTICULARS OF REMUNERATION PAID TO DIRECTORS

(राशि रुपये में) (Amount in Rupees)

	2001-2002	2000-2001
(i) वेतन तथा भत्ते Salaries and allowances	416009	211495
(ii) भविष्य निधि हेतु अंशदान Contribution to provident fund	46001	25641
(iii) अन्य लाभ Other benefits	—	4440
(iv) खर्च की प्रतिपूर्ति Reimbursement of expenses	229840	134326

B) सांविधिक लेखा परीक्षकों को किए गए भुगतान का विवरण
PARTICULARS OF PAYMENT TO STATUTORY AUDITORS

(राशि रुपये में) (Amount in Rupees)

	2001-2002	2000-2001
(i) लेखा परीक्षा शुल्क Audit fees	126000	84000
(ii) कर लेखा परीक्षा शुल्क Tax audit fees	31500	21000
(iii) लेखा परीक्षा खर्च Audit expenses	55,939	—

अनुसूची - 6

Schedule - 6

निर्माण सामग्रियां व पेशगियां
CONSTRUCTION STORES AND ADVANCES

(राशि रुपये में) (Amount in Rupees)

विवरण PARTICULARS	31.3.2002 को AS AT 31ST MARCH, 2002	31.3.2001 को AS AT 31ST MARCH, 2001
निर्माण सामग्रियां (प्रबंध वर्ग द्वारा मूल्यांकित व प्रमाणित लागत पर) CONSTRUCTION STORES (At cost as valued and certified by management)		
मार्गस्थ निर्माण सामग्री Construction materials in transit	—	—
भण्डार Stores	1204792	110427
पूँजीगत खर्च के लिए पेशगी ADVANCE FOR CAPITAL EXPENDITURE		
आरक्षित (कंसीडर्ड गुड) Secured (Considered good)	—	11649080
अनारक्षित (कंसीडर्ड गुड) Unsecured (Considered good)	1210332511	1411624
	1211537303	13171131



चालू परिसंपत्तियां, ऋण व पेशगियां CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES

अनुसूची - 7 Schedule - 7

(राशि रुपये में) (Amount in Rupees)

विवरण PARTICULARS	31.3.2002 को AS AT 31ST MARCH, 2002	31.3.2001 को AS AT 31ST MARCH, 2001
चालू परिसंपत्तियां CURRENT ASSETS		
माल सूचियां (प्रबंध वर्ग द्वारा मूल्यांकित व प्रमाणित लागत पर) Inventories (At Cost as taken, valued and certified by management)		
सामग्री व पुर्जे Stores and spares	(-)	(-)
लूज टूल्स Loose tools	-	-
निर्माण कार्य प्रगति पर (ठेके) Construction work-in-Progress (contracts)	-	-
विविध देनदार (अनारक्षित) Sundry Debtors (Unsecured)		
छः मास से अधिक अवधि के लिए देनदारियां Debts outstanding for a period exceeding six months	-	-
अन्य ऋण Other debts	-	-
कुल देनदार Total Debtors	-	-
घटाएं : प्रावधान Less : Provisions	-	-
विविध देनदारों (अनारक्षित) का विवरण PARTICULARS OF SUNDRY DEBTORS (Unsecured)		
कंसीडर्ड गुड Considered good		
कंसीडर्ड संदेहजनक व प्रावधानित Considered doubtful and provided		
नकद व बैंक शेष Cash and Bank Balances		
नकद, अग्रदाय, चैक व ड्राफ्ट्स Cash, imprest, cheques and drafts	175165	9191463
अनुसूचित बैंकों में शेष Balances with scheduled banks in		
चालू खाता Current account	9246792	42622715
जमा खाता (अल्प अवधि) Deposit account (Short term)	15094153	116834585
अन्य (डाकखाना) Other (Post office)	50000000	74516110
		- 168648763
अन्य चालू परिसंपत्तियां Other Current Assets		
जमा राशि पर उपचित ब्याज Interest accrued on deposits	280604	4417320
अन्य Others	37138348	37418952
		42383128 46800448

चालू परिसंपत्तियां, ऋण व पेशगियां CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES

अनुसूची - 7 Schedule - 7

(राशि रुपये में) (Amount in Rupees)

विवरण PARTICULARS	31.3.2002 को AS AT 31ST MARCH, 2002	31.3.2001 को AS AT 31ST MARCH, 2001
ऋण व पेशगियां Loans and Advances		
नकद या माल अथवा प्राप्त होने वाले मूल्य के रूप में वसूली योग्य पेशगियां ADVANCES RECOVERABLE IN CASH OR KIND OR FOR VALUE TO BE RECEIVED		
आरक्षित (कंसीडर्ड गुड) Secured (Considered good)	—	100000
अनारक्षित (कंसीडर्ड गुड) Unsecured (Considered good)	25194827	8670209
अनारक्षित (कंसीडर्ड डाउटफुल) Unsecured (Considered doubtful)	—	—
घटाएं : संदेहजनक के लिए प्रावधान LESS Provision for Doubtful	—	—
	25194827	8770209
	137129889	224219420

क) वर्ष के दौरान गैर-अनुसूचित बैंकों में अधिकतम शेष का विवरण

A) PARTICULARS OF MAXIMUM BALANCE DURING THE YEAR WITH NON-SCHEDULE BANKS

(राशि रुपये में) (Amount in Rupees)

	2001-2002	2000-2001
	शून्य NIL	शून्य NIL

ख) निदेशकों से प्राप्त ऋण व पेशगियों का विवरण

B) PARTICULARS OF LOANS AND ADVANCES DUE FROM DIRECTORS

(राशि रुपये में) (Amount in Rupees)

	2001-2002	2000-2001
वर्ष के अंत में देय राशि Amount due at the end of the year	शून्य NIL	शून्य NIL
वर्ष के दौरान किसी भी समय अधिकतम शेष Maximum balance at any time during the year	16297	84461



चालू देयताएं व प्रावधान CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS

अनुसूची - 8 Schedule - 8

(राशि रुपये में) (Amount in Rupees)

विवरण PARTICULARS	31.3.2002 को AS AT 31ST MARCH, 2002		31.3.2001 को AS AT 31ST MARCH, 2001	
देयताएं LIABILITIES				
विविध लेनदार Sundry creditors	—		—	
लघु औद्योगिक उपक्रम (उपक्रमों) की कुल बकाया राशि Total outstanding dues of small scale industrial undertaking(s)	—		—	
लघु औद्योगिक उपक्रम (उपक्रमों) के अलावा लेनदारों की कुल बकाया देय राशि Total outstanding dues of creditors other than small scale industrial undertaking(s).	997128206	997128206	316696537	316696537
डिपॉजिट/एजेंसी की खर्च न की गई राशि Unspent amount of deposit/agency		—		308745
डिपॉजिट/प्रतिधारणा राशि Deposits/retention money		23300245		22026521
अन्य देयताएं Other liabilities		12474032		7107662
जारी किए गए चैकों के लिए देयता Liability for cheques issued		1,140,023	1034042506	— 346139465
प्रावधान PROVISIONS				
कराधान Taxation		5383946		3200351
प्रस्तावित लाभांश Proposed dividend		—		—
प्रस्तावित लाभांश पर कर Tax on proposed dividend		—		—
स्टाफ के लिए हित लाभ Staff benefits		7200697	12584643	968115 4168466
			1046627149	350307931

अनुसूची - 9
Schedule - 9

विविध खर्च

MISCELLANEOUS EXPENDITURE

(बट्टे खाते न डाले गए या समायोजित न किए गए की सीमा तक)
(TO THE EXTENT NOT WRITTEN OFF OR ADJUSTED)

(राशि रुपये में) (Amount in Rupees)

विवरण PARTICULARS	31.3.2002 को AS AT 31ST MARCH, 2002	31.3.2001 को AS AT 31ST MARCH, 2001
प्रारंभिक खर्च Preliminary expenses	20515700	20515700
बट्टे खाते डाले जाने की मंजूरी की प्रतीक्षा संबंधी हानियां Losses awaiting write off sanction	68500	68500
घटाएं : के लिए प्रावधान Less : Provided for	68500	68500
	<u>20515700</u>	<u>20515700</u>

लेखा टिप्पणियां : अनुसूची - 10

NOTES TO THE ACCOUNTS : SCHEDULE - 10

01. निम्न के संबंध में आकस्मिक देयताओं का प्रावधान नहीं किया गया :

(क) ऋण के रूप में स्वीकार न किए गए 13269.24 लाख रुपए के दावों (विगत वर्ष 17149.66 लाख रुपए) में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण से संबंधित 6691.24 लाख रुपए के मध्यस्थता दावे शामिल हैं तथा एनएचडीसी से संबंधित न होने के कारण चालू वर्ष में इन्हें शामिल नहीं किया गया।

(ख) पूंजी खाते में निष्पादित की जाने वाली शेष संविदाओं की अनुमानित राशि, जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है, 23977.34 लाख रुपए है। (विगत वर्ष 35417.18 लाख रुपए)

02. जैसा कि पिछले वर्ष सूचित किया गया था, मध्य प्रदेश सरकार (एनवीडीए) ने 31.8.2000 तक इन्दिरा सागर तथा ओमकारेश्वर परियोजनाओं के निर्माण का कार्य किया तथा उस पर पर्याप्त व्यय उपगत किया। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने पिछले वर्ष 31.8.2000 तक इंदिरा सागर परियोजना पर 1157.01 करोड़ रुपए तथा ओमकारेश्वर परियोजना पर 23.77 करोड़ रुपए का व्यय सूचित किया किन्तु अब नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने 31.8.2000 तक इंदिरा सागर परियोजना पर 1110.00 करोड़ रुपए तथा ओमकारेश्वर परियोजना पर 23.77 करोड़ रुपए का कुल व्यय सूचित किया है। आवश्यक सत्यापन/पुनः मिलान के पश्चात् इस लेखाकरण वर्ष के दौरान निगम ने 31.8.2000 तक इंदिरा सागर परियोजना पर निम्न व्यय राशि को अभिज्ञात तथा लेखाबद्ध किया है :

01. Contingent Liabilities not provided for in respect of :

(a) Claims not acknowledged as debts for Rs. 13269.24 Lacs (Previous year Rs. 17149.66 Lacs includes the Arbitration Claims of Rs. 6691.24 lacs relating to Narmada Valley Development Authority (NVDA) and not considered in current year as does not relate to NHDC).

(b) Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account not provided is Rs. 23977.34 Lacs (Previous year Rs. 35417.18 Lacs).

02. As reported in the previous year MP Govt. (NVDA) had undertaken the construction of Indira Sagar & Omkareshwar Projects upto 31.08.2000 and had incurred a substantial expenditure thereon. Narmada Valley Development Authority reported in the last year an expenditure of Rs. 1157.01 crores on Indira Sagar Project and Rs. 23.77 crores on Omkareshwar Project upto 31.08.2000. However, Narmada Valley Development Authority has now informed total expenditure of Rs. 1110.00 crores on Indira Sagar Project and Rs. 23.77 crores on Omkareshwar Project upto 31.08.2000. After necessary verification/reconciliation the Corporation has identified and accounted following amount of expenditure on Indira Sagar project upto 31.08.2000 during this accounting year.

क. निर्माण कार्यों के लिए (डब्ल्यूआईपी)

a. Towards Works (W.I.P.) : रु. Rs. 3,58,21,43,998/-

ख. भूमि के लिए

b. Towards Land : रु. Rs. 1,24,21,83,809/-

ग. रेल ट्रैक के विपथन के लिए रेलवे के पास जमाराशि

c. Deposit with Railway for Diversion of Rail Track : रु. Rs. 77,20,22,843/-

घ. पी.डी. खाते में जमा नकद

d. Cash Deposited in PD A/c : रु. Rs. 10,06,58,087/-

च. भवन (डब्ल्यूआईपी)

e. Building (W.I.P.) : रु. Rs. 13,62,411/-

छ. संयंत्र तथा उपकरण

f. Plant & equipment : रु. Rs. 61,34,36,416/-

ज. निर्माणावधि के दौरान आनुपातिक प्रासंगिक व्यय

g. Proportionate Incidental expenditure during construction period

1. प्रारंभिक व्यय

Preliminary expenses : रु. Rs. 13,25,81,000/-

2. बागान

Plantation : रु. Rs. 69,35,000/-

3. मरम्मत

Maintenance : रु. Rs. 6,99,94,000/-

4. पर्यावरण

Environment : रु. Rs. 77,08,69,000/-

5. निदेशन तथा प्रशासन

Direction & administration : रु. Rs. 1,09,74,43,869/-

रु. Rs. 8,38,96,30,433/-

6. घटाएं : एनवीडीए की ओर से मध्यस्थता के लिए

एनएचडीसी द्वारा अदा की गई राशि

Less : Amount paid by NHDC on : रु. Rs. 28,477/-

behalf of NVDA towards arbitration

रु. Rs. 8,38,96,01,956/-

तदनुसार 8,38,96,01,956 रुपए की राशि एनवीडीए के खाते में जमा कर दी गई है तथा इसे ब्याज मुक्त अनारक्षित ऋण के रूप में दर्शाया गया है। आईएसपी तथा ओएसपी की शेष राशि के लिए सत्यापन तथा मिलान प्रगति पर है तथा एनवीडीए से ब्यौरे प्राप्त होने पर उसे समायोजित किया जाएगा।

Accordingly Rs. 8,38,96,01,956/- has been credited to the Account of NVDA and shown as Interest free unsecured Loan. For balance amount of ISP & OSP the verification and reconciliation is in progress and will be adjusted on receipt of details from NVDA.

03. लाभ तथा हानि लेखा तैयार नहीं किया गया है क्योंकि परियोजना निर्माणाधीन है। कंपनी ने केवल निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय (आबंटन/पूंजीकरण के लिए लंबित) कर विवरण तैयार किया है।

03. Profit and Loss Account has not been prepared as the project is under construction. The company has prepared a statement of Incidental Expenditure during construction (pending allocation/capitalization) only.

04. विविध ऋणदाताओं (अन्य) में धारक कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड को देय 573,67,648 रुपए शामिल हैं।

04. Sundry Creditors (others) includes Rs. 573,67,648/- due to Holding Company NHPC Limited.

05. पुनर्वास तथा पुनःस्थापना व्यय में 163,71,14,683 रुपए (पिछले वर्ष के 425,94,680 रुपए के बंद अधिशेष से अंतरित राशि सहित) के लिए अर्जित भूमि हेतु, जो अंततः जलप्लावित हो जाएगी, क्षतिपूर्ति शामिल है।

05. Rehabilitation & Resettlement expenses includes compensation for land acquired for Rs. 163,71,14,683/- (including amount transferred from previous year closing balance of Rs. 425,94,680/-) which will ultimately be submerged.

06. निगम ने 31.3.2002 तक 2095512 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष में आबंटित 795512 इक्विटी शेयरों सहित) एनएचपीसी लिमिटेड, धारक कंपनी को आवंटित किए हैं तथा केवल एक इक्विटी शेयर मध्य प्रदेश सरकार को आवंटित किया गया है।

06. The Corporation has allotted 2095512 Equity shares (including 795512 equity shares allotted in previous year) to NHPC Ltd., Holding company and only one equity share has been allotted to MP Govt. till 31.03.2002.

07. एनएचपीसी लिमिटेड से प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के संबंध में उपदान, अर्जित अवकाश नकदीकरण तथा सेवानिवृत्ति लाभों

07. The liability for Gratuity, EL encashment and retirement benefits in respect of employees on deputation from

के लिए देयता एनएचपीसी से प्राप्त सूचना के आधार पर ली जाती है। मध्य प्रदेश सरकार से प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के लिए समरूपी प्रावधान के संबंध में कोई प्रावधान किया जाना आवश्यक नहीं है।

08. अभिकल्प एवं परामर्श प्रभागों में धारक कंपनी अर्थात् एनएचपीसी लिमिटेड को देय 546,90,000 रुपए शामिल है, जो किए गए कार्य की पुनः संवीक्षा के अधीन हैं।

09. मात्रा विवरण :
Quantity Details :

	2001-2002	2000-2001
i. लाइसेंसी क्षमता (मेगावाट) Licenced Capacity (MW)	लागू नहीं Not applicable	लागू नहीं Not applicable
ii. संस्थापित क्षमता (मेगावाट) Installed Capacity (MW)	लागू नहीं Not applicable	लागू नहीं Not applicable
iii. वास्तविक उत्पादन (मेगावाट) Actual Production (MW)	शून्य Nil	शून्य Nil
iv. बिक्री (मेगावाट) Sales (MW)	शून्य Nil	शून्य Nil
10. विदेशी मुद्रा में व्यय Expenditure in foreign currency	शून्य Nil	शून्य Nil
11. आयातों का सीआईएफ मूल्य CIF value of imports	शून्य Nil	शून्य Nil
12. विदेशी मुद्रा में अर्जन निविदा की बिक्री Earnings in foreign currency sale of tender	शून्य Nil	शून्य Rs. 55168.00
13. बोर्ड की राय में, लेखाकरण मानक ए.एस. 18 – भारत के सनद लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "संबंधित पार्टी प्रकटन" इस कंपनी पर लागू नहीं है क्योंकि उक्त कंपनी एक अन्य राज्य नियंत्रित उद्यम द्वारा नियंत्रित है।	13. In the opinion of the Board, the Accounting Standard - AS 18 - "Related party disclosures" issued by the Institute of Chartered Accountants of India does not apply to this Company, as the said Company is controlled by another State Control Enterprises.	
14. पिछले वर्षों के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक समझा गया है, पुनः व्यवस्थित/पुनः समूहबद्ध किया गया है।	14. Previous years figures have been rearranged/ regrouped wherever considered necessary.	

NHPC Ltd. is taken on the basis of information received from NHPC. Regarding similar provision for employees on deputation from Govt. MP, no provision is required to be made.

08. Design & consultancy charges includes Rs. 546,90,000/- payable to Holding company i.e. NHPC Limited which is subject to further scrutiny of work done.

तुलन पत्र सार एवं कंपनी के सामान्य व्यवसाय की रूपरेखा BALANCE SHEET ABSTRACT AND COMPANY'S GENERAL BUSINESS PROFILE

I. पंजीकरण विवरण Registration Details

पंजीकरण संख्या
Registration no.

1	4	3	3	7
---	---	---	---	---

राज्य कोड
State code

1	0
---	---

तुलन पत्र दिनांक
Balance sheet date

3	1	0	3	2	0	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---

II. वर्ष के दौरान जुटाई गई पूंजी (मिलियन रुपए) Capital Raised During the Year (Rupees in lakhs)

सार्वजनिक निर्गम
Public issue

शू	=	य
----	---	---

N	I	L
---	---	---

राइट निर्गम
Right issue

शू	=	य
----	---	---

N	I	L
---	---	---

बोनस निर्गम
Bonus issue

शू	=	य
----	---	---

N	I	L
---	---	---

निजी नियोजन*
Private placement*

1	3	0	0	0
---	---	---	---	---

* एनएचपीसी से प्राप्त अंशपूंजी जमा राशि
* Share capital deposit received from NHPC

III. निधियों को जुटाने और विस्तार की स्थिति (रुपए लाख में) Position of Mobilisation and Deployment of Funds (Rupees in lakhs)

कुल देयता
Total liabilities

1	1	5	3	1	7	.	4	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

कुल परिसंपत्तियां
Total assets

1	1	5	3	1	7	.	4	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

निधियों के स्रोत Sources of Funds

प्रदत्त पूंजी #
Paid-up capital

2	0	9	5	5	.	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---

आरक्षित ऋण
Secured loan

शू	=	य
----	---	---

N	I	L
---	---	---

आरक्षित एवं अतिशेष \$
Reserves and surplus

N	I	L
---	---	---

अनारक्षित ऋण
Unsecured loans

8	3	8	9	6	.	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---

निधियों के प्रयोग Application of Funds

शुद्ध स्थिर परिसंपत्तियां
Net fixed assets

1	1	3	7	4	0	.	9	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---

शुद्ध चालू परिसंपत्तियां
Net current assets

-	9	0	9	4	.	9	7
---	---	---	---	---	---	---	---

संचित हानियां
Accumulated losses

शू	=	य
----	---	---

N	I	L
---	---	---

निवेश

Investments

शू	=	य
----	---	---

N	I	L
---	---	---

विविध व्यय

Misc. expenditure

2	0	5	.	1	6
---	---	---	---	---	---

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

Auditors Report

नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल के सदस्यों के लिए

To the Members of Narmada Hydroelectric Development Corporation Limited, Bhopal

हमने नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल के 31 मार्च, 2002 के संलग्न तुलनपत्र और उसके साथ संलग्न उसी तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय (आवंटन/पूंजीकरण के लिए लंबित) के विवरण की लेखापरीक्षा कर ली है। ये वित्तीय विवरण कंपनी प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संबंध में अपनी राय व्यक्त करना है।

हमने भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा संचालित की है। उन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम लेखापरीक्षा की आयोजना तथा निष्पादन इस बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए करें कि क्या वित्तीय विवरण गलत कथन से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों तथा प्रकटनों को समर्थित करने वाले साक्ष्य की परीक्षण आधार पर जांच शामिल है। लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों तथा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों के आकलन के साथ - साथ समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए युक्तिसंगत आधार उपलब्ध कराती है।

जैसाकि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उपधारा (4क) के अनुसार भारत की केंद्र सरकार द्वारा निर्माणकारी तथा अन्य कंपनियां (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश 1988 के तहत अपेक्षित है, हम उक्त आदेश के पैराग्राफ 4 तथा 5 में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में एक विवरण अनुबंध में संलग्न कर रहे हैं।

उपर्युक्त अनुबंध में हमारी टिप्पणियों के अतिरिक्त, हम सूचित करते हैं कि :

- हमने वे सभी सूचना व स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के लिए हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे।
- जहां तक कंपनी की बहियों की हमारी जांच से पता चलता है, हमारी राय में कंपनी ने कानून द्वारा यथा अपेक्षित उचित लेखा बहियां रखी हैं।
- इस रिपोर्ट में दिया गया तुलनपत्र तथा प्रासंगिक व्यय विवरण कंपनी के लेखा बहियों से मेल खाते हैं।
- हमारी राय में, इस रिपोर्ट में दिया गया तुलनपत्र तथा प्रासंगिक व्यय विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उपधारा (3ग) में उल्लिखित लेखाकरण मानकों के समनुरूप हैं।
- 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार निदेशकों से प्राप्त तथा निदेशक मंडल तथा अभिलेखाबद्ध अभ्यावेदनों के आधार पर, हम सूचित करते हैं कि 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार कोई भी निदेशक कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 की

We have audited the attached Balance Sheet of NARMADA HYDROELECTRIC DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED, BHOPAL, as at 31st March, 2002 and also the Statement of Incidental Expenditure during construction (pending allocation/capitalization) for the year ended on that date annexed thereto. These financial statement are the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

As required by the Manufacturing and Other Companies (Auditor's Report) Order, 1988 issued by the Central Government of India in terms of sub-section (4A) of section 227 of the Companies Act, 1956, we enclose in the Annexure a statement on the matters specified in paragraphs 4 and 5 of the said order.

Further to our comments in the Annexure referred to above, we report that :

- We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;
- In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the company so far as appears from our examination of those books of the company.
- The Balance Sheet and the Statement of Incidental Expenditure dealt with by this report are in agreement with the books of account of the company.
- In our opinion, the Balance Sheet and Statement of incidental Expenditure dealt with by this report comply with the accounting standards referred to the sub-section (3C) of section 211 of the Companies Act, 1956;
- On the basis of written representation received from the directors, as on 31st March, 2002, and taken on record by the Board of Directors, we report that none of the directors is disqualified as on 31st March, 2002 from being appointed as a director in terms of clause

उप-धारा (1) के खंड (छ) के अनुसार, निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अनर्हक नहीं है।

vi) हमारी राय में तथा हमारी अधिकतम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार निम्नलिखित को छोड़कर उक्त लेखे कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा यथा अपेक्षित जानकारी अपेक्षित तरीके से प्रस्तुत करते हैं तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के समनुरूप एवं सही तथा उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं :

- 1) 31.8.2000 तक एनवीडीए द्वारा उपगत 838.97 करोड़ रुपए के खर्च के समायोजन तथा समायोजन/पुनर्मिलान के लिए अभी भी लंबित शेष राशि के संबंध में टिप्पणी संख्या 2
- 2) आरएंडआर व्ययों के रूप में अधिगृहीत भूमि, जो अंततः आप्लावित हो गई, की लागत संबंधी संव्यवहार के संबंध में टिप्पणी संख्या 5
- 3) धारक कंपनी को संदेय 546,90,000 रुपए के परामर्श प्रभागों के संबंध में टिप्पणी संख्या 8

क) 31 मार्च 2002 की स्थिति के अनुसार कंपनी के कार्यों की स्थिति के तुलनपत्र के मामले में, तथा

ख) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उपगत शुद्ध व्यय में निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय (पूँजीकरण/आवंटन के लिए लंबित) के विवरण के मामले में।

कृते एम.मेहता एवं कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
ह./-
(पी. आर. बंदी)
भागीदारी

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24.6.2002

(g) of sub-section (1) section 274 of the Companies Act, 1956.

vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, the said accounts give the information required by the Companies Act, 1956, in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India : Subject to ;

- 1) Note No. 2 in respect of adjustment of Expenditure incurred by NVDA upto 31.08.2000 of Rs. 838.97 crores and for balance amount still pending for adjustment/reconciliation.
- 2) Note No. 5 in respect of treating cost of Land acquired as R&R expenses, which is ultimately sub-merged.
- 3) Note No. 8 in respect of consultancy charges payable to Holding Company of Rs. 546,90,000/-

a) In the case of Balance Sheet, of the state of affairs of the Company as at 31st March, 2002 and

b) In the case of Statement of Incidental Expenditure during construction (Pending Capitalization/Allocation) of the net expenditure incurred for the year ended on that date

For **M. Mehta & Company**
Chartered Accountants

sd/-

(P.R. Bandi)
Partner

Place : New Delhi
Dated : 24.6.2002

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध

Annexure to the Auditors Report

31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के संबंध में नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों की सेवा में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के पैराग्राफ (1) में उल्लिखित अनुबंध।

हमारे द्वारा समुचित समझी गई जांच, हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के आधार पर हमारा कहना है कि :

1. निगम ने नियत परिसंपत्तियों के मात्रात्मक विवरणों तथा स्थिति सहित पूर्ण ब्यौरे दर्शाने वाले उचित अभिलेख रखे हुए हैं। निगम के आकार तथा परिसंपत्तियों की प्रकृति को देखते हुए सत्यापन का नियमित कार्यक्रम है, जो हमारी राय में उचित है ऐसे सत्यापन में कोई कमियां जानकारी में नहीं आई हैं।
2. वर्ष के दौरान किसी भी स्थिर परिसंपत्तियों का पुनः मूल्यन नहीं किया गया है।
3. वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा भंडारों, अतिरिक्त पुर्जों तथा उपभोग्य माल के स्टॉक का युक्तिसंगत अंतरालों पर वास्तविक सत्यापन किया गया है।
4. हमारी राय में निगम के आकार तथा व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप प्रबंधन द्वारा अतिरिक्त पुर्जों तथा भंडारों के वास्तविक सत्यापन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया युक्तिसंगत तथा पर्याप्त है।
5. लेखाबहियों की तुलना में स्टॉक का वास्तविक सत्यापन करने पर कोई महत्वपूर्ण कमियां जानकारी में नहीं आई हैं।
6. हमारी राय में तथा हमारी जांच के आधार पर भंडारों का मूल्यांकन सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार उचित तथा उपयुक्त है।
7. निगम ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कंपनियों, फर्मों तथा अन्य निगमित निकायों से कोई ऋण नहीं लिया है सिवाए एनवीडीए से अधिग्रहित परिसंपत्तियों के समायोजन के लिए अप्रतिभूत ऋण के रूप में दर्शाया गया ऋण, जिसके लिए किसी ब्याज का प्रावधान नहीं किया गया है। कंपनी अधिनियम की धारा 370 की उपधारा (6) के अनुसार, उपधारा के उपबंध कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1999 के लागू होने पर या उसके पश्चात किसी कंपनी पर लागू नहीं हैं।
8. निगम ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में सूचीबद्ध कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों को ऋण के तौर पर कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिए हैं। कंपनी अधिनियम की धारा 370 की उप-धारा (6) के अनुसार, उपधारा के उपबंध कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1999 के लागू होने पर या उसके पश्चात किसी कंपनी पर लागू नहीं हैं।
9. निगम ने केवल अपने कर्मचारियों को ब्याज पर तथा ब्याजमुक्त ऋणों के तौर पर ऋण तथा अग्रिम दिए हैं। कुल राशि तथा ब्याज की पुनः अदायगी यथानिर्धारित अनुसार है तथा यथा लागू नियमित है।
10. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार संघटकों, संयंत्र तथा मशीनरी, उपस्कर तथा अन्य परिसंपत्तियों सहित कच्चे माल के भंडारों की खरीद के संबंध में निगम के आकार तथा इसके व्यवसाय की प्रकृति के समुनरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रक प्रक्रियाएं हैं।

Annexure referred to in paragraphs (1) of Auditors Report to the Members of Narmada Hydroelectric Development Corporation Limited on the Accounts for the year ended 31st March, 2002.

On the basis of such checks as we considered appropriate and in terms of the information and explanation given to us, we state that :

1. The Corporation has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of fixed Assets. There is a regular programme of verification which in our opinion is reasonable having regard to the size of the Corporation and the nature of the Assets. No discrepancies have been noticed on such verification.
2. None of the fixed assets have been revalued during the year.
3. The stock of Stores, Spare Parts & Consumables, have been physically verified by the management at reasonable intervals during the year.
4. In our opinion, the procedure of physical verification of Spares & Stores, followed by the Management are reasonable & adequate in relation to the size of the Corporation & nature of the business.
5. No material discrepancies have been noticed on physical verification of stock as compared to book records.
6. In our opinion & on the basis of our examination the valuation of the stocks is fair & proper in accordance with the normally accepted accounting principles.
7. The Corporation has not taken any loan from Companies, Firms & other body Corporate listed in the Register maintained u/s 301 of the Companies Act, 1956 except adjustment of assets acquired from NVDA has been shown as unsecured loan, for which no interest has been provided. In terms of Sub-Section (6) of Sec. 370 of the Companies Act, the provisions of Sub-Section are not applicable to a company on or after the commencement of the Companies (Amendment) Act, 1999.
8. The Corporation has not given loans and advances in the nature of loans to companies, firms or other parties listed in the register maintained u/s 301 of the Companies Act, 1956. In terms of Sub-Section (6) of Sec. 370 of the Companies Act, the provisions of Sub-Section are not applicable to a company on or after the commencement of the Companies (Amendment) Act, 1999.
9. The Corporation has given loans and advances in the nature of loans only to its employees at interest and free of interest. Repayments of principal amount and interest are as stipulated and are regular, wherever applicable.
10. In our opinion and according to the information and explanation given to us, there are adequate internal control procedures commensurate with the size of the Corporation and the nature of its business with regard to purchases of stores raw materials including components, plant & machinery, equipment & other assets.

11. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में प्रविष्ट व्यवस्था या संविदाओं के अनुसरण में वर्ष के दौरान प्रत्येक पार्टी के संबंध में कुल मिलाकर 50,000 रूपए या अधिक के किसी माल या वस्तुओं की खरीदारी नहीं की गई तथा प्रत्येक पार्टी के संबंध में वर्ष के दौरान कुल मिलाकर 50,000 रूपए या अधिक के किसी माल, वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री नहीं की गई, सिवाए धारक कंपनी को 546.90 लाख रूपए का परामर्श शुल्क अदा करने के जिसमें कुछ निदेशकों की युक्तिसंगत प्रभारों पर रुचि थी, यह मानते हुए कि यह सेवाएं विशेष प्रकृति की हैं तथा तुलनीय नहीं हैं।
12. जैसाकि हमें बताया गया है, निगम के पास परियोजनाओं में बेकार या क्षतिग्रस्त भंडारों के निर्धारण के लिए कोई नियमित प्रक्रिया नहीं है। अतः कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं थी।
13. निगम ने वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम की धारा 58क के अन्तर्गत जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है।
14. हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार निगम में वसूली योग्य बेकार सामग्री की बिक्री तथा निपटान के लिए उचित रिकार्ड रखे जा रहे हैं। निगम का कोई उप-उत्पाद नहीं है।
15. वर्ष के दौरान निगम ने अपना स्वयं का आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग गठित किया है। हमारे विचार में उसमें और सुदृढीकरण क्षेत्रों तथा बारंबार जांच की आवश्यकता है।
16. हमें सूचित किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1) (घ) के अन्तर्गत लागत अभिलेखों का अनुरक्षण केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है।
17. निगम कर्मचारी भविष्य निधि से देयताओं का अंतरण एनएचपीसी भविष्य निधि न्यास में करने में नियमित रहा है, जो रिकार्ड रखता है तथा मध्य प्रदेश सरकार से प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारियों तथा अन्य कर्मचारियों की भविष्य निधि तथा के.स.बी.यो. का भुगतान संगत प्राधिकरणों को नियमित रूप से किया जाता है। हमें सूचित किया गया है कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 निगम पर लागू नहीं है।
18. हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार, आयकर, संपत्ति कर, बिक्री कर, सीमाशुल्क तथा उत्पाद शुल्क के संबंध में कोई अविवादित राशि उनको देय होने की तिथि से छः माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी।
19. हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, निदेशकों के कोई व्यक्तिगत खर्च रिवेन्यू लेखे में प्रभारित नहीं किए गए हैं, सिवाए उनके जो संविदात्मक दायित्वों के अन्तर्गत देय है या सामान्यतः स्वीकृत व्यवसाय पद्धतियों के अनुरूप हैं।
20. निगम रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ण) के अर्थ के अन्तर्गत रूग्ण औद्योगिक कंपनी नहीं है।
11. In our opinion and according to the information and explanation given to us no goods and material aggregated during the year to Rs. 50,000/- or more in respect of each party were purchased and no goods, materials and services aggregating during the year to Rs. 50,000/- or more in respect of each party were sold in pursuance of contracts or arrangement entered in the register maintained under section 301 of the Companies Act, 1956, except has paid consultancy fees of Rs. 546.90 lacs to Holding Company in which some of the Directors are interested at reasonable charges, considering the services of a special nature and are not comparable.
12. As explained to us the Corporation does not have regular procedure for the determination of unserviceable or damaged stores on projects. Hence no provision was required to be made.
13. The Corporation has not accepted any deposit u/s 58A of the Companies Act from the public during the year.
14. According to the information and explanation given to us, the Corporation is maintaining reasonable records for sale and disposable of the realizable scrap. The Corporation has no by Products.
15. The Corporation has constituted its own internal audit department during the year. In our opinion the same requires further strengthening areas and frequency of checking.
16. We have been informed that maintenance of cost record u/s 209(i)(d) of the Companies Act, 1956 are not prescribed by the Central Government.
17. The Corporation has been regular in transferring the dues of Employees Provident Fund to N.H.P.C. Provident Fund Trust who are maintaining the records and employees who are on deputation from M.P. Govt. and other employees their P.F. & C.G.I.S. are paid regularly to relevant authorities. We have been informed that Employees State Insurance Act, 1948 is not applicable to the Corporation.
18. According to the information and explanation given to us no undisputed amount payable in respect of Income Tax, Wealth Tax, Sales Tax, Customer Duty and Excise Duty were outstanding at 31st March, 2002 for a period of more than six months from the date they became payable.
19. According to the information and explanation given to us no personal expenses of directors have been charged to revenue account, other than those payable under contractual obligation or in accordance with generally accepted business practices.
20. The Corporation is not a sick industrial company within the meaning of Clause (O) of sub section (1) of section 3 of the sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985.

कृते मैसर्स एम. मेहता एवं कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

(पी.आर.बंदी)

भागीदार

For M/s M. Mehta & Company
Chartered Accountants

(P. R. Bandi)
Partner

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 24.6.2002

Place : New Delhi

Dated : 24.6.2002

अनुबंध : ख
ANNEXURE : B

नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक विकास निगम, भोपाल के दिनांक 31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों पर कंपनी अधिनियम, 1956 के धारा 619(4) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 619(4) OF THE COMPANIES ACT, 1956, ON THE ACCOUNTS OF NARMADA HYDROELECTRIC DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED, BHOPAL, FOR THE PERIOD ENDED 31ST MARCH 2002

टिप्पणियां

तुलन-पत्र

ऋण निधियां (अनुसूची-3)

अनारक्षित ब्याज मुक्त ऋण

मध्य प्रदेश सरकार (एनवीडीए) 838.96 करोड़ रुपए

उपर्युक्त विद्यमान खर्च 31 अगस्त, 2000 तक मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इंदिरा सागर परियोजना पर किया गया है। कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में यह प्रावधान है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किए गए खर्च को इसकी ओर से इक्विटी योगदान माना जाएगा। जबकि विद्युत मंत्रालय के 28 मार्च, 2002 के पत्र के अनुसार इक्विटी की सीमा 660 करोड़ रुपए होगी। तदनुसार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किए गए खर्च को इक्विटी शेयर के रूप में समायोजित किया जाना चाहिए। इस तथ्य को लेखों में प्रकट नहीं किया गया है।

प्रबंधवर्ग का उत्तर

वर्ष 2001-2002 के लेखों में इसे प्रकट नहीं किया जा सकता है क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने इस योगदान को गुजरात सरकार से सरदार सरोवर परियोजना के लिए शेयर के रूप में प्राप्त किया था और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इंदिरा सागर परियोजना (आईएसपी) की यूनिट-1 के सिंचाई घटक पर इस योगदान से किए गए खर्च का निर्धारण नहीं किया जा सका। यह वर्ष 2002-2003 में किया जाएगा और तथ्य को लेखों में पूर्ण रूप से प्रकट किया जाएगा।

ह./

(मालश्री प्रसाद)

प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड - III, नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 7 अगस्त, 2002

COMMENTS

BALANCE SHEET

Loan funds (Schedule3)

Unsecured Interest Free Loan

MP Government (NVDA) Rs. 838.96 crore.

The above represents the expenditure incurred by the Government of Madhya Pradesh (GoMP) on the Indira Sagar Project up to 31 August 2000. The Articles of Association of the Company provide that the expenditure incurred by the GoMP shall be equity contribution on their behalf, while according to the Ministry of Power's letter dated 28 March 2002, equity would be limited to Rs. 660 crore. Accordingly, the expenditure incurred by the GoMP would be adjusted against its equity share. This fact has not been disclosed in the accounts.

MANAGEMENT REPLY

It could not be disclosed in the accounts for the year 2001-02 because the contribution received by Govt. of Madhya Pradesh from Govt. of Gujarat as the share of Sardar Sarovar Project (SSP) and the contribution of Govt. of Madhya Pradesh towards irrigation component in Unit-I of Indira Sagar Project (ISP) could not be determined. The same will be done during the year 2002-03 and the fact will be disclosed fully in the accounts.

Sd/-

(Malashri Prasad)

Principal Director of Commercial Audit
And Ex-officio Member, Audit Board-III,
New Delhi

Place : New Delhi.

Date : 7 August, 2002



31 मार्च, 2002 को समेकित तुलन पत्र
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2002

(मिलियन रुपए) (Rs. in millions)

	अनुसूची सं. SCHEDULE NO.	31 मार्च, 2002 को AS AT 31ST MARCH, 2002	
निधियों के स्रोत			
SOURCES OF FUNDS			
हिस्सेदारों की निधियां			
SHAREHOLDERS' FUNDS			
हिस्सा पूंजी			
Share capital	1	52931	
हिस्सा पूंजी जमा		6268	
Share capital deposit			
इक्विटी में समायोजन योग्य भारत सरकार की निधि		4258	
Government of India fund adjustable to equity			
आरक्षित व अधिशेष	2	25930	
Reserves and surplus			
अल्प व्याज (1000/-)			
Minority interest (Rs 1000/-)			89387
ऋण निधियां			
LOAN FUNDS			
आरक्षित ऋण	3		
Secured loans		37449	
अनारक्षित ऋण			
Unsecured loans		33112	70561
मूल्यह्रास के बतौर पेशगी पर अग्रिम रूप से प्राप्त आय			
INCOME RECEIVED IN ADVANCE ON ACCOUNT			
OF ADVANCE AGAINST DEPRECIATION			
			6484
आस्थगित कर			
DEFERRED TAX			
शुद्ध आस्थगित कर देनदारियां			
Net deferred tax liabilities		11329	
घटाएं : आस्थगित कर वसूली योग्य			
Less : Deferred tax recoverable		11329	
			166432
निधियों का उपयोग			
APPLICATION OF FUNDS			
स्थिर पूंजीगत खर्च			
FIXED CAPITAL EXPENDITURE			
स्थिर परिसंपत्तियां			
Fixed assets	4		
सकल ब्लॉक		81178	
Gross block			
मूल्यह्रास			
Depreciation		15278	
शुद्ध ब्लॉक			
Net block		65900	
चालू पूंजीगत कार्य			
Capital work in progress	5	68727	134627

31 मार्च, 2002 को समेकित तुलन पत्र
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2002

(मिलियन रुपए) (Rs. in millions)

	अनुसूची सं. SCHEDULE NO.	31 मार्च, 2002 को AS AT 31ST MARCH, 2002
निवेश INVESTMENTS	6	17177
चालू परिसंपत्तियां, ऋण व पेशगियां CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES	7	
माल सूचियां Inventories	837	
संविदा कार्य प्रगति पर Contract work in progress	11	
विविध देनदार Sundry debtors	12660	
नकद व बैंक शेष Cash and bank balances	5491	
अन्य चालू परिसंपत्तियां Other current assets	1395	
ऋण व पेशगियां Loans and advances	2507	22901
घटाएं : चालू देयताएं व प्रावधान LESS : CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	8	
देयताएं Liabilities	5138	
प्रावधान Provisions	3175	8313
शुद्ध चालू परिसंपत्तियां NET CURRENT ASSETS		14588
विविध खर्च (बढ़ते खाते या समायोजन न की गई की सीमा तक) MISCELLANEOUS EXPENDITURE (To the extend not written off or adjusted)	9	40
		<u>166432</u>
लेखों तथा आकस्मिक देयताओं पर टिप्पणियां NOTES TO THE ACCOUNTS AND CONTINGENT LIABILITIES	17	

अनुसूची 1 से 17 तक लेखों का अभिन्न अंग हैं
Schedule 1 to 17 form integral part of the accounts

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते के.एन. गोयल एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

As per our report of even date attached

For **K.N. Goyal & Co.**

Chartered Accountants

के.एन. गोयल

K.N. GOYAL

भागीदार

Partner

विजय गुप्ता

VIJAY GUPTA

सचिव

Secretary

आर. नटराजन

R. NATARAJAN

निदेशक (वित्त)

Director (Finance)

योगेन्द्र प्रसाद

YOGENDRA PRASAD

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

Chairman & Managing Director

स्थान/Place : फरीदाबाद/Faridabad

दिनांक/Dated : 24.08.2002



31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ व हानि लेखा

CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2002

(मिलियन रुपए) (Rs. in millions)

	अनुसूची सं. SCHEDULE NO.	31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2002	
आय			
INCOME			
बिक्री			
Sales		13496	
घटाएं : मूल्यह्रास के लिए पेशगी			
Less: Advances against depreciation		1286	12210
ठेके व परामर्श			
Contracts and consultancy	10		1089
अन्य आय			
Other income	11		2200
कुल आय			
TOTAL INCOME			15499
खर्च			
EXPENDITURE			
उत्पादन, प्रशासन व अन्य खर्च			
Generation, Administration and other expenses	12	1494	
कर्मचारियों को पारिश्रमिक व हितलाभ			
Employees's remuneration and benefits	13	1998	
मूल्यह्रास			
Depreciation		2355	
ब्याज व वित्त प्रभारें			
Interest and finance charges	14	4395	
		10242	
घटाएं : कारपोरेट कार्यालय प्रबंध वर्ग को प्रदत्त खर्च			
Less : Corporate office management expenses allocated to			
क) निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च			
a) Incidental expenditure during construction		566	
ख) ठेका व परामर्श खर्च			
b) Contract and consultancy expenses		30	9646
ठेका एवं परामर्श खर्च			
Contract and consultancy expenses	15		712
पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध)			
Prior period adjustment (Net)	16		65
कुल खर्च			
TOTAL EXPENDITURE			10423
वर्ष के लिए लाभ (कर पूर्व)			
Profit for the year (before tax)			5076
कर के लिए प्रावधान			
Provision for taxation			
चालू कर			
Current tax		422	
आस्थगित कर			
Deferred tax		2198	
घटाएं : आस्थगित कर वसूली योग्य समायोजन			
Less: Deferred tax recoverable adjustment		2198	422
कर के पश्चात लाभ			
Profit after tax			4654
पिछले लेखों के अनुसार शेष			
Balance as per last account			4137
			8791

31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ व हानि लेखा

CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2002

(मिलियन रुपए) (Rs. in millions)

	अनुसूची सं. SCHEDULE NO.	31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2002
विनियोजन .		
Appropriations -		
प्रस्तावित लाभांश		
Proposed dividend		500
आगे ले जाया गया अधिशेष		
Balance carried forward		8291
		8791

लेखों तथा प्रासंगिक देयताओं पर टिप्पणियां
NOTES TO THE ACCOUNTS AND
CONTINGENT LIABILITIES

17

अनुसूची 1 से 17 तक लेखों का अभिन्न अंग हैं।
Schedule 1 to 17 form integral part of the Accounts

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते के.एन. गोयल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
As per our report of even date attached
For **K.N. Goyal & Co.**
Chartered Accountants

के.एन. गोयल
K.N. GOYAL
भागीदार
Partner

विजय गुप्ता
VIJAY GUPTA
सचिव
Secretary

आर. नटराजन
R. NATARAJAN
निदेशक (वित्त)
Director (Finance)

योगेन्द्र प्रसाद
YOGENDRA PRASAD
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
Chairman & Managing Director

स्थान/Place : फरीदाबाद/Faridabad

दिनांक/Dated : 24.08.2002



अनुसूची - 1 - शेयर पूंजी Schedule - 1 - Share Capital

(मिलियन रुपए) (Rs. in millions)

	31 मार्च, 2002 को AS AT 31ST MARCH, 2002
प्राधिकृत AUTHORISED	
70000000 प्राधिकृत इक्विटी शेयर 1000/- रुपए प्रति शेयर 70000000 Equity Shares of Rs. 1000/- each	70000
निर्गमित, अभिदत्त व प्रदत्त ISSUED, SUBSCRIBED AND PAID UP	
1000/- रुपए प्रति शेयर की दर से प्रदत्त 52930547 इक्विटी शेयर (इनमें से 6,29,529 शेयर टेकों के नकद परसूएन्ट के अतिरिक्त कंसीडरेशन के लिए आबंटित कर दिए गए हैं और एक शेयर का आबंटन नकदी के अलावा आंशिक कंसीडरेशन के लिए किया गया है) 52930547 Equity Shares of Rs. 1000/- each fully paid up (Out of above, 6,29,529 Shares have been allotted for consideration other than cash pursuant to contracts and one Share has been allotted for part consideration other than cash.)	52931
कुल TOTAL	52931

अनुसूची - 2 - आरक्षित व अधिशेष Schedule - 2 - Reserves and Surplus

(मिलियन रुपए) (Rs. in millions)

	31 मार्च, 2001 को शेष BALANCE AS AT 31ST MARCH, 2001	बढ़ोतरी ADDITIONS	कटौती DEDUCTION	31 मार्च, 2002 को शेष BALANCE AS AT 31ST MARCH, 2002
आरक्षित पूंजी (स्थिर परिसंपत्तियों की बिक्री) Capital reserve (Sale of fixed assets)	1	—	—	1
बॉण्ड रिडेम्पशन रिजर्व Bond redemption reserve	2654	—	—	2654
स्व-बीमा रिजर्व Self insurance reserve	1399	386	1	1784
सामान्य रिजर्व General reserve	13200	9131	9131	13200
लाभ व हानि लेखा के अनुसार अधिशेष Surplus as per profit and loss account	4137	4154	—	8291
कुल TOTAL	21391	13671	9132	25930

अनुसूची - 3 - ऋण निधियां Schedule - 3 - Loan Funds

(मिलियन रुपए) (Rs. in millions)

	31 मार्च, 2002 को AS AT 31ST MARCH, 2002	
आरक्षित ऋण		
SECURED LOANS		
बॉण्ड (अपरिवर्तनीय, असंचयी)		
BONDS (Non-convertible, Non-Cumulative)		
बॉण्ड्स - जे सीरीज *2		
BONDS - J SERIES *2		
(प्राइवेट प्लेसमेंट)		
(PRIVATE PLACEMENT)		
21 जुलाई, 2002 को सममूल्य पर प्रतिदेय 1000/- रुपए प्रत्येक		
के 16.5% पर 5 वर्षीय बॉण्ड्स		
16.5% 7 year Bonds of Rs. 1000/- each	250	250
redeemable at par on 21st July, 2002		
बॉण्ड - एल सीरीज *2		
BONDS - L SERIES *2		
(प्राइवेट प्लेसमेंट)		
(PRIVATE PLACEMENT)		
31 मार्च, 2004 को सममूल्य पर प्रतिदेय 1000/- रुपए प्रत्येक		
के 16% पर 7 वर्षीय बॉण्ड्स		
16% 7 year Bonds of Rs. 1000/- each	633	
redeemable at par on 31.03.2004		
31 मार्च 2004 को सममूल्य पर प्रतिदेय 1000/- रुपए प्रत्येक		
के 10.5% (कर मुक्त) 7 वर्षीय बॉण्ड्स		
10.5% (Tax-Free) 7 year Bonds of Rs. 1000/- each	510	1143
redeemable at par on 31.03.2004		
बॉण्ड - एम सीरीज *6		
BONDS - M SERIES *6		
(प्राइवेट प्लेसमेंट)		
(PRIVATE PLACEMENT)		
7 जनवरी, 2007 को सममूल्य पर प्रतिदेय 100000/- रुपए प्रत्येक		
के 9.55% पर 5 वर्षीय बॉण्ड्स		
9.55% 5 Year Bonds of Rs. 100000/- each		4300
redeemable at par on 07.01.2007		
आवधिक ऋण		
TERM LOANS		
बैंक ऑफ इंडिया *1		
Bank Of India *1	500	
बैंक ऑफ इंडिया *5		
Bank Of India *5	410	
बैंक ऑफ महाराष्ट्र *1		
Bank Of Maharashtra *1	500	
बैंक ऑफ महाराष्ट्र *2		
Bank Of Maharashtra *2	1000	
केनरा बैंक *1		
Canara Bank *1	2000	
केनरा बैंक *2		
Canara Bank *2	857	
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया *2		
Central Bank Of India *2	300	
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया *5		
Central Bank of India *5	310	
कारपोरेशन बैंक *2		
Corporation Bank *2	1000	



अनुसूची - 3 - ऋण निधियां Schedule - 3 - Loan Funds

(मिलियन रुपए) (Rs. in millions)

	31 मार्च, 2002 को AS AT 31ST MARCH, 2002	
हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लि. *2 Housing Development Finance Corporation Ltd. *2	36	
हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लि.*5 Housing Development Finance Corporation Ltd. *5	310	
आईसीआईसीआई लि. *2 I C I C I Ltd. *2	4000	
इंडियन बैंक *1 Indian Bank *1	1000	
इंडियन ओवरसीज बैंक *1 Indian Overseas Bank *1	500	
इंडियन ओवरसीज बैंक *2 Indian Overseas Bank *2	500	
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया *2 Industrial Development Bank Of India *2	3000	
भारतीय जीवन बीमा निगम *1 Life Insurance Corporation of India *1	4000	
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स *2 Oriental Bank of Commerce *2	1000	
पंजाब एंड सिंध बैंक *2 Punjab & Sind Bank *5	310	
पंजाब नेशनल बैंक *1 Punjab National Bank *1	1000	
पंजाब नेशनल बैंक *5 Punjab National Bank *5	470	
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद *1 State Bank Of Hyderabad *1	600	
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद *5 State Bank Of Hyderabad *5	160	
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया *5 State Bank Of India *5	770	
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया *2 State Bank Of India *2	2000	
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर *1 State Bank Of Indore *1	400	
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला *1 State Bank Of Patiala *1	400	
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला *2 State Bank Of Patiala *2	500	
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला *5 State Bank Of Patiala *5	160	
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र *1 State Bank Of Saurashtra *1	500	28493
बैंकों से कार्यकारी पूंजी मांग ऋण *3 Working Capital Demand Loan From Banks *3		2178
बैंकों से नकद उधार *3 Cash Credit From Banks *3		1085
कुल आरक्षित ऋण Total Secured Loans		37449
एक वर्ष में पुनर्भुगतानी के लिए देय 4749 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 4758 मिलियन रुपए) Due for repayment within one year Rs 4749 millions (Previous Year Rs 4758 millions)		

अनुसूची - 3 - ऋण निधियां Schedule - 3 - Loan Funds

(मिलियन रुपए) (Rs. in millions)

	31 मार्च, 2002 को AS AT 31ST MARCH, 2002	
अनारक्षित ऋण		
UNSECURED LOANS		
भारत सरकार से ऋण		
LOAN FROM GOVERNMENT OF INDIA		287
मध्य प्रदेश सरकार (एनवीडीए) से ऋण		
LOAN FROM GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH (NVDA)		8389
अल्प आवधिक ऋण		
SHORT TERM LOANS		
बैंक ऑफ इंडिया '4		
Bank Of India *4	500	
कारपोरेशन बैंक '4		
Corporation Bank *4	500	
इंडियन बैंक '4		
Indian Bank *4	400	
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर '4		
State Bank Of Indore *4	500	
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर '4		
State Bank Of Mysore *4	500	
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला '4		
State Bank Of Patiala *4	400	
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र *4		
State Bank Of Saurashtra *4	500	3300
अन्यों से ऋण		
LOAN FROM OTHERS		
भारत सरकार द्वारा गारंटीयुक्त		
Guaranteed by Government of India		
वेस्ट एलबी (पूर्व में वेस्ट मर्चेंट बैंक लि.)		
West Lb (Formerly West Merchant Bank Ltd)	1015	
एबीएसईके		
ABSEK	4048	
नॉर्डिक इन्वेस्टमेंट बैंक		
Nordic Investment Bank	2216	
क्रेडिट कॉमर्शियल डी.ई. फ्रांस		
Credit Commercial DE France	6137	
एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन		
Export Development Corporation	2156	
जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन—(पूर्व में ओ.ई.सी.एफ) ट्रैच-1		
Japan Bank of International Cooperation- (Formerly O.E.C.F.) Tranche-I	1787	
जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन—(पूर्व में ओ.ई.सी.एफ) ट्रैच-11		
Japan Bank of International Cooperation- (Formerly O.E.C.F.) Tranche-II	2934	20293
अन्य		
OTHERS		
एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन		
Export Development Corporation		843
कुल अनारक्षित ऋण		
Total Unsecured loan		33112
एक वर्ष में पुनर्दायगी के लिए देय 6378 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 3453 मिलियन रुपए)		
Due for repayment within one year Rs 6378 millions (Previous Year Rs. 3453 millions)		
कुल ऋण (आरक्षित ऋण + अनारक्षित ऋण)		
TOTAL LOAN (Secured loans + Unsecured loans)		70561

अनुसूची - 3 - ऋण निधियां Schedule - 3 - Loan Funds

नोट / Note :

- *1. चमेरा जल विद्युत परियोजना चरण - I के बुक डेब्ट्स और स्टोर्स को छोड़कर परिसंपत्तियों के बदले इक्विटेबल मॉर्टगेज/बंधक रखकर पैरी-पासू प्रभार के माध्यम से आरक्षित।
Secured by pari-passu charge by way of equitable mortgage / hypothecation against assets of Chamera H.E. Project stage-I except for Book Debts and Stores.
- *2. उड़ी जल विद्युत परियोजना चरण - I के बुक डेब्ट्स और स्टोर्स को छोड़कर परिसंपत्तियों के बदले इक्विटेबल मॉर्टगेज/बंधक रखकर पैरी-पासू प्रभार के माध्यम से आरक्षित।
Secured by pari-passu charge through equitable mortgage / hypothecation against assets of Uri H.E. Project stage-I except for Book Debts and Stores.
- *3. देनदारों व ओ. एंड एम. सामग्रियों के बदले बंधक द्वारा आरक्षित।
Secured by hypothecation against Debtors and O & M Stores.
- *4. अनारक्षित अल्प अवधि क्रेडिट सुविधा।
Unsecured short term credit facility.
- *5. चमेरा जल विद्युत परियोजना चरण-II की परिसंपत्तियों के बदले साम्यिक मॉर्टगेज/बंधक रखकर आरक्षित।
Secured by equitable mortgage / hypothecation against assets of Chamera H.E. Project stage-II.
- *6. रंगित जल विद्युत परियोजना बुक डेब्ट्स और स्टोर्स के बदले बैंकर्स की पूर्व शर्तों के अधीन परिसंपत्तियों के बदले साम्यिक मॉर्टगेज/बंधक रखकर आरक्षित।
Secured by equitable mortgage / hypothecation against assets of Rangit H.E. Project subject to prior charge of Bankers against Books Debts and Stores.

अनुसूची - 4 - स्थिर परिसंपत्तियां Schedule - 4 - Fixed Assets

(मिलियन रुपए) (Rs. in millions)

	सकल ब्लॉक GROSS BLOCK				मूल्यह्रास DEPRECIATION				शुद्ध ब्लॉक NET BLOCK
विवरण Description	1.4.2001 को As at 1.4.2001	बढ़ोत्तरी/ समायोजन Additions/ Adjustments	कटौतियाँ/ समायोजन Deductions/ Adjustments	31.3.2002 को As at 31.3.2002	1.4.2001 को As at 1.4.2001	वर्ष के लिए For the year	समायोजन Adjust- ments*	31.3.2002 को As at 31.3.2002	31.3.2002 को As at 31.3.2002
फ्रीहोल्ड भूमि Land Freehold	1146	443	55	1534	-	-	-	-	1534
लीजहोल्ड भूमि Land Leasehold	182	9	5	186	18	3	(1)	20	166
अवर्गीकृत भूमि Land Unclassified	101	122	-	223	-	-	-	-	223
भवन Buildings	7049	546	13	7582	1435	243	(4)	1674	5908
सड़के व पुल Roads and Bridges	855	125	2	978	184	34	1	219	759
निर्माण संयंत्र व मशीनरी Construction Plant and Machinery	519	211	23	707	285	44	(13)	316	391
उत्पादन संयंत्र व मशीनरी Generating Plant and Machinery	19348	238	-	19586	3708	740	8	4456	15130
सब-स्टेशन उपकरण Sub-Station Equipments	480	15	-	495	94	36	3	133	362
हाइड्रॉलिक कार्य (बांध, टनल आदि) Hydraulic Works (Dams, Tunnels, etc.)	47529	376	3	47902	6206	1260	-	7466	40436
वाहन Vehicles	259	43	3	299	125	54	(2)	177	122
फर्नीचर, फिक्सचर व उपकरण Furniture Fixture and Equipments	404	126	5	525	122	48	(1)	169	356
ट्रांसमिशन लाइनें Transmission Lines	192	37	-	229	100	14	-	114	115
विविध परिसंपत्तियां/उपकरण Miscellaneous Assets / Equipments	246	65	21	290	58	24	(2)	80	210
अतिरिक्त घोषित निर्माण संयंत्र व मशीनरी Construction Plant And Machinery Declared Surplus	616	10	75	551	402	5	(44)	363	188
5000/- रुपए तक की कम कीमत वाली स्थिर परिसंपत्तियां Fixed Assets of Minor Value Upto Rs. 5000/-	67	26	2	91	67	24	-	91	-
कुल TOTAL	78993	2392	207	81178	12804	2529	(55)	15278	65900

इसमें 36 मिलियन रुपए पूर्व अवधि समायोजन के शामिल हैं।

*Includes Prior Period Adjustments of Rs. 36 millions

अनुसूची - 5 - चालू पूंजीगत कार्य Schedule - 5 - Capital Work-in-Progress

(मिलियन रुपए) (Rs. in millions)

विवरण Description	1.4.2001 को AS AT 1.4.2001	वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी ADDITIONS DURING THE YEAR	समायोजन ADJUST- MENTS	वर्ष के दौरान पूँजीकृत CAPITALISED DURING THE YEAR	31 मार्च, 2002 को AS AT 31.03.2002
क. निर्माण कार्य प्रगति पर A. CONSTRUCTION WORKS-IN-PROGRESS					
सर्वेक्षण, अन्वेषण तथा अन्य खर्च Survey, investigation and other expenses	339	229	94	—	474
भवन व सिविल इंजीनियरिंग कार्य तथा संचार Buildings, civil engineering works and communications	1366	3765	375	448	4308
सड़कें और पुल Roads and bridges	430	377	11	93	703
हाइड्रोलिक कार्य, बैराज, बांध, टनल व पावर चैनल Hydraulic works, Bbarages, dams, tunnels and power channel	8928	12803	8228	4	13499
रेलवे साइडिंग Railway siding	1	—	—	—	1
पेनस्टॉक Penstocks	204	—	—	—	204
जेनरेटिंग स्टेशन में संयंत्र व मशीनरी Plant and machinery in generating Sstations	6673	2602	—	—	9275
विद्युत संस्थापनाएं व सब-स्टेशन उपस्कर Electrical linstallations and sub-station equipments	38	45	1	20	62
विविध परिसंपत्तियां Miscellaneous assets	6	7	(1)	5	9
ट्रंक ट्रांसमिशन लाइनें Trunk transmission Llines	3	145	—	9	139
विनिमय दर अंतर Exchange rate variation	(26)	189	(61)	—	224
निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च Incidental expenditure during construction	16533	6977	310	54	23146
पुनर्वास खर्च Rehabilitation expenses	—	1637	—	—	1637
कुल (क) TOTAL (A)	34495	28776	8957	633	53681
ख. टर्नकी कांट्रेक्ट्स के अंतर्गत किया गया भुगतान B. PROGRESSIVE PAYMENTS UNDER TURNKEY CONTRACTS	3436				8580
कुल (ख) TOTAL (B)	3436				8580
ग. पूंजीगत खर्च के लिए पेशगियां C. ADVANCE FOR CAPITAL EXPENDITURE					
आरक्षित (कंसीडर्ड गुड) Secured (Considered good)	1594				2649
अनारक्षित (कंसीडर्ड गुड) Unsecured (Considered good)	3356				2825
कुल (ग) TOTAL (C)	4950				5474
घ. निर्माण भंडार D. CONSTRUCTION STORES					
(प्रबंध वर्ग द्वारा मूल्यांकित और प्रमाणित लागत पर) (At cost as valued and certified by management)					
ट्रांजिट में निर्माण सामग्री Construction material in transit	1				7
स्टोर्स Stores	1179				985
कुल (घ) TOTAL (D)	1180				992
कुल (क+ख+ग+घ) TOTAL (A+B+C+D)	44061				68727



अनुसूची - 5 का अनुबंध - निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च

Annexure to Schedule - 5 - incidental expenditure during construction

(मिलियन रुपए) (Rs. in millions)

31 मार्च, 2002 को
AS AT
31ST MARCH, 2002

कर्मचारियों को पारिश्रमिक व लाभ

EMPLOYEES' REMUNERATION AND BENEFITS

वेतन, मजदूरी भत्ते व लाभ

Salaries, wages, allowances and benefits

1303

ग्रेच्युटी व भविष्य निधि में अंशदान

(प्रशासन फीस सहित)

Gratuity and contribution to provident fund

303

(Including administration fee)

स्टाफ कल्याण खर्च

Staff welfare expenses

112

छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान

Leave salary and pension contribution

16

1734

मरम्मत व रखरखाव

REPAIRS AND MAINTENANCE

भवन

Buildings

19

मशीनरी व निर्माण उपस्कर

Machinery and construction equipments

20

अन्य

Others

64

103

प्रशासन व अन्य खर्च

ADMINISTRATION AND OTHER EXPENSES

किराया

Rent

29

दरें व कर

Rates and taxes

3

बिजली प्रभारें

Electricity charges

42

बीमा

Insurance

9

यात्रा व वाहन

Travelling and conveyance

48

स्टाफ कारों व वाहन निरीक्षण पर खर्च

Expenses on staff cars and inspection vehicles

68

टेलीफोन, टेलेक्स व डाक खर्च

Telephone, telex and postage

18

विज्ञापन व प्रचार

Advertisement and publicity

17

विदेशी परामर्श प्रभारें

Foreign consultancy charges

7

डिजाइन व परामर्श प्रभारें

Design and consultancy charges

98

क्षतिपूरक वनरोपण/जल अधिग्रहण सुधार क्षेत्र पर किया गया खर्च

Expenses on compensatory afforestation/catchment area treatment

78

सत्कार

Entertainment

1

छपाई व लेखन सामग्री

Printing and stationery

13

भूमि, जो निगम की नहीं है, के लिए खर्च

Expenditure on land not belonging to corporation

240

भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वास

Land acquisition and rehabilitation

12

सुरक्षा खर्च

Security expenses

93

अन्य खर्च

Other expenses

45

सामग्रियों/परिसंपत्तियों पर हानि, जो बट्टे खाते डाली गई

Loss on material/assets written off

2

823

अनुसूची - 5 का अनुबंध - निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च

Annexure to Schedule - 5 - incidental expenditure during construction

(मिलियन रुपए) (Rs. in millions)

31 मार्च, 2002 को
AS AT
31ST MARCH, 2002

ब्याज व वित्त प्रभारें

INTEREST AND FINANCE CHARGES

भारत सरकार के ऋण पर ब्याज	42	
Interest on Government of India loan		
बॉण्ड्स पर ब्याज	130	
Interest on bonds		
विदेशी ऋण पर ब्याज	668	
Interest on foreign loan		
नकद उधार सुविधाओं/आवधिक ऋण पर ब्याज	745	
Interest on cash credit facilities/term loan		
बॉण्ड जारी करने के लिए खर्च	—	
Bond issue expenses		
कमिटमेंट फीस	48	
Commitment fee		
विदेशी ऋण पर गारंटी फीस	112	
Guarantee fee on foreign loan		
अन्य वित्त प्रभारें	41	1786
Other finance charges		
एनवीडीए अवधि के दौरान खर्च		2078
Expenditure during NVDA period		

विनिमय दर अंतर-शुद्ध (लाभ)

EXCHANGE RATE VARIATION-NET (GAIN)

मूल्यह्रास 167

DEPRECIATION

कारपोरेट कार्यालय प्रबंधन खर्च

CORPORATE OFFICE MANAGEMENT EXPENSES

पूर्व अवधि खर्च (शुद्ध) 566

PRIOR PERIOD EXPENSES (NET)

क) आय		
a) INCOME	1	
घटाए :		
Less :		
ख) खर्च		
b) EXPENDITURE		
i) वेतन, मजदूरी, भत्ते व लाभ	—	
i) Salaries, wages allowances and benefits		
ii) मरम्मत व रखरखाव	—	
ii) Repairs and maintenance		
iii) अन्य	82	
iii) Others		
iv) मूल्यह्रास	4	
iv) Depreciation		
v) ब्याज	1	86
v) Interest		

कुल खर्च

TOTAL EXPENDITURE

7343

घटाए : प्राप्तियां व वसूलियां

LESS : RECEIPTS AND RECOVERIES

संयंत्र व मशीनों का किराया प्रभार/आउट टर्न	10	
Hire charges/out turn of plant and machinery		
ऋणों व ऋणियों पर ब्याज	147	
Interest on loans and advances		
घटाए : बैंक ब्याज पर आयकर	(2)	145
Less : Income tax on bank interest		
विविध प्राप्तियां व वसूलियां	161	
Miscellaneous receipts and recoveries		
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	1	
Profit on sale of assets		
बटूटे खाते न डाली गई प्रावधान/देयताएं	49	
Provisions/Liability not required written back		

कुल प्राप्तियां व वसूलियां

TOTAL RECEIPTS AND RECOVERIES

366

चालू पूंजीगत कार्य को हस्तांतरित राशि

AMOUNT TRANSFERRED TO CAPITAL

WORK IN PROGRESS

6677



अनुसूची - 6 - निवेश Schedule - 6 - Investments

(मिलियन रुपए) (Rs. in millions)

31 मार्च, 2002 को
AS AT
31ST MARCH, 2002

दीर्घकालीन

LONG TERM

निवेश (गैर-व्यापारिक)

Investment - (Non Trade)

अनुद्धृत

Unquoted

उत्तर प्रदेश सरकार - 11% रिडीमेबल बॉण्ड्स

Government of Uttar Pradesh-11% redeemable-bonds

3000

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि.-12%

रिडीमेबल बॉण्ड्स/बाण्ड्स के बदले प्रामिजरी नोट्स

Uttar Pradesh Power Corporation Limited 12%

2873

redeemable-bonds/promissory note in lieu of bonds

हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लि. - 11.89% रिडीमेबल

नॉन-कंवर्टीबल नॉन-क्यूमिलेटिव बांड्स

Haryana Vidut Prasaran Nigam Limited-11.89%

3000

redeemable non-convertible non-cumulative-bonds

हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लि.-11% रिडीमेबल

नॉन-कंवर्टीबल नॉन-क्यूमिलेटिव बांड्स

Haryana Vidut Prasaran Nigam Limited-11%

redeemable non-convertible non-cumulative-bonds

500

जम्मू व कश्मीर सरकार-12% रिडीमेबल

नॉन-कंवर्टीबल बॉण्ड्स

Government of Jammu & Kashmir-12%

7200

redeemable non-convertible-bonds

पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड-11.85% रिडीमेबल

बांड्स

Punjab State Electricity Board -11.85%

600

redeemable-bonds

उद्धृत

Quoted

इंडियन ओवरसीज बैंक में 10/- रुपए प्रत्येक, के 360800 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर

360800 Fully paid-up equity shares of Rs. 10/- each in Indian Overseas Bank

4

17177

टिप्पणी :

NOTE :

(मिलियन रुपए) (Rs. in millions)

31.3.2002 को
As at 31.3.2002

उद्धृत निवेश

Quoted Investment

बुक वैल्यू

Book Value

4

मार्किट वैल्यू

Market Value

3

अनुसूची - 7- चालू परिसंपत्तियां, ऋण व पेशगियां

Schedule - 7- Current Assets, Loans and Advances

(मिलियन रुपए) (Rs. in millions)

31 मार्च, 2002 को
AS AT
31ST MARCH, 2002

चालू परिसंपत्तियां

CURRENT ASSETS

वस्तुसूचियां

(प्रबंधवर्ग द्वारा मूल्यांकित व प्रमाणित लागत पर)

Inventories

(As taken, valued and certified by management)

सामग्री व पुर्जे

Stores and spares

847

लूज औजार

Loose tools

2

849

घटाएं : प्रावधान

Less : Provisions

12

837

संविदा कार्य प्रगति पर

Contract Work-in-Progress

विविध देनदार (अनारक्षित)

11

Sundry Debtors (Unsecured)

छः मास से अधिक अवधि के लिए

Debts due over six months

8524

अन्य ऋण

Other debts

4911

13435

घटाएं : प्रावधान

Less : Provisions

775

12660

विविध देनदारों (अनारक्षित) का विवरण

PARTICULARS OF SUNDRY DEBTORS (Unsecured)

2001-2002

कंसीडर्ड गुड

Considered good

12660

कंसीडर्ड संदेहजनक व प्रदत्त

Considered doubtful and provided

775

नकद व बैंक शेष

Cash and Bank Balances

नकद, अग्रदाय, बैंक व ड्राफ्ट

Cash, Imprest, Cheques and Drafts

5358

अनुसूचित बैंकों में शेष

Balances with scheduled banks in

चालू खाता

Current account

42

जमा खाता (अल्प अवधि)

Deposit account (short term)

15

अन्य (डाक कार्यालय)

Others (Post office)

50

गैर-अनुसूचित बैंकों में शेष

Balances with non-scheduled banks

(बैंक ऑफ भूटान में)

(With Bank of Bhutan)

चालू खाता

Current account

26

बचत खाता

Saving account

—

5491



अनुसूची - 7- चालू परिसंपत्तियां, ऋण व पेशगियां Schedule - 7- Current Assets, Loans and Advances

(मिलियन रुपए) (Rs. in millions)

31 मार्च, 2002 को
AS AT
31ST MARCH, 2002

अन्य चालू परिसंपत्तियां

Other Current Assets

जमा राशि/निवेश पर उपचित ब्याज		
Interest accrued on deposits / investments	825	
अन्य		
Others	570	1395

ऋण व पेशगियां

LOANS AND ADVANCES

कर्मचारियों को ऋण (अनारक्षित कंसीडर्ड गुड)		
Loans to employees (unsecured- considered good)	548	
नकद या माल अथवा प्राप्त होने वाले मूल्य के रूप में वसूली योग्य पेशगियां		
Advances recoverable in cash or kind or for value to be received		
आरक्षित (कंसीडर्ड गुड)		
Secured (considered good)	—	
अनारक्षित (कंसीडर्ड गुड)		
Unsecured (considered good)	643	
अनारक्षित (कंसीडर्ड संदेहजनक)		
Unsecured (considered doubtful)	6	649
घटाएं : संदेहजनक के लिए प्रावधान		
Less : Provision for doubtful advances	6	643
अग्रिम कर जमा और स्रोत पर काटा गया कर		
Advance tax deposit and tax deducted at source	918	
अन्य वसूली योग्य		
Other recoverable -		
पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. से देय		
Due from Power Grid Corporation of India Ltd.	398	2507
		22901

क. वर्ष के दौरान गैरअनुसूचित बैंकों में अधिकतम शेष का विवरण

A. PARTICULARS OF MAXIMUM BALANCE DURING THE YEAR WITH NON-SCHEDULED BANKS

(मिलियन रुपए) (Rs. in millions)

2001-2002

बैंक ऑफ भूटान	
Bank of Bhutan	
चालू खाता	
Current account	213
आवधिक जमा खाता	
Term deposit	50

ख. निदेशकों से प्राप्य ऋण व पेशगियों का विवरण

B. PARTICULARS OF LOANS AND ADVANCES DUE FROM DIRECTORS

(मिलियन रुपए) (Rs. in millions)

2001-2002

वर्ष के अंत में प्राप्त राशि	
Amount due at the end of the year	0.8
वर्ष के दौरान किसी भी समय अधिकतम शेष	
Maximum balance at any time during the year	1.0

निगम का कोई निदेशक, जिन कंपनियों में सदस्य अथवा निदेशक है, उन कंपनियों द्वारा देय पेशगी-शून्य रुपए (पिछले वर्ष शून्य रुपए)

Advance due by Companies in which any Director of the Corporation is a Director or member amounts to
Rs NIL (Previous year Rs. NIL)

अनुसूची - 8- चालू देयताएं व प्रावधान

Schedule - 8- Current Liabilities and Provisions

(मिलियन रूपए) (Rs. in millions)

31 मार्च, 2002 को
AS AT
31ST MARCH, 2002

देयताएं

LIABILITIES

विविध लेनदार		
Sundry creditors		
लघु औद्योगिक उपक्रम (उपक्रमों)		
की कुल बकाया देय राशि (30 दिनों से अधिक देय-शून्य)		
Total outstanding dues of small scale		
Industrial undertaking(s). (Due over 30 days Nil)	1	
अन्य		
Others	3524	3525
डिपोजिट/एजेंसी की खर्च न की गई राशि		
Unspent amount of deposit/agency		13
डिपोजिट/प्रतिधारण राशि		
Deposits/retention money		336
ऋण पर उपचित ब्याज, परंतु देय नहीं		
Interest accrued but not due on loans		803
जारी किए गए चेकों के लिए देयता		
Liability for cheques issued		1
परियोजना लागत के नामे पेशगियां		
Advances against cost of project		54
ठेकेदारों से पेशगियां		
Advances from contractee's		33
अन्य देयताएं		
Other liabilities	373	5138

प्रावधान

PROVISION

कराधान		
Taxation	835	
प्रस्तावित लाभांश		
Proposed dividend	500	
प्रस्तावित लाभांश पर कर		
Tax on proposed dividend	—	
आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान		
Provision for contingencies	280	
स्टाफ के हित लाभ		
Staff benefits	1560	3175
		8313

अनुसूची - 9 - विविध खर्च

Schedule - 9 - Miscellaneous Expenditure

(बट्टे खाते न डाले गए या समायोजित न किए गए की सीमा तक)
(TO THE EXTENT NOT WRITTEN OFF OR ADJUSTED)

(मिलियन रुपए) (Rs. in millions)

	31 मार्च, 2002 को AS AT 31ST MARCH, 2002	
आस्थागित राजस्व खर्च		
Deferred revenue expenses		40
निगम की स्वामित्व रहित परिसंपत्तियों पर खर्च		
Expenditure on assets not belonging to corporation		-
बट्टे खाते डाले जाने की मंजूरी की प्रतीक्षा संबंधी हानियां		
Losses awaiting write off sanction	37	
घटाएं : प्रावधान के लिए		
Less : Provided for	37	40

अनुसूची - 10 - संविदा व परामर्शी आय

Schedule - 10 - Contracts & Consultancy Income

(मिलियन रुपए) (Rs. in millions)

	31 मार्च, 2001 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2002	
संविदा आय		
Contract income	1070	
जोड़ें : संविदा कार्य प्रगति पर — समाप्त		
Add : Contract work-in-progress - closing	11	
घटाएं : संविदा कार्य प्रगति पर — प्रारम्भ		
Less : Contract work-in-progress - opening	18	1063
परामर्शी आय		
Consultancy income		26
		1089

अनुसूची - 11- अन्य आय Schedule - 11- Other Income

	(मिलियन रुपए) (Rs. in millions)
	31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2002
लघुकालीन जमा से आय Income from short term deposit	9
बांडों पर ब्याज Interest on bonds	1988
ऋणों व पेशगियों पर ब्याज Interest on loans and advances	24
लाभांश आय (सकल 1,56,182/- रुपए, पिछले वर्ष शून्य) Dividend Income (Gross Rs. 1,56,182/- previous year Nil)	—
अधिभार Surcharge	65
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ Profit on sale of assets	17
अनावश्यक प्रावधानों/देयताओं की वापसी Provisions / Liability not required written back	59
बेकार माल से आय Income from scrap	4
अन्य विविध आय Other miscellaneous income	34
	<u>2200</u>

अनुसूची - 12- उत्पादन, प्रशासनिक व अन्य खर्च Schedule - 12- Generation, Administration and Other Expenses

	(मिलियन रुपए) (Rs. in millions)
	31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2002
सामग्री व पुर्जों की खपत Consumption of stores and spares	69
मरम्मत व रख-रखाव - Repairs & maintenance -	
भवन Buildings	45
मशीनरी Machinery	160
अन्य Others	151
विविध संचालनात्मक खर्च Miscellaneous operational expenses	19
किराया Rent	55
दरें व कर Rates and taxes	1
बीमा Insurance	399
सुरक्षा खर्च Security expenses	174
बिजली प्रभारें Electricity charges	14
यात्रा व वाहन Travelling and conveyance	48



अनुसूची - 12- उत्पादन, प्रशासन व अन्य खर्च Schedule - 12- Generation, Administration and Other Expenses

(मिलियन रुपए) (Rs. in millions)

	31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2002
स्टाफ कारों पर खर्च Expenses on staff car	33
टेलीफोन, टेलेक्स व डाक खर्च Telephone, telex and postage	22
विज्ञापन व प्रचार Advertisement and publicity	14
अनुदान (50,000 /— रुपए) Donation (Rs 50,000/-)	—
छपाई व लेखन सामग्री Printing and stationery	20
परामर्श प्रभारें Consultancy charges	3
लेखापरीक्षा शुल्क Audit Fee	2
स्टोर्स व स्पेयर्स के मूल्य में ह्रास Diminution in value of stores & spares	63
बट्टे खाते परियोजना खर्च Project expenses written off	119
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि Loss on sale of assets	4
आस्थगित राजस्व खर्च के लिए बट्टे खाते डाली गई रकम Deferred revenue expenditure written off	8
अन्य सामान्य खर्च Other general expenses	60
विनिमय दर अंतर Exchange rate variation	11
	1494

अनुसूची - 13 - कर्मचारियों को पारिश्रमिक व हितलाभ Schedule - 13 - Employees Remuneration And Benefits

(मिलियन रुपए) (Rs. in millions)

	31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2002
वेतन, मजदूरी व भत्ते Salaries, wages and allowances	1424
ग्रेच्युटी व भविष्य निधि में अंशदान (प्रशासन फीस सहित) Gratuity and contribution to provident fund (Including administration fees)	356
स्टाफ कल्याण खर्च Staff welfare expenses	218
	1998

अनुसूची - 14 - ब्याज व वित्त प्रभारें

Schedule - 14 - Interest and Finance Charges

(मिलियन रुपए) (Rs. in millions)

	31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2002	
आवधिक ऋणों पर ब्याज		
Interest on Fixed Loans		
भारत सरकार के ऋणों पर ब्याज		
Interest on Government of India loans	520	
बॉण्डों पर ब्याज		
Interest on bonds	461	
आवधिक ऋण पर ब्याज		
Interest on foreign loans	448	
अन्य ऋणों पर ब्याज		
Interest on term loan	2285	3714
अन्य ऋणों पर ब्याज		
Interest on other loans		
नकद उधार सुविधाओं पर ब्याज		
Interest on cash credit facilities		318
बॉण्ड खर्चें		
Bond Expenses		9
ग्राहकों को छूट		
Rebate to Customers		234
कमिटमेंट फीस		
Commitment Fee		—
विदेशी ऋणों पर गारंटी फीस		
Guarantee Fee on Foreign Loan		109
अन्य वित्त प्रभारें		
Other Finance Charges		11
		4395



अनुसूची - 15 - संविदा और परामर्शी खर्चे

Schedule - 15 - Contract and Consultancy Expenses

(मिलियन रुपए) (Rs. in millions)

31 मार्च, 2002 को
समाप्त वर्ष के लिए
FOR THE YEAR ENDED
31ST MARCH, 2002

प्रत्यक्ष खर्चे

(श्रम, सामग्री, परिसंपत्तियों और ठेकेदारों /
आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान सहित)

DIRECT EXPENSES

(Includes labour, materials, assets
and Payment to contractors/suppliers)
कर्मचारियों को पारिश्रमिक व हितलाभ

EMPLOYEES' REMUNERATION AND BENEFITS

वेतन, मजदूरी, भत्ते व लाभ

Salaries, wages, allowances and benefits

87

ग्रेच्युटी व भविष्य निधि में अंशदान

Gratuity and contribution to provident fund

10

स्टाफ वेलफेयर खर्चे

Staff welfare expenses

2

99

मरम्मत व रखरखाव

REPAIRS AND MAINTENANCE

भवन

Buildings

1

मशीनरी व निर्माण उपस्कर

Machinery and construction equipments

10

अन्य

Others

6

17

प्रशासनिक व अन्य खर्च

ADMINISTRATION AND OTHER EXPENSES

किराया

Rent

3

यात्रा व वाहन

Travelling and conveyance

11

स्टाफ कारों तथा निरीक्षण वाहनों पर खर्च

Expenses on staff cars and inspection vehicle

6

बीमा

Insurance

3

टेलीफोन, टेलेक्स व डाक खर्च

Telephone, telex and postage

4

विज्ञापन व प्रचार

Advertisement and publicity

1

छपाई व लेखन सामग्री

Printing and stationery

1

बैंक प्रभारें

Bank charges

—

निगम मुख्यालय प्रबंधन खर्च

Corporate office management expenses

30

आकस्मिकताएं

Contingencies

49

अन्य खर्च

Other expenses

8

116

अनुसूची - 15 - संविदा और परामर्शी खर्च

Schedule - 15 - Contract and Consultancy Expenses

	(मिलियन रुपए) (Rs. in millions)	
	31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2002	
मूल्यह्रास		
DEPRECIATION		6
कुल खर्च		
TOTAL EXPENDITURE		758
घटाएं : प्राप्तियां व वसूलियां		
LESS : RECEIPTS AND RECOVERIES		
विविध		
Miscellaneous	41	
अनावश्यक प्रावधानों/देयताओं की वापसी		
Provisions / Liability not required written back	1	42
वर्ष के दौरान शुद्ध खर्च		
NET EXPENDITURE DURING THE YEAR		716
पूर्व अवधि समायोजन		
Prior Period Adjustments		(4)
		<u>712</u>

अनुसूची - 16 - पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध)

Schedule - 16 - Prior Period Adjustment (NET)

	(मिलियन रुपए) (Rs. in millions)	
	31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2002	
आय		
INCOME		
बिजली की बिक्री		
Sale of electricity		5
देनदारों से प्राप्त ब्याज/अधिभार		
Interest / Surcharge received from debtors		—
अन्य		
Others		12
		<u>17</u>
खर्च		
EXPENDITURE		
वेतन व मजदूरी		
Salaries and wages	—	
मरम्मत व रख-रखाव		
Repair and maintenance	2	
ब्याज		
Interest	1	
अन्य		
Others	47	
मूल्यह्रास		
Depreciaton	32	82
		<u>65</u>

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

1. क) समेकित वित्तीय विवरणों (सीएफएस) में नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी) तथा इसकी सहायक कंपनी नर्मदा हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचडीसी), जो एनएचपीसी एवं मध्य प्रदेश सरकार का एक संयुक्त उद्यम है, के वित्तीय विवरण शामिल हैं। 1 शेयर को छोड़कर एनएचडीसी के सभी शेयर (2095513 संख्या) एनएचपीसी द्वारा धारित हैं।
 - ख) इन्हें भारत के सनद लेखाकार संस्थान द्वारा निर्गत 'समेकित वित्तीय विवरणों' पर लेखाकरण मानक-21 के अनुसार परिसंपत्तियां/ देयता तथा आय/व्यय जैसी समान मदों को इकट्ठा जोड़कर रेखा-दर-रेखा आधार पर संयोजित करके तैयार किया गया है।
 - ग) एनएचडीसी का लाभ एवं हानि लेखा तैयार नहीं हुआ है क्योंकि इसकी परियोजनाएं निर्माणवस्था में हैं, किन्तु 'निर्माण के दौरान अनुषंगी व्यय' लेखे, को 'चालू पूंजीगत कार्य' का भाग बनाते हुए तैयार किया गया है।
 - घ) चूंकि यह समेकित वित्तीय विवरण की सूचना देने का प्रथम वर्ष है, गत वर्ष के आंकड़े नहीं दिए गए हैं।
 2. मूल्यह्रास को छोड़कर समेकित वित्तीय विवरण एकसमान लेखाकरण नीतियों का प्रयोग करते तैयार किए गए हैं। एनएचडीसी परिसंपत्तियों के उपयोग हेतु उपलब्ध हो जाने के वर्ष से मूल्यह्रास का प्रावधान करता है जबकि एनएचपीसी परिसंपत्तियों के उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाने के अनुवर्ती वर्ष से मूल्यह्रास का प्रावधान करता है। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि वर्ष के लिए लाभ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है तथा इस तथ्य की नियत परिसंपत्तियों को आवंटन हेतु निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय के अन्तर्गत एनएचडीसी में दिया गया कुल मूल्यह्रास नीति को एनएचपीसी के समनुरूप बनाने के लिए एनएचडीसी के वित्तीय विवरण में कोई समायोजन नहीं किया गया है। एनएचपीसी की नियत परिसंपत्तियों का कुल भाग 81135 मिलियन रुपए (99.95 प्रतिशत) है तथा एनएचडीसी का हिस्सा 43 मिलियन रुपए (0.05 प्रतिशत है)।
 3. नर्मदा हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के गठन से पूर्व, मध्य प्रदेश सरकार ने इंदिरा सागर तथा ओमकारेश्वर परियोजनाओं का निर्माण शुरू किया था तथा इसने 31.8.2000 की स्थिति के अनुसार इन परियोजनाओं पर 11338 मिलियन रुपए का व्यय सूचित किया है। आवश्यक सत्यापन/मिलान के पश्चात् निगम ने इस लेखाकरण वर्ष के दौरान 8389 मिलियन रुपए को अभिज्ञात किया है तथा उनको लेखाकृत किया है। शेष राशि के लिए, सत्यापन तथा मिलान का कार्य चल रहा है तथा एनवीडीए से ब्यौरे प्राप्त होने पर इसे समायोजित किया जाएगा। 8389 मिलियन रुपए की राशि को ब्याजमुक्त अप्रतिभूत ऋण के रूप में दर्शाया गया है तथा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपेक्षित औपचारिकताएं पूर्ण कर लिए जाने के पश्चात् इसे अंततः इक्विटी में रूपांतरित कर दिया जाएगा।
 4. संबंधित पार्टी प्रकटन
महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिक
- | | |
|--|---|
| <p>श्री योगेन्द्र प्रसाद
श्री आर. नटराजन
श्री बिनय कुमार
श्री ए.के. गंगोपाध्याय
श्री आर.के. शर्मा
श्री एस.सी. शर्मा
संबंधित पार्टी कारोबार</p> | <p>— अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
— निदेशक (वित्त)
— निदेशक (कार्मिक)
— निदेशक (परियोजनाएं)
— निदेशक (तकनीकी)
— प्रबंध निदेशक-एनएचडीसी
— निदेशकगण को पारिश्रमिक सम्बद्ध लेखों के अनुसार।</p> |
|--|---|
1. a) The Consolidated Financial Statements (CFS) comprise of the financial statements of National Hydroelectric Power Corporation Limited (NHPC) and its subsidiary named Narmada Hydro Development Corporation Ltd. (NHDC), which is a Joint Venture of NHPC and Govt. of Madhya Pradesh. All the shares of NHDC (2095513 nos.) except 1 share is held by NHPC.
 - b) These have been prepared after combining on a line-by-line basis by adding together like items of Assets/Liabilities and Income/Expenses in accordance with Accounting Standard - 21 on "Consolidated Financial Statements" issued by the Institute of Chartered Accountant of India.
 - c) Profit & Loss Account of NHDC is not prepared as its Projects are under construction stage, however, 'Incidental Expenditure During Construction Account' is prepared forming part of 'Capital Work-in-progress'.
 - d) As this is the first year of reporting of Consolidated Financial Statement, figures for previous year are not given.
 2. The Consolidated Financial Statements have been prepared using uniform Accounting Policies except in respect of Depreciation. NHDC provides for depreciation from the year in which assets become available for use whereas NHPC provides depreciation from the following year of the asset becoming available for use. No adjustment in the financial statement of NHDC to bring the depreciation policy in line with NHPC considering the fact that there is no impact on the profit for the year and the fact that the total depreciation provided in NHDC is carried under 'Incidental Expenditure During Construction' for allocation to fixed assets. The total proportion of fixed assets of NHPC is Rs. 81135 Millions (99.95%) and NHDC is Rs. 43 millions (0.05%).
 3. Prior to formation of Narmada Hydro Development Corporation Ltd., Madhya Pradesh Govt. had undertaken the construction of Indira Sagar & Omkareshwar Projects and had reported incurring of total expenditure, upto 31.08.2000, of Rs. 11338 Millions on the Projects. After necessary verification/reconciliation the Corporation has identified and accounted for Rs. 8389 millions during this accounting year. For balance amount, the verification and reconciliation is in progress and will be adjusted on receipt of details from NVDA. The amount of Rs. 8389 millions is shown as Interest Free Unsecured Loan and will be ultimately converted into Equity after required formalities are completed by MP Govt.
 4. Related Party Disclosures
Key Management Personnel
- | | |
|--|---|
| <p>Shri Yogendra Prasad
Shri R. Natarajan
Shri Binay Kumar
Shri A.K. Gangopadhyay
Shri R.K. Sharma
Shri S.C. Sharma
Related Party Transactions</p> | <p>- Chairman & Managing Director
- Director (Finance)
- Director (Personnel)
- Director (Projects)
- Director (Technical)
- Managing Director - NHDC
- Remuneration to Directors as per respective accounts.</p> |
|--|---|

5. आकस्मिक देयताएं

- क) 11291 मिलियन रुपए के दावे, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है।
- ख) निगम द्वारा सीमाशुल्क प्राधिकरणों के पक्ष में निष्पादित 174 मिलियन के बॉण्ड।
6. पूंजीगत खाते में निष्पादित किए जाने के लिए शेष संविदाओं की अनुमानित राशि तथा जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है 24552 मिलियन रुपए है।
7. समूह की प्रमुख व्यवसाय गतिविधि बिजली उत्पादन है। भारत के सनद लेखाकार संस्थान द्वारा निर्गत खंड रिपोर्टिंग संबंधी लेखाकरण मानक 17 के अनुसार अन्य संचालन अर्थात् संविदा कार्य तथा परामर्शी सेवाएं सूचना देने योग्य खंड नहीं बनता।
8. इस लेखाकरण वर्ष से आय पर करों के लिए लेखाकरण संबंधी लेखाकरण मानक 22 के अनिवार्य हो जाने के परिणामस्वरूप निगम ने सामान्य आरक्षित राशि के नामे डालकर 1 अप्रैल, 2001 की स्थिति के अनुसार 9131 मिलियन रुपए की संचित निवल आस्थगित कर देयता दर्ज की है। चूंकि भारत सरकार/केंद्रीय बिजली विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित शुल्क विनियमों में लाभानुभोगियों अर्थात् राज्य बिजली बोर्डों से वास्तविक भुगतान आधार पर कर व्यय प्रभारित करने का प्रावधान किया गया है, भावी वर्षों में राज्य बिजली बोर्डों से प्रभार द्वारा 1 अप्रैल, 2001 की स्थिति के अनुसार समंजसीय आस्थगित कर की 9131 मिलियन रुपए की राशि को भी सामान्य अप्रारक्षित राशि में क्रेडिट द्वारा लेखे पर लिया गया है। 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार आस्थगित कर परिसंपत्तियां तथा देयताएं निम्न प्रकार हैं :

(मिलियन रुपए)

आस्थगित कर परिसंपत्तियां

i) संचित असमाहित मूल्यह्रास	2929
ii) कर परिकलन में आय समझे जाने वाले मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	1419
iii) संदिग्ध ऋणों, बीमा व आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	1043
iv) कर्मचारी लाभ योजनाओं के लिए प्रावधान	245
	5636

आस्थगित कर देयताएं

i) आयकर के अनुसार मूल्यह्रासित मूल्य की तुलना में बहियों के अनुसार मूल्यह्रास योग्य पूंजीगत परिसंपत्तियों के निवल बही मूल्य में अंतरण	16965
निवल आस्थगित देयता	11329

9. निगम तथा इसकी सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण की लेखा टिप्पणियां तथा लेखाकरण नीतियां उनके संबंधित वित्तीय विवरणों में दी गई हैं।

कृते के.एन. गोयल एंड कंपनी

For K.N. GOYAL & CO.

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

Chartered Accountants

के.एन. गोयल
K.N. GOYAL

विजय गुप्ता
VIJAY GUPTA

सचिव
Secretary

भागीदार
Partner

5. Contingent liabilities

- a) Claims not acknowledged as debts Rs. 11291 Millions.
- b) Bonds for Rs. 174 millions executed in favour of Customs Authorities by the Corporation.
6. Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for is Rs. 24552 millions.
7. Electricity generation is the principal business activity of the Group. Other operations viz., contract works and consultancy services do not form a reportable segment as per Accounting Standard 17 on Segment Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.
8. Consequent to the Accounting Standard 22 on Accounting for Taxes on Income becoming mandatory from this accounting year, the Group has recorded accumulated net deferred tax liability of Rs. 9131 Millions as on 1st April, 2001 by debit to the General Reserve. As the Tariff regulations notified by the Government of India/ Central Electricity Regulatory Commission provides for charging of the tax expense from the Beneficiaries viz. State Electricity Boards on actual payment basis, Rs. 9131 Millions towards amount of deferred tax as on 1st April 2001 adjustable by charge from the SEBs in future years has also been accounted for by credit to the General Reserves. Deferred Tax Assets and Liabilities as on 31st March, 2002 are as under :

(Rs. in Millions)

Deferred Tax Assets

i) Accumulated unabsorbed depreciation	2929
ii) Advance against Depreciation to the considered as income in tax computation	1419
iii) Provision for doubtful debts, insurance and contingencies	1043
iv) Provision for employee benefit schemes	245
	5636

Deferred Tax Liabilities

i) Difference between net book value of Depreciable capital assets as per books vis-a-vis written down value as per Income Tax	16965
Net Deferred Liability	11329

9. Accounting Policies and Notes to Accounts of the financial statement of the Corporation and its subsidiary are set out in their respective financial statements.

आर. नटराजन
R. NATARAJAN
निदेशक (वित्त)
Director (Finance)

योगेन्द्र प्रसाद
YOGENDRA PRASAD
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
Chairman & Managing Director

स्थान/Place : फरीदाबाद/Faridabad

दिनांक/Dated : 24.08.2002



समेकित कैश फ्लो स्टेटमेंट

Consolidated Cash Flow Statement

(स्टॉक एक्सचेंजों की करार सूची के खण्ड-32 के संदर्भ में प्रस्तुत)

(PURSUANT TO CLAUSE 32 OF THE LISTING AGREEMENT WITH STOCK EXCHANGES)

(मिलियन रुपए) (Rs. in millions)

31 मार्च, 2002 को
समाप्त वर्ष के लिए
FOR THE YEAR ENDED
31ST MARCH, 2002

क. संचालित गतिविधियों से कैश फ्लो

A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES

कर-पूर्व शुद्ध लाभ तथा असाधारण मदें

Net Profit before tax and extraordinary items

5076

जोड़ें :

ADD :

मूल्यहास

Depreciation

2392

आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान

Provisions for contingencies

49

अदा किया गया ब्याज

Interest paid

4395

स्वयं बीमा आरक्षण

Self-Insurance reserve

386

राजस्व खर्च में क्रमवार अंतर

Deferred revenue expenditure amortized

8

वस्तुसूचियों के मूल्य में कमी

Diminution in value of inventories

63

बट्टे खाते डाले गए परियोजना खर्च

Project expenses written off

119

परिसंपत्तियों की बिक्री से हानि

Loss on sale of assets

4

विनिमय दर अंतर

Exchange rate variation

11

मूल्यहास के लिए पेशगी

Advance against dep.

1286

8713

घटाएं : परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ

Less : Profit on sale of assets

17

आस्थगित राजस्व खर्च

Deferred revenue expenditure

1

ग्राहकों को दी गई छूट

Rebate given to customers

234

प्रदत्त विनिमय दर अंतर

Exchange rate variation paid

11

अति प्रावधानों व देनदारियों को लेखों में लिया जाना

Excess provision & liabilities written back

59

लाभांश आय

Dividend income

—

8391

कार्यकारी पूंजी समायोजनों से पूर्व संचालित गतिविधियों से कैश फ्लो

Cash flow from operating activities before working capital adjustments

13467

कार्यकारी पूंजी परिवर्तन

Working capital changes

वस्तुसूचियों में (वृद्धि)/कमी

(Increase)/Decrease in inventories

4

संविदा कार्य प्रगति में (वृद्धि)/कमी

(Increase)/Decrease in contract work in progress

7

समेकित कैश फ्लो स्टेटमेंट

Consolidated Cash Flow Statement

(स्टॉक एक्सचेंजों की करार सूची के खण्ड-32 के संदर्भ में प्रस्तुत)

(PURSUANT TO CLAUSE 32 OF THE LISTING AGREEMENT WITH STOCK EXCHANGES)

(मिलियन रुपए) (Rs. in millions)

31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2002		
प्राप्तियों में (वृद्धि)/कमी (Increase)/Decrease in receivables	(3903)	
व्यापार और अन्य देयताओं में (वृद्धि)/कमी (Increase)/Decrease in trade & other payables	(1187)	(5079)
कर पूर्व संचालित गतिविधियों से कैश फ्लो Cash flow from operating activities before taxes		8388
घटाएं : कर भुगतान Less : Taxes Paid		422
संचालित गतिविधियों से शुद्ध कैश फ्लो NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES	(क) (A)	7966
ख. निवेश संबंधी गतिविधियों से कैश फ्लो		
B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
स्थिर परिसंपत्तियों की खरीद और निर्माण परियोजनाओं पर खर्च Purchase of fixed assets & expenditure on construction projects (निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च शामिल है) (including incidental expenditure during construction)	(24146)	
स्थिर परिसंपत्तियों के निपटान की बिक्री प्रक्रिया Sale proceeds on disposal of fixed assets	89	
सहायक कंपनी के शेयरों में निवेश Investment in shares of subsidiary company	—	
लाभांश प्राप्त (156,182 रुपए) Dividend received (Rs. 156,182)		
निवेश गतिविधियों से शुद्ध कैश फ्लो NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES	(ख) (B)	(24057)
ग. वित्तीय गतिविधियों से कैश फ्लो		
C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
हिरसा पूंजी जारी करने से प्राप्ति Proceeds from issue of share capital	5307	
हिरसा पूंजी जमा Share capital deposit	6268	
लाभांश व कर प्रदत्त लाभांश Dividend & dividend tax paid	(331)	
उधार (शुद्ध) से प्राप्ति Proceeds on borrowings (net)	14131	
ब्याज व वित्तीय प्रभारें Interest & financial charges	(6167)	
वित्त गतिविधियों से शुद्ध कैश फ्लो NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES	(ग) (C)	19208
नकद व नकद समतुल्यों से शुद्ध वृद्धि/(कमी) NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS	(क+ख+ग) (A+B+C)	3117
वर्ष के आरंभ में नकद व नकद समतुल्य Cash & Cash Equivalents at the beginning of the year		2374
वर्ष के अंत में नकद व नकद समतुल्य Cash & Cash Equivalents at the close of the year		5491



टिप्पणी :

NOTE :

1. नकद व नकद समतुल्य में शामिल हैं उपलब्ध चैक/ड्राफ्ट सहित नकद राशि एवं बैंक बैलेंस।
Cash and Cash equivalents consist of Cash and bank balances including cheques / drafts in hand.
2. कारपोरेशन को ऋण चुकाने के लिए प्रदत्त बांडों पर अर्जित ब्याज को कोर जनरेटिंग गतिविधि में संचालन संबंधी गतिविधियों के हिस्से के तौर पर माना गया है।
Bonds allotted to the Corporation in discharge of debts and interest earned thereon being related to the core generating activity has been considered as part of cash from Operating Activities.
3. उपरोक्त में वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा देयताओं के पुनः सारणीकृत (रि-स्टेटमेंट) विनिमय अंतर से हानि के 597 मिलियन रुपए शामिल हैं।
The above includes exchange variation loss on restatement of foreign currency liabilities at year end rates Rs. 597 millions.
4. ब्याज तथा पूंजीगत वित्तीय प्रभारों के 1786 मिलियन रुपयों को स्थिर परिसंपत्तियों व निर्माण कार्य प्रगति पर निवेश में शामिल नहीं किया गया है।
Investment in Fixed Assets & Construction Work in Progress excludes interest & financial charges capitalised Rs. 1786 millions

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date attached

कृते के.एन. गोयल एंड कंपनी

For K.N. Goyal & Co.

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

Chartered Accountants

के.एन. गोयल
K.N. GOYAL
भागीदार
Partner

विजय गुप्ता
VIJAY GUPTA
सचिव
Secretary

आर. नटराजन
R. NATARAJAN
निदेशक (वित्त)
Director (Finance)

योगेन्द्र प्रसाद
YOGENDRA PRASAD
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
Chairman & Managing Director

स्थान/Place : फरीदाबाद/Faridabad

दिनांक/Dated : 24.08.2002

समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

Auditors Report on Consolidated Financial Statements

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

Report of the Auditors

सेवा में, निदेशक मण्डल,

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड

1. नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2002 के संलग्न तुलन पत्र व उसी तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा की लेखा परीक्षा कर ली गई है।
2. इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी कंपनी प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करना है। साधारणतः भारत में प्रचलित लेखा परीक्षा मानदंडों के अनुसार हमने अपना लेखा परीक्षा संचालित किया है। इन मानदंडों के अंतर्गत हम योजना बनाते हैं तथा वित्तीय विवरणों के दोषरहित विवरण सामग्री हेतु उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा पूर्ण करते हैं। लेखा परीक्षा में जांच आधारित परीक्षण राशि के समर्थन में प्रमाण तथा वित्तीय विवरणों में प्रकटन शामिल हैं। लेखा परीक्षा में प्रयोग किए गए लेखा सिद्धांत का निर्धारण तथा प्रबंधन द्वारा बनाए गए सार्थक अनुमानों के साथ-साथ पूरे वित्तीय विवरण के प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल हैं हम विश्वास करते हैं कि हमारा लेखा परीक्षा हमारे मत हेतु एक उचित आधार प्रदत्त करता है।
3. हमने सहायक कंपनी नर्मदा हाइड्रो विकास निगम लि. की वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की है जिस की 31 मार्च 2002 को कुल परिसंपत्ति (नेट) 2096 मिलियन रुपये दर्शाई गई है। इस सहायक कंपनी की परियोजनाओं के निर्माण चरण में रहने तक इसके लाभ व हानि के लेखें तैयार नहीं किए गये हैं। इस सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है जिस की रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है तथा जहाँ तक इस सहायक कम्पनी में राशि को शामिल करने का संबंध है, यह पूरी तरह लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।
4. हम सूचित करते हैं कि कम्पनी ने समेकित वित्तीय विवरणों को आई सी ए आई के द्वारा जारी समेकित वित्तीय विवरणों के लेखा मानक-21, जो कि नैशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. तथा समेकित विवरण में शामिल इसकी उपरोक्त सहायक कम्पनी, को जारी किए गये थे, के आधार पर ही तैयार किया है।
5. जहां तक नैशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन के संचालन एवं वित्तीय परिणामों का संबंध है, इन्हें समेकित वित्तीय विवरण में शामिल किया गया है।
- i. तुलन पत्र "वास्तविक कीमत" तथा कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची के अनुसार अपेक्षित चार परियोजनाएं अर्थात् चमेरा-1, टनकपुर, रंगित तथा उड़ी के मामलों में स्थिर परिसंपत्तियों के संचयित मूल्यह्रास को प्रतिबिंबित नहीं करता है। स्थिर परिसंपत्तियों

To The Board of Directors of

National Hydroelectric Power Corporation Limited

1. We have examined the attached Consolidated Balance Sheet of National Hydroelectric Power Corporation Limited and its subsidiary company as at 31st March, 2002 and also the related Profit & Loss Account and the Cash Flow Statement for the year then ended.
2. These financial statements are the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material mis-statements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
3. We did not audit the financial statements of the subsidiary company Narmada Hydro Development Corporation Limited, whose financial statement reflects total assets (net) of Rs. 2096 Millions as at 31st March, 2002. No Profit & Loss Account is prepared in the case of the said subsidiary since its projects are in construction stage. The financial statements of the said subsidiary have been audited by other auditors whose report has been furnished to us, and in so far as it relates to the amounts included in respect of the subsidiary, is based solely on the report of its auditors.
4. We report that the consolidated financial statements have been prepared by the Company in accordance with the requirements of Accounting Standard 21, Consolidated Financial Statements' issued by the Institute of Chartered Accountants of India, on the basis of individual financial statements of National Hydroelectric Power Corporation Limited and its subsidiary included in the aforesaid Consolidation.
5. In so far as it relates to the results of operations and the financial position of National Hydroelectric Power Corporation Limited included in these consolidated financial statements.
- i. The Balance Sheet does not reflect the 'original cost' and accumulated depreciation of Fixed Assets in case of four Projects viz., Chamera I, Tanakpur, Rangit and Uri as required by Schedule VI to the Companies Act,

की सभी मदों, जो निर्माण अवधि के दौरान प्राप्त की गई, को वास्तविक कीमत के बदले निर्माण अवधि के अंत में "लिखित निम्न मूल्य" पर दर्शाया गया है। भारत के चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था की सिफारिशों, का निर्माण अवधि के दौरान व्यय के स्वरूप पर निर्देशन टिप्पणी के अनुसार गलत अर्थ लगाया गया है, यहां तक कि भूमि, भवन, सड़कों इत्यादि जैसी मदों की वास्तविक कीमत, जो निर्माण अवधि के दौरान खरीदी अथवा निर्मित की गई थी और जो निर्माण गतिविधियों के लिए नहीं भी थी, को उपरोक्तानुसार घटा दिया गया है। केवल विशिष्ट निर्माण उपस्कर एवं स्थाई परिसंपत्तियों विशेषकर स्थिर परिसंपत्तियों के निर्माण को सरल बनाने हेतु सृजित जो स्वयं में स्थिर परिसंपत्तियाँ नहीं हैं, के मामलों में उपरोक्त निर्देशन टिप्पणी एक अनुमानित लागत पर उस परिसंचालितों को आगे उपयोग में लाने की सिफारिश करती है, यदि निर्माण अवधि के पश्चात् वह उपयोग करने लायक हो। यह उन स्थिर परिसंपत्तियों की स्वतंत्र मदों पर लागू नहीं है। जिन्हें व्यावसायिक उद्देश्य से प्राप्त किया गया है, केवल इसलिए कि इन्हें निर्माणधीन अवधि के दौरान खरीद लिया गया है। नियम परिसम्पत्तियों को आईसीएआई द्वारा निर्गत वित्तीय विवरणों में प्रयुक्त शब्द समूहों संबंधी मार्गदर्शन टिप्पणी में इस प्रकार परिभाषित किया गया है 'वस्तुओं या सेवाओं को प्रदान करने या उत्पादित करने के प्रयोजनार्थ धारित परिसम्पत्ति व्यवसाय के सामान्य क्रम में पुनःविक्री हेतु धारित नहीं है'। कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-VI तथा स्थिर परिसंपत्तियों संबंधी लेखाकरण मानक 10 की अपेक्षा के अनुसार, स्थिर परिसंपत्तियां लागत पर बताई जानी हैं। लेखाकरण के आधाभूत सिद्धांतों के अनुसार, स्थिर परिसम्पत्ति की मूल लागत के मूल्यह्रास के लिए प्रावधान का समयोजन तभी किया जाता है जब मद या तो स्क्रेप की गई हो, छोड़ दी गई हो या बेच दी गई हो। मूल लागत के प्रति मूल्यह्रास के लिए प्रावधान के समायोजन की अपेक्षा हेतु उक्त स्थितियों में से कोई भी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई तथा इसलिए लेखा बाहियों में पारित प्रविष्टियां आधारभूत रूप से गलत हैं। अतः मूल लागत तथा संचित मूल्यह्रास के अन्तर्गत दर्शायी गई राशियां स्थिर परिसंपत्तियों के विभिन्न शीर्षों के सामने निम्न प्रकार दर्शाया गया है :

	राशि (मिलियन)
लीजहोल्ड भूमि	8
भवन	276
सड़कें तथा पुल	40
उप-केंद्र उपकरण	20
फर्नीचर, फिक्सचर तथा उपकरण	24
पारेषण लाइनें	13
विविध परिसंपत्तियां/उपकरण	42

1956. All items of fixed assets which were acquired during the construction period have been stated at 'written down value' as at the end of the construction period, instead of the original cost. The recommendations of the Institute of Chartered Accountants of India vide Guidance Note on Treatment of Expenditure During Construction Period have been misconstrued and the original cost of even items like land, building, roads, etc. which were purchased or constructed during construction period, though not for construction activities, have been reduced as above. Only in case of special construction equipments and temporary assets created specially to facilitate construction of the Fixed Assets, which are not fixed assets in themselves, the above Guidance Note recommends the carry over of the same at an estimated cost, if the same is of use after construction period. This does not apply to independent items of Fixed Assets which are acquired for business purposes just because they are procured during construction period. Fixed Asset is defined in the Guidance Note on Terms used in Financial Statements issued by the ICAI as 'Asset held for the purpose of providing or producing goods or services and that is not held for resale in the normal course of business'. As per the requirement of Schedule VI to the Companies Act, 1956 and Accounting Standard 10 on Fixed Assets, Fixed Assets have to be stated at Cost. As per fundamental principles of accounting, adjustment of provision for depreciation against the original cost of fixed asset is made only when either the item is scrapped, discarded or sold. None of the above situations have arisen to require the adjustment of the provision for depreciation against the original cost and hence, the entries passed in the books of account are also fundamentally wrong. The amounts appearing under 'original cost' and 'accumulated depreciation' are therefore, understated against various heads of Fixed Assets as under :

	Amount (Millions)
Leasehold Land	8
Buildings	276
Roads and Bridges	40
Sub-Station Equipments	20
Furniture, Fixture and Equipments	24
Transmission Lines	13
Miscellaneous Assets/Equipments	42

ii. स्वनिर्मित परियोजना परिसंपत्तियों जैसे उत्पादन संयंत्र वाला भवन, हाइड्रोलिक कार्य तथा उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी को समुचित प्रकार से अभी तक निर्धारित नहीं किया गया क्योंकि निर्माणअवधि के दौरान अर्जित सभी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास की व्यवस्था संविधियों के तहत यथा निर्धारित सामान्य दरों पर की गई है तथा निर्माण की लागत को आबंटित की गई है। स्थिर परिसंपत्तियों यथा लीजहोल्ड भूमि, स्थायी भवन, बुनियादी ढांचा सुविधाओं इत्यादि के बीच अंतर किए बिना जो परियोजना की स्वतंत्र स्थिर परिसंपत्तियां हैं; जिनपर मूल्यह्रास केवल उस

ii. The cost of self-constructed Project Assets viz., Building containing Generating Plant, Hydraulic Works and Generating Plant & Machinery have not been appropriately determined insofar as depreciation on all assets acquired during construction period have been provided at normal rates as prescribed under the statutes and allocated to the cost of construction without differentiating between fixed assets like leasehold land, permanent buildings, infrastructure facilities, etc. which are independent Fixed Assets for business, depreciation on which ought to have been allocated

सीमा तक आबंटित किया जाना चाहिए था जहां तक वह निर्माण गतिविधि के लिए प्रासंगिक है तथा निर्माण उपकरण, अस्थायी संरचना इत्यादि जिनके संबंध में कंपनी के लिए उनका समुचित आयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए था तथा मूल्यह्रास उपयोगिता के आधार पर प्रभारित किया जाना चाहिए था अथवा वैकल्पिक रूप से पूर्ण लागत को पूंजीकृत किया जाना चाहिए था तथा निर्माणावधि के अंत में निपटान मूल्य/अवशेष मूल्य स्व संरचित परिसम्पत्ति के निर्माण लागत में क्रेडिट किया जाना चाहिए था, जैसाकि आईसीएआई द्वारा जारी निर्माण के दौरान व्यय व्यवहार हेतु मार्गदर्शन टिप्पणी में अनुशंसा की गई है। वित्तीय विवरणों पर उक्त का प्रभाव सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

iii अवर्गीकृत भूमि में, परियोजना के लिए वन भूमि का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए, वन विभाग को क्षतिपूर्ति भुगतान शामिल है। भुगतान केवल उपयोग का अधिकार प्रदान करते हैं तथा इन्हें अप्रत्यक्ष परिसम्पत्ति के रूप में पूंजीकृत किया जाना था तथा परियोजना जीवन में परिशोधित किया जाना था किन्तु पूर्ण क्षतिपूर्ति को 'भूमि' की लागत के रूप में पूंजीकृत किया जा रहा है तथा कोई परिशोधन नहीं किया गया है। इस प्रकार संपूर्ण राशि को पूंजीकृत किया गया है तथा परिशोधन राशि को सुनिश्चय नहीं किया गया।

iv पूंजीगत अतिरिक्त पुर्जों, वैकल्पिक उपकरणों, सुधारों, प्रतिस्थापनों मरम्मत तथा आधुनिकीकरण/नवीकरण पर व्यय के व्यवहार के संबंध में कंपनी की कोई मानक लेखाकरण नीति नहीं है। समान मदों के संबंध में भिन्न व्यवहार किया गया है यथा टर्बाइन का निचला रिंग, लैब्रिथ, टॉप कवर इत्यादि को कुछ मामलों में पूंजीकृत किया, कुछ अन्य मामलों में वस्तुसूची के रूप में अग्रणीत तथा कुछ में मरम्मत के तौर पर प्रभारित पाया गया है। चमेरा-I में, वस्तुसूचियों में 85.44 मिलियन रुपए के उत्पादन संयंत्र मशीनरी संबंधी पुर्जे शामिल किए गए जिन्हें 4-5 वर्षों से बदला नहीं पाया गया था तथा इनमें पूंजीगत अतिरिक्त पुर्जों की विभिन्न मदें तथा वैकल्पिक उपकरण जैसे टर्बाइन गाईड बेयरिंग, 400 केवी ट्रांसफार्मर इत्यादि शामिल हैं, जिन्हें स्थिर परिसंपत्तियों के लिए लेखाकरण संबंधी लेखाकरण मानक 10 के अनुसार पूंजीकृत तथा मूल्यह्रासित किया जाना चाहिए था। बैरास्यूल परियोजना में, 162.60 मिलियन रुपए को वर्ष 1999-2000 में पूंजीकृत किया गया था (जिसमें पहले मरम्मत के लिए प्रभारित 87.60 मिलियन रुपए को पुनः शामिल किया गया है) तथा उक्त वर्ष की लेखा टिप्पणियों के अनुसार इसे पावर हाउस के नवीकरण तथा आधुनिकीकरण पर पूंजीकृत व्यय में दर्शाया गया है। इसी राशि का पूंजीकृत पुर्जों/वैकल्पिक उपकरणों के फलस्वरूप उक्त व्यय की राशि के तौर पर भी विचार किया गया है। जबकि आधुनिकीकरण तथा नवीकरण का परिणाम पूंजीगत पुर्जों अथवा वैकल्पिक उपकरणों का अधिग्रहण नहीं होता तथा आधुनिकीकरण/नवीकरण तथा पूंजीगत पुर्जों के अधिग्रहण तथा वैकल्पिक उपकरणों के अधिग्रहण पर व्यय के लिए लेखा में व्यवहार भिन्न है। हमें उक्त सभी प्रश्नों का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया सिवाए दो मामलों में एक तकनीकी व्यक्ति से टिप्पणी/प्रमाणपत्र के कि

only to the extent to which they were considered as incidental to the construction activity, and assets specially procured for construction activities like special construction equipments, temporary structures etc., in respect of which appropriate useful life to the Company ought to have been ascertained and depreciation charged over the useful life, or alternatively, the whole of the cost should have been capitalised and the disposal value/residual value at the end of the construction period should have been credited to the cost of construction of the self-constructed asset, as recommended in the Guidance Note for Treatment of Expenditure During Construction issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Effect of the above on the financial statements is not ascertainable.

iii. Unclassified Land includes compensatory payments to the Forest Department for allowing use of forest land for the Project. These payments only confer a right to use and not ownership and ought to be capitalized as an intangible asset and amortized over the project life. But the total compensation is being capitalized as cost of 'Land' and no amortization is made. Total amount thus capitalized and amortization amount unascertained.

iv. The Company does not have a standard policy regarding treatment of capital spares, stand-by equipments, expenditure on modernization/renovation, improvements, replacements and repairs. Similar items had been rendered different treatments like lower ring of turbine, labyrinth, top cover, etc. which were found to be capitalised in certain cases and carried as inventory and charged to repairs in yet other cases. In Chamera I, inventories were found to include Generation Plant & Machinery Spares of Rs. 85.44 millions which have not moved over 4-5 years and include various items of capital spares and stand by equipments like Turbine Guide Bearing, 400 KV Transformer, etc. which ought to have been capitalised and depreciated as per Accounting Standard 10 on Accounting for Fixed Assets. In Bairasiul Project, Rs. 162.60 mn had been capitalised in the year 1999-2000 (which included a write back of Rs. 87.60 mn. earlier charged to repairs) and as per the Notes to the Accounts of the said year, the same represented "expenditure on renovation and modernization of Power House capitalized considering the said amount incurred as resulting into capital spares/stand by equipments". Whereas, modernization and renovation do not result in the acquisition of capital spares or stand by equipments and treatment required in accounts for expenditure on modernization/renovation and acquisition of capital spares and acquisition of stand by equipments are different. Certain additions/replacements in the nature of improvements were also found to be charged to Repairs. We have not been given any satisfactory explanation to all our queries

प्रदत्त व्यवहार सही हैं इसके अतिरिक्त, मरम्मत के लिए प्रभारित उच्च लागत मदों के प्रतिस्थापन के मामले में पुनः प्राप्त मद की स्थिति तथा इसके लेखाकरण व्यवहार का संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं किया गया है तथा हमारी टिप्पणी के प्रत्युत्तर में 0.09 मिलियन रुपए की राशि बैरासूल परियोजना में स्कैप के स्टॉक में जोड़ दी गई थी। उचित स्पष्टीकरण के अभाव में तथा लेखों में दिए गए भिन्न व्यवहारों के कारण हम पूंजीगत पुर्जों, वैकल्पिक उपकरण, आधुनिकीकरण/नवीकरण व्यय तथा सुधारों संबंधी व्यवहार तथा खपत किए गए अतिरिक्त पुर्जों (रिपेयर सहित) की लाभ तथा हानि लेखा में प्रभारित किए जाने की यथार्थता के संबंध में आईसीएआई द्वारा निर्गत नियत परिसंपत्तियों के लिए लेखाकरण संबंधी लेखाकरण मानक 10 तथा मूल्यह्रास संबंधी लेखाकरण मानक 6 के अनुपालन के संबंध में अपनी राय व्यक्त करने में असमर्थ है। वित्तीय विवरणों पर इसका प्रभाव सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

- v. वस्तुसूचियों में विभिन्न संचालनात्मक परियोजनाओं द्वारा धारित अतिरिक्त घोषित विशेष निर्माण उपकरणों के अतिरिक्त पुर्जों के संबंध में 328 मिलियन रुपए शामिल हैं जो 'वस्तुसूचियों' की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आते। इसके अतिरिक्त इन्हें निवल वसूली योग्य मूल्य के बजाए भारित औसत लागत पर लिया गया था। हमारे पूछने पर 62.50 मिलियन रुपए की तदर्थ कटौती चमेरा-I द्वारा धारित ऐसे अतिरिक्त पुर्जों के 271 मिलियन रुपए के स्टॉक में की गई है जिसे 2.8.2002 को गठित एक समिति द्वारा सुनिश्चित किया गया बताया गया है जिसने अपनी रिपोर्ट 3.8.2002 को प्रस्तुत की थी। मूल्य में कटौती की प्रविष्टि को कॉरपोरेट कार्यालय स्तर पर पारित किया गया है तथा हमें परियोजना के मूल्य निर्धारित स्टोर लेजर में किए गए समायोजनों का ज्ञान नहीं है। इसके अतिरिक्त, मूल्य में उक्त कटौती करके, कंपनी ने अपना लेखाकरण नीति विवरण बदल दिया है कि अतिरिक्त निर्माण उपकरण के आयातित पुर्जे निवल वसूली योग्य मूल्य पर लिए गए हैं। एक दिन में 30000 के अधिकार मदों के निवल वसूली योग्य मूल्य के सुनिश्चय के साथ जुड़ी स्वेच्छाधारिता तथा समायोजन के तरीके तथा लेखाकरण नीति में मनमाने परिवर्तन के मद्देनजर हम उस मूल्य के संबंध में अपनी राय व्यक्त करने में असमर्थ हैं जिस पर अतिरिक्त निर्माण उपकरणों के अतिरिक्त पुर्जों के स्टॉक को कंपनी द्वारा शामिल किया जा रहा है।
- vi. वस्तुसूचियों में आगे अचल भंडारों तथा अतिरिक्त पुर्जों के लिए 385 मिलियन रुपए शामिल हैं जिन्हें लागत में शामिल किया गया है। न तो उनके निवल वसूली योग्य मूल्य को सुनिश्चित किया गया है और न ही उनके मूल्य में तदनुकरण के लिए कोई प्रावधान लेखों में किया गया है। हम उन मूल्यों पर अपनी राय व्यक्त करने में असमर्थ हैं जिन पर वे लेखों में शामिल किए गए हैं।
- vii. कंपनी अपनी सभी वस्तुसूचियों (यथा ऊपर सूचित अतिरिक्त निर्माण उपकरणों के आयातित पुर्जों को छोड़कर) को भारित औसत लागत पर शामिल करती है तथा वह निवल वसूलीयोग्य मूल्य का निर्धारण नहीं करती। वस्तुसूचियों के मूल्यनिर्धारण संबंधी लेखाकरण मानक 2 लागत पर वस्तुसूचियों को शामिल करने की अनुमति देता है

except a note/certificate from a Technical person in two cases that the treatment rendered is correct. Further, in case of replacement of high cost items charged to repairs, the status of the retrieved item and its accounting treatment have also not been satisfactorily explained and in response to our observation, a sum of Rs. 0.90 millions was added to the stock of scrap in Bairasiul Project. In the absence of proper explanation and diverse treatments given in the accounts, we are unable to express our opinion on the compliance with the Accounting Standard 10 on Accounting for Fixed Assets and Accounting Standard - 6 on Depreciation Accounting issued by the Institute of Chartered Accountants of India with regard to treatment of capital spares, stand-by equipments, modernization/renovation expenditure and improvements and the correctness of spares consumed (including by way of repairs) charged to Profit & Loss Account. Effect of the same on the financial statements is unascertainable.

- v. Inventories include Rs. 328 Millions in respect of surplus spares of special construction equipments declared surplus held by various Operational Projects which do not come within the definition of 'Inventories'. Further, these were being carried at weighted average cost instead of net realisable value. On our query, an adhoc reduction of Rs. 62.50 Million has been made to the stock of Rs. 271 Millions of such spares held by Chamera I which is said to have been ascertained by a Committee constituted on 02.08.2002 which has submitted its report on 03.08.2002. The entry for the reduction in value has been passed at the Corporate Office level and we are not aware of the adjustments made in the Priced Store Ledger of the Project. Further, by making the above reduction in value, the Company has changed its accounting policy statement, that imported spares of surplus construction equipment are carried at net realisable value. In view of the arbitrariness attached to the ascertainment of the net realisable value of over 30000 items in one day and the manner of adjustment and the arbitrary changes in accounting policy, we are unable to express our opinion on the value at which the stock of spares of surplus construction equipments are being carried by the Company.
- vi. Inventories further include Rs. 385 Millions towards non-moving stores and spares which are carried at cost. Neither the net realisable value of the same have been ascertained nor any provision for diminution in value of the same have been provided in the accounts. We are unable to express our opinion on the values at which they are carried in the accounts.
- vii. The Company carries all its inventories (other than imported spares of surplus construction equipments as reported above), at weighted average cost and is not determining the net realisable value. Accounting Standard 2 on Valuation of Inventories permits carrying

चाहे निवल वसूलीयोग्य मूल्य कम है जहां अंततः तैयार माल लागत पर या उसके अधिक लाभदर बचा जाता है। किन्तु बैरास्यूल, लोकतक, टनकपुर तथा रंगित परियोजनाओं के संबंध में, परियोजनाएं भारी हानि की स्थिति में हैं अर्थात् बैरास्यूल के मामले में 212 मिलियन रुपए की बिक्री के प्रति 223 मिलियन रुपए की हानि, लोकतक के मामले में 285 मिलियन रुपए सं. की बिक्री के प्रति 72 मिलियन रुपए की हानि टनकपुर के मामले में 440 मिलियन रुपए की बिक्री के प्रति 72 मिलियन रुपए की हानि तथा रंगित के मामले में 635 मिलियन रुपए की बिक्री के प्रति 103 मिलियन रुपए की हानि। वस्तुसूचियों के मूल्यनिर्धारण संबंधी लेखाकरण मानक 2 का इन तीन परियोजनाओं के संबंध में अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

viii. कंपनी को प्रदत्त संविदा कार्यों के संबंध, में, संविदा कार्य के लिए प्रयुक्त नियत परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास का परिकलन भी विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत अधिसूचित दरों के अनुसार तथा परिसम्पत्ति को प्रयोग में लाए जाने के वर्ष के अनुवर्ती वर्ष से किया जा रहा है। नियम परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास कंपनी के लिए परिसंपत्तियों की उपयोगिता जीवन के निर्धारण के आधार पर या कंपनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत निर्धारित दरों पर प्राप्ति यह उच्च हो किया जाना चाहिए। कंपनी की नीति त्रुटि पूर्ण है तथा इससे संविदा कार्यों में मूल्यह्रास तथा संविदा कार्य की लाभ/हानि पर प्रभाव को अल्प प्रभारण होता है। निर्माण संविदाओं के लिए लेखाकरण संबंधी लेखाकरण मानक 7 अनुपालन भी नहीं किया गया क्योंकि संविदा को आरोप्य लागतें ठीक प्रकार सुनिश्चित नहीं की गई। वित्तीय विवरणों पर उक्त के प्रभाव का सुनिश्चय नहीं किया जा सकता।

ix. दो पावर स्टेशनों अर्थात् सलाल और टनकपुर के मूल्यह्रास को वर्तमान विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 की अधिसूचना के स्थान पर केन्द्रीय विद्युत नियामक प्राधिकरण की अधिसूचित दरों के अनुसार प्रावधान किया गया है तथा इसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 616 के अधीन कंपनी ने अपनाया है। इस के परिणाम स्वरूप मूल्यह्रास 90 मिलियन रुपए कम दिखाया है और लाभ को उपरोक्त राशि से अधिक दिखाया है।

x. लाभ तथा हानि लेखे में प्रभारित बीता व्यय में संचालनात्मक परियोजनाओं की नियम परिसंपत्तियों के सकल ब्लॉक के 0.5 प्रतिशत पर परिकलित स्वबीमा आरक्षित लेखा में क्रेडिट द्वारा सांकेतिक प्रभार के रूप में 386 मिलियन रुपए शामिल हैं। वित्तीय विवरणों में प्रयुक्त शर्तों संबंधी मार्गदर्शन टिप्पणी के अनुसार व्यय को एक देयता उपगत करने, नकद के संवितरण या परिसंपत्तियां, माल, उप सेवाएं प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ संपत्ति के अंतरण के रूप में परिभाषित किया गया है तथा व्यय को किसी लेखाकरण अवधि के संचालनों से संबंधित लागत या अवधि के दौरान अर्जित राजस्व या जिसके लाभ उस अवधि के आगे नहीं विस्तारित होते के रूप में परिभाषित किया गया है। लागत को पुनः किसी विनिर्दिष्ट मद, उत्पाद या गतिविधि पर उपगत या आरोप्य व्यय की राशि के रूप में परिभाषित किया गया है। लाभ तथा हानि लेखे में प्रभारित स्व बीमा प्रारक्षित राशि के परिणामस्वरूप कोई व्यय नहीं हुआ अर्थात् कोई दायित्व

of inventories at cost even if the net realisable value is lower where the ultimate finished goods are sold at or above cost. But, in respect of Bairasiul, Loktak, Tanakpur and Rangit Projects, the Projects are into losses viz., loss of Rs. 223 Millions against sale of Rs. 212 Millions in case of Baiasiul, loss of Rs. 72 Millions against a sale of Rs. 283 Millions in case of Loktak, loss of Rs. 72 Millions against sale of Rs. 440 Millions in case of Tanakpur and loss of Rs. 103 Millions against sale of Rs. 635 Millions in case of Rangit. The Accounting Standard 2 on Valuation of Inventories is not being followed in respect of these four Projects.

viii. In respect of Contract Works awarded to the Company, depreciation on fixed assets used for the contract work is also being computed in accordance with the rates notified under the Electricity Supply Act, 1948 and from the year following the year in which the asset is put to use. The fixed assets ought to be depreciated from the first year itself, based on the assessment of the useful life of the assets to the Company or the rates prescribed under the Companies Act, 1956 if it is higher. The policy of the Company is defective and is leading to an undercharge of depreciation to the contract works and effect on the profit/loss on the contract work. Accounting Standard 7 on Accounting for Construction Contracts is also not complied with insofar as the costs attributable to the contract are not properly ascertained. Effect of the above on the financial statements is unascertained.

ix. In respect of two Power Stations, viz., Salal and Tanakpur, depreciation has been provided at the rates recommended by the Central Electricity Regulatory Authority in the tariff notification instead of the rates prescribed under the existing notification under the Electricity Supply Act, 1948 and adopted by the Company as permitted under section 616 of the Companies Act, 1956. This has resulted in depreciation provided being lower by Rs. 90 Millions and profit higher by the said amount.

x. Insurance Expenses charged to Profit & Loss Account includes Rs. 386 Millions as a notional charge by credit to Self Insurance Reserve Account calculated at 0.5% of the gross block of fixed assets of operational projects. As per Guidance Note on Terms Used in Financial Statements, 'Expenditure' is defined as "incurring a liability, disbursement of cash or transfer of property for the purpose of obtaining assets, goods or services" and 'Expense' is defined as "A cost relating to the operations of an accounting period or to the revenue earned during the period or the benefits of which do not extend beyond that period". 'Cost' is again defined as "the amount of expenditure incurred on or attributable to a specified article, product or activity. Self Insurance Reserve charged to the Profit & Loss account has not resulted in any expenditure i.e. incurring of any liability,

उपगत नहीं हुआ, कोई नकद संवितरित नहीं हुआ या संपत्ति का अंतरण नहीं हुआ या कंपनी के राजस्व सृजन क्रियाकलाप पर आरोपित नहीं किया गया। ऐसा सांकेतिक प्रभार लेखाकरण के आधारभूत तथा लाभ एवं हानि लेखा तैयार करने से संबंधित सिद्धांतों के विरुद्ध है। इसके अतिरिक्त, आरक्षित राशि इस प्रकार लाभ का विनियोजन है तथा लाभ पर प्रभार नहीं है। कंपनी परियोजना के लाभ एवं हानि लेखा में डेबिट द्वारा उन मामलों में भी स्वबीमा प्रारक्षित राशि का सृजन कर रही है जहां लाभ एवं हानि लेखा दर्शाते हैं। निदेशक मंडल ने 3 जनवरी 1998 को हुई अपनी बैठक में ओ एण्ड एम परियोजनाओं के सकल ब्लॉक का 0.5 प्रतिशत वर्ष दर वर्ष आधार पर लाभ के विनियोजन तथा सरकारी प्रतिभूतियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बांडों तथा राष्ट्रीकृत बैंकों की जमा राशियों में निवेश के द्वारा प्रारक्षित राशि के रूप में अंतरित करने प्रतिपूर्ति की जाने वाली हानियों के लिए निधियों की आवश्यकता के दृष्टिगत ऐसे निवेशों की प्राप्ति या बेचने/वसूल करने का संकल्प किया था। वर्ष के दौरान दिनांक 24 जुलाई, 2001 के बोर्ड कार्यवृत्त, तथा अनुवर्ती कार्यालय आदेश के अनुसार, यूपीएसईवी के बांडों में 1337.70 मिलियन रुपए के निवेशों को भी स्व-बीमा निधि में निवेश के लिए नामनिर्दिष्ट कर दिया गया जो पहले निधियों की अल्पता के कारण निवेशित नहीं किया गया था। उस पर 168 मिलियन रुपए का लाभ अर्जित किया गया है तथा बोर्ड के कार्यवृत्त के अनुसार ऐसे ब्याज को भी पुनः निवेशित किए जाने पर विचार किया गया है। यद्यपि बोर्ड ने लाभों को विनियोजित करने का सही निर्णय लिया है, लेखाकरण में तथा लाभ एवं हानि लेखा तैयार करने में, सकल ब्लॉक का 0.5 प्रतिशत बीमा व्ययों के रूप में डेबिट किया जा रहा है। नामनिर्दिष्ट निवेश भी अंतिम लेखों में पृथक रूप से नहीं दर्शाए गए तथा यथोक्त नामनिर्दिष्ट बांडों पर अर्जित 168 मिलियन रुपए का ब्याज भी प्रारक्षित राशि में विनियोजित नहीं किया गया है। अतः लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित व्यय का लेखों को 368 मिलियन रुपए का अतिकथन तथा लाभों का इसी राशि का अल्पकथन किया गया है।

xi आस्थगित कर परिसम्पत्ति तथा देयता का परिकलन करने में स्व-बीमा प्रारक्षित राशि को एक समय 'समय संबंधी अंतर' माना गया है तथा उसके प्रति 'आस्थगित कर परिसम्पत्ति' को मान्य किया गया है जो सही नहीं है। परिणामतः लाभ एवं हानि लेखों को प्रभारित आस्थगित कर 156 मिलियन रुपए कम है तथा लाभ में इसी राशि का अति कथन है। तुलनपत्र में निवल आस्थगित कर देयता में 655 मिलियन रुपए का अल्पकथन है, लाभ एवं हानि लेखा में अधिशेष में 156 मिलियन रुपए का अतिकथन है तथा सामान्य प्रारक्षित राशि में 499 रुपए का अतिकथन है।

xii टेरिफ विनियमों में कर को व्यय के रूप में भुगतान देयता के अनुमान पर वर्ष पद वर्ष राज्य बिजली बोर्डों से प्रभारित करने की व्यवस्था है। इसके दृष्टिगत निगम ने बिक्री के क्रेडिट द्वारा वर्तमान कर की वसूली के लिए 395 मिलियन रुपए की राशि

disbursement of cash or transfer of property incurred on or attributable to the revenue generating activity of the Company. Such notional charge is against the fundamental principles of accounting and those relating to preparation of the Profit & Loss Account. Further, Reserves are as such appropriations of Profit and not a charge on the Profit. The Company is creating the Self Insurance Reserve by debit to the Project's Profit & Loss Account even in cases where the Profit & Loss Accounts are reflecting a loss. The Board of Directors in their meeting held on 3rd January, 1998 had resolved to transfer 0.5% of the Gross Block of O&M Projects towards self insurance fund on year to year basis as a reserve by appropriation of profits and its investment in Government Securities, PSU Bonds and time deposits of Nationalised Banks and to sell/realise the proceeds of such investments in view of requirement of funds for the losses to be reimbursed. During the year, vide Board Minutes dated 24th July, 2001 and subsequent office order, investments in the Bonds of UPSEB for Rs. 1337.70 Millions were also earmarked towards investment of the self-insurance fund, which had not earlier been invested due to paucity of funds. Interest of Rs. 168 Millions has been earned thereon and as per the Board Minutes, such interest have also to be considered as reinvested. Though the Board has correctly resolved to appropriate the profits, in accounting and framing the Profit & Loss Account, 0.5% of the gross block is being debited as Insurance Expenses. The investments earmarked have also not been shown separately in the final accounts nor the interest of Rs. 168 Millions earned on the Bonds earmarked as above, been appropriated to the reserves. The Expenses charged to the Profit & Loss Account is therefore, overstated by Rs. 386 Millions and Profit understated to the said extent.

xi. In computing the Deferred Tax asset and liability, self-insurance reserve has been considered as a 'timing difference' and 'deferred tax asset' has been recognized there against, which is incorrect. As a result, deferred tax charged to Profit & Loss Account is lower by Rs. 156 Millions and profit overstated to the said extent. Net Deferred Tax Liability in the Balance Sheet is understated by Rs. 655 Millions, balance in Profit & Loss Account overstated by Rs. 156 Millions and General Reserve overstated by Rs. 499 Millions.

xii. The Tariff regulations provide for charging of tax as an expense from the State Electricity Boards from year to year on estimate of payment liability. In view of the same, the Company has booked a sum of Rs. 395 Millions towards recovery of current tax by credit to sales

दर्ज की है तथा वर्ष के आस्थगित कर व्यय के प्रति आस्थगित कर वसूलनीय समायोजना लेखे के रूप में 2198 मिलियन रुपए की राशि दर्ज की है। 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार कंपनी ने आय पर करों के लिए लेखाकरण संबंधी लेखाकरण मानक 22 के अनुसार दर्ज उसी राशि की अपनी निवल आस्थगित कर देयता के प्रति वसूलनीय आस्थगित कर के रूप में 11329 मिलियन रुपए दर्ज किए हैं। तथापि, टैरिफ विनियमों में अग्रेनीत भत्तों तथा कर को यथेष्ट रूप से प्रभावी करते हुए व्यक्ति परियोजनाओं की देयता के निर्धारण तथा केंद्रीय उत्पादन गतिविधि की आय पर केवल करों की वसूली का प्रावधान किया गया है। कंपनी ने अपने स्वयं के खाते से कर देयता के प्रति उचित समायोजनों के बिना 7 संचालनात्मक परियोजनाओं के लाभानुभोगियों से वसूलनीय कुल निवल आस्थगित कर देयता दर्ज की है जो राज्य बिजली बोर्डों से वसूलनीय नहीं है। चालू कर देयता के मामले में लाभ तथा हानि लेखा में व्यय के रूप में तथा स्व बीमा योजना के निवेश के तौर पर की और नामनिर्दिष्ट (इयरमार्कड) बांडों पर ब्याज के रूप में लाभ एवं हानि लेखे को सांकेतिक रूप से प्रभारित स्व बीमा प्रारक्षित राशि को प्रभावी नहीं किया गया है जैसाकि निदेशक मंडल द्वारा संकल्प किया गया था जो निगम के अपने खाते से हैं। आस्थगित कर देयता के प्रति वसूलनीय राशि को परिकलन करने में, उक्त परियोजनाओं के असमाहित मूल्यह्रास के प्रति आस्थगित कर आरिक्त को उस राशि द्वारा वर्धित नहीं किया गया है जो कंपनी द्वारा अपने स्वयं के खाते से उत्पन्न देयता को प्रतिसंतुलित करने के लिए खपत की गई थी तथा उक्त परियोजना से संबंधित नहीं है जैसे निधियों के अल्पावधि नियोजन पर आय तथा स्व बीमा निधि, कंपनी द्वारा किए गए संविदा कार्य, बगलिहार तथा सावल कोट परियोजनाओं के जम्मू व कश्मीर विद्युत विकास निगम को अंतरित/पावर स्टेशन अंतरणाधीन अवसूली योग्य परियोजना व्यय के कारण बढ़ते खाते डाली गई राशि तथा लाभ एवं हानि लेखे, को सांकेतिक रूप से प्रभारित स्व बीमा व्यय को अनुमत न करना। उक्त का प्रभाव यह है कि बिक्री तथा ऋण 43 मिलियन रुपए अधिक है तथा चालू कर तथा कराधान के लिए प्रावधान 1 मिलियन रुपए अधिक है लाभ हानि लेखों में क्रेडिट किया गया आस्थगित कर वसूलनीय समायोजन 257 मिलियन रुपए अधिक है तथा वर्ष के लिए कर पश्चात् लाभ 299 मिलियन रुपए अधिक है, प्रारक्षित सामान्य राशि 772 मिलियन रुपए अधिक है, वसूलनीय आस्थगित कर 1029 मिलियन रुपए अधिक है।

xiii कंपनी को टर्नकी आधार पर प्रदत्त कुरिचु जल विद्युत परियोजना के संबंध में संविदाकार को अनुमत विचलनों तथा अतिरिक्त कार्य जिन्हें लेखें में नहीं लिया गया के लिए व्ययों के संबंध में 62 मिलियन रुपए की राशि का अल्प कथन किया गया है। कार्य स्थल के कार्यालय ने किए गए कार्य को प्रमाणित किया है तथा कंपनी द्वारा गया नियुक्त एक स्वतंत्र समिति ने इसी राशि को संदेय निर्धारित किया है तथा कार्यालय टिप्पणी में भी इस देयता को पुष्ट किया गया है। किन्तु लेखाबहियों में इसके

and Rs. 2198 Millions as Deferred Tax Recoverable Adjustment Account against Deferred Tax Expense of the year. As at 31st March, 2002, the Company has booked Rs. 11329 Millions as Deferred Tax Recoverable against its own Net Deferred Tax Liability of the same amount booked as per Accounting Standard 22 on Accounting for Taxes on Income. However, the Tariff Regulations provide for recovery only for taxes on income of core generation activity and determination of liability of individual projects giving due effect to brought forward allowances and tax holidays. The Company has booked the total net deferred tax liability as recoverable from the Beneficiaries of the 7 operational Projects without proper adjustments towards the tax liability arising on its own account which are not recoverable from the State Electricity Boards. Current tax recoverable from the SEBs have also been worked out at a higher amount by including tax impact arising on account of disallowance of self-insurance reserve because of the notional charge and interest on bonds earmarked towards investment of self-insurance fund as resolved by the Board of Directors which are on the company's own account. In computing amount recoverable from SEBs against net deferred tax liability, deferred tax asset against unabsorbed depreciation of the above Projects has not been increased by the amount which has been consumed by the Company to offset tax liability arising on its own account and not related to the above Projects like income on short term deployment of funds and self insurance fund, contract works carried out by the Company, write off on account of irrecoverable Project Expenses of Baglihar and Swalkot Projects transferred/under transfer to Government of Jammu & Kashmir Power Development Corporation and disallowance of self-insurance expense notionally charged to Profit & Loss account. Impact of the above is that sales and debtors are higher by Rs. 43 Millions and current tax and provision for taxation is higher by Rs. 1 Million, Deferred Tax Recoverable Adjustment credited to the Profit & Loss Account is higher by Rs. 257 Millions, Profit after tax for the year is higher by Rs. 299 Millions, General Reserve is higher by Rs. 772 Millions and Deferred Tax Recoverable is higher by Rs. 1029 Millions.

xiii. In respect of Kurichu HE Project awarded to the Company on Turnkey basis, expenses are understated to the tune of Rs. 62 Millions towards extra work and deviations allowed to a Contractor which has not been accounted for. The Site Office has certified the work done and an independent Committee appointed by the Company has also determined the same amount as payable and the Office Note also confirms the liability. However, no provision for the same has been made in the books of account. At first, it was explained to us

लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। पहले हमें यह स्पष्ट किया गया था कि देयता आकस्मिक देयता टिप्पणी में शामिल है तथा बाद में यह बताया गया कि यह संविदा के संबंध में किए गए आकस्मिकता प्रावधान में शामिल है। आकस्मिकताओं के लिए उक्त प्रावधान प्रत्येक वर्ष गारंटी दावों तथा दोष देयता अवधि में आकस्मिकताओं के लिए समनुरूप से संविदा राशि की 5 प्रतिशत दर पर किया गया प्रावधान है तथा उक्त देयता के लिए किया गया प्रावधान नहीं है। अतः संविदा व्ययों का अल्पकथन किया गया है तथा वर्ष के लिए लाभ में 62 मिलियन रुपए का अतिकथन तथा विविध देनदारों में इसी राशि का अल्पकथन किया गया है।

xiv निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय में कोयल कारो परियोजना के संबंध में 598 मिलियन रुपए शामिल हैं जिनपर कार्य अभी रुका हुआ है। पिछले 20 वर्षों से परियोजना में किया गया कुल प्रत्यक्ष कार्य केवल 21 मिलियन रुपए का है। परियोजना की स्थापना के साथ जुड़ी अनिश्चितता तथा परियोजना द्वारा की गई नगण्य प्रगति के दृष्टिगत पूंजीगत व्यय के रूप में 598 मिलियन रुपए के कुल प्रासंगिक व्यय को आगे जारी रखना विवेकपूर्ण नहीं है तथा केवल वही व्यय, जो प्रत्यक्ष है यथा सर्वेक्षण अन्वेषण इत्यादि पर जिसका भावी लाभ है, हो सकता को जारी रखा जाना चाहिए तथा अधिशेष को बट्टे खाते डाला जाना चाहिए। राशि सुनिश्चित नहीं की गई है।

xv विभिन्न लेखों की पुष्टि तथा निपटान के संबंध में टिप्पणी संख्या 9 की ओर संदर्भ आकर्षित किया जाता है। जिसके संबंध में समायोजन का प्रभाव सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

xvi धौलीगंगा परियोजना के संबंध में, चालू निर्माण कार्य में कंपनी द्वारा आयोजित संयंत्र तथा मशीनरी पर सीमा शुल्क के लिए प्रदत्त 17 मिलियन रुपए शामिल हैं जबकि संयंत्र तथा मशीनरी का मूल्य 31 मार्च, 2002 तक दर्ज नहीं किया गया है। संविदा के अनुसार, सम्पत्ति तथा माल पहले ही आपूर्तिकर्ता द्वारा नौवहन पर कंपनी को पारित कर दिया गया है। राशि सुनिश्चित नहीं की गई है।

6. जहाँ तक इन समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किए गए नर्मदा जल विद्युत विकास निगम लि. के संचालनात्मक परिणामों तथा वित्तीय स्थिति का संबंध है, 31.8.2000 तक एनबीडीए द्वारा खर्च किए गए 839 मिलियन रुपए के खर्च के समायोजन के संदर्भ में कृपया नोट सं. 3 का संदर्भ ग्रहण करें तथा शेष राशि समायोजन/पुनर्मिलान के लिए अभी भी लम्बित है।

7. हमें सूचित करना है कि मद (ii) से (viii) तथा (xiv) से (xvi) पर ध्यान दिए बिना, जैसा कि पैरा 5 में आलेखित है तथा पैरा 6 में आलेखित मैटर के अनुसार जिनके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सका है तथा पैरा 5 के अंतर्गत मद (i) तथा मद (xi) से (xiii) पर विचार करते हुए वित्तीय विवरण पर प्रभाव निम्नानुसार है :

that the liability is covered by the contingent liability note and later it was explained that the same is covered in the Provision for Contingencies made in respect of the contract. The said Provision for Contingencies is a provision @ 5% of the contract amount made consistently every year towards warranty claims and contingencies in the defect liability period and is not a provision towards the above liability. Contract expenses is, therefore, understated and Profit for the year overstated by Rs. 62 millions and Sundry Creditors understated by the said amount.

xiv. Incidental Expenditure During Construction includes Rs. 598 Millions in respect of Koel Karo Project, work on which is standstill. The total tangible work carried out in the Project since the last 20 years is only Rs. 21 Millions. Considering the total tangible work done vis-à-vis the incidental expenditure on construction incurred till date, the uncertainty and insignificant progress made by the Project, the carry forward of the total incidental, expenditure of Rs. 598 Millions as capital expenditure is not prudent and only such of the expenditure which are direct like on survey, investigation, etc. which may have future benefit should be carried forward and the balance written off. Amount unascertained.

xv. Reference is invited to Note No. 9 regarding confirmation and reconciliation of various accounts, the impact of adjustment in respect of which, if any, is not ascertainable.

xvi. In respect of Dhauliganga Project, Construction Work in Progress includes Rs. 17 Millions paid towards customs duty on Plant and Machinery imported by the Company whereas the value of the plant and machinery has not been booked till 31st March, 2002. As per the contract, the property in the goods has already passed on to the company on shipment by the supplier. Amount unascertained.

6. In so far as it relates to the results of operations and the financial position of Narmada Hydro Development Corporation Limited included in these consolidated financial statements, reference is invited to Note No. 3 in respect of adjustment of expenditure incurred by NVDA upto 31.08.2000 of Rs. 839 Millions and balance amount being still pending for adjustment/reconciliation.

7. We have to report that without considering items (ii) to (viii) and (xiv) to (xvi) as reported under paragraph 5 and matter reported in paragraph 6, the effect of which could not be determined and considering item (i) and items (ix) to (xiii) as reported under paragraph 5, the effect on the financial statements would have been as under :

(मिलियन रुपए) (Rs. in millions)

	हमारी टिप्पणियों को कार्यान्वित करने पर आंकड़े Figure after Giving effect to our observation	वित्तीय विवरण में दी गई सूचना के अनुसार As Reported in the Financial Statement
i. कर पश्चात लाभ Profit after tax	4488	4709
ii. बिक्री Sales	13453	13496
iii. वर्तमान कर Current Tax	421	422
iv. विविध देनदार Sundry Debtors	13447	13490
v. कराधान के लिए प्रावधान Provision for Taxation	829	830
vi. आस्थगित कर व्यय Deferred Tax Expense	2354	2198
vii. आस्थगित कर वसूलनीय समायोजन लेखा (पी एंड एल) Deferred Tax Recoverable Adjustment A/c (P&L)	1941	2198
viii. बीमा व्यय Insurance Expenses	13	399
ix. संविदा तथा पमरार्श व्यय Contract & Consultancy Exp.	775	713
x. अनुसूची-आरक्षित तथा अतिरिक्त में लाभ तथा हानि लेखे के अनुसार अतिरिक्त Surplus as per Profit & Loss A/c In Schedule - Reserves & Surplus	7739	8346
xi. सामान्य प्रारक्षित General Reserve	11929	13200
vi. मूल्यह्रास Depreciation	2445	2355
vii. संचित मूल्यह्रास Accumulated Depreciation	15357	15267
viii. स्थिर परिसंपत्तियां का निवल ब्लॉक Net Block of Fixed Assets	65778	65868
vii. विविध देनदार Sundry Creditors	2648	2586
viii. निवल आस्थगित कर देयता Net Deferred Tax Liability	11984	11329
ix. आस्थगित वसूलनीय कर Deffered Tax Recoverable	10300	11329
x. निम्न की सकल लागत - Gross cost of - लीजहोल्ड भूमि Leasehold Land	194	186
भवन Buildings	7858	7582
सड़क व पुल Roads and Bridges	1018	978



(मिलियन रुपए) (Rs. in millions)

	हमारी टिप्पणियों को कार्यान्वित करने पर आंकड़े Figure after Giving effect to our observation	वित्तीय विवरण में दी गई सूचना के अनुसार As Reported in the Financial Statement
उपकेन्द्र फिक्सचर तथा उपकरण Sub-Station Equipments	515	495
फर्नीचर फिक्सचर तथा उपकरण Furniture, Fixture and Equipments	549	525
पारेषण लाइनें Transmission Lines	242	229
विविध परिसंपत्तियां/उपकरण Miscellaneous Assets/Equipments	332	290
xi. निम्न का संचित मूल्यह्रास Accumulated Depreciation of-		
लीजहोल्ड भूमि Leasehold Land	28	20
भवन Buildings	1950	1674
सड़क तथा पुल Road and Bridges	259	219
उपकेन्द्र उपकरण Sub-Station Equipments	153	133
फर्नीचर, फिक्सचर तथा उपकरण Furniture, Fixture and Equipments	193	169
पारेषण लाइनें Transmission Lines	127	114
विविध परिसंपत्तियां/उपकरण Miscellaneous Assets/Equipments	122	80

उपर्युक्त के अधीन तथा अनुसूची 17-लेखा टिप्पणियों में दर्शित अल्प टिप्पणियों के साथ पढ़ने पर हमारी राय में तथा हमारी अधिकतम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उक्त लेखे निर्धारित तरीके से कंपनी अधिनियम 1956 द्वारा यथापेक्षित सूचना देते हैं तथा साथ ही निम्न के संबंध में भारत के सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के समनुरूप सही तथा उचित प्रतीत होते हैं।

Subject to the foregoing, in our opinion, based on our audit and the report of other auditors, the Consolidated Financial Statements referred to above give a true and fair view of the financial position of National Hydroelectric Power Corporation Limited and its subsidiary company as at 31st March, 2002 and of the results of their operations and their cash flows for the year ended on that date, in conformity with generally accepted accounting principles in India.

कृते के.एन. गोयल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
For K.N. Goyal & Co.
Chartered Accountants

(के.एन. गोयल)
(K.N. Goyal)

पार्टनर
Partner

स्थान/Place : फरीदाबाद/Faridabad
दिनांक/Dated : 24.08.2002

सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर MANAGEMENT REPLIES TO STATUTORY AUDITORS' COMMENTS

- | | |
|--|---|
| <p>4 (i) संगत नियत परिसंपत्तियों के संबंध में सकल ब्लॉक से निर्माणधीन अवधि के दौरान मूल्यहास की कटौती निर्माणाधीन अवधि के दौरान व्यय व्यवहार संबंधी मार्गदर्शी टिप्पणी के पैरा 9.4 व 14.3, भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय संख्या 1.31 (खण्ड x) तथा वर्ष 1994-95 व 1995-96 के लिए कंपनी के वार्षिक लेखों पर नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की टिप्पणी के अनुसार की गई थी।</p> | <p>4 (i) The reduction of Depreciation during construction period from Gross Block in respect of relevant fixed assets were carried out in accordance with para 9.4 & 14.3 of Guidance Note on treatment of expenditure during construction period, opinion No. 1.31 (Volume X) of Expert Advisory Committee of Institute of Chartered Accountants of India and comment of C&AG on Company's Annual Accounts for the year 1994-95 & 1995-96.</p> |
| <p>4 (ii) कारपोरेशन द्वारा किया गया लेखाकरण व्यवहार सही है तथा भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय संख्या 19 (खण्ड XIX) के अनुसार है।</p> | <p>4 (ii) The accounting treatment given by the Corporation is correct and is in accordance with opinion No. 19 (Volume XIX) of Expert Advisory Committee of the Institute of Chartered Accountants of India.</p> |
| <p>4 (iii) कारपोरेशन द्वारा किया गया व्यवहार सही है तथा भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय संख्या 31 तथा 33 (खण्ड संख्या XIX) द्वारा विधिवत् समर्थित है।</p> <p>लेखा टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 4 (क) के तहत उपयुक्त प्रकटन भी दिया गया है (अनुसूची-17)।</p> | <p>4 (iii) The treatment given by the Corporation is correct and is duly supported by opinion No 31 and 33 (Volume No. XIX) of Expert Advisory Committee of the Institute of Chartered Accountants of India.</p> <p>Suitable disclosure is also given vide note No.4 (a) of Notes to Accounts (Schedule-17).</p> |
| <p>4 (iv) लेखाकरण मानक-10 अनिवार्य है तथा इसका एक समान अनुपालन किया जा रहा है तथा कंपनी द्वारा इस संबंध में कोई पृथक् नीति निर्धारित किए जाने की आवश्यकता नहीं है।</p> <p>न तो टरबाइन गाईड बेयरिंग और न ही 400 केवी ट्रांसफार्मर वस्तुसूचियों में शामिल है किन्तु ये टरबाइन गाईड बेयरिंग एसेंबली तथा 400 केवी ट्रांसफार्मरों के अतिरिक्त पुर्जे (बुशिंग्स) हैं।</p> <p>162.60 मिलियन रुपए का पूंजीकरण वर्ष 1999-2000 में किया गया है तथा लेखा टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 7 के तहत उसका प्रकटन किया गया है (अनुसूची-16) तथा सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा इसकी विधिवत् जांच कर ली गई थी। निगम द्वारा प्रदत्त व्यवहार सही है तथा भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की विशेषज्ञ सलाहकार समिति के खण्ड संख्या XVIII की मत संख्या 12 के समनुरूप है।</p> <p>लेखापरीक्षकों के प्रश्नों का उचित उत्तर दे दिया गया था।</p> | <p>4 (iv) Accounting Standard-10 is mandatory and is being followed consistently and no separate policy is required to be stipulated by the Company in this regard.</p> <p>Neither Turbine Guide Bearing nor 400 KV Transformer are in inventory but these are turbine guide bearing <i>assemblies</i> and spare parts of 400 KV Transformers (<i>bushings</i>).</p> <p>The capitalization of Rs.162.60 million had been done in the year 1999-2000 and disclosed thereto vide note No.7 of Notes to Accounts (Schedule - 16) and same had been duly examined by Statutory Auditors & C&AG. The treatment given by the Corporation is correct and in line with opinion No. 12 of Volume No. XVIII of Expert Advisory Committee of the Institute of Chartered Accountants of India.</p> <p>The Auditors queries were suitably replied.</p> |
| <p>4 (v) कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-VI के अनुसार, वस्तुसूचियों में भंडार तथा अतिरिक्त पुर्जे भी शामिल हैं।</p> <p>पहले इन्हें नियत पूंजी व्यय के भाग के रूप में शीर्ष "निर्माण भंडार तथा अग्रिम" के अन्तर्गत दिखाया गया था। इसके बाद नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की वर्ष 1995-96 के लिए टिप्पणी (क iii) के प्रत्युत्तर में इन्हें चालू परिसंपत्तियों-"वस्तुसूचियां" के अन्तर्गत दर्शाया गया तथा इस प्रथा का निरंतर अनुसरण किया जा रहा है।</p> | <p>4 (v) As per schedule VI of the Companies Act, 1956, inventories also include stores and spares.</p> <p>Earlier these were shown under the head "Construction Stores and Advances" as part of Fixed capital expenditure. Further, to comment (A iii) for the year 1995-96 of C&AG, the same were restated under Current Assets - "Inventories", and the practice is being followed consistently.</p> |

62.50 मिलियन रुपए की कटौती समिति द्वारा विधिवत् मूल्यांकित तथा उचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित इंजीनियरिंग अनुमान पर आधारित है जिसके लिए आवश्यक समायोजन मूल्य-निर्धारित भंडार लेजर में किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, उपयुक्त प्रकटन लेखा टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 14 में किया गया है (अनुसूची-17)

- 4 (vi) यह व्यवहार लेखाकरण नीति संख्या 6 के अनुसार किया गया है।
- 4 (vii) 31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के लेखों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी संख्या 7 को देखें तथा तदनुसार निगम द्वारा प्रदत्त व्यवहार सही है। इसके अलावा, वस्तुसूचियों का मूल्यांकन बिजली के उत्पादन के लिए इनपुट के रूप में नहीं लिया जाता तथा इस प्रकार एस-2 के प्रावधान की अर्हकता का निर्धारण करते समय गलत व्याख्या की गई है।
- 4 (viii) 31, मार्च 2002 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के लेखों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी संख्या 8 को देखें तथा तदनुसार निगम द्वारा प्रदत्त व्यवहार सही है।
- 4 (ix) लेखा टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 7 को देखें (अनुसूची-17)
- 4 (x) 31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के लेखों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी संख्या 9 को देखें तथा तदनुसार निगम द्वारा प्रदत्त व्यवहार सही है।
- 4 (xi) 31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के लेखों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी संख्या 9 को देखें।
- 4 (xii) प्रबंधन की राय में निगम द्वारा प्रदत्त व्यवहार सही है।
- 4 (xiii) यह दावा कार्य निष्पादन के लिए समय अनुसूची को कम करने से संबंधित है तथा इसे आकस्मिक देयताओं में दर्शाया गया है क्योंकि ये अभी जांचाधीन हैं तथा आज की तिथि तक देयताओं को स्पष्ट नहीं किया गया है तथापि, ऐसी आकस्मिकताओं के लिए पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध हैं।
- 4 (xiv) परियोजना के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरण स्वीकृति प्रतीक्षित है तथा पीपीए पर बिहार सरकार तथा डीवीसी के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं। इस परियोजना के निष्पादन पर उपगत व्यय को इस अवस्था पर बट्टे खाते नहीं डाला जा सकता क्योंकि परियोजना अभी अनुमोदन की प्रक्रिया के अधीन है।
- 4 (xv) लेखा टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 9 (अनुसूची 17) को देखें, इस अवस्था पर किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।
- 4 (xvi) 31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए कारपोरेशन के लेखों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी संख्या 10 को देखें।

The reduction of Rs. 62.50 million is based on Engineering estimate duly evaluated by Committee and approved by appropriate authority for which necessary adjustments had been made in priced store ledger.

Further, the suitable disclosure is made in note No.14 of Notes to Accounts (Schedule-17).

- 4 (vi) The treatment is in accordance with the Accounting Policy No. 6.
- 4 (vii) Refer comment No. 7 of C&AG on accounts of Corporation for the year ended 31st March 2002 and accordingly treatment given by the Corporation is correct. Further, valuation of inventories does not form as an input to the generation of electricity and as such Provision of AS-2 have been misconstrued in formulating the qualification.
- 4 (viii) Refer comment No. 8 of C&AG on accounts of Corporation for the year ended 31st March 2002 and accordingly treatment given by the Corporation is correct.
- 4 (ix) Refer Note No. 7 of Notes to Accounts (Schedule – 17).
- 4 (x) Refer comment No.9 of C&AG on accounts of Corporation for the year ended 31st March 2002 and accordingly treatment given by the Corporation is correct
- 4 (xi) Refer comment No.9 of C&AG on accounts of Corporation for the year ended 31st March 2002.
- 4 (xii) In the opinion of the Management, the treatment given by the Corporation is correct
- 4 (xiii) The claim relates to compression of time schedule for execution of work and is reflected in contingent liabilities as these are still under examination and liability has not been crystallized even till date. However, sufficient provisions for such contingencies are available.
- 4 (xiv) The project is awaiting environment clearance from MOEF and PPA is signed with Govt. of Bihar and DVC. The expenditure incurred on execution of this project may not be written off at this stage as the project is still in the process of approval.
- 4 (xv) Refer to Note No.9 of Notes to Accounts (Schedule-17) no provision is required against these at this stage.
- 4 (xvi) Refer comment No.10 of C&AG on accounts of Corporation for the year ended 31st March 2002.

सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अनुबंध पर प्रबंधन के उत्तर MANAGEMENT REPLIES TO ANNEXURE TO THE STATUTORY AUDITORS' REPORT

- | | |
|--|--|
| <p>(i) कुछ बचे हुए मामलों में नियत परिसंपत्तियां रजिस्टर में, संस्थापना, अवस्थल तथा अभिज्ञान की तिथि को अभिलेखबद्ध करने के लिए, आवश्यक कार्यवाही वर्ष 2002-2003 में की जाएगी।</p> | <p>i) Necessary action to record date of installation, location and identification in the Fixed Assets Register in left over some cases will be taken in 2002-03.</p> |
| <p>(iii) हमारी राय में कंपनी में पर्याप्त वास्तविक सत्यापन प्रक्रिया विद्यमान है। तथापि, संविदा कार्यों के मामले में इसे और सुदृढ़ किया जाएगा।</p> | <p>iii) In our opinion adequate, physical verification procedure exists in the Company. However, in case of contract works it will be further strengthened.</p> |
| <p>(vi) (क) 62.50 मिलियन रुपए की कटौती समिति द्वारा विधिवत् मूल्यांकित तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित इंजीनियरिंग अनुमान पर आधारित है जिसके लिए आवश्यक समायोजन प्राइजड स्टोर लेजर में किए गए हैं।</p> | <p>vi) (a) The reduction of Rs. 62.50 million is based on Engineering Estimate duly evaluated by Committee and approved by the Competent Authority for which necessary adjustments had been made in priced store ledger.</p> |
| <p>(vi) (ख) लेखा नीति संख्या 6 का अनुसरण किया जाता है।</p> | <p>vi) (b) The Accounting Policy on inventory is followed.</p> |
| <p>(vi) (ग) 31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए कॉरपोरेशन के लेखों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी संख्या 7 तक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के पैरा 5 की मद संख्या (vii) के संबंध में दिए गए हमारे उत्तर को देखें।</p> | <p>vi) (c) Refer comment No. 7 of C&AG on accounts of Corporation for the year ended 31st March 2002 and our reply given to item No.(vii) of para 5 of Audit Report.</p> |
| <p>(xiv) सामान्यतः, स्कैप की बिक्री के युक्तिसंगत रिकार्ड रखे जा रहे हैं। तथापि, इस पद्धति को निरंतर सुदृढ़ किया जा रहा है।</p> | <p>xiv) Generally, reasonable records for sale of scrap are being maintained. However, the system is being continuously strengthened.</p> |
| <p>(xv) हमारी राय में, कंपनी के आकार तथा इसकी व्यवसाय की प्रकृति के समनुरूप पर्याप्त आंतरिक लेखापरीक्षा पद्धति कंपनी में विद्यमान है।</p> | <p>xv) In our opinion, adequate internal audit system commensurate with the size and nature of its business exists in the Company.</p> |
| <p>(xxi) सामग्री तथा भंडारों की प्राप्ति, निर्गम, सामग्री व भंडारों की खपत तथा उप-संविदाकारों को निर्गत सामग्री के संबंध में संबंधित कार्यों में खपत की गई सामग्री का आबंटन अभिलेखबद्ध करने की पद्धति सुव्यवस्थित है। तथापि, दिए गए सुझावानुसार इस पद्धति को और सुदृढ़ किया जाएगा।</p> | <p>xxi) System of recording receipts, issues, consumption of materials and stores and allocation of materials consumed to relative jobs in respect of material issued to sub-contractors is in place. However, as suggested the system will be further strengthened.</p> |

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर

MANAGEMENT REPLIES TO STATUTORY AUDITORS' COMMENTS TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT

5 (i) संगत नियत परिसंपत्तियों के संबंध में सकल ब्लॉक से निर्माणाधीन अवधि के दौरान यहां लिखे मूल्यहास की कटौती निर्माणाधीन अवधि व्यय व्यवहार संबंधी मार्गदर्शी टिप्पणी के पैरा 9.4 व 14.3, भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय संख्या 1.31 (खण्ड X) तथा वर्ष 1994-95 व वर्ष 1995-1996 के लिए कंपनी के वार्षिक लेखों के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी के अनुसार की गई थी।

5 (ii) निगम द्वारा किया गया लेखाकरण व्यवहार सही है तथा भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय संख्या 19 (खण्ड XIX) के अनुसार है।

5 (iii) निगम द्वारा किया गया व्यवहार सही है तथा भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय संख्या 31 तथा 33 (खण्ड संख्या XIX) द्वारा विधिवत् अनुसमर्थित है।

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के वार्षिक लेखों की लेखा टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 4(क) के तहत उपयुक्त प्रकटन भी किया गया है। (अनुसूची-17)।

5 (iv) लेखाकरण मानक-10 अनिवार्य है तथा इसका निरंतर अनुपालन किया जा रहा है तथा कंपनी द्वारा इस संबंध में कोई पृथक नीति निर्धारित किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

न तो टरबाइन गाईड बेयरिंग और न ही 400 केवी ट्रांसफार्मर वस्तुसूचियों में शामिल हैं किन्तु ये टरबाइन गाईड बेयरिंग एसेंबली तथा 400 केवी ट्रांसफार्मरों के अतिरिक्त पुर्जे (बुशिंग्स) हैं।

162.60 मिलियन रूपए का पूंजीकरण वर्ष 1999-2000 में किया गया है तथा नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के वार्षिक लेखों की लेखा टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 7 के तहत उसका प्रकटन किया गया है (अनुसूची-16) तथा सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा इसकी विधिवत् जांच कर ली गई थी। निगम द्वारा प्रदत्त व्यवहार सही है तथा भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की विशेषज्ञ सलाहकार समिति के खण्ड संख्या XVIII की राय संख्या 12 के समनुरूप है।

लेखापरीक्षकों के प्रश्नों का उचित उत्तर दे दिया गया था।

5 (v) कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-VI के अनुसार, वस्तुसूचियों में भंडार तथा अतिरिक्त पुर्जे भी शामिल हैं।

पहले इन्हें नियत पूंजी व्यय के भाग के रूप में शीर्ष "निर्माण भंडार तथा अग्रिम" के अन्तर्गत दिखाया गया था। इसके बाद नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की वर्ष 1995-96 के लिए टिप्पणी (क iii) के प्रत्युत्तर में इन्हें चालू परिसंपत्तियां - "वस्तुसूचियों" के अन्तर्गत दर्शाया गया तथा इस प्रथा का निरंतर अनुसरण किया जा रहा है।

5 (i) : The reduction of Depreciation during construction period from Gross Block in respect of relevant fixed assets were carried out in accordance with para 9.4 & 14.3 of Guidance Note on treatment of expenditure during construction period, opinion No. 1.31 (Volume X) of Expert Advisory Committee of Institute of Chartered Accountants of India and comment of C&AG on Company's Annual Accounts for the year 1994-95 & 1995-96.

5 (ii) : The accounting treatment given by the Corporation is correct and is in accordance with opinion No. 19 (Volume XIX) of Expert Advisory Committee of the Institute of Chartered Accountants of India.

5 (iii) : The treatment given by the Corporation is correct and is duly supported by opinion No 31 and 33 (Volume No. XIX) of Expert Advisory Committee of the Institute of Chartered Accountants of India.

Suitable disclosure is also given vide note No.4 (a) of Notes to Accounts (Schedule-17) of Annual Accounts of National Hydroelectric Power Corporation Limited.

5(iv) : Accounting Standard-10 is mandatory and is being followed consistently and no separate policy is required to be stipulated by the Company in this regard.

Neither Turbine Guide Bearing nor 400 KV Transformer are in inventory but these are turbine guide bearing *assemblies* and spare parts of 400 KV Transformers (*bushings*).

The capitalization of Rs.162.60 million had been done in the year 1999-2000 and disclosed thereto vide note No.7 of Notes to Accounts (Schedule- 16) of Annual Accounts of National Hydroelectric Power Corporation Limited and same had been duly examined by Statutory Auditors & C&AG. The treatment given by the Corporation is correct and in line with opinion No. 12 of Volume No. XVIII of Expert Advisory Committee of the Institute of Chartered Accountants of India.

The Auditors queries were suitably replied.

5 (v) : As per schedule VI of the Companies Act, 1956, inventories also include stores and spares.

Earlier these were shown under the head "Construction Stores and Advances" as part of Fixed capital expenditure. Further, to comment (A iii) for the year 1995-96 of C&AG, the same were restated under Current Assets - "Inventories", and the practice is being followed consistently.

62.50 मिलियन रूपए की कटौती समिति द्वारा विधिवत् मूल्यांकित तथा समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित इंजीनियरिंग अनुमान पर आधारित है जिसके लिए आवश्यक समायोजन मूल्य-निर्धारित भंडार लेजर में किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, नैशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के वार्षिक लेखों में उपयुक्त प्रकटन लेखा टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 14 में किया गया है (अनुसूची-17)।

- 5 (vi) नैशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के वार्षिक लेखों में यह व्यवहार लेखाकरण नीति संख्या 6 के अनुसार किया गया है।
- 5 (vii) 31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के लेखों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी संख्या 7 को देखें तथा तदनुसार निगम द्वारा व्यवहार सही है। इसके अलावा, वस्तुसूचियों का मूल्यांकन बिजली के उत्पादन के लिए इनपुट के रूप में नहीं लिया जाता तथा इस प्रकार एस-2 के प्रावधान की अर्हकता का निर्धारण करते समय गलत व्याख्या की गई है।
- 5 (viii) 31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के लेखों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी संख्या 8 को देखें तथा तदनुसार निगम द्वारा प्रदत्त व्यवहार सही है।
- 5 (ix) नैशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के वार्षिक लेखों की लेखा टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 7 को देखें (अनुसूची-17)
- 5 (x) 31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के लेखों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी संख्या 9 को देखें।
- 5 (xi) 31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के लेखों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी संख्या 9 को देखें।
- 5 (xii) प्रबंधन की राय में निगम द्वारा प्रदत्त व्यवहार सही है।
- 5 (xiii) यह दावा कार्य निष्पादन के लिए समय अनुसूची को कम करने से संबंधित है तथा इसे आकस्मिक देयताओं में दर्शाया गया है क्योंकि ये अभी जांचाधीन हैं तथा आज की तिथि तक देयताओं को स्पष्ट नहीं किया गया है। तथापि, ऐसी आकस्मिकताओं के लिए पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध हैं।
- 5 (xiv) परियोजना के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में पर्यावरण स्वीकृति प्रतीक्षित है तथा पीपीए पर बिहार सरकार तथा डीवीसी के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं। इस परियोजना के निष्पादन पर उपगत व्यय को इस अवस्था पर बट्टे खाते नहीं डाला जा सकता क्योंकि परियोजना अभी अनुमोदन की प्रक्रिया के अधीन है।
- 5 (xv) नैशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के वार्षिक लेखों की लेखा टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 9 (अनुसूची 17) को देखें, इस अवस्था पर किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।
- 5 (xvi) 31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के लेखों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी संख्या 10 को देखें।

The reduction of Rs. 62.50 million is based on Engineering estimate duly evaluated by Committee and approved by appropriate authority for which necessary adjustments had been made in priced store ledger.

Further, the suitable disclosure is made in note No.14 of Notes to Accounts (Schedule-17) of Annual Accounts of National Hydroelectric Power Corporation Limited.

- 5 (vi) : The treatment is in accordance with the Accounting Policy No. 6 of Annual Accounts of National Hydroelectric Power Corporation Limited.
- 5 (vii) : Refer comment No. 7 of C&AG on accounts of Corporation for the year ended 31st March 2002 and accordingly treatment given by the Corporation is correct. Further, valuation of inventories does not form as an input to the generation of electricity and as such Provision of AS-2 have been misconstrued in formulating the qualification.
- 5 (viii) : Refer comment No. 8 of C&AG on accounts of Corporation for the year ended 31st March 2002 and accordingly treatment given by the Corporation is correct.
- 5 (ix) : Refer Note No. 7 of Notes to Accounts (Schedule-17) of Annual Accounts of National Hydroelectric Power Corporation Limited.
- 5 (x) : Refer comment No.9 of C&AG on accounts of Corporation for the year ended 31st March 2002 and accordingly treatment given by the Corporation is correct
- 5 (xi) : Refer comment No.9 of C&AG on accounts of Corporation for the year ended 31st March 2002.
- 5 (xii) : In the opinion of the Management, the treatment given by the Corporation is correct
- 5 (xiii) : The claim relates to compression of time schedule for execution of work and is reflected in contingent liabilities as these are still under examination and liability has not been crystallized even till date. However, sufficient provisions for such contingencies are available.
- 5 (xiv) : The project is awaiting environment clearance from MOEF and PPA is signed with Govt. of Bihar and DVC. The expenditure incurred on execution of this project may not be written off at this stage as the project is still in the process of approval.
- 5 (xv) : Refer to Note No.9 of Notes to Accounts (Schedule-17) of Annual Accounts of National Hydroelectric Power Corporation Limited, no provision is required against these at this stage.
- 5 (xvi) : Refer comment No.10 of C&AG on accounts of Corporation for the year ended 31st March 2002.

नैशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. फरीदाबाद के दिनांक 31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 619 (4) OF THE COMPANIES ACT, 1956 ON THE ACCOUNT OF NATIONAL HYDROELECTRIC POWER CORPORATION LIMITED FARIDABAD FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2002.

**टिप्पणियां
COMMENTS**

क. लाभ एवं हानि लेखा

A Profit and Loss Account

बिक्री : 12210 मिलियन रुपए

Sales : Rs. 12210 million

1. इसमें लाभानुभोगियों द्वारा ऋण अदायगी की प्राप्ति विनिमय दर परिवर्तन (ईआरवी) पर 513.85 मिलियन रुपए शामिल हैं। ईआरवी के आधार पर लाभानुभोगियों से वसूली को स्थिर परिसंपत्तियों की अग्रेजित लागत से कम कर दिया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप, बिक्री एवं स्थिर परिसंपत्तियों में 513.85 मिलियन रुपए का अतिविवरण, 57.18 मिलियन रुपए का मूल्यहास तथा इस वर्ष के लिए लाभ 456.67 मिलियन रुपए हुआ है।

This includes Rs. 513.85 million on Exchange Rate Variation (ERV) being received from beneficiaries towards repayment of loan. Recovery from beneficiaries on account of ERV should have been reduced from the carrying cost of the fixed assets. This has resulted in overstatement of sales and fixed assets by Rs.513.85 million, depreciation by Rs.57.18 million and profit for the year by Rs.456.67 million.

ख. सामान्य

B. General

2. कुछ मामलों में ब्याज समावेश नहीं करने, मूल दावों तथा उत्पादकता दावों के निपटान में गलती के कारण उत्पादकता हानि के प्रति आकस्मिक देयताएं (अनुसूची-17) में 264.61 मिलियन रुपए शामिल नहीं हैं।

Contingent liabilities (Schedule 17) do not include Rs.264.61 million on account of non-inclusion of interest in some cases, error in working out original claims and claims towards productivity loss.

3. पूंजीगत कार्य में फरक्का जल विद्युत परियोजना, जिसे केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अव्यवहार्य घोषित कर दिया गया है, पर किए गए खर्च 12.08 मिलियन रुपए शामिल हैं तथा तथ्य को लेखों के लिए नोट में प्रकट नहीं किया गया है।

Capital works in progress include a sum of Rs.12.08 million incurred on Farakka Hydroelectric Project.

प्रबंधवर्ग का उत्तर

MANAGEMENTS REPLIES

भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्था के विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय सं. 1.11 (वॉल्यूम-XI) के अनुसार इसके उपाय लगातार किए जा रहे हैं।

अस्थायी तौर से 2000-2001 के आधार पर सीईआरसी के निर्देशानुसार, सीईआरसी द्वारा दर का निर्धारण लंबित होने के कारण मूल्य दर की कड़ी के रूप में ईआरवी की राशि का दावा प्रस्तुत किया गया है। आगे इसे लेखों (अनुसूची-17) के लिए नोट हेतु नोट सं. 06 पर प्रकट किया गया है।

वर्ष 2001-02 के लिए सीईआरसी के आदेशों पर आधारित आवश्यक समायोजन चालू वर्ष में कार्यान्वित कर दिया जाएगा।

The treatment is being following consistently in accordance with the opinion No. 1.11 (Vol. XI) of Expert Advisory Committee of the Institute of Chartered Accountants of India.

Pending finalisation of tariff by CERC, the amount of ERV as part of the tariff has been claimed as directed by CERC provisionally on the basis of 2000-2001. Further, it has been disclosed at note no. 6 to Notes to Accounts (Schedule 17).

The necessary adjustments based on CERC's order for the year 2001-02 shall be carried out in current year.

नोट कर लिया गया है।

Noted.

नोट कर लिया गया है।

Noted.

which has been declared commercially unviable by the Central Electricity Authority. This has not been disclosed in Notes to the Accounts.

4. नकद एवं बैंक में जमा पूंजी में निगम की विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित अनुपयोगी इक्विटी पर आधारित 2942.60 मिलियन रुपए शामिल हैं। इस तथ्य को कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-VI की आवश्यकतानुसार प्रकट नहीं किया गया है। Cash and Bank Balances include Rs.2942.60 million on account of unutilized equity pertaining to various projects of the Company. This has not been disclosed as required by the Schedule VI of the Companies Act 1956.

नोट कर लिया गया है।

Noted.

ग. सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

C. Statutory Auditors' Report

5. पैरा सं. 4 (i) से (xiv) व (xvi) तथा पैरा 5 (जी) में विनिर्दिष्ट योग्यताओं को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 (3)च के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार बड़े या तिरछे अक्षर में अभिव्यक्त नहीं किया गया है।

कोई टिप्पणी नहीं।

The qualifications as contained in paragraph No.4 (i) to (xiv) & (xvi) and paragraph 5(g) have not been stated in bold or italics as required under Section 227 (3) (e) of the Companies Act, 1956.

No Comments.

6. लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के पैरा सं. 4 (i) को देखने का कष्ट करें। कंपनी ने आईसीएआई की विशेष सलाहकार समिति की राय पर आधारित कार्यों का अनुसरण किया है, जिस विषय पर सांविधिक लेखापरीक्षक की अलग राय है। A reference is invited to paragraph No. 4(i) of the Auditors' Report. The Company has followed the practice based on an opinion of the Expert Advisory Committee of the ICAI on the subject matter in respect of which the Statutory Auditor has a different view.

कोई टिप्पणी नहीं।

No Comments.

7. लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के पैरा सं. 4 (vii) को देखने का कष्ट करें। चूंकि चार परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि की हानि के कारणों का विश्लेषण नहीं किया गया है, अतएव इसका निष्कर्ष यह नहीं निकाला जा सकता कि कंपनी एस-2 का अनुसरण नहीं कर रही है।

कोई टिप्पणी नहीं।

A reference is invited to paragraph No.4(vii) of the Auditors' Report. As reasons for losses incurred by the four projects have not been analysed, it may not be concluded that the Company has not been following AS-2.

No Comments.

8. लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के पैरा सं. 4 (viii) को देखने का कष्ट करें। जबकि लेखापरीक्षकों का यह अभिमत कि संविदा कार्यों के लिए प्रथम वर्ष से ही मूल्यहास को वसूल किया जाना चाहिए, सही है, इसलिए इस वर्ष के लिए इन संविदा कार्यों हेतु मूल्यहास कम नहीं है।

कोई टिप्पणी नहीं।

A reference is invited to paragraph No.4(viii) of the Auditors' Report. While the contention of the Auditors that depreciation should be charged from the first year itself in respect of the contract works awarded to the Company is correct, there is no undercharge of depreciation in respect of these contract works for the year.

No Comments.



9. लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के पैरा सं. 4 (x) व (xi) को देखने का कष्ट करें। कंपनी लाभ एवं हानि लेखों के लिए प्रभार द्वारा स्वयं बीमा आरक्षण नीति का लगातार अनुसरण करती आ रही है।

A reference is invited to paragraphs No.4(x) & (xi) of the Auditors' Report. The Company has consistently been following the policy of creating Self Insurance Reserve by a charge to profit and loss account.

10. लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ-साथ, इसके पैरा सं. 4 (XVI) अभिव्यक्ति करती है कि धौलीगंगा परियोजना के लिए संयंत्र एवं मशीनरी के मूल्य (राशि अनिश्चित है) बुक नहीं किए गए हैं यद्यपि सामग्री के रूप में संपत्ति कंपनी को पहले ही प्रेषण कर दिया गया है इसके प्रभाव का आकलन कर दिया गया है, जिसके अनुसार पूंजीगत कार्य एवं चालू देयताएं 36.45 मिलियन रुपए तक कम करके बतलाया गया है।

Paragraph No.4(xvi) of the Auditor's Report, *inter alia*, states that the value (amount unascertainable) of plant and machinery in respect of Dhauliganga project has not been booked, though the property in the goods has already passed to the Company on shipment. Impact of the same has been worked out, according to which capital work-in-progress and current liabilities stand understated by Rs.36.45 million.

हस्ता. /-

(रेवती बेदी)

प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं
पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-III, नई दिल्ली-110011

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23.12.2002

कोई टिप्पणी नहीं।

No Comments.

नोट कर लिया गया है।

Noted.

Sd/-

(REVATHI BEDI)

PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL AUDIT & EX-
OFFICIO MEMBER, AUDIT BOARD-III,
NEW DELHI-110011

Place : New Delhi
Dated : 23.12.2002

31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. फरीदाबाद, के लेखों की भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक द्वारा समीक्षा

REVIEW OF ACCOUNTS OF NATIONAL HYDROELECTRIC POWER CORPORATION LIMITED, FARIDABAD, FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH, 2002 BY THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA.

नोट : लेखों की इस समीक्षा को सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में दी गई अहर्यताओं और कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखे बिना तैयार किया गया है।

NOTE: THIS REVIEW OF ACCOUNTS HAS BEEN PREPARED WITHOUT TAKING INTO ACCOUNT COMMENTS UNDER SECTION 619(4) OF THE COMPANIES ACT 1956 AND QUALIFICATIONS CONTAINED IN THE STATUTORY AUDITOR'S REPORT.

वित्तीय स्थिति

FINANCIAL POSITION

नीचे दी गई तालिका में पिछले तीन वर्षों की वित्तीय स्थिति का सार

मुख्य शीर्षकों के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।

The table below summaries the financial position of the Company under broad headings for the last three years.

	(करोड़ रुपए में) (Rs. in Crore)		
	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1. देयताएं			
Liabilities			
क) प्रदत्त पूंजी			
a) Paid-up capital			
i) सरकारी (इक्विटी में समंजन योग्य सरकारी निधि सहित)			
Government (including Government funds	4446.20	5188.20	6345.70
Adjustable to equity)			
ii) अन्य			
(other)	—	—	—
ख) आरक्षित व अधिशेष			
b) Reserves and surplus			
i) स्वतंत्र आरक्षित व अधिशेष			
Free reserves and surplus	1690.50	2139.00	2598.40
ii) शेयर प्रीमियम खाता			
Share premium account	—	—	—
iii) आरक्षित पूंजी			
Capital reserves	0.10	0.10	0.10
ग) उधार			
c) Borrowings			
i) भारत सरकार से			
from Government of India	484.50	439.70	28.70
ii) वित्तीय संस्थाओं से			
from Financial institutions	1885.20	2142.40	2849.30
iii) विदेशी मुद्रा ऋण			
Foreign currency loans	1856.00	1935.30	2113.60
iv) नकद उधार/अल्प अवधि ऋण			
Cash credit/Short Term Loan	365.90	518.60	656.30
v) अन्य			
Others	991.80	607.10	569.30
vi) उपयुक्त और देय ब्याज			
Interest accrued and due	0.30	—	—
घ) i) चालू देयताएं और प्रावधान			
d) Current liabilities and provisions			
ii) ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान			
Provision for gratuity	52.87	60.10	91.59
च) आस्थगित कर देयताएं			
e) Deferred Tax Liabilities	—	—	1132.90
छ) अग्रिम रूप में प्राप्त आय			
f) Income received in advance			
i) मूल्यहास के बदले पेशगी			
Advance against depreciation	386.10	519.90	648.40
कुल			
TOTAL	12883.20	14158.90	17675.10

	1999-2000	2000-2001	2001-2002
परिसंपत्तियां			
Assets			
ज) सकल ब्लॉक			
g) Gross block	7752.70	7892.70	8113.50
झ) घटाएं : संचयी मूल्यह्रास			
h) Less : Cumulative depreciation	1029.00	1280.10	1526.70
ट) शुद्ध ब्लॉक			
i) Net block	6723.70	6612.60	6586.80
ठ) निर्माण भंडार व पेशगियों सहित चालू पूंजीगत कार्य व पेशगियां			
j) Capital work-in-progress including construction stores & advances	3280.10	4323.80	5743.80
ड) निवेश			
k) Investments	—	679.90	1927.20
ढ) चालू परिसंपत्तियां, ऋण व पेशगियां			
l) Current assets, loans and advances	2877.50	2532.80	2282.40
त) आस्थगित कर परिसंपत्तियां			
m) Deferred tax assets	—	—	1132.90
थ) बट्टे खाते न डाला गया विविध खर्च			
n) Miscellaneous expenditure not written off	1.90	9.80	2.00
द) संचित हानि			
o) Accumulated loss	—	—	—
कुल			
TOTAL	12883.20	14158.90	17675.10
ध) कार्यकारी पूंजी {ट-घ(i)+ग(vi)}			
p) Working capital {i-d(i)-c(vi)}	2153.47	1924.30	1641.59
न) नियोजित पूंजी (ट+ध)			
q) Capital employed (i+p)	8877.17	8536.90	8228.39
प) नियत मूल्य {क+ख(i) (ii)-थ-द}			
r) Net worth {a+b(i)+(ii)-n-o}	6134.80	7317.40	8942.10
फ) प्रदत्त पूंजी का प्रति रुपए निवल मूल्य (रुपए में)			
s) Net worth per rupee of paid-up capital (in Rupees)	1.38	1.41	1.41
2. निधियों के स्रोत और उपयोग			
SOURCES AND UTILISATION OF FUNDS			
वर्ष के दौरान 2938.10 करोड़ रुपए की निधियां आंतरिक और बाह्य स्रोतों से एकत्र की गईं और उनका नीचे दिए अनुसार उपयोग किया गया :			
Funds amounting to Rs. 2938.10 crores from internal and external sources were realised and utilised during the year as follows			
निधियों के स्रोत			
Sources of Funds			
संचालन से प्राप्त निधियाँ			
Funds generated from operation			
क) वर्ष के लिए लाभ			
a) Profit for the year			470.90
जोड़ें : वर्ष के दौरान मूल्यह्रास			
Add : Depreciation during the year			246.60
जोड़ें : बट्टे खाते डाला गया विविध खर्च			
Add : Misc. expenditure written off			7.80
जोड़ें : स्व बीमा रिजर्व में वृद्धि			
Add : Increase in self insurance reserve			38.50
			763.80
ख) प्रदत्त पूंजी में वृद्धि			
b) Increase in paid up capital			1157.50
ग) उधार ली गई निधि में वृद्धि			
c) Increase in borrowed funds			574.10
घ) ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान में वृद्धि			
d) Increase in provision for gratuity			31.49
च) मूल्यह्रास के बदले पेशगी में वृद्धि			
e) Increase in advance against depreciation			128.50
छ) कार्यकारी पूंजी में कमी			
f) Decrease in working capital			282.71
ज) आस्थगित कर देयताओं में वृद्धि			
g) Increase in deferred tax liabilities			1132.90
कुल			
Total			4071.00

(करोड़ रुपए में) (Rs. in crore)

(करोड़ रुपए में) (Rs. in Crore)

	1999-2000	2000-2001	2001-2002
निधियों का उपयोग			
Utilisation of funds			
क) स्थिर परिसंपत्तियों में वृद्धि			
a) Increase in fixed assets			220.80
ख) कार्यकारी पूंजी में वृद्धि			—
b) Increase in working capital			—
ग) निर्माण भंडार व पेशगियों सहित चालू पूंजीगत कार्य में वृद्धि			
c) Increase in capital work-in-progress including construction stores and advances			1420.00
घ) प्रदत्त लाभांश			
d) Dividend paid			50.00
च) निवेश			
e) Investment			1247.30
छ) आस्थगित कर परिसंपत्तियों में वृद्धि			
f) Increase in deferred tax assets			1132.90
कुल			
Total			4071.00

3. कार्यकारी परिणाम WORKING RESULTS

31 मार्च, 2002 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के कंपनी के कार्यकारी, परिणाम नीचे दिए गए हैं :
The working results of the company in the last three years ended 31st March 2002 are given below :

	(करोड़ रुपए में) (Rs. in Crore)		
	1999-2000	2000-2001	2001-2002
i) बिक्री			
Sales	1075.70	1142.80	1221.00
ii) घटाएँ : उत्पाद शुल्क			
Less : Excise duty	—	—	—
iii) शुद्ध बिक्री			
Net sales	1075.70	1142.80	1221.00
iv) अन्य या विविध आय			
Other or misc income	202.60	788.10	334.40
v) कर पूर्व लाभ व पूर्व अवधि समायोजन			
Profit before tax and prior period adjustments	398.00	455.50	519.60
vi) पूर्व अवधि समायोजन			
Prior period adjustments	3.20	-8.40	-6.50
vii) कर पूर्व लाभ			
Profit before tax	401.20	447.10	513.10
viii) कर के लिए प्रावधान			
Tax provisions	—	3.70	42.20
ix) कर के बाद लाभ			
Profit after tax	401.20	443.40	470.90
x) प्रस्तावित लाभांश (लाभांश कर सहित)			
Proposed dividend (including dividend tax)	18.30	33.10	50.00

4. अनुपात विश्लेषण RATIO ANALYSIS

31 मार्च, 2002 को समाप्त पिछले तीन वर्षों की समाप्ति पर कंपनी की वित्तीय स्थिति और कार्य प्रणाली के बारे में कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय अनुपात नीचे दिए गए हैं :

Some important financial ratios on the financial health and working of the company at the end of the last three years ended 31st March, 2002 are as follows :

	(प्रतिशत में) (in Percentages)		
	1999-2000	2000-2001	2001-2002
क) लिक्विडिटी अनुपात			
a) Liquidity ratio			
चालू अनुपात			
Current ratio	3.97	4.16	3.56
(चालू देयताओं व प्रावधान के लिए चालू परिसंपत्तियों और उपचित एवं देय ब्याज लेकिन ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान को छोड़कर)			
{ट/घ(i)+ग(vi)}			
(Current assets to current liabilities & provisions and interest accrued and due but excluding provisions for gratuity) {i/d(i)+c(vi)}			



	(प्रतिशत में) (in Percentages)		
	1999-2000	2000-2001	2001-2002
ख) ऋण इक्विटी अनुपात निवल मूल्य के लिए दीर्घ अवधि डेबिट {ग(i) से v तक लेकिन अल्प अवधि ऋणों को छोड़कर} / प}			
b) Debit equity ratio Long term debit to net worth {c(i) to v but excluding short term loans}/r}	0.85	0.70	0.62
ग) लाभ अनुपात			
c) Profitability ratios			
निम्न के लिए लाभ (कर पूर्व) Profit (before tax) to			
(i) नियोजित पूंजी Capital employed	4.52	5.24	6.24
(ii) निवल मूल्य Net worth	6.54	6.11	5.74
(iii) बिक्री Sales	37.30	39.12	42.02
(iv) इक्विटी Equity	9.02	8.62	8.09
घ) प्रति शेयर अर्जन (रुपए में) d) Earnings per share (in Rupees)	90.23	86.18	80.86

5. वस्तुसूची स्तर INVENTORY LEVELS

31 मार्च, 2002 को समाप्त पिछले तीन वर्षों की समाप्ति पर वस्तुसूची स्तर नीचे दिए अनुसार हैं :
The inventory levels at the close of the last three years ended 31st March, 2002 are as follows :

	(रुपए करोड़ में) (Rs. in crore)		
	1999-2000	2000-2001	2001-2002
भंडार, पुर्जे एवं लूज टूल्स Stores, spares and loose tools	83.00	90.40	83.70

6. विविध देनदार SUNDRY DEBTORS

31 मार्च, 2002 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के विविध देनदार और बिक्री संबंधी ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं :
The sundry debtors and sales in the last three years ended 31st March, 2002 are as follows :

				(रुपए करोड़ में) (Rs. in crore)	
विविध देनदार SUNDRY DEBTORS				बिक्री SALES	प्रतिशत में Percentage of
31 मार्च को As on 31st March	कंसीडर्ड गुड Considered good	कंसीडर्ड संदेहजनक Considered doubtful	कुल Total	(उत्पाद शुल्क सहित) (including excise duty)	बिक्री के विविध देनदार Sundry Debtors to Sales
2000	2280.90	82.60	2363.50	1075.70	219.72
2001	1982.50	77.50	2060.00	1142.80	180.26
2002	1271.50	77.50	1349.00	1221.00	110.48

वर्ष 2001-2002 की समाप्ति पर विविध देनदारों का अवधि के अनुसार विवरण नीचे दिए अनुसार है :
The age wise break up of sundry debtors at the end of 2001-2002 is as under :

		राशि (रुपए करोड़ में) Amount (Rs. in Crores)
एक वर्ष से कम के लिए बकाया देनदार Debtors outstanding for less than 1 years		852
1-2 वर्ष के लिए 1-2 years		71
2 वर्ष और उससे अधिक के लिए 2 years and above		162
3 वर्ष और उससे अधिक के लिए 3 years and above		264
कुल TOTAL		1349

(रेवती बेदी)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य,
लेखा परीक्षा बोर्ड-III, नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23.12.2002

(REVATHI BEDI)
PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL AUDIT AND
EX-OFFICIO MEMBER, AUDIT BOARD-III NEW DELHI

Place : New Delhi
Dated : 23.12.2002

अनुबंध / Annexure - VII

क. ऊर्जा संरक्षण

(क) ऊर्जा की बचत के लिए उपाय किए गए और किए जा रहे हैं।

एनएचपीसी पावर सिस्टम का डिजाइन इसका अनुकूलतम उपयोग करने के लिए किया गया है ताकि ऊर्जा हानियों (सहायक खपत) को न्यूनतम किया जा सके।

(ख) अतिरिक्त निवेश और प्रस्ताव, यदि कोई है, का उपयोग ऊर्जा खपत में कमी करने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

निगम द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निवेश करने के संबंध में फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के लिए किए गए उपाय ऊर्जा की खपत और सामान की उत्पादन लागत पर पड़ने वाले परिणामी प्रभाव को कम करने के लिए किए गए।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान इष्टतम उपयोग दर्ज किया गया।

(घ) प्रति यूनिट उत्पादन में ऊर्जा की खपत और कुल ऊर्जा खपत इस अनुबंध के प्रपत्र 'क' में संलग्न है।

एनएचपीसी इस अनुसूची में उल्लिखित किए गए उद्योगों की श्रेणी में नहीं आती है।

प्रपत्र-ख

1. कंपनी द्वारा जिन विशेष क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) के कार्य किए गए;

- टरबाइन के जलमग्न हिस्सों की कार्य अवधि को बढ़ाना।
- उच्च कार्यक्षमता की कंक्रीट।
- विद्युत उत्पादन के लिए भू-तापीय ऊर्जा का दोहन।

2. उपरोक्त आरएंडडी के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ

आरएंडडी परियोजनाओं के परिणामों के कार्यान्वयन से महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त हो सकते हैं किन्तु उनकी गणना करना संभव नहीं है। जल विद्युत केंद्र के जलमग्न टरबाइन हिस्से के पुनर्स्थापन/पुनः निर्माण को मात्र एक वर्ष के लिए बढ़ाने से समय व लागत में अत्यधिक कमी होगी। उत्पादन यूनिटों और ट्रांसफार्मरों की गुणवत्ता की मॉनीटरिंग करने से, प्रारंभिक अवस्था में ही दोष का पता लगाया जा सकता है, इससे उत्पादन में कमी से बचने के साथ-साथ बड़े दोषों और महंगी मरम्मत से बचा जा सकता है। उच्च क्षमता वाली कंक्रीट स्थापित करने से अनेक लाभ प्राप्त हो सकते हैं जैसे कम सामग्री की आवश्यकता, कम मात्रा में बीम, रखरखाव कार्य में कमी तथा बढ़ी हुई कार्य अवधि आदि।

3. 2002-2003 की भावी कार्ययोजना

उपरोक्त आरएंडडी गतिविधियां जारी रखने का प्रस्ताव है।

4. आरएंडडी पर व्यय - 2002 तक

2001-2002 तक कुल 29.7 मिलियन रुपए जिनमें भू-तापीय विद्युत के विकास पर 4.9 मिलियन रुपए का व्यय शामिल है।

A. CONSERVATION OF ENERGY

(a) Energy measures taken and on hand.

NHPC power systems are designed in optimal manner such that power losses (auxiliary consumption) are minimized.

(b) Additional investment and proposals if any, being implemented for reduction of consumption of energy.

There is no proposal for direct investment by the Corporation at present.

(c) Impact of measures at (a) and (b) above for reduction of Energy consumption and consequent impact on the cost of production of goods.

Optimum utilisation is made during the year under report.

(d) Total Energy consumption and Energy consumption per unit of production as per Form -A of the Annexure thereto.

NHPC does not cover in the category of industries mentioned in the schedule.

FORM - B

1. Specific areas in which R&D carried out by the company ;

- Elongation of service life of underwater turbine components.
- High performance Concrete.
- Exploitation of Geothermal Energy for Power Generation.

2. Benefit derived as a result of the above R&D

The benefit occurring from the implementation of the results of the R&D projects would be substantial but they cannot be quantified Extending the rebuilding/rehabilitation of underwater turbine components of hydro power station, even by one year, would result in huge savings in cost and down time by monitoring the health of generating units and transformers, faults can be detected in the incipient stage itself which can result in avoiding major faults and costly repairs, besides reduction in generation loss .Placement of high performance concrete can deliver variety of benefits such as less material requirement, beams, reduced maintenance and extended life cycle etc.

3. Future plan action 2002-2003

The above R&D activities are proposed to be continued.

4. Expenditure on R&D – upto 2002

Total: upto 2001-2002 : Rs. 29.7 million including expenditure of Rs. 4.9 million on Development of Geothermal Power.

2002-2003-भू-तापीय विद्युत के विकास पर 80 मिलियन रुपए सहित आरएंडडी गतिविधियों के लिए 120 मिलियन रुपए प्रस्तावित हैं।

प्रौद्योगिकीय समावेशन, ग्राह्यता और नवीकरण

1. प्रौद्योगिकीय समावेशन, ग्राह्यता और नवीकरण के लिए किए गए प्रयासों का संक्षिप्त विवरण

मानसून के दौरान, पहाड़ों की श्रृंखला की ऊपरी मिट्टी गाद के रूप में जल के साथ बहती है। हिमालय से नदियों के पानी में खासतौर से मानसून के मौसम में अत्यधिक मात्रा में अपघर्षक गाद मौजूद होने के कारण टरबाइन के जलमग्न हिस्से बहुत जल्दी क्षरित हो जाते हैं। इसलिए टरबाइन के हिस्सों की कार्यअवधि को बढ़ाने के लिए प्रयोगों से प्रौद्योगिकी का विकास किया गया।

2. उपरोक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ, यथा उत्पादन में सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास, आयात प्रतिस्थापन आदि नीचे दिए अनुसार हैं :

क्र. सं. Sl. No.	प्रौद्योगिकी ग्राह्यता/नवीकरण Technology adoption/innovation
1.0	विद्युत उत्पादन के लिए भू-तापीय ऊर्जा के दोहन के लिए अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदाता को नियुक्त करना। Hiring and International Consultant for exploitation of Geothermal Energy for power generation.

पिछले पांच वर्षों के दौरान आयातित प्रौद्योगिकी

जल विद्युत विकास के क्षेत्र में एक अग्रणी संगठन होने के कारण एनएचपीसी देश को स्वच्छ एवं सस्ती बिजली उपलब्ध करा रही है। एनएचपीसी विश्व बाजार में उपलब्ध अद्यतन प्रौद्योगिकी का अध्ययन करने और उसे अपनाने के संबंध में भी भरपूर प्रयास कर रही है। एनएचपीसी ने भू-तापीय विद्युत के क्षेत्र में भी विविधीकरण किया है। इसने एक अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदाता को नियुक्त करके भारत में भू-तापीय क्षेत्रों का क्रमनिर्धारण करवाया है। इसके अतिरिक्त, 4 सर्वाधिक संभाव्यता वाले भू-तापीय क्षेत्रों की पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट भी तैयार की गई है।

प्रपत्र ग. विदेशी मुद्रा में आय व व्यय

Form C. FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO

क्र.सं. S.No.	व्यय OUTGO	2001-02	2000-01
1.	आयातित संयंत्र व मशीनरी की कीमत Value of imported Plant & Machinery	1268	535
2.	जानकारी Know-how	14	139
3.	विविध (व्यय) Misc (outgo)	322	3033
4.	ब्याज Interest	1110	1178
5.	संचालित यूनितों में उपयोग में लाए गए अतिरिक्त पुर्जों व हिस्सों की कीमत Value of spare parts & components consumed in Operating units		
	- आयातित Imported	19	4
	- स्वदेशी Indigenous	50	67
	आय INCOME		
6.	ब्याज संबंधी आय Interest Income	—	—
7.	अन्य Others	—	—

2002-2003 – Rs.120 million proposed for R&D activities, including Rs. 80 million on Development of Geothermal power.

TECHONOLGY ABSORPTION, ADAPTATION AND INNOVATION.

1. Efforts in brief made towards technology absorption, adaptation and innovation

During the monsoons, the top soil of the mountain range travels along with the water in the shape of silt. Due to presence of huge quantity of abrasive silt in rivers from the Himalayas, particularly during monsoon months, the underwater turbine components get eroded very fast. Therefore, the technology to increase the operational life of turbine component was developed with experimentations.

2. Benefits derived as result of the above efforts, e.g. product improvement, cost reduction, product development, import substitution etc. are as under :

लागत में बचत/उत्पादन में सुधार Cost saving Product Improvement


भारत में पहली बार संभाव्य भूतापीय क्षेत्रों का क्रम निर्धारण किया गया है।

For the first time ranking of potential geothermal fields has been done in India.

TECHNOLOGY IMPORTED DURING LAST FIVE YEARS :

Being a premier organisation for Hydro Power development, NHPC is providing cheap and clean power to nation. NHPC has been making all out efforts to study and adopt latest technology available in the world market.

NHPC has also diversified into the field of geothermal power. It has got done ranking of the Geothermal Fields in India by hiring an International Consultant. Further, pre-feasibility report of 4 nos. most prospective Geothermal Fields have also been prepared.



कंक्रीट बांध - 60 मेगावाट कुरिचू पावर स्टेशन (भुलान)
Concrete Dam - 60 MW Kurichu Power Station (Bhulan)



नैशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि०
(भारत सरकार का उद्यम)

National Hydroelectric Power Corporation Ltd.
(A Government of India Enterprise)

एनएचपीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स, सैक्टर-33,
फरीदाबाद-121 003 (हरियाणा)
वेबसाइट : <http://www.nhpcindia.com>

NHPC Office Complex, Sector-33,
Faridabad-121 003 (Haryana)
Website : <http://www.nhpcindia.com>